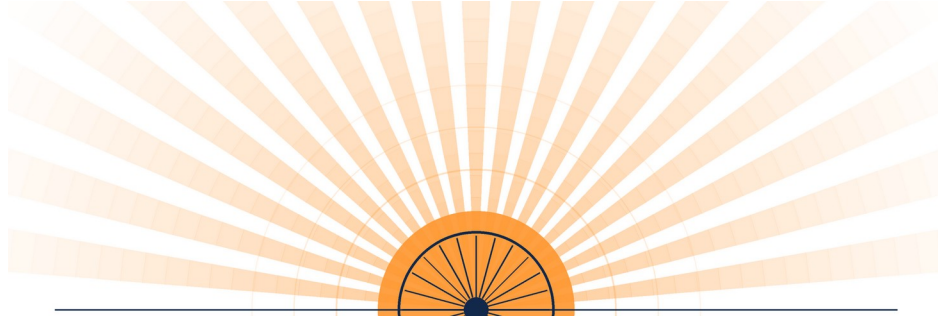




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartrihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“आज मेरा सचिव मेरी राय के खिलाफ़ नोट लिख सकता है — यह आज़ादी मैंने अपने हर सचिव को दी है... खरी और बेबाक राय सुनकर मैं कभी नाराज़ नहीं होऊँगा।”

— सरदार वल्लभभाई पटेल, संविधान सभा में भाषण (10 अक्टूबर 1949)

द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू (दिल्ली संस्करण) — 23 सितंबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 23 सितंबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“हमारे संवैधानिक आकाश में यदि कोई ध्रुवतारा अटल है, तो यही कि कोई भी अधिकारी — ऊँचा हो या छोटा — यह तय नहीं कर सकता कि राजनीति, राष्ट्रवाद, धर्म या किसी और मत के विषय में ‘सही’ आस्था क्या है, और न ही नागरिकों को विवश कर सकता है कि वे अपने शब्दों या आचरण से उस आस्था को स्वीकार करें।”

— न्यायमूर्ति रॉबर्ट एच. बैक्सन • बहुमत का निर्णय, *West Virginia State Board of Education v. Barnette*, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (1943)

उपयोग करें (Use in): अंतरात्मा बनाम राज्य (आज का राष्ट्रगीत से जुड़ा मामला)। स्वतंत्रता, देशभक्ति या पंथनिरपेक्षता पर निबंध में, और अनुच्छेद 19(1)(a) व 25 पर GS2/GS4 के उत्तरों में इसे बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) के साथ रखें: राज्य सम्मान की अपेक्षा कर सकता है, पर किसी नागरिक से आस्था का इजहार ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता।

“संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है; इसे सींचकर उगाना पड़ता है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारे लोगों को अभी इसे सीखना है।”

— भीमराव आंबेडकर • संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए भाषण, संविधान सभा वाद-विवाद, 4 नवंबर 1948

उपयोग करें (Use in): संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामूहिक (कॉलेजियल) निर्णय-प्रक्रिया (आज की चुनाव आयोग वाली खबर), तथा यह सिद्धांत कि अपराध केवल विधायिका ही गढ़ सकती है। तर्क दें कि संस्थाएँ परामर्श, असहमति और संयम की उन परंपराओं पर टिकती हैं जिन्हें कोई लिखित पाठ पूरी तरह लागू नहीं करवा सकता; चुनाव आयोग पर GS2 और सार्वजनिक संस्थाओं में सत्यनिष्ठा पर GS4 के उत्तरों में उपयोगी।

“परमाणु की मुक्त हुई शक्ति ने सब कुछ बदल दिया है, सिवाय हमारे सोचने के ढंग के — और इसीलिए हम एक अभूतपूर्व विनाश की ओर बहते जा रहे हैं।”

— अल्बर्ट आइंस्टाइन • एमरजेंसी कमेटी ऑफ़ एटॉमिक साइंटिस्ट्स की ओर से भेजा गया तार, 24 मई 1946 (द न्यूयॉर्क टाइम्स में 25 मई 1946 को प्रकाशित)

उपयोग करें (Use in): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और महाशक्तियों की होड़ (आज का शी-ट्रंप AI संवाद)। प्रौद्योगिकी और नैतिकता पर निबंध में या AI शासन पर GS3 के उत्तरों में उपयोग करें: परमाणु युग बताता है कि नई शक्ति उसे क़ाबू करने वाले नियमों और सोच से कहीं तेज़ फैलती है — यही घटना-सूचना चैनलों, सत्यापन और वैश्विक दक्षिण को मेज़ पर जगह देने का तर्क है।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 सर्वोच्च न्यायालय: राज्य बंदे मातरम् के छंद तय कर सकता है, पर अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वालों पर मुकदमा नहीं चला सकता
- 1.2 दो निर्वाचन आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 आपत्तियाँ दर्ज कीं, फॉर्म 6 में बदलाव को 'अनधिकृत और अवैध' बताया
- 1.3 सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. गैंगस्टर अधिनियम को 'मृतजात' कहा, दोहराया कि अपराध का सृजन केवल विधायिका कर सकती है
- 1.4 संविधान सभा की 1948 की समान नागरिक संहिता बहस फिर चर्चा में, मिज़ोरम के भाजपा विधायक ने UCC-विरोधी संकल्प से अलग राह पकड़ी
- 1.5 तृणमूल छोड़कर NCPI से जुड़े 20 सांसदों ने निरहंता नोटिसों पर जवाब के लिए चार सप्ताह और माँगे

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 वॉशिंगटन की धारा 301 जाँचें भारत के प्रतिस्पर्धियों पर फिर शुल्क न लगा दें, तब तक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अटका
- 2.2 भारतीय मध्यस्थता परिषद के प्रमुख की सलाह: नई व्यापार संधियों में वाणिज्यिक मध्यस्थता को जगह दे भारत
- 2.3 खान सचिव की खनन ब्लॉकों पर 'कब्ज़ा जमाकर बैठने' के विरुद्ध चेतावनी, लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना शुरू होने को
- 2.4 केंद्र ने राज्यों को बढ़ती उम्र, AI और जलवायु के दबावों से आगाह किया, मुंबई देश के सबसे बड़े नगरपालिका बॉन्ड की तैयारी में

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

- 3.1 महाराष्ट्र का महिला किसान कानून 'महिला किसान प्रमाणपत्र' के ज़रिए भूमिहीन महिलाओं को किसान का दर्जा देता है
- 3.2 पंजाब अपने निकालने योग्य भूजल का 152% खींच रहा है, और गिरता जलस्तर संपत्ति को बड़े किसानों की ओर खिसका रहा है
- 3.3 घर पर भोजन पर खर्च हुए रुपये का 57.8% किसान को मिलता है, बाहर खाने पर केवल 8.4%

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 4.1 ट्रंप ने UNGA से कहा — उन्हें ईरान समझौते और 'विनाश' में से एक चुनना है; होर्मुज़ में व्यवधान जारी
- 4.2 जयशंकर ने पहले P4M शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, '4F' संकट की चेतावनी दी; ताजिकिस्तान ने भारत की UNSC दावेदारी को चुनौती दी
- 4.3 राजा मोहन: शी और ट्रंप AI संवाद शुरू कर रहे हैं, भारत के सामने तीन कठिन प्रश्न
- 4.4 थरूर ने 1918 के हाइफा युद्ध को फिर से याद किया: भारत और इज़राइल के लिए गौरव, फ़िलिस्तीनियों के लिए आक्रोश

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 5.1 नहरों के ऊपर सौर ऊर्जा बिना नई ज़मीन के 131 GW जोड़ सकती है, पर 2012 के बाद से इसका विस्तार नहीं हुआ
- 5.2 केंद्र ने बंदरगाहों की पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता दोगुनी कर 20 वर्ष की, साथ में पाँच-पाँच वर्ष के दो सशर्त विस्तार
- 5.3 गैंडा संरक्षण चरण I (2026-31) के तहत बिहार और अरुणाचल तक विस्तार, साथ में घास के मैदानों का एटलस बनाने की योजना
- 5.4 रसुवा आपदा GLOF नहीं, चट्टान-हिम हिमस्खलन थी, और इसके लिए भूकंपीय चेतावनी नेटवर्क चाहिए

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 6.1 सर्वोच्च न्यायालय ने कैसर दवा पर दस गुना मुनाफ़े को 'दिनदहाड़े डकैती' कहा, खामोश नियामकों को कठघरे में खड़ा किया
- 6.2 CDSCO के परिपत्र की चेतावनी: एंटीबायोटिक और दर्द-निवारक दवाएँ खुद से न लें, गुर्दे को नुकसान का खतरा
- 6.3 दिल्ली में अभयरैब रेबीज़ टीके की 481 नकली इकाइयाँ ज़ब्त, आपूर्ति का सिरा कानपुर की एजेंसी तक पहुँचा

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 7.1 AI डेटा-सेंटर की होड़ से मेमोरी-चिप में 'सुपरसाइकिल', भारत अभी पैकेजिंग और डिज़ाइन तक सीमित

8. समाज (Society)

- 8.1 तमिलनाडु ने मुफ़्त स्कूली नाश्ता कक्षा 6-8 तक बढ़ाया, दायरा 34.64 लाख बच्चों तक पहुँचा
- 8.2 राष्ट्रपति मुर्मू की फ़िल्मी सितारों से अपील: हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करें, फ़िल्म श्रमिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 9.1 IAF का तरंग शक्ति-26: अमेरिकी F-35 समेत आठ वायु सेनाएँ और 32 पर्यवेक्षक देश जोधपुर में
- 9.2 शाह ने मादक पदार्थों के व्यापार को 'जड़ से उखाड़ने' के लिए 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की, ज़ोर ज़बती से हटकर नेटवर्क पर

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

9.1 केस 1 — छह छंद और एक मौन अधिकारी

9.2 केस 2 — मंगलवार को पुरस्कार, बुधवार को प्रस्ताव

9.3 केस 3 — वह रेंजर जिसने अकेले डंपर का पीछा किया

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

10 24 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

11.1 आज्ञापालन का आदेश दिया जा सकता है; निष्ठा अर्जित करनी पड़ती है।

11.2 जो हाथ खिलाता है, वह प्रायः सबसे अंत में खाता है।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

इस खंड की हर खबर एक ही प्रश्न पूछती है: परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य राष्ट्रगीत को परिभाषित करना चाहता है, निर्वाचन आयोग का सचिवालय नए सिरे से तय कर रहा है कि नया मतदाता कौन गिना जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने तय किया कि 'गैंगस्टर' कौन है, और अब निर्वाचन आयोग तथा अध्यक्ष यह तय कर रहे हैं कि कोई विधायक किस दल का है। हर मामले में संविधान का उत्तर एक ही है। जो परिभाषाएँ स्वतंत्रता या मताधिकार छीनती हैं, वे विधायिका से आनी चाहिए, ऐसी प्रक्रिया से जिसे चुनौती दी जा सके, न कि किसी कार्यालय ज्ञापन, सॉफ्टवेयर की किसी सेटिंग या पुलिस के किसी चार्ट से।

1.1 सर्वोच्च न्यायालय: राज्य वंदे मातरम् के छंद तय कर सकता है, पर अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वालों पर मुकदमा नहीं चला सकता

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 22 सितंबर को कर्नाटक संगीत के गायक टी.एम. कृष्णा की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Act, 2026) को चुनौती दी गई है। तीन न्यायाधीशों की इस पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे, और इसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह संशोधन राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 को बदलता है, ताकि वंदे मातरम् को वही कानूनी संरक्षण मिले जो राष्ट्रगान जन गण मन को प्राप्त है। वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर द्वारा प्रस्तुत याचिका कहती है कि संशोधित कानून, जनवरी में जारी गृह मंत्रालय के निर्देशों और जुलाई के एक परिपत्र के साथ पढ़ने पर, सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम् के सभी छंदों को बजाना और सामूहिक रूप से गाना अनिवार्य बना देता है। पालन न करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। याचिका तीसरे से छठे छंद को “स्पष्ट रूप से भक्तिपरक, देवी-देवताओं का आह्वान करने वाले और गैर-पंथनिरपेक्ष” बताती है। उसके अनुसार यह व्यवस्था पंथनिरपेक्षता (secularism) को, जो संविधान का आधारभूत लक्षण है, आहत करती है और “आस्थावान मुसलमानों तथा अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वाले अन्य लोगों पर अभिव्यक्तिगत अधीनता थोपती है”। अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वाला (conscientious objector) वह व्यक्ति है जो अंतरात्मा या आस्था के कारण कोई कार्य करने से इनकार करता है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि निर्वाचित राज्य यह तय कर सकता है कि “दो छंद हों या चार छंद”, पर “कोई भी अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं कर सकता, न ही अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वाले को दंडात्मक परिणामों के अधीन कर सकता है”। उन्होंने कहा कि 1986 का बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य (Bijoe Emmanuel v. State of Kerala) निर्णय आज भी लागू है, और “प्रथा और परंपरा से” राष्ट्रगीत का अर्थ हमेशा वंदे मातरम् ही समझा गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि किसी विशेष ईश्वर को श्रद्धांजलि देने से पंथनिरपेक्षता पर असर पड़े, यह जरूरी नहीं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रगान में भी ‘God’ शब्द आता है। श्री मुरलीधर ने तर्क दिया कि संशोधित अधिनियम “राष्ट्रगीत” शब्दों का प्रयोग तो करता है पर उन्हें परिभाषित नहीं करता, कि “कोई दंड विधि अस्पष्टता के दायरे में नहीं रह सकती”, और यह कि गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन कभी राजपत्र में प्रकाशित ही नहीं हुआ और वह किसी विधिक प्रावधान का हवाला नहीं देता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि “जय हिंद का उल्लेख संविधान में नहीं है” और “कानून बनाना नक्सलियों के विचार के अनुसार नहीं हो सकता”। श्री मुरलीधर के आपत्ति करने पर भी उन्होंने यह टिप्पणी वापस नहीं ली, और पीठ ने कहा कि उसने इसका “संज्ञान नहीं लिया” है। केंद्र को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है। पीठ की टिप्पणियाँ मौखिक थीं; रिपोर्टों में दर्ज एकमात्र निर्देश जवाब माँगने का है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — मूल अधिकार, पंथनिरपेक्षता और दंड विधि की सीमाएँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम् स्वतंत्रता आंदोलन का गान बनता है → 1937 में कांग्रेस राष्ट्रीय आयोजनों में इसके गायन को पहले दो छंदों तक सीमित करती है, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा घोषित करती है कि इसे जन गण मन के समान सम्मान मिलेगा → 2026 का संशोधन 1971 के अधिनियम की धारा 3 को “राष्ट्रगीत” तक बढ़ाता है, और जनवरी व जुलाई के गृह मंत्रालय के निर्देश सभी छंद अनिवार्य करते हैं → टी.एम. कृष्णा इसे दंड के भय से कूड़ाई गई धार्मिक स्वीकृति बताकर चुनौती देते हैं → सर्वोच्च न्यायालय मौखिक रूप से बिजो इमैनुअल को दोहराता है और केंद्र को जवाब के लिए दो सप्ताह देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. वंदे मातरम् को संवैधानिक सम्मान प्राप्त है, पर संविधान उसका नाम नहीं लेता — वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह उनके उपन्यास आनंदमठ (1882) में आता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन राष्ट्रगान (National Anthem) होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम्, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, उसके समान सम्मानित होगा। संविधान के पाठ में इन दोनों में से किसी गीत का नाम नहीं है। अनुच्छेद 51A(a) संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना मूल कर्तव्य बनाता है, पर उसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने तय किया था कि राष्ट्रीय सभाओं में केवल पहले दो छंद गाए जाएंगे, क्योंकि बाद के छंदों में हिंदू देवियों का आह्वान है।
2. 1971 का अधिनियम राष्ट्रगान में बाधा डालने को दंडित करता था, गाने से इनकार को नहीं — राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 2 राष्ट्रध्वज और संविधान के अपमान को दंडित करती है। धारा 3 उस व्यक्ति को, जो जान-बूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकता है या उसे गा रही सभा में विघ्न डालता है, तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित करती है। यह अपराध गायन को रोकने या बाधित करने के इर्द-गिर्द गढ़ा गया था, किसी व्यक्ति के अपने मौन के इर्द-गिर्द नहीं। 2026 का संशोधन धारा 3 को राष्ट्रगीत तक बढ़ाता है। याचिका इस संशोधन को गृह मंत्रालय

के निर्देशों के साथ पढ़ती है और तर्क देती है कि अब केवल पालन न करने पर भी वही दंड लगता है। रिपोर्टें संशोधित पाठ उद्धृत नहीं करती, इसलिए केंद्र का प्रति-अपथपत्र ही बताएगा कि सरकार अपने कानून को किस रूप में पढ़ती है।

3. **बिजो इमैनुअल (1986) सम्मानपूर्वक मौन खड़े रहने की रक्षा करता है** — बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य (1986) में यहीवा के साक्षी (Jehovah's Witnesses) संप्रदाय के तीन स्कूली बच्चों को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था कि उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया, यद्यपि गायन के समय वे सम्मानपूर्वक खड़े रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह निष्कासन अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत उनकी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसमें मौन रहने का अधिकार भी शामिल है, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उनकी अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन था। न्यायालय ने पाया कि कोई भी कानून किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं करता, और विभागीय परिपत्र वह 'विधि' नहीं हैं जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत किसी मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सके। निर्णय इस पंक्ति पर समाप्त होता है: "हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है; हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है; हमारा संविधान सहिष्णुता का आचरण करता है; आइए इसे कमज़ोर न करें।" श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ (Shyam Narayan Chouksey v. Union of India) में न्यायालय ने 2016 में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया, फिर 2018 में इसे वैकल्पिक बना दिया।
4. **मूल अधिकार को केवल वैध विधि ही सीमित कर सकती है, और दंड विधि का सटीक होना ज़रूरी है** — अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकारों के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 28(3) कहता है कि राज्य से मान्यताप्राप्त या सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना वहाँ की धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। खडक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Kharak Singh v. State of U.P., 1962) में न्यायालय ने माना कि कार्यपालिका के निर्देश वह 'विधि' नहीं हैं जिसके आधार पर किसी मूल अधिकार को सीमित किया जा सके। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (Shreya Singhal v. Union of India, 2015) में उसने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को आंशिक रूप से इसलिए निरस्त किया कि "घोर आपत्तिजनक" जैसे शब्द इतने अस्पष्ट थे कि नागरिक यह नहीं जान सकते थे कि क्या वर्जित है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (S.R. Bommai v. Union of India, 1994) में पंथनिरपेक्षता को आधारभूत ढाँचे का अंग माना गया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **सामान्य अध्ययन-2 और सामान्य अध्ययन-1 बार-बार भारतीय पंथनिरपेक्षता के मॉडल पर लौटते हैं** — मुख्य परीक्षा में बार-बार पूछा गया है कि भारतीय पंथनिरपेक्षता पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है, और इसके नाम पर सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने कौन-सी चुनौतियाँ आती हैं। यह मामला दोनों को एक साथ परखता है। राज्य एक सांस्कृतिक प्रतीक पर दावा करता है, याचिकाकर्ता कहता है कि यह प्रतीक धार्मिक है, और पीठ 'सकारात्मक पंथनिरपेक्षता' (positive secularism) के उदाहरण के रूप में अमेरिकी राष्ट्रगान की ओर इशारा करती है। जो उत्तर बिजो इमैनुअल को सकारात्मक पंथनिरपेक्षता के इस विचार के सामने रखेगा, वह अलग दिखेगा।
2. **प्रारंभिक परीक्षा राष्ट्रीय प्रतीकों, मूल कर्तव्यों और 1971 के अधिनियम को परखती है** — प्रश्नों में पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A किन प्रतीकों का नाम लेता है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किसने लिखे, और 1971 का अधिनियम किस कृत्य को दंडित करता है। यह संशोधन इस सूची में एक नया तथ्य जोड़ता है: राष्ट्रगीत की वैधानिक स्थिति। बिजो इमैनुअल के तथ्य अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 के साथ प्रारंभिक परीक्षा की एक मानक जोड़ी हैं।
3. **सामान्य अध्ययन-4 अंतरात्मा और सहिष्णुता को केस सामग्री के रूप में लेता है** — नीतिशास्त्र का प्रश्नपत्र नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा (conscience) और सार्वजनिक जीवन में सहिष्णुता के बारे में पूछता है। किसी मिश्रित कक्षा या कार्यालय में देशभक्ति के आयोजनों को लागू कराने वाला लोक सेवक ठीक वैसा ही केस स्टडी है जो सामान्य अध्ययन-4 को पसंद है, और बिजो इमैनुअल वह सिद्धांत देता है जिसे लागू करना है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 51A(a) संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने को मूल कर्तव्य बनाता है; इसमें राष्ट्रगीत का नाम नहीं है।
- राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 जान-बूझकर राष्ट्रगान के गायन को रोकने या उसे गा रही सभा में विघ्न डालने पर तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का दंड देती है।
- वंदे मातरम् की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और यह उनके उपन्यास आनंदमठ (1882) का अंश है।
- 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि वंदे मातरम्

को राष्ट्रगान जन गण मन के समान सम्मान मिलेगा।

- बिजो इमैनुअल बनाम केरल राज्य (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सम्मानपूर्वक खड़े रहने पर भी राष्ट्रगान न गाने वाले विद्यार्थियों का निष्कासन अनुच्छेद 19(1)(a) और 25 का उल्लंघन था।
- अनुच्छेद 28(3) के अंतर्गत राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना, या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक की सहमति के बिना, वहाँ की धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूरत प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंध करने का, और विधि के अनुसार संपत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार देता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. पीठ ने रेखा सही जगह खींची है: राज्य प्रतीक चुन सकता है, पर नागरिक की आवाज़ नहीं —** न्यायमूर्ति बागची ने उन दो शक्तियों को अलग किया जिन्हें याचिका एक मानकर चलती है। पहली शक्ति यह तय करने की है कि राष्ट्रगीत क्या है, जिसे पीठ निर्वाचित सरकार पर छोड़ती है। दूसरी शक्ति किसी व्यक्ति को उसे गाने के लिए बाध्य करने की है, जिसके बारे में पीठ कहती है कि बिजो इमैनुअल के नियम के रहते यह उपलब्ध नहीं है। यह विभाजन ठीक है। राष्ट्रीय आकांक्षाओं का निर्णय करने के लिए न्यायालय उपयुक्त स्थिति में नहीं है, पर व्यक्ति की अंतरात्मा की रक्षा के लिए वे पूरी तरह उपयुक्त हैं। प्रतिपक्ष का तर्क स्वयं याचिका से आता है। उसका कहना है कि क्षति केवल दंड में नहीं, बल्कि राज्य द्वारा खुले तौर पर भक्तिपरक छंदों को अपना लेने में है, जिसे वह “अभिव्यक्तिगत अधीनता” कहती है। इस दृष्टि से दंड हटा देने के बाद भी एक ऐसा राजकीय समारोह बचा रहता है जिसमें कुछ नागरिक बराबरी के साथ शामिल नहीं हो सकते।
- 2. अमेरिकी उदाहरण जितना मज़बूत दिखता है, उतना है नहीं —** पीठ ने अमेरिकी राष्ट्रगान में ‘God’ शब्द के प्रयोग को सकारात्मक पंथनिरपेक्षता के उदाहरण के रूप में रखा। ईश्वर का सामान्य उल्लेख उन छंदों के समान नहीं है जिनके बारे में याचिका कहती है कि वे एक ही आस्था के विशिष्ट देवी-देवताओं का आह्वान करते हैं। अमेरिकी उदाहरण उलटी दिशा में भी जाता है। वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन बनाम बार्नेट (West Virginia State Board of Education v. Barnette, 1943) में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि स्कूली बच्चों को ध्वज को सलामी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अमेरिकी व्यवस्था प्रतीकात्मक धार्मिकता की है, पर बिना किसी बाध्यता के। यह दंडात्मक परिणामों को अस्वीकार करने के पीठ के रुख का समर्थन करती है, पर यह नहीं दिखाती कि छंदों की विषयवस्तु संवैधानिक दृष्टि से अप्रासंगिक है।
- 3. याचिका का सबसे मज़बूत विधिक आधार पंथनिरपेक्षता नहीं, अस्पष्टता है —** पंथनिरपेक्षता का तर्क न्यायालय से एक पूजनीय पाठ के धार्मिक चरित्र पर निर्णय देने को कहता है, जिससे वह बचना चाहेगा। अस्पष्टता का तर्क संकरा है और उसका उत्तर देना कठिन है। जो दंड विधि किसी “राष्ट्रगीत” से जुड़े आचरण को दंडित करती है पर उसे परिभाषित नहीं करती, वह अपराध की रिक्ति को राजपत्र में अप्रकाशित एक कार्यालय ज्ञापन से भरने के लिए छोड़ देती है, इसलिए नागरिक कानून पढ़कर यह नहीं जान सकता कि उससे क्या अपेक्षित है। न्यायमूर्ति बागची का यह उत्तर कि “प्रथा और परंपरा” से गीत की पहचान होती है, यह तो बताता है कि कौन-सा गीत अभिप्रेत है, पर यह नहीं कि उसका कितना अंश। जैसा श्री मुरलीधर ने कहा, परंपरा दो छंदों की ओर इशारा करती है, छह की ओर नहीं। यही सिद्धांत, कि अपराध को परिभाषित करना विधायिका का काम है, इसी खंड में गैंगस्टर अधिनियम वाले निर्णय के केंद्र में है।
- 4. मौखिक आश्वासन अभी किसी की रक्षा नहीं करते —** अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वालों के बारे में पीठ ने जो कुछ कहा, वह सब मौखिक था। रिपोर्टों में मौन रहने वालों की रक्षा करने वाले किसी अंतरिम आदेश का उल्लेख नहीं है, केवल दो सप्ताह में प्रति-शपथपत्र मांगने का है। छह छंदों के गायन के दौरान बैठा रहने वाला कोई शिक्षक, विद्यार्थी या कर्मचारी अब भी ऐसे कानून और कार्यकारी निर्देशों का सामना कर रहा है जिन पर रोक नहीं लगी है। न्यायालय कक्ष की टिप्पणियों का सरकारों पर असर होता है, पर वे किसी थाने को बाध्य नहीं करतीं। प्रति-शपथपत्र विवाद को सीमित कर सकता है: यदि केंद्र कहता है कि कानून केवल बाधा डालने को दंडित करता है, जैसा मूल धारा 3 करती थी, तो टकराव का बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। यदि वह भाग न लेने को दंडित करने का बचाव करता है, तो बिजो इमैनुअल की सीधी परीक्षा होगी।
- 5. सॉलिसिटर जनरल की टिप्पणी से सरकार को लाभ से अधिक हानि हुई —** संवैधानिक न्यायालय में दिए गए किसी तर्क को ‘नक्सलियों’ का विचार कहना एक विधिक आपत्ति को विद्रोह जैसा मान लेना है। विधि अधिकारी को पूरी ताकत से बहस करने का अधिकार है, और पीठ ने समझदारी से इस टिप्पणी का संज्ञान न लेकर सुनवाई को विधिक प्रश्न पर टिकाए रखा।

	पर जैसा श्री मुरलीधर ने ध्यान दिलाया, सुनवाई का सीधा प्रसारण हो रहा था, और ये शब्द तर्कों से अधिक समय तक याद रहेंगे। सरकार का सबसे मज़बूत बिंदु, कि राष्ट्रीय प्रतीकों का तटस्थ होना ज़रूरी नहीं और 'जय हिंद' बिना किसी संवैधानिक आधार के प्रयोग होता है, इस नोकझोंक में खो गया। जब इस तरह की पैरवी राज्य की ओर से होती है, तो वह नागरिकों को वे चुनौतियाँ लाने से हतोत्साहित करती है जिन पर संवैधानिक न्याय-निर्णयन टिका है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“राज्य यह तय कर सकता है कि राष्ट्रगीत क्या है, पर वह किसी नागरिक को उसे गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।” बिजो इमैनुअल निर्णय और दंड विधि पर संवैधानिक सीमाओं के आलोक में इस प्रस्थापना का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 को टी.एम. कृष्णा की चुनौती पर 22 सितंबर की सुनवाई से शुरुआत कीजिए, और न्यायमूर्ति बागची द्वारा गीत को परिभाषित करने और उस पर आपत्ति करने वालों को दंडित करने के बीच किए गए भेद को रखिए। मुख्य भाग — परिभाषित करने की शक्ति — वंदे मातरम् की स्थिति समझाइए: 1950 की घोषणा, अनुच्छेद 51A में उसका उल्लेख न होना, 1937 का दो छंदों वाला निर्णय, और पीठ का यह मत कि छंदों का चयन निर्वाचित राज्य का विषय है। सरकार का यह तर्क भी लिखिए कि राष्ट्रीय प्रतीकों का धार्मिक दृष्टि से तटस्थ होना आवश्यक नहीं। मुख्य भाग — बाध्यता की सीमा — बिजो इमैनुअल को रखिए: अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौन भी अभिव्यक्ति है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतरात्मा की रक्षा, और परिपत्र विधि नहीं हैं। इसमें अनुच्छेद 28(3), कार्यकारी निर्देशों पर खड़क सिंह, और तुलनात्मक उदाहरण के रूप में वेस्ट वर्जीनिया बनाम बार्नेट जोड़िए। मुख्य भाग — दंड विधि निश्चित होनी चाहिए — अस्पष्टता के तर्क का प्रयोग कीजिए: अपरिभाषित 'राष्ट्रगीत', राजपत्र में अप्रकाशित कार्यालय ज्ञापन, और अस्पष्ट दंडात्मक शब्दों पर श्रेया संचल। बताइए कि मूल धारा 3 बाधा डालने को दंडित करती थी, मौन को नहीं। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान सहमति और परंपरा से ही सबसे अच्छी तरह सुनिश्चित होता है, और आपराधिक विधि को बाधा और व्यवधान के लिए सुरक्षित रखना चाहिए, किसी नागरिक के मौन के लिए नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक सार्वजनिक समारोह में ज़िला मजिस्ट्रेट हैं। वंदे मातरम् के छह छंदों के गायन के दौरान कुछ शिक्षक और विद्यार्थी चुपचाप खड़े रहते हैं, और एक स्थानीय समूह उनकी गिरफ्तारी की माँग करता है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्था बनाए रखूँगा और सुनिश्चित करूँगा कि किसी को परेशान न किया जाए। बिजो इमैनुअल में घोषित विधि सम्मानपूर्वक मौन की रक्षा करती है, और सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को इसे दोहराया है। मैं उस समूह को बताऊँगा कि समारोह में विघ्न डालना स्वयं एक अपराध है, जबकि मौन खड़े रहना बाधा नहीं है। इसके बाद मैं राज्य के विधि विभाग से लिखित मार्गदर्शन माँगूँगा, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक पूरे ज़िले के अधिकारी एक समान ढंग से कार्य करें। प्रश्न 2. थाना प्रभारी के रूप में आपको संशोधित धारा 3 के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लिखित शिकायत मिलती है जिसने राष्ट्रगीत नहीं गाया। क्या आप मामला दर्ज करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले यह देखूँगा कि क्या शिकायत में आरोप है कि उस व्यक्ति ने गायन को रोका या सभा में विघ्न डाला, क्योंकि धारा 3 हमेशा से इसी को दंडित करती रही है। यदि आरोप केवल मौन का है, तो मैं उसे दर्ज करूँगा, लोक अभियोजक से विधिक सलाह लूँगा, और ध्यान दिलाऊँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा है कि अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति करने वालों को दंडात्मक परिणाम नहीं भुगतने होंगे। चुनौती के अधीन किसी कानून की संदिग्ध व्याख्या पर किसी को गिरफ्तार करना नागरिक और पुलिस, दोनों को अन्याय के जोखिम में डालेगा। जहाँ शिकायत से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है, वहाँ मैं केवल इनकार करके कार्रवाई से बच नहीं सकता, इसलिए सावधानीपूर्वक अभिलेख बनाना महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को बाध्यकारी बनाना देशभक्ति जगाने का वैध तरीका है? दृष्टिकोण (Approach): राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान मूल्यवान है क्योंकि वह एक साझा प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है, और राज्य शिक्षा तथा समारोहों के माध्यम से उसे बढ़ावा दे सकता है। बाध्यता इस उद्देश्य को ही विफल कर देती है, क्योंकि जेल के भय से निकलवाया गया सम्मान सम्मान नहीं होता। बिजो इमैनुअल ने माना था कि हमारा संविधान सहिष्णुता का आचरण करता है, और इतिहास बताता है कि सहमति से चुने गए प्रतीक, जैसे 1937 की दो छंदों

वाली व्यवस्था, टिके रहे हैं। मैं प्रोत्साहन और व्यवधान से संरक्षण का समर्थन करूँगा, पर मौन के लिए आपराधिक दंड का नहीं।

1.2 दो निर्वाचन आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 आपत्तियाँ दर्ज कीं, फ़ॉर्म 6 में बदलाव को 'अनधिकृत और अवैध' बताया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। निर्वाचन आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार, और एक ही दिन में चार बार, उन निर्णयों और आदेशों पर लिखित आपत्ति दर्ज की जिनके बारे में उनका कहना है कि वे उनकी जानकारी के बिना आयोग के नाम से जारी किए गए। यह इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट के पहले भाग में बताया गया है। पाँच टिप्पणियों की प्रति मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजी गई। 28 अक्टूबर 2025 की पहली टिप्पणी में कहा गया कि आदेश आयोग के अनुमोदन के बिना जारी हो रहे हैं। 16 अप्रैल 2026 को श्री संधू ने लिखा कि नए आईटी मॉड्यूल की जानकारी उन्हें "केवल मीडिया से" मिली। उसी दिन श्री जोशी ने दर्ज किया कि एक वर्ष से अधिक समय से उन्हें आयोग की बैठकों का कोई एजेंडा या कार्यवृत्त नहीं मिला है। 28 जुलाई को वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने कार्य-आवंटन बदल दिया और उप निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार से आईटी प्रभाग की निगरानी हटा ली। 29 जुलाई को दोनों ने अलग-अलग कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को लिखकर इसे कानून का "स्पष्ट उल्लंघन" बताया, और 30 जुलाई को संयुक्त रूप से उस आदेश को निरस्त कर दिया। जुलाई से फ़ॉर्म 6, यानी वह प्रपत्र जिसे नया मतदाता भरता है, यह पूछ रहा है कि क्या आवेदक, उसके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) की नामावली में "मौजूद" हैं, जो 2000 के दशक के आरंभ में हुआ था। यह प्रश्न अनिवार्य के रूप में चिह्नित नहीं है, पर इसके बिना फ़ॉर्म जमा ही नहीं होता। 16 मई को श्री जोशी ने लिखा कि फ़ॉर्म 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के अंतर्गत विहित है और इन नियमों में संशोधन किए बिना इसे "बदला नहीं जा सकता"; 19 मई को श्री संधू ने इससे सहमति जताई। 13 अगस्त को श्री संधू ने इस बदलाव को "अनधिकृत और अवैध" कहा, और सोमवार सुबह तक यह प्रश्न फ़ॉर्म पर मौजूद था। 14 अगस्त को उन्होंने लिखा कि आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना के पास निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (Electoral Registration Officers, ERO) की पहुँच सीमित करने का "कोई विधिक अधिकार नहीं है"; ये वैधानिक अधिकारी हैं जो प्रत्येक नामावली तैयार करते हैं। गोवा में EROs द्वारा पात्र पाए गए 97 मतदाता अंतिम नामावली से बाहर रह गए, क्योंकि सॉफ्टवेयर पहले किए गए विलोपन को उलट नहीं सकता था। चार महीनों में तीनों की पहली पूर्ण बैठक 9 सितंबर को हुई। आयोग और दोनों आयुक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अलग से, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के 33 लाख से अधिक मतदाताओं को "तार्किक विसंगतियों" (logical discrepancies) के लिए भेजे गए नोटिस "मशीन-जनित" लगते हैं; तार्किक विसंगतियाँ वे बेमेल हैं जो सॉफ्टवेयर किसी मतदाता को पुरानी नामावली में उसके संबंधियों से जोड़ते समय पकड़ता है। न्यायालय ने आयोग से स्थिति रिपोर्ट माँगी। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — संवैधानिक निकाय और निर्वाचन विधि।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनुच्छेद 324 एक आयोग का सृजन करता है, और 1993 से यह बहु-सदस्यीय निकाय है जिसके सदस्यों के मत बराबर हैं → 2023 का अधिनियम अपेक्षा करता है कि कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से हो और प्रक्रिया केवल सर्वसम्मति से तय हो → जून 2025 से SIR और 22 जनवरी 2026 से ECINet नामावली संबंधी निर्णयों को दिल्ली से नियंत्रित सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं → दो आयुक्त 14 आपत्तियाँ दर्ज करते हैं, कैबिनेट सचिव को लिखते हैं और एक कार्य-आवंटन आदेश को निरस्त करते हैं → जब सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मशीन-जनित SIR नोटिसों पर प्रश्न उठाता है, तब यह मतभेद सार्वजनिक हो जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 324 निर्वाचन की शक्ति एक आयोग को देता है, केवल उसके अध्यक्ष को नहीं — अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग (Election Commission) को संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण सौंपता है। अनुच्छेद 324(2) एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान करता है जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे। अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और किसी निर्वाचन आयुक्त को केवल CEC की सिफ़ारिश पर। आयोग 1989-90 में कुछ समय के लिए बहु-सदस्यीय रहा और 1993 से लगातार बहु-सदस्यीय है। टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (T.N. Seshan v. Union of India, 1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस ढाँचे को बरकरार रखा और माना कि CEC और निर्वाचन आयुक्त बराबर हैं, तथा मतभेद बहुमत से सुलझाए जाते हैं।
2. 2023 का अधिनियम तय करता है कि नियुक्ति कौन करेगा और आयोग निर्णय कैसे लेगा — मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023) अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (Anoop Baranwal v. Union of India, 2023) के बाद आया। उस मामले में संविधान पीठ ने संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति में रखा था। अधिनियम इसके स्थान पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की चयन समिति का प्रावधान करता है। विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति पाँच नामों का पैनेल तैयार करती है। धारा 18 कहती है कि सारा कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से होगा, अन्यथा बहुमत से। आयोग अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य का विभाजन केवल सर्वसम्मति निर्णय से तय कर सकता

है।

3. **निर्वाचक नामावलियाँ एक विकेंद्रीकृत वैधानिक प्रक्रिया से बनती हैं** — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) के अंतर्गत हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है (धारा 13B), जो प्रायः उप-मंडल मजिस्ट्रेट होता है और नामावली तैयार तथा पुनरीक्षित करता है। कोई व्यक्ति पंजीकरण का हकदार है यदि अर्हता तिथि पर उसकी आयु 18 वर्ष है और वह उस निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी है (धारा 19)। कोई व्यक्ति केवल तभी निरहिंत होता है जब वह नागरिक न हो, किसी न्यायालय ने उसे विकृतचित्त घोषित किया हो, या निर्वाचन विधि के अंतर्गत वह वर्जित हो (धारा 16)। धारा 21 नामावलियों को तैयार करने और पुनरीक्षित करने का प्रावधान करती है, और धारा 21(3) लिखित कारणों के साथ किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण की अनुमति देती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 केंद्र सरकार आयोग से परामर्श करके बनाती है (धारा 28)। ये नियम नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, आपत्ति या विलोपन के लिए फॉर्म 7, और सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 विहित करते हैं।
4. **आयोग की पूर्ण शक्ति कानून के भीतर काम करती है, उसके ऊपर नहीं** — मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner, 1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 को उन स्थितियों के लिए शक्ति का भंडार बताया जिन्हें कानून नहीं ढकता, और जिसका प्रयोग निष्पक्षता से होना चाहिए। ए.सी. जोस बनाम शिवन पिल्लै (A.C. Jose v. Sivan Pillai, 1984) में उसने माना कि आयोग कानून के विपरीत निर्देश जारी नहीं कर सकता। उस मामले में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराया गया चुनाव रद्द किया गया जिन्हें तब तक किसी कानून ने अधिकृत नहीं किया था, और इसी कारण 1988 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 61A जोड़ी गई। लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (Lal Babu Hussein v. Electoral Registration Officer, 1995) में न्यायालय ने माना कि नामावली में पहले से दर्ज नाम केवल संदेह के आधार पर, बिना नोटिस और सुनवाई के, नहीं हटाए जा सकते। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने आधार को स्वैच्छिक रूप से एकत्र करने की अनुमति दी, और इसे लागू करने के लिए सरकारी अधिसूचना से नियमों और फॉर्म 6 में संशोधन किया गया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **सामान्य अध्ययन-2 संवैधानिक निकायों और उनकी नियुक्तियों का सीधे नाम लेता है** — पाठ्यक्रम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और संवैधानिक निकायों की शक्तियों व कार्यों के बारे में पूछता है। निर्वाचन आयोग पर प्रश्नों में उसकी स्वतंत्रता, नियुक्ति और पद से हटाने की रीति, तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में उसकी भूमिका पूछी गई है। 2023 का अधिनियम और अनूप बरनवाल अब न्यूनतम पृष्ठभूमि हैं; यह खबर इसमें जोड़ती है कि आयोग आंतरिक रूप से कैसे कार्य करता है, जो अपेक्षाकृत नई ज़मीन है।
2. **SIR ने निर्वाचक नामावलियों को प्रारंभिक और मुख्य, दोनों परीक्षाओं का जीवंत विषय बना दिया है** — प्रारंभिक परीक्षा में आयोग की संरचना, निर्वाचन आयुक्तों को हटाने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों पर प्रश्न पूछे गए हैं। SIR इसमें धारा 21(3), ERO की भूमिका और 1960 के नियमों के अंतर्गत प्रपत्रों से जुड़े प्रश्न जोड़ता है। मुख्य परीक्षा में मताधिकार और नामावलियों से बहिष्करण पर प्रश्न की संभावना है, और फॉर्म 6 का बदलाव प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) को दरकिनार किए जाने का एक सटीक उदाहरण है।
3. **ई-शासन के प्रश्नों में अब एल्गोरिदम आधारित निर्णय-निर्माण भी शामिल है** — सामान्य अध्ययन-2 में ई-शासन (e-governance), पारदर्शिता और जवाबदेही शामिल हैं। ECINet और दिल्ली के 'मशीन-जनित' नोटिस दिखाते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर चुपचाप वैधानिक शक्ति को एक अधिकारी से आईटी प्रभाग तक पहुँचा सकता है। डिजिटल शासन पर उत्तरों में इसे इस बात के उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कि ऑडिट ट्रेल और मानवीय हस्तक्षेप की क्षमता क्यों ज़रूरी हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जबकि किसी निर्वाचन आयुक्त को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
- टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बरकरार रखा और माना कि CEC और निर्वाचन आयुक्त बराबर हैं, तथा मतभेद होने पर निर्णय बहुमत से होंगे।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।

- 2023 के अधिनियम की धारा 18 प्रावधान करती है कि आयोग का कार्य यथासंभव सर्वसम्मति से, अन्यथा बहुमत से होगा, और उसकी प्रक्रिया तथा कार्य-विभाजन सर्वसम्मति निर्णय से तय होंगे।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को लिखित कारणों के साथ किसी भी समय निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण का आदेश देने की अनुमति देती है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग से परामर्श करके बनाती है; फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 आपत्ति या विलोपन के लिए, और फॉर्म 8 प्रविष्टियों के सुधार या स्थानांतरण के लिए है।
- अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन का प्रावधान करता है: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. आरोप असहमति का नहीं, बहिष्करण का है, और बहिष्करण अधिक गंभीर है — 2009 में CEC एन. गोपालस्वामी ने नवीन चावला को हटाने की सिफारिश की थी, और 2019 में अशोक लवासा चाहते थे कि उनकी असहमति आदेशों में दर्ज हो। दोनों ही मामलों में व्यक्ति किसी निर्णय से असहमत थे। यहाँ दो सदस्य, जो मिलकर बहुमत बनाते हैं, कहते हैं कि निर्णय उन्हें शामिल किए बिना ही ले लिए गए। धारा 18 अपेक्षा करती है कि कार्य आयोग द्वारा हो, और कार्य-विभाजन सर्वसम्मति से हो। इसलिए यदि यह विवरण सही है, तो पूरे आयोग के बिना कार्य-आवंटन बदलने वाला आदेश केवल ऐसा निर्णय नहीं था जिससे वे असहमत थे, बल्कि उसके पीछे अधिकार ही नहीं था। प्रतिपक्ष का तर्क है कि कोई भी तीन-सदस्यीय निकाय हर पत्र का अनुमोदन नहीं कर सकता, और सचिवालय को प्रत्यायोजन के अधीन कार्य करना ही होगा। यह उचित बिंदु है, पर यह प्रश्न को केवल आगे खिसका देता है: क्या स्वयं वह प्रत्यायोजन, अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार, सर्वसम्मति से अनुमोदित हुआ था?
2. फॉर्म 6 का बदलाव प्रत्यायोजित विधान को दरकिनार करने का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है — फॉर्म 6 1960 के नियमों का अंग है, जिन्हें केंद्र सरकार आयोग से परामर्श करके बनाती है। 2022 का आधार संबंधी बदलाव वैध मार्ग दिखाता है: संसद ने अधिनियम में संशोधन किया और विधायी विभाग ने नए नियम अधिसूचित किए। ए.सी. जोस पहले ही मान चुका था कि केवल इसलिए कि अनुच्छेद 324 व्यापक है, आयोग कानून के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। सार भी महत्वपूर्ण है। मतदान की पात्रता आयु, नागरिकता और मामूली निवास पर निर्भर करती है, इस पर नहीं कि किसी के माता-पिता पिछले पुनरीक्षण में बचे रहे या नहीं। जो प्रश्न 'अनिवार्य नहीं' है पर फॉर्म जमा होने से रोकता है, वह व्यवहार में अनिवार्य ही है। आयोग तर्क दे सकता है कि वह केवल नामावलियों के सत्यापन के लिए जानकारी जुटा रहा है, पर कानून द्वारा निर्धारित प्रपत्र को सॉफ्टवेयर अपडेट से नहीं बदला जा सकता।
3. केंद्रीय सॉफ्टवेयर चुपचाप वैधानिक शक्ति उन लोगों तक पहुँचा देता है जिनका कानून में नाम तक नहीं — कानून में हर नाम का निर्णय ERO करता है। व्यवहार में, टिप्पणियों के अनुसार, ERO क्या कर सकता है, यह दिल्ली में आईटी प्रभाग द्वारा तय की गई अनुमतियों पर निर्भर है। गोवा इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुई सुनवाई के बाद 97 मतदाताओं को पात्र पाया, पर सॉफ्टवेयर उनका निर्णय दर्ज नहीं कर सका। दिल्ली के नोटिस, जिन्हें पीठ ने "मशीन-जनित" कहा, यही समस्या दूसरी ओर से दिखाते हैं: एल्गोरिदम संदेह उठाता है और नागरिक को उसका खंडन करना पड़ता है। इमानदार प्रतिपक्ष यह है कि केंद्रीय नियंत्रण दोहरी प्रविष्टियाँ हटाने, आँकड़ों को सुरक्षित रखने और स्थानीय हेरफेर रोकने में सहायक है। समाधान कोड का विकेंद्रीकरण नहीं, उसका ऑडिट है, और यही श्री जोशी ने मई में आईआईटी के एक बाहरी विशेषज्ञ के साथ प्रस्तावित किया था।
4. यह एक समाचार-पत्र की आंतरिक फ़ाइलों की व्याख्या है, और निष्पक्षता की माँग है कि यह कहा जाए — इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि उसने ये टिप्पणियाँ देखी हैं और अधिकारियों से बात की है। आयोग और दोनों आयुक्तों ने उसकी प्रश्नावली और फ़ोन कॉल का उत्तर नहीं दिया, इसलिए CEC के कारण अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसे स्पष्टीकरण हो सकते हैं जो अखबार तक नहीं पहुँचे, जैसे SIR की समय-सीमाओं के कारण तात्कालिकता, या पहले से अनुमोदित प्रत्यायोजन। यह भी महत्वपूर्ण है कि तीनों आयुक्त एक ही सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, इसलिए यह दलगत आधार पर विभाजन नहीं है, और इसी कारण इस विवरण को राजनीतिक कहकर खारिज करना कठिन है। उपाय प्रकटीकरण है। आयोग अपने कार्य-आवंटन आदेश और अपनी बैठकों के कार्यवृत्त प्रकाशित कर सकता है, जिससे तथ्यात्मक विवाद किसी भी दिशा में सुलझ जाएगा।
5. कैबिनेट सचिव को पत्र लिखना दिखाता है कि आंतरिक उपाय कितने कमज़ोर हैं — जैसा अखबार ध्यान दिलाता है, दो संवैधानिक पदाधिकारियों का अपने ही सचिवालय के बारे में देश के सबसे वरिष्ठ लोक सेवक को लिखना अभूतपूर्व है। यह दिखाता है कि आयोग के पास ऐसा कोई आंतरिक तंत्र नहीं है जिससे उसके सदस्य CEC या वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध धारा 18

को लागू करा सके। फिर भी आयोग की स्वतंत्रता, जिस पर अनुप बरनवाल में ज़ोर दिया गया, कार्यपालिका से स्वतंत्रता है, और आंतरिक विवादों में कार्यपालिका को आमंत्रित करना असहज है। बेहतर व्यवस्था होगी धारा 18 के अंतर्गत अपनाए गए कार्य-संचालन नियम, जो अपेक्षा करें कि आयोग के नाम से जारी हर आदेश के साथ उसके अनुमोदन का अभिलेख हो। ऐसे नियम न्यायालयों और संसद की समीक्षा के लिए खुले रहेंगे।

6. **आयोग ने जो रिक्ति छोड़ी है, उसे न्यायालय पहले से भर रहे हैं** — एक्सप्रेस के अनुसार पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2026 में SIR का अंतिम चरण न्यायिक अधिकारियों को सौंप दिया, और अब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अधिकरण अपीलें सुनते हैं। 38 लाख लंबित अपीलों में से 16.10 लाख उन मतदाताओं को हटाने की मांग करती हैं जिन्हें उन अधिकारियों ने शामिल किया था, और श्री संधू ने पूछा कि इन्हें किसने अधिकृत किया। एक्सप्रेस के अनुसार जून 2025 में बिहार से शुरू हुए SIR ने 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रारूप नामावलियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए हैं। दिल्ली में पीठ ने “15-20 प्रकार” के प्रश्नों के लिए फ़िल्टर और मानक उत्तर मांगे, न्यायमूर्ति मोहना ने कहा कि बृथ स्तर अधिकारी (BLO) अक्सर उपलब्ध नहीं होते, और आयोग ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि कोई नाम नहीं हटाया जाएगा तथा उसकी 29 अक्टूबर की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। उसी अखबार में निखिल डे और कोनिनिका रे के एक लेख के अनुसार मंगोलपुरी के 95 घरों में पति-पत्नी में से एक को स्थानांतरित चिह्नित कर दिया गया था। प्रतिपक्ष का तर्क है कि इतने विशाल मतदाता-समूह वाले देश की नामावलियाँ न्यायालय नहीं संभाल सकते। यह सही है, और ठीक इसी कारण आयोग की अपनी सामूहिक जाँच-व्यवस्था का कार्य करना ज़रूरी है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

निर्वाचन आयोग का प्राधिकार इस बात पर टिका है कि वह कानून के भीतर कार्य करने वाला एक सामूहिक, बहु-सदस्यीय संवैधानिक निकाय है। दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा हाल में दर्ज आपत्तियों के आलोक में आयोग के आंतरिक कार्यकरण और निर्वाचक नामावलियों की शुचिता के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों का परीक्षण कीजिए और सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — बताइए कि एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट के अनुसार निर्वाचन आयुक्त संधू और जोशी ने 10 महीनों में 14 लिखित आपत्तियाँ दर्ज कीं, जो नए मतदाताओं की प्रक्रिया, नामावली की अभिरक्षा और अपीलों से जुड़ी हैं, और आयोग ने कोई उत्तर नहीं दिया।
2. **मुख्य भाग — सामूहिक ढाँचा** — अनुच्छेद 324, बहु-सदस्यीय आयोग, टी.एन. शेषन (1995), 2023 के अधिनियम की चयन समिति, और सर्वसम्मति तथा बहुमत पर धारा 18 को समझाइए। चावला (2009) और लवासा (2019) प्रकरणों की तुलना वर्तमान बहिष्करण के दावे से कीजिए।
3. **मुख्य भाग — नामावलियों में विधि का शासन** — 1960 के नियमों और धारा 28, कानून के विपरीत कार्य पर ए.सी. जोस (1984), और वैध मार्ग के रूप में 2022 के आधार संशोधन के संदर्भ में फ़ॉर्म 6 के बदलाव की चर्चा कीजिए। ERO की वैधानिक भूमिका और ECINet पहुँच की समस्या को गोवा के 97 मतदाताओं और दिल्ली के मशीन-जनित नोटिसों के साथ समझाइए।
4. **मुख्य भाग — सुधार** — धारा 18 के अंतर्गत दर्ज अनुमोदन वाले कार्य-संचालन नियम, कार्यवृत्त और कार्य-आवंटन का प्रकाशन, लॉग सहित ECINet पहुँच का स्वतंत्र ऑडिट, EROs को वैधानिक अधिभावी शक्तियाँ, विलोपन से पहले सार्वजनिक सुनवाई, और यह नियम सुझाइए कि वैधानिक प्रपत्र केवल अधिसूचना से ही बदले जाएँ।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि आयोग की विश्वसनीयता उसकी शक्तियों से कम और दिखाई देने वाली सामूहिकता तथा वैधता से अधिक निर्भर करती है, और आरोप सही हों या नहीं, उनका सबसे तेज़ उत्तर पारदर्शिता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। सुनवाई के बाद आप किसी मतदाता को पात्र पाते हैं, पर अंतिम नामावली प्रकाशित होने से पहले सॉफ्टवेयर आपको अपना निर्णय दर्ज करने नहीं देता। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मेरा निर्णय वैधानिक है, इसलिए मैं उसे कारणों, तिथि और आधार बनाए गए दस्तावेजों के साथ मामले की फ़ाइल में लिखित रूप से दर्ज करूँगा। मैं तुरंत ज़िला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखित सूचना देकर रोलबैक का विकल्प माँगूँगा, जैसा गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया था। यदि नामावली उस नाम के बिना प्रकाशित हो जाती है, तो मैं अपने अभिलेख के साथ मतदाता के दावे या अपील का समर्थन करूँगा। सॉफ्टवेयर की कोई सीमा उस निर्णय को रद्द नहीं कर सकती जिसे कानून मुझसे लेने की अपेक्षा करता है।

प्रश्न 2. किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में आपको आयोग के नाम से एक निर्देश मिलता है, जिसके बारे में आपको संदेह है कि आयोग ने उसे कभी अनुमोदित नहीं किया। आप

इसे कैसे संभालेंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इसकी अनदेखी नहीं करूँगा, क्योंकि इससे क्षेत्र में भ्रम पैदा होगा। जो भाग स्पष्ट रूप से कानून के भीतर है, उसका मैं पालन करूँगा, और 2023 के अधिनियम की धारा 18 का हवाला देते हुए आयोग के सचिवालय से लिखित पुष्टि माँगूँगा कि इस निर्देश को आयोग का अनुमोदन प्राप्त है। यदि निर्देश मतदाताओं के अधिकारों, जैसे विलोपन या अपीलों, को प्रभावित करता है, तो कार्रवाई से पहले मैं स्पष्टीकरण माँगूँगा। लिखित अभिलेख रखने से मतदाताओं और कार्यालय, दोनों की रक्षा होती है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या निर्वाचन आयोग के भीतर के मतभेद सार्वजनिक किए जाने चाहिए ?

दृष्टिकोण (Approach): आयोग के निर्णय हर मतदाता को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसका तर्क यथासंभव खुला होना चाहिए। हर आदेश में असहमति प्रकाशित करने से नियमित मामलों का राजनीतिकरण हो सकता है, और 2019 में यही तर्क दिया गया था। संतुलित नियम यह होगा कि पुनरीक्षणों के स्वरूप, प्रपत्रों और नामावलियों तक पहुँच जैसे बड़े नीतिगत निर्णयों पर कार्यवृत्त और मतदान प्रकाशित हों, जबकि नियमित प्रशासन आंतरिक रहे। अंततः पारदर्शिता ही पक्षपात के आरोपों के विरुद्ध आयोग का सबसे अच्छा बचाव है।

1.3 सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. गैंगस्टर अधिनियम को 'मृतजात' कहा, दोहराया कि अपराध का सृजन केवल विधायिका कर सकती है

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 23 सितंबर को द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि के पूर्व प्रोफेसर बी.बी. पांडे ने सर्वोच्च न्यायालय के 20 अगस्त के एक निर्णय की पड़ताल की है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने शिव प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Shiv Pratap Singh vs. State of U.P.) और हिमांशु श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Himanshu Srivastava vs. State of U.P.) में कहा कि "उ.प्र. अधिनियम मृतजात (still-born) है और इसके अंतर्गत चल रही कार्यवाहियाँ टिक नहीं सकतीं"। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 (Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986) का प्रयोग चार दशकों से गैंगस्टरों के विरुद्ध होता रहा है। न्यायालय का तर्क था कि अधिनियम के अंतर्गत 'गैंगस्टर' को परिभाषित तो किया गया है, पर दंड के प्रयोजन से कौन गैंगस्टर है, यह निर्णय नियमों के माध्यम से "कार्यपालिका के ipse dixit पर छोड़ दिया गया है"। ipse dixit का अर्थ है बिना प्रमाण का कोरा कथन। न्यायालय ने कहा: "अपराध का सृजन करना, या किसी कृत्य या लोप को अपराध के रूप में दंडात्मक परिणामों के अधीन बनाना, मूलतः विधायी कार्य है, और इसे फेंककर अधीनस्थ विधान की झाड़ियों में उगने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता।" लेख के अनुसार अधिनियम की धारा 23 विचारण, जमानत और नियम बनाने के लिए विशेष प्रावधान करती है, और पुलिस का गैंग चार्ट तैयार करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है; गैंग चार्ट वह दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति को किसी गिरोह का सदस्य बताता है। न्यायालय ने कहा कि जब प्रशासनिक और पुलिस प्राधिकारी गैंग चार्ट के माध्यम से किसी की स्थिति तय कर देते हैं, तो "न्यायिक अधिकारी के पास उसे दंडित करने के अलावा विचार करने को कुछ नहीं बचता", इसलिए विचारण "पहले से तय निष्कर्ष, दंड देने की वैधानिक मुहर" बन जाता है। न्यायालय ने साधारण खंड अधिनियम (General Clauses Act) में "अपराध" की परिभाषा और अनुच्छेद 20(1) पर भरोसा किया और निष्कर्ष दिया: "हमें कोई अपराध सृजित किया गया नहीं दिखता।" प्रोफेसर पांडे इसे nullum crimen sine lege (विधि के बिना कोई अपराध नहीं) और nulla poena sine lege (विधि के बिना कोई दंड नहीं) के सूत्रों से जोड़ते हैं। वे हर्बर्ट एल. पैकर की पुस्तक The Limits of the Criminal Sanction (1968) का हवाला देते हैं, जिसके अनुसार अपराध को परिभाषित करना "मुख्य रूप से और व्यापक रूप से विधायिका का, गौण रूप से और रिक्तियों को भरने के लिए न्यायालयों का, और किसी अन्य का नहीं" काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर के अनुसार न्यायालय ने दोनों अपीलों में अधिनियम की धारा 2 और 3 के अंतर्गत कार्यवाहियाँ रद्द कर दीं, पाया कि 2021 के नियमों के अंतर्गत गैंग चार्ट ने कार्यपालिका को "निरंकुश" शक्ति दी, और कहा कि वह अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं दे रहा, जिसे उसने खुला छोड़ दिया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 (मूल अधिकार, न्यायपालिका) और सामान्य अध्ययन-3 (संगठित अपराध)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में गिरोहों की हिंसा → 1986 का अधिनियम 'गिरोह' और 'गैंगस्टर' को परिभाषित कर दंड निर्धारित करता है, जबकि स्थिति पुलिस के गैंग चार्ट से तय होती है → बार-बार शिकायतें कि कार्यकारी प्राधिकारी बिना सत्यापन योग्य साक्ष्य के दोष तय कर देते हैं → 20 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय पाता है कि कोई अपराध कभी सृजित ही नहीं हुआ, अधिनियम को 'मृतजात' कहता है और कार्यवाहियाँ रद्द करता है → संगठित अपराध के विरुद्ध कार्रवाई को अब ऐसे कानूनों पर टिकना होगा जो स्वयं अपराध को परिभाषित करें

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 20(1) वैधता के सिद्धांत को मूल अधिकार बनाता है — अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने कृत्य के समय प्रवृत्त किसी विधि का उल्लंघन न किया हो, और न ही उसे उससे अधिक दंड दिया जाएगा जो उस समय की विधि में विहित था। अनुच्छेद 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 20(3) अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य किए जाने से बचाता है। 44वें

संशोधन (1978) के बाद अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति नहीं देता। इन सबके कारण अनुच्छेद 20 भाग III की सबसे सुरक्षित गारंटियों में से एक है।

2. 'अपराध' वह कृत्य या लोप होना चाहिए जिसे कोई विधि दंडनीय बनाती है — साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) की धारा 3(38) "अपराध" को ऐसे किसी कृत्य या लोप के रूप में परिभाषित करती है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यही परिभाषा थी, और यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में भी आगे लाई गई है। यह परिभाषा पहचान पर नहीं, आचरण पर केंद्रित है: कानून को बताना होगा कि व्यक्ति क्या करता है जो वर्जित है। जो कानून किसी प्रकार के व्यक्ति को परिभाषित करके दंड निर्धारित करता है, पर किसी वर्जित कृत्य का वर्णन नहीं करता, वह इस कसौटी पर विफल होता है। 20 अगस्त के निर्णय का सार यही है।
3. विधायिका अपने आवश्यक कार्य कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती — इन रे दिल्ली लॉज़ एक्ट (In re Delhi Laws Act, 1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका विस्तृत नियम बनाने का कार्य तो प्रत्यायोजित कर सकती है, पर नीति निर्धारित करने का अपना आवश्यक विधायी कार्य नहीं। किसी अधिनियम के अधीन बने नियमों को मूल अधिनियम की सीमा में रहना होता है, और जो नियम उससे आगे जाता है वह अधिकारातीत (ultra vires) और शून्य है। अपराध का सृजन और उसका दंड निर्धारित करना आवश्यक कार्य का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। नियम प्रक्रिया तय कर सकता है, पर ऐसा अपराध नहीं गढ़ सकता जिसे स्वयं अधिनियम ने सृजित नहीं किया।
4. संगठित अपराध के अन्य कानून केवल स्थिति नहीं, अपराध को परिभाषित करते हैं — महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999) 'निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' को पहले के आरोप-पत्रों के संदर्भ में परिभाषित करता है और संगठित अपराध को एक विशिष्ट क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 अब संगठित अपराध को देशव्यापी अपराध बनाती है, और धारा 112 छोटे संगठित अपराध को समेटती है। प्रत्येक आचरण का वर्णन करता है, जैसे किसी सिंडिकेट द्वारा निरंतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप, न कि किसी व्यक्ति को गैंगस्टर का ठप्पा लगाने के कारण दंडित करता है। यह तुलना राज्य को दिखाती है कि ठीक से बनाए गए अपराध के माध्यम से संगठित अपराध को दंडित किया जा सकता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. प्रारंभिक परीक्षा नियमित रूप से अनुच्छेद 20 और आपातकालीन संरक्षण को परखती है — प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि आपात के दौरान कौन-से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते और अनुच्छेद 20 में कौन-से संरक्षण हैं। 20 अगस्त का निर्णय इन प्रावधानों को एक जीवंत समसामयिक उदाहरण देता है। यह साधारण खंड अधिनियम की 'अपराध' की परिभाषा से भी जुड़ता है, जो कम परिचित पर परीक्षा-योग्य तथ्य है।
2. अधिकारों और संगठित अपराध पर सामान्य अध्ययन-2 और सामान्य अध्ययन-3 मिलते हैं — सामान्य अध्ययन-2 में मूल अधिकार और न्यायपालिका आते हैं, जबकि सामान्य अध्ययन-3 में संगठित अपराध और आंतरिक सुरक्षा। UAPA, AFSPA या राज्यों के संगठित अपराध अधिनियमों जैसे विशेष कानूनों पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थियों से सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन की अपेक्षा करते हैं। यह निर्णय उस संतुलन के लिए एक सैद्धांतिक कसौटी देता है: अपराध को परिभाषित कीजिए, और दोष का निर्णय न्यायालय को करने दीजिए।
3. राजव्यवस्था के उत्तरों में प्रत्यायोजित विधान बार-बार आने वाला विषय है — प्रत्यायोजित विधान (Delegated Legislation) पर संसदीय नियंत्रण और अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों की भूमिका पर प्रश्न अक्सर आते हैं। यह निर्णय प्रत्यायोजन की सीमाओं का स्पष्ट उदाहरण है, और यही सिद्धांत आज की राष्ट्रगीत और फ़ॉर्म 6 वाली खबरों में भी दिखता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 20(1) ऐसे कृत्य के लिए दोषसिद्धि का निषेध करता है जो कृत्य के समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत अपराध नहीं था, और उस विधि द्वारा तब विहित दंड से अधिक दंड का भी निषेध करता है।
- अनुच्छेद 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने का निषेध करता है, और अनुच्छेद 20(3) अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य किए जाने से बचाता है।
- 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद राष्ट्रीय आपात के दौरान भी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जा सकता।
- साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(38) "अपराध" को ऐसे किसी कृत्य या लोप के रूप में परिभाषित करती है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित और दंडित

करती है, और धारा 112 छोटे संगठित अपराध से संबंधित है।

- इन रे दिल्ली लॉज़ एक्ट (1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधायिका नीति निर्धारित करने का अपना आवश्यक विधायी कार्य प्रत्यायोजित नहीं कर सकती।
- उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अधिनियमित हुआ था।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. निर्णय रूप में संकरा है, पर प्रभाव में व्यापक** — पीठ ने अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करके निरस्त नहीं किया; सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर के अनुसार उसने यह प्रश्न स्पष्ट रूप से खुला छोड़ा। पर यदि अधिनियम कोई अपराध सृजित ही नहीं करता, तो उसकी धारा 2 और 3 के अंतर्गत हर अभियोजन के सामने यही आपत्ति खड़ी होगी। इसलिए यह निर्णय अवैधता की घोषणा न होते हुए भी लगभग वैसा ही काम करता है। राज्य तर्क दे सकता है कि अधिनियम, समाज-विरोधी क्रियाकलापों की अपनी सूची के साथ पढ़ने पर, पहले से मौजूद अपराधों को समाहित करता है। पीठ ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया, और अनिर्णीत संवैधानिक प्रश्न का अर्थ है कि कोई बड़ी पीठ इस मामले पर फिर विचार कर सकती है। व्यावहारिक मार्ग मुकदमेबाजी नहीं, नया विधान है।
- 2. स्थिति के लिए दंड देना एक पुराना खतरा है, नए रूप में** — लोगों को उनके कृत्य के लिए नहीं, बल्कि वे कौन हैं इसके लिए दंडित करने का भारत में एक इतिहास है। आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871) ने पूरे-के-पूरे समुदायों को अपराधी घोषित किया था और इसे 1952 में जाकर निरस्त किया गया। जो गैंग चार्ट किसी व्यक्ति की पहचान 'गैंगस्टर' के रूप में तय कर देता है, और उसके बाद ऐसा विचारण होता है जिसका परिणाम "पहले से तय निष्कर्ष" है, वह छोटे पैमाने पर उसी तर्क को दोहराता है। प्रोफ़ेसर पांडे की देशद्रोही और 'अर्बन नक्सल' जैसे शब्दों से मनमाने 'नाम धरने' की चेतावनी सार्वजनिक ठप्पों के बारे में यही बात कहती है। प्रतिपक्ष का तर्क सम्मान का पात्र है। गवाहों को डराना-धमकाना और बार-बार की हिंसा सामान्य कानून को विफल कर सकते हैं, और राज्य को विशेष उपकरणों की आवश्यकता है। उत्तर यह है कि BNS की धारा 111 अब ऐसा ही उपकरण देती है, जिसमें अपराध उसके घटकों द्वारा परिभाषित है।
- 3. पुलिस और ज़िला मजिस्ट्रेट को स्थिति तय करने देना अभियोजक और न्यायाधीश को एक कर देता है** — सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर के अनुसार 2021 के नियमों के अंतर्गत गैंग चार्ट पुलिस तैयार करती है और पुलिस तथा ज़िला मजिस्ट्रेट की संयुक्त बैठक में उसका अनुमोदन होता है। इसका अर्थ है कि कार्यपालिका आरोप भी लगाती है और व्यवहार में मामले के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का निर्णय भी करती है। अनुच्छेद 50 राज्य से लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने की अपेक्षा करता है, और यह निर्णय उस सिद्धांत को दंड प्रक्रिया पर लागू करता है। जब विचारण से पहले ही स्थिति तय हो जाती है, तो न्यायाधीश के पास केवल उसकी पुष्टि करना बचता है, जिसे पीठ ने "दंड देने की वैधानिक मुहर" कहा। न्यायसंगत व्यवस्था कार्यपालिका को अन्वेषण करने और आरोप लगाने देती है, और तथ्यों के निष्कर्ष न्यायालय पर छोड़ती है।
- 4. दोहरा दंड इस अधिनियम की छिपी हुई कीमत थी** — सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर के अनुसार अधिनियम में सूचीबद्ध समाज-विरोधी क्रियाकलाप पहले से ही भारतीय दंड संहिता और अन्य कानूनों के अंतर्गत अपराध थे। इसलिए किसी व्यक्ति पर मूल अपराध के लिए और फिर उसी आचरण के लिए गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमा चल सकता था। यह अनुच्छेद 20(2) के पीछे की चिंता के काफ़ी निकट है, यद्यपि पीठ ने अपना निर्णय दोहरे दंड (double jeopardy) पर आधारित नहीं किया। ज़मानत की कठोर शर्तों के साथ मिलकर इस अधिनियम ने स्वयं विधिक प्रक्रिया को ही दंड बना दिया। विशेष कानून के हट जाने के बाद संगठित अपराध के मामले मूल अपराधों पर निर्भर होंगे, जिन्हें साक्ष्य से सिद्ध करना होगा।
- 5. आज की राजव्यवस्था की अन्य खबरों में भी यही सिद्धांत चलता है** — राष्ट्रगीत का मामला पृच्छता है कि क्या एक अपरिभाषित शब्द और राजपत्र में अप्रकाशित कार्यालय ज्ञापन दंड का आधार बन सकते हैं। फ़ॉर्म 6 का विवाद पृच्छता है कि क्या नियमों में संशोधन किए बिना किसी वैधानिक प्रपत्र को बदला जा सकता है। गैंगस्टर अधिनियम का निर्णय मूल प्रश्न का सबसे स्पष्ट उत्तर देता है: स्वतंत्रता को सीमित करने की शक्ति विधायिका द्वारा पारित कानून से आनी चाहिए। नियम और प्रशासनिक आदेश उस कानून को लागू कर सकते हैं, पर उसका स्थान नहीं ले सकते। अभ्यर्थी के लिए यह साझा सिद्धांत किसी एक मामले से अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह पूरे सामान्य अध्ययन-2 में लागू होता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“अपराध का सृजन मूलतः एक विधायी कार्य है।” उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में भारतीय दंड विधि में वैधता के सिद्धांत और संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष कानूनों के लिए उसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- भूमिका** — न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन के 20 अगस्त 2026 के उस निर्णय का परिचय दीजिए, जिसने उ.प्र. अधिनियम को “मृतजात” कहा, क्योंकि वह कोई अपराध सृजित किए बिना एक स्थिति को परिभाषित करता है और दंड निर्धारित करता है।
- मुख्य भाग** — वैधता का सिद्धांत — nullum crimen sine lege और nulla poena sine lege, अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 359 के अंतर्गत उसकी अनिलंबनीयता, और साधारण खंड अधिनियम की ‘अपराध’ की परिभाषा समझाइए। पैकर का यह कथन उद्धृत कीजिए कि अपराध को परिभाषित करना विधायिका का काम है, किसी और का नहीं।
- मुख्य भाग** — प्रत्यायोजन और कार्यकारी शक्ति की सीमाएँ — आवश्यक विधायी कार्यों पर इन रे दिल्ली लॉज एक्ट, कार्यपालिका के ipse dixit के रूप में गैंग चार्ट, विचारण के पहले से तय निष्कर्ष बन जाने, और दोहरे दंड के जोखिम की चर्चा कीजिए।
- मुख्य भाग** — विशेष कानूनों के लिए निहितार्थ — स्थिति-आधारित कानूनों की तुलना MCOCA और BNS की धारा 111 जैसे अपराध-आधारित कानूनों से कीजिए। बताइए कि संवैधानिक वैधता का प्रश्न खुला छोड़ा गया है, अन्य आरोप जारी रहते हैं, और राज्य को नए सिरे से विधान बनाना होगा। सुरक्षा संबंधी प्रतिपक्ष रखिए और उसका उत्तर दीजिए।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विधि के शासन के अनुरूप तभी है जब विधायिका अपराध को परिभाषित करे और न्यायालय साक्ष्य के आधार पर दोष का निर्णय करे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं जहाँ गैंगस्टर अधिनियम के दर्जनों मामले लंबित हैं। निर्णय के बाद आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं अभियोजन निदेशालय के माध्यम से विधिक सलाह लूँगा कि धारा 2 और 3 के अंतर्गत कौन-सी कार्यवाहियाँ प्रभावित होती हैं, और जहाँ निर्णय स्पष्ट रूप से लागू होता है वहाँ कार्यवाही रद्द होने का विरोध नहीं करूँगा। प्रत्येक अभियुक्त के लिए मैं सुनिश्चित करूँगा कि IPC, BNS या विशेष कानूनों के अंतर्गत मूल अपराधों का ठीक से अन्वेषण हो और आरोप लगें, क्योंकि वे बने रहते हैं। जहाँ किसी निरंतर सिंडिकेट के साक्ष्य हैं, वहाँ मैं देखूँगा कि क्या BNS की धारा 111 लागू होती है। उद्देश्य खतरनाक अपराधियों को वैध आरोपों के माध्यम से जवाबदेह रखना है, उन पर ठप्पा लगाने के नए तरीके खोजना नहीं।

प्रश्न 2. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आप पुलिस के साथ संयुक्त बैठकों में गैंग चार्ट अनुमोदित करते रहे हैं। अब आप अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): यह निर्णय मुझे बताता है कि मेरे हस्ताक्षर को दोष के निष्कर्ष के रूप में लिया जा रहा था, जो न्यायालय का काम है। मैं ऐसे किसी भी स्थिति-आधारित चार्ट का अनुमोदन बंद कर दूँगा जिससे दंड मिलता हो, और अपनी भूमिका को उन निवारक उपायों की समीक्षा तक सीमित रखूँगा जिनका स्पष्ट वैधानिक आधार है। मैं आग्रह करूँगा कि पुलिस की हर सिफ़ारिश में उन साक्ष्यों का उल्लेख हो जिन पर वह आधारित है। ज़िले को गिरोहों से बचाना मेरे कर्तव्य का हिस्सा है, पर यह सुनिश्चित करना भी कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग दंड देने के लिए न हो।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या ऐसे कठोर कानून उन राज्यों में अपराध नियंत्रण में सहायक नहीं होते जहाँ गवाह गवाही देने से डरते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): गवाहों को डराना-धमकाना वास्तविक समस्या है, और राज्य को गवाह संरक्षण, त्वरित विचारण और स्पष्ट घटकों वाले संगठित अपराध जैसे मज़बूत उपकरणों की आवश्यकता है। पर जो कानून किसी कृत्य को नहीं, एक ठप्पे को दंडित करता है, वह दोषियों के साथ ग़लत ढंग से सूचीबद्ध लोगों को भी पकड़ लेता है, और पुलिस व्यवस्था में जनता का विश्वास कमज़ोर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को गिरोहों से लड़ने से नहीं रोका है। उसने राज्य से अपराध को परिभाषित करने को कहा है। मज़बूत कानून और न्यायसंगत कानून परस्पर विरोधी नहीं हैं; ठीक से परिभाषित अपराध दोनों होता है।

1.4 संविधान सभा की 1948 की समान नागरिक संहिता बहस फिर चर्चा में, मिज़ोरम के भाजपा विधायक ने UCC-विरोधी संकल्प से अलग राह पकड़ी

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और गुवाहाटी। इंडियन एक्सप्रेस ने बुधवार को संविधान सभा की 23 नवंबर 1948 की उस बहस को फिर से याद किया जो तत्कालीन प्रारूप अनुच्छेद 35 पर हुई थी, जो अब संविधान का अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 कहता है: “राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।” यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy) में से एक है, जो राज्य का मार्गदर्शन करते हैं पर न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code, UCC) का अर्थ है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक-ग्रहण पर सभी नागरिकों के लिए एक कानून, जो धार्मिक स्वीय विधियों (personal laws) का स्थान ले। इसके विरोध में संयुक्त प्रांत के मुस्लिम लीग सदस्य मोहम्मद

इस्माइल खान को “लोगों को अपनी स्वीय विधि छोड़ने के लिए बाध्य करने” की कोई आवश्यकता नहीं दिखी, और मद्रास के बी. पोकर ने हस्तक्षेप को “वास्तव में अत्याचारपूर्ण” कहा। पश्चिम बंगाल के नज़ीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप अनुच्छेद 19 (अंतःकरण की स्वतंत्रता) से टकराव का हवाला दिया और कहा कि जो काम अंग्रेज़ 175 वर्षों में “करने में विफल रहे या करने से डरते रहे”, उसे एक झटके में नहीं किया जाना चाहिए। बिहार के सैयद हुसैन इमाम ने कहा कि पंथनिरपेक्ष राज्य “अधार्मिक नहीं, बल्कि धर्म-निरपेक्ष” होता है, और एकसमान कानूनों को साक्षरता तथा आर्थिक प्रगति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रावधान के पक्ष में बंबई के के.एम. मुंशी ने कहा कि यह “बहुमत का अत्याचार” नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्नत मुस्लिम देशों ने अल्पसंख्यकों की स्वीय विधि को “इतना पवित्र नहीं माना कि उससे सिविल संहिता का अधिनियमन ही रुक जाए”, और यह कि सदन पहले ही स्वीकार कर चुका है कि समाज सुधार के क्षेत्र में धार्मिक प्रथाओं का विनियमन किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “हम धर्म को स्वीय विधि से अलग करना चाहते हैं,” और जोड़ा कि एक साझा संहिता महिलाओं की स्थिति ऊँची करेगी। बी.आर. आंबेडकर ने उत्तर दिया कि भारत में पहले से एक समान आपराधिक संहिता है, और विवाह तथा उत्तराधिकार वह “छोटा-सा कोना” हैं जिसमें सिविल विधि “अब तक प्रवेश नहीं कर पाई है”। उन्होंने सुझाया कि भविष्य की संसद इसके पालन को “पूर्णतः स्वैच्छिक” बना सकती है। मिज़ोरम में, द हिंदू के अनुसार, भाजपा के दो विधायकों में से एक और सियाहा ज़िले के पालक से सदस्य के. हृद्यों ने सोमवार को आइज़ोल में UCC पर गहराई से विचार करने का आह्वान किया और इस तरह राज्य सरकार से अलग रुख अपनाया। 40 सदस्यीय विधानसभा ने फ़रवरी 2023 में किसी भी UCC का विरोध करने का संकल्प पारित किया था, और मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने हाल में इसे देशज प्रथागत कानूनों और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए ख़तरा बताया। श्री हृद्यों ने तर्क दिया कि UCC ग़ैर-जनजातीय पुरुषों से विवाहित मिज़ो महिलाओं की बेहतर रक्षा कर सकता है, और कहा कि जहाँ UCC लागू हैं वहाँ जनजातीय आबादी को उनसे बाहर रखा गया है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-1 और सामान्य अध्ययन-2।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

औपनिवेशिक संहिताएँ अपराध और प्रक्रिया को तो समेटती हैं, पर विवाह और उत्तराधिकार को स्वीय विधि पर छोड़ देती हैं → 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा UCC को प्रारूप अनुच्छेद 35 के रूप में अप्रवर्तनीय नीति निदेशक तत्वों में रखती है → संसद 1955-56 में हिंदू विधि में सुधार करती है और वैकल्पिक विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उपलब्ध कराती है, जबकि अन्य स्वीय विधियाँ अधिकांशतः असीमित रहती हैं → मिज़ोरम की विधानसभा फ़रवरी 2023 में किसी भी UCC के विरुद्ध संकल्प पारित करती है और उत्तराखंड 2024 में अनुसूचित जनजातियों को छूट देने वाली UCC अधिनियमित करता है → मिज़ोरम के एक भाजपा विधायक तर्क देते हैं कि UCC ग़ैर-जनजातीय पुरुषों से विवाहित मिज़ो महिलाओं की रक्षा कर सकता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 44 एक नीति निदेशक तत्व है, और यह स्थान सोच-समझकर दिया गया था — संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) हैं। अनुच्छेद 37 कहता है कि ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर देश के शासन में मूलभूत हैं, और विधि बनाने में इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 44 राज्य से समान सिविल संहिता “प्राप्त कराने का प्रयास” करने को कहता है, जो आदेश की नहीं, आकांक्षा की भाषा है। गोवा भारत का एकमात्र भाग है जहाँ लंबे समय से एक साझा सिविल विधि लागू है। 1961 में भारत में शामिल होने के बाद भी उसने 1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता को बनाए रखा। उत्तराखंड ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, 2024 (Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024) अधिनियमित की, जो जनवरी 2025 में लागू हुई और अनुसूचित जनजातियों को छूट देती है।
2. अनुच्छेद 25 धर्म की रक्षा करता है, पर राज्य को सामाजिक प्रथाओं में सुधार करने देता है — नज़ीरुद्दीन अहमद ने जिस प्रारूप अनुच्छेद 19 का सहारा लिया था, वह अनुच्छेद 25 बना। यह लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य मूल अधिकारों के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 25(2)(a) राज्य को धार्मिक आचरण से जुड़े किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 25(2)(b) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। यही वह “समाज सुधार” वाला अपवाद है जिसका उल्लेख मुंशी ने किया था, और यही 1955-56 के हिंदू संहिता कानूनों का संवैधानिक आधार है: हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम।
3. अनुच्छेद 371G प्रथागत विधि के मामले में मिज़ोरम विधानसभा को संसद पर वीटो देता है — अनुच्छेद 371G 1987 में मिज़ोरम के राज्य बनने से पहले 53वें संशोधन (1986) द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करता है कि मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिज़ो प्रथागत विधि और प्रक्रिया, मिज़ो प्रथागत विधि के अनुसार निर्णय वाले सिविल और आपराधिक न्याय-प्रशासन, या भूमि के स्वामित्व और अंतरण से संबंधित संसद का कोई अधिनियम मिज़ोरम पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न करे। अनुच्छेद 371A नागालैंड को ऐसा ही संरक्षण देता है। इसलिए कोई राष्ट्रीय UCC विधानसभा की सहमति के बिना मिज़ोरम में इन विषयों तक नहीं पहुँच सकती। मिज़ोरम के कुछ भागों में छूटी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त ज़िला परिषदें भी हैं।
4. न्यायालय और विधि आयोग अलग-अलग दिशाओं में खिंचते रहे हैं — मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum, 1985) में सर्वोच्च न्यायालय ने खेद व्यक्त किया कि अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बना हुआ है। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (Sarila Mudgal v. Union of India, 1995) में, जो दोबारा विवाह करने के लिए इस्लाम अपनाने वाले हिंदू पुरुषों से जुड़ा था, उसने फिर सरकार से अनुच्छेद 44 पर कार्रवाई

	करने का आग्रह किया। 21वें विधि आयोग ने 2018 में पारिवारिक विधि सुधार पर अपने परामर्श पत्र में कहा कि UCC “इस चरण में न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय”, और भेदभाव दूर करने के लिए प्रत्येक स्वीय विधि में सुधार का सुझाव दिया। 22वें विधि आयोग ने जून 2023 में UCC पर जनता के विचार आमंत्रित किए। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954) पहले से ही एक पंथनिरपेक्ष सिविल विवाह का विकल्प देता है, जो धर्म की परवाह किए बिना हर किसी के लिए खुला है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	मुख्य परीक्षा पूछ चुकी है कि भारत ने UCC अधिनियमित क्यों नहीं की — सामान्य अध्ययन-2 में अभ्यर्थियों से उन कारकों की चर्चा करने को कहा गया है जो भारत को नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता अधिनियमित करने से रोकते हैं। संविधान सभा की बहस दोनों पक्षों के मूल तर्क देती है, और मिज़ोरम की खबर एक ऐसा आयाम जोड़ती है जिसे अधिकांश उत्तर छोड़ देते हैं: जनजातीय प्रथागत विधि और अनुच्छेद 371 के विशेष उपबंध। प्रारंभिक परीक्षा भाग IV और विशेष उपबंधों को परखती है — प्रश्नों में पूछा गया है कि कौन-से नीति निदेशक तत्व गांधीवादी, उदारवादी या समाजवादी हैं, क्या नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, और अनुच्छेद 371 से 371J के अंतर्गत किन राज्यों के लिए विशेष उपबंध हैं। मिज़ो प्रथागत विधि के लिए अनुच्छेद 371G का संरक्षण और गोवा की सिविल संहिता कथन-आधारित प्रश्नों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। सामान्य अध्ययन-1 UCC को महिलाओं और पंथनिरपेक्षता से जोड़ता है — सामान्य अध्ययन-1 में महिलाओं की भूमिका, सामाजिक सशक्तीकरण और पंथनिरपेक्षता शामिल हैं। महिलाओं की स्थिति पर मुंशी का तर्क और ‘धर्म-निरपेक्ष’ तथा ‘अधार्मिक’ के बीच इमाम का भेद भारतीय पंथनिरपेक्षता और स्वीय विधि में लैंगिक न्याय पर उत्तरों के लिए उपयोगी प्रवेश-द्वार है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संविधान के भाग IV में स्थित अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करे। ● अनुच्छेद 37 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर देश के शासन में मूलभूत हैं। ● अनुच्छेद 25(2)(b) धर्म की स्वतंत्रता के बावजूद राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। ● अनुच्छेद 371G के अंतर्गत मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिज़ो प्रथागत विधि और प्रक्रिया, या भूमि के स्वामित्व और अंतरण से संबंधित संसद का कोई अधिनियम मिज़ोरम पर तब तक लागू नहीं होता जब तक उसकी विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निर्णय न करे। ● अनुच्छेद 371G 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1986 द्वारा जोड़ा गया था। ● गोवा आज भी 1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता से निकली एक साझा सिविल विधि का पालन करता है। ● विशेष विवाह अधिनियम, 1954 किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच, उनके धर्म की परवाह किए बिना, सिविल विवाह का प्रावधान करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1948 की बहस मुख्यतः सिद्धांत की नहीं, समय की थी — ध्यान से पढ़ें तो अनेक विरोधियों ने एकरूपता को सदा के लिए अस्वीकार नहीं किया था। सैयद हुसैन इमाम साक्षरता और आर्थिक प्रगति की प्रतीक्षा करना चाहते थे, और नज़ीरुद्दीन अहमद कौं “एक झटके में” ऐसा करने पर आपत्ति थी। स्वयं आंबेडकर ने एक स्वैच्छिक मार्ग सुझाया था। सभा ने “प्राप्त कराने का प्रयास” शब्द चुनकर और प्रावधान को अप्रवर्तनीय तत्वों के बीच रखकर उत्तर दिया, जो क्रम के बारे में लिया गया निर्णय था। प्रतिपक्ष का तर्क है कि 75 वर्षों की प्रतीक्षा स्वयं एक चुनाव बन चुकी है, और असुधारित स्वीय विधियों के अधीन रहने वाली महिलाओं ने इसकी कीमत चुकाई है। दोनों पक्ष संविधान निर्माताओं के समर्थन का दावा कर सकते हैं, और यही कारण है कि यह बहस कभी थमती नहीं। आंबेडकर का ‘स्वैच्छिक’ सुझाव इस बहस का सबसे उपेक्षित विचार है — स्वैच्छिक संहिता कोई काल्पनिक विचार नहीं है, क्योंकि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 पहले से एक पंथनिरपेक्ष विकल्प है जिसे कोई भी चुन सकता है। इसे उत्तराधिकार, दत्तक-ग्रहण और तलाक पर एक पूर्ण वैकल्पिक संहिता में विस्तारित करने से नागरिक, राज्य द्वारा किसी की आस्था को दरकिनार किए बिना, स्वयं इसे चुन सकेंगे। इससे माँग की भी ईमानदार परीक्षा होगी। प्रतिपक्ष का तर्क गंभीर है: जिन्हें संरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है, प्रायः असमान परिवारों की महिलाएँ, वही इसे चुनने का आग्रह करने में सबसे कम सक्षम होती हैं। स्वैच्छिक संहिता पहले शिक्षितों

और आत्मनिर्भरों की सहायता करती है, इसलिए यह अधिक से अधिक पहला क़दम है, सुधार का विकल्प नहीं।

3. **श्री हद्दो के दो दावे एक-दूसरे के विपरीत खिंचते हैं** — विधायक का तर्क है कि UCC गैर-जनजातीय पुरुषों से विवाहित मिज़ो महिलाओं की रक्षा करेगी। वे यह भी कहते हैं कि जहाँ UCC लागू हुई है वहाँ जनजातीय आबादी को उससे बाहर रखा गया है, जो उत्तराखंड के कानून के बारे में सही है। यदि मिज़ोरम की UCC उस मॉडल का अनुसरण करती, तो वह उन्हीं मिज़ो महिलाओं को छूट दे देती जिनकी रक्षा के लिए वह बनी है। यदि नहीं करती, तो अनुच्छेद 371G के अंतर्गत विधानसभा की सहमति चाहिए होगी, और विधानसभा इसके विरुद्ध संकल्प पारित कर चुकी है। उनका तर्क वास्तव में मिश्रित विवाहों, उत्तराधिकार और भूमि से जुड़े प्रथागत नियमों के बारे में है, जिनमें मिज़ो प्रथागत विधि और राज्य विधान के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। रिपोर्ट यह स्पष्ट नहीं करती कि वे किस संरक्षण की बात कर रहे हैं, पर जो लैंगिक चिंता वे उठाते हैं वह वास्तविक है और उसे दलगत कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
4. **एकसमान कानून अपने-आप समानता का कानून नहीं होता** — मुंशी ने एकरूपता को महिलाओं के उत्थान से जोड़ा था, पर ये दो अलग लक्ष्य हैं। यदि कोई एकल संहिता किसी एक समुदाय के नियम अपना ले, तो वह भी असमान हो सकती है, और अलग-अलग सुधारों के माध्यम से कई स्वीय विधियों को लैंगिक दृष्टि से न्यायसंगत बनाया जा सकता है, जो 21वें विधि आयोग का पसंदीदा मार्ग था। डॉ. आंबेडकर की समान आपराधिक संहिता से तुलना शिक्षाप्रद है, क्योंकि आपराधिक विधि को एक औपनिवेशिक विधायिका ने एकसमान बनाया था, आम सहमति ने नहीं। प्रतिपक्ष का तर्क है कि टुकड़ों में सुधार धीमा और असमान होता है, और तलाक, भरण-पोषण और उत्तराधिकार पर अधिकारों का एक साझा आधार विभिन्न कानूनों के बीच सुविधानुसार मंच चुनने (forum-shopping) की प्रवृत्ति को समाप्त कर देगा। ईमानदार स्थिति यह है कि कसौटी समानता हो और एकरूपता उसका साधन।
5. **इमाम का 'धर्म-निरपेक्ष' राज्य आज के तर्कों में भी मुख्य अवधारणा है** — सैयद हुसैन इमाम ने उस राज्य में, जो अधार्मिक है यानी धर्म का विरोधी, और उस राज्य में, जो धर्म-निरपेक्ष है यानी किसी का पक्ष नहीं लेता, भेद किया था। तब से भारतीय पंथनिरपेक्षता 'सैद्धांतिक दूरी' (principled distance) के रूप में विकसित हुई है: अनुच्छेद 25(2)(b) की अनुमति के अनुसार राज्य धर्म में सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, पर उसे यह निष्पक्ष रूप से करना होगा। UCC की बहस और आज का राष्ट्रगीत मामला, दोनों इसी विचार पर टिके हैं। दोनों में प्रश्न यह है कि क्या राज्य समानता के लिए सुधार कर रहा है या किसी एक परंपरा के मानदंड थोप रहा है। जो UCC स्पष्ट रूप से निष्पक्ष दिखे, और जनजातीय तथा अल्पसंख्यक चिंताओं को राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक माने, उसका बचाव करना कहीं अधिक आसान होगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता को सिद्धांत के नहीं, बल्कि क्रम के प्रश्न के रूप में नीति निदेशक तत्वों में रखा।” 23 नवंबर 1948 की सभा-बहस और जनजातीय प्रथागत विधि की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — अनुच्छेद 44 उद्धृत कीजिए और बताइए कि 23 नवंबर 1948 को प्रारूप अनुच्छेद 35 के रूप में इस पर बहस हुई और इसे अप्रवर्तनीय नीति निदेशक तत्वों में रखा गया।
2. **मुख्य भाग — 1948 के तर्क** — विरोधियों (इस्माइल खान, पोकर, नज़ीरुद्दीन अहमद, बेग, इमाम) और समर्थकों (बहुमत के अत्याचार, समाज सुधार, पंथनिरपेक्षता और महिलाओं पर मुंशी; समान आपराधिक संहिता, 'छोटे-से कोने' और स्वैच्छिक मार्ग पर आंबेडकर) के तर्कों का सार दीजिए। दिखाइए कि कई आपत्तियाँ समय को लेकर थीं।
3. **मुख्य भाग — व्यवहार में क्रम** — 1955-56 के हिंदू संहिता कानूनों, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, गोवा की सिविल संहिता, शाह बानो और सरला मुद्गल, विधि आयोग के 2018 के पत्र, और अनुसूचित जनजाति छूट वाली उत्तराखंड की 2024 की संहिता का क्रम दिखाइए।
4. **मुख्य भाग — जनजातीय प्रथागत विधि** — अनुच्छेद 371G और मिज़ोरम के 2023 के संकल्प, मुख्यमंत्री के रुख और गैर-जनजातीय पुरुषों से विवाहित मिज़ो महिलाओं के बारे में विधायक हद्दो के तर्क को समझाइए, तथा विधिक बहुलवाद और लैंगिक न्याय के बीच तनाव की चर्चा कीजिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि संविधान ने बाध्यता के बजाय अनुनय और क्रम को चुना, और आगे का मार्ग सहमति के साथ लैंगिक दृष्टि से न्यायसंगत सुधार में है, जिसमें स्वैच्छिक और राज्य-स्तरीय मार्ग भी शामिल हैं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S)

प्रश्न 1. आप अनुच्छेद 371 के संरक्षण वाले एक पूर्वोत्तर राज्य के मुख्य सचिव हैं। केंद्र राष्ट्रीय UCC पर आपके राज्य के विचार मांगता है। आपकी टिप्पणी में क्या होगा?

BRAINSTORM — Q & APPROACH

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले संवैधानिक स्थिति रखूंगा: प्रथागत आचरण और भूमि पर किसी भी केंद्रीय कानून के लिए हमारी विधानसभा की सहमति आवश्यक है, और विधानसभा का वर्तमान संकल्प UCC का विरोध करता है। मैं जनजातीय पहचान और भूमि से जुड़ी चिंताओं को, जो संरक्षित हैं, प्रथागत विधि के भीतर की लैंगिक न्याय संबंधी चिंताओं से अलग करूंगा, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। मैं ग्राम परिषदों, चर्चों और महिला समूहों से परामर्श की सिफारिश करूंगा, और सुझाव दूंगा कि राज्य जो भी सुधार हाथ में ले, वह उसकी प्रथागत संस्थाओं के अनुरूप हो। टिप्पणी में विकल्प होंगे, कोई राजनीतिक निष्कर्ष नहीं।

प्रश्न 2. उपायुक्त के रूप में आपको पता चलता है कि गैर-जनजातीय पुरुष से विवाहित एक मिज़ो महिला को प्रथागत आचरण के अंतर्गत पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। आप क्या कर सकते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता मिले और वर्तमान राज्य विधि तथा प्रथागत विधि के अंतर्गत उसके अधिकारों की स्पष्ट जानकारी मिले। जहाँ प्रथागत निकाय मामले का निर्णय करते हैं, वहाँ मैं उचित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई का अनुरोध करूंगा, और वैधानिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को दर्ज करूंगा। मैं यह मामला न्यायिक सुधार के साक्ष्य के रूप में राज्य सरकार को भी भेजूंगा। मेरी भूमिका न्यायसंगत प्रक्रिया और न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना है, न कि अपने स्तर पर प्रथागत व्यवस्था को दरकिनार करना।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है?

दृष्टिकोण (Approach): राष्ट्रीय एकीकरण समान नागरिकता और विश्वास से आता है, और भारत विविध स्वीय विधियों को अनुमति देते हुए भी एकजुट रहा है, जैसा नागालैंड और मिज़ोरम के विशेष उपबंध दिखाते हैं। जहाँ UCC उचित है, वहाँ वह लैंगिक समानता और विधिक निश्चितता के साधन के रूप में है, निष्ठा की परीक्षा के रूप में नहीं। अनिच्छुक समुदायों पर एकरूपता थोपने से एकीकरण मजबूत होने के बजाय कमजोर हो सकता है। मैं परामर्श पर आधारित, लैंगिक दृष्टि से न्यायसंगत सुधार का समर्थन करूंगा, जिसमें एक सुविचारित वैकल्पिक सिविल संहिता मिलन-बिंदु का काम करे।

1.5 तृणमूल छोड़कर NCPI से जुड़े 20 सांसदों ने निरहता नोटिसों पर जवाब के लिए चार सप्ताह और माँगे

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर NCPI के साथ जुड़ने वाले लोकसभा के बीस सांसदों ने अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी नोटिसों का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय माँगा है। द हिंदू के अनुसार ये नोटिस उन याचिकाओं पर जारी किए गए थे जिनमें दल-बदल विरोधी कानून (anti-defection law) के अंतर्गत इन सांसदों की निरहता की माँग की गई है। सांसदों को दी गई समय-सीमा मंगलवार, 22 सितंबर को समाप्त हो गई। NCPI की संसदीय दल अध्यक्ष काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि सांसदों ने अभी तक जवाब के लिए आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र नहीं किए हैं। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि याचिकाएँ किसने दायर कीं, क्या समय-विस्तार दिया गया, या NCPI का तृणमूल के गुटों से क्या संबंध है। दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची है, जिसके अंतर्गत जो विधायक स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है, या किसी मतदान में उसके व्हिप की अवहेलना करता है, वह अपनी सीट खो सकता है। लोकसभा के लिए ऐसी याचिकाओं का निर्णय अध्यक्ष करते हैं। ये नोटिस तृणमूल में विभाजन के बीच आए हैं। 'Freezing democracy' (लोकतंत्र पर रोक) शीर्षक वाले संपादकीय में द हिंदू ध्यान दिलाता है कि 17 सितंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके 'घास और फूल' चुनाव चिह्न पर रोक लगा दी, जबकि ममता बनर्जी द्वारा पार्टी की स्थापना को लगभग 28 वर्ष हो चुके हैं। आयोग के 14 पृष्ठों के आदेश में कहा गया कि चूंकि दो प्रतिद्वंद्वी गुट, एक सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में और दूसरा अरूप राय के नेतृत्व में, दोनों स्वयं को ही पार्टी होने का दावा करते हैं, इसलिए इस मामले में "सारवान निर्धारण" की आवश्यकता है। तब तक कोई भी गुट इस नाम या चिह्न का प्रयोग नहीं कर सकता, और दोनों को नए नाम तथा चिह्न दिए गए हैं। राज्यसभा उपचुनाव पर अखबार की एक अलग रिपोर्ट सुश्री बनर्जी की पार्टी को "ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस" के रूप में संदर्भित करती है। संपादकीय बताता है कि अप्रैल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 41% मतदाताओं, यानी 2.60 करोड़ से अधिक लोगों ने सुश्री बनर्जी की पार्टी को वोट दिया, और भाजपा से उसका अंतर लगभग 32 लाख मतों का था। वह दर्ज करता है कि विपक्षी दलों ने शिवसेना के मामले जैसी ऐसी ही रोकों को "पार्टी की चोरी" कहा है। संपादकीय आगे तर्क देता है कि आयोग "भाजपा के हितों के साथ तालमेल में काम कर रहा है"। यह समाचार-पत्र का मत है; आयोग का बताया गया कारण गुण-दोष के आधार पर विवाद का निर्धारण करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2 — संसद, दल-बदल विरोधी कानून और निर्वाचन आयोग।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1960 के दशक के अंत के 'आया राम गया राम' दल-बदल → 52वें संशोधन (1985) के अंतर्गत दसवीं अनुसूची पीठासीन अधिकारी को दल-बदल का निर्णायक बनाती है → 91वाँ संशोधन (2003) 'विभाजन' का अपवाद हटाकर केवल दो-तिहाई विलय का अपवाद छोड़ता है → तृणमूल कांग्रेस में विभाजन होता है, और 17 सितंबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग उसके नाम और चिह्न पर रोक लगाता है → NCPI से जुड़े 20 सांसद अध्यक्ष ओम बिरला के सामने निरहता याचिकाओं का सामना करते हैं और चार सप्ताह और माँगते हैं

(STATIC SYLLABUS LINKAGE)

अधिनियम, 1985 ने दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) जोड़ी। पैराग्राफ 2(1)(a) के अंतर्गत किसी दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य निरहित हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है। पैराग्राफ 2(1)(b) के अंतर्गत वह तब निरहित होता है जब वह बिना अनुमति दल के निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान से विरत रहता है, जब तक दल 15 दिनों के भीतर इसे माफ़ न कर दे। चुनाव के बाद किसी दल में शामिल होने वाला निर्दलीय सदस्य निरहित होता है, और वह मनोनीत सदस्य भी जो अपना स्थान ग्रहण करने के छह महीने बाद किसी दल में शामिल होता है। रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (Ravi S. Naik v. Union of India, 1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना औपचारिक होना ज़रूरी नहीं, इसका अनुमान सदस्य के आचरण से लगाया जा सकता है।

2. 2003 के बाद केवल दो-तिहाई विलय ही किसी समूह की रक्षा करता है — पैराग्राफ 3 मूल रूप से विधायी दल के एक-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाले 'विभाजन' को संरक्षण देता था। 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे हटा दिया। पैराग्राफ 4 अब सदस्यों की रक्षा केवल तब करता है जब उनका मूल राजनीतिक दल किसी अन्य दल में विलीन हो जाए, और ऐसा विलय तभी हुआ माना जाता है जब विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य उस पर सहमत हों। इसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार सदन की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया, और निरहित दल-बदलुओं को पुनः निर्वाचित होने तक मंत्री पद धारण करने से रोका। सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल (Subhash Desai v. Principal Secretary, Governor of Maharashtra, 2023) में संविधान पीठ ने माना कि व्हिप की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, केवल विधायी दल नहीं, और विभाजन अब कोई बचाव नहीं है।
3. निर्णय अध्यक्ष करते हैं, जो सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है — पैराग्राफ 6 अध्यक्ष या सभापति को निरहता के प्रश्नों पर निर्णय करने वाला प्राधिकारी बनाता है, और पैराग्राफ 8 उन्हें नियम बनाने की शक्ति देता है। लोकसभा के लिए ये लोकसभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियम, 1985 हैं। किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु (Kihoto Hollohan v. Zachillhu, 1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूची को बरकरार रखा। उसने माना कि अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं जिनके निर्णय सीमित आधारों पर न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) के लिए खुले हैं, और पैराग्राफ 7 को निरस्त कर दिया, जो न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित करता था। अल्पमत राय ने माना कि अध्यक्ष की राजनीतिक स्थिति के कारण उन्हें एकमात्र निर्णायक बनाना स्वयं असंवैधानिक था। कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर (Keisham Meghachandra Singh v. Speaker, Manipur, 2020) में न्यायालय ने कहा कि याचिकाओं का निर्णय सामान्यतः तीन महीनों के भीतर होना चाहिए, और सुझाव दिया कि संसद एक स्वतंत्र अधिकरण पर विचार करे।
4. दल के नाम और चिह्न के विवाद निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं, अध्यक्ष के पास नहीं — निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968) का पैराग्राफ 15 निर्वाचन आयोग को यह तय करने की शक्ति देता है कि किसी मान्यताप्राप्त दल के प्रतिद्वंद्वी गुटों में से कौन-सा वह दल है। सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग (Sadiq Ali v. Election Commission of India, 1971) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति को और आयोग द्वारा बहुमत की कसौटियों के प्रयोग को बरकरार रखा। विवाद के निर्णय तक नाम और चिह्न पर रोक लगाना एक स्थापित अंतरिम क्रम है; आयोग ने 2022 में शिवसेना के लिए इसका प्रयोग किया था। सुभाष देसाई (2023) में न्यायालय ने माना कि अध्यक्ष के समक्ष लंबित निरहता कार्यवाहियाँ आयोग को पैराग्राफ 15 का विवाद तय करने से नहीं रोकतीं। उसने यह चेतावनी भी दी कि विधायिका में बहुमत हमेशा सही कसौटी न हो। इसलिए दोनों मंच समानांतर चलते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. दल-बदल विरोधी कानून सामान्य अध्ययन-2 का स्थायी प्रश्न है — मुख्य परीक्षा में बार-बार पूछा गया है कि क्या दसवीं अनुसूची अपने उद्देश्य में सफल हुई है, क्या निरहता का निर्णय पीठासीन अधिकारी को करना चाहिए, और विलंब कैसे कानून को कमज़ोर करता है। यह मामला 20 सांसदों का एक समूह, रोका गया दलीय नाम और अतिरिक्त समय का अनुरोध जोड़ता है, जो तीनों मुद्दों को छूता है।
2. प्रारंभिक परीक्षा संशोधनों और न्यायिक निर्णयों को परखती है — प्रश्नों में पूछा गया है कि किस संशोधन ने दसवीं अनुसूची जोड़ी, निरहता का निर्णय कौन करता है, 91वें संशोधन ने क्या बदला, और क्या पीठासीन अधिकारी के निर्णय की न्यायालय समीक्षा कर सकते हैं। किहोतो होलोहन और दो-तिहाई विलय का नियम मानक सामग्री हैं।
3. अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच की अतिव्याप्ति एक नया कोण है — शिवसेना और NCP के विवादों ने दिखाया कि दल-बदल के मामले अब एक साथ दो मंचों पर चलते हैं। जो उत्तर यह समझाए कि अध्यक्ष का निष्कर्ष और आयोग का पैराग्राफ 15 वाला निर्णय कैसे अलग-अलग हो सकते हैं, और यह क्यों महत्वपूर्ण है, वह मानक उत्तरों से अलग दिखेगा।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

- दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा

(PRELIMS NUGGETS)

संविधान में जोड़ी गई थी।

- दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के अंतर्गत किसी सदस्य की निरहता के प्रश्नों का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति करते हैं।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 3 का 'विभाजन' वाला अपवाद हटा दिया और मंत्रिपरिषद का आकार सदन की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया।
- दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के अंतर्गत विलय सदस्यों को निरहता से तभी बचाता है जब विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य उस पर सहमत हों।
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्ह (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची को बरकरार रखा, पर माना कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है।
- कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निरहता याचिकाओं का निर्णय सामान्यतः तीन महीनों के भीतर होना चाहिए।
- निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 का पैराग्राफ 15 निर्वाचन आयोग को किसी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच विवाद तय करने की शक्ति देता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. दल-बदल के मामलों में दस्तावेजों से अधिक महत्व समय का है** — निरहता का सामना कर रहा सदस्य याचिका लंबित रहने तक मतदान करता रहता है, भत्ते लेता रहता है और नया दल खड़ा करता रहता है, इसलिए हर समय-विस्तार उसके पक्ष में जाता है। दल-बदल विरोधी कानून का रिकॉर्ड दिखाता है कि विलंब ही वह सबसे आम तरीका है जिससे इसे विफल किया जाता है। इसी कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कीशम में तीन महीने को सामान्य सीमा के रूप में सुझाया। प्रतिपक्ष का तर्क भी उचित है: नैसर्गिक न्याय निष्पक्ष अवसर की माँग करता है, बीस अलग-अलग सदस्यों को व्यक्तिगत जवाब देने पड़ सकते हैं, और जब दल का अपना नाम ही रोक दिया गया हो तो दलीय पहचान से जुड़े तथ्य जटिल होते हैं। अध्यक्ष के लिए कसौटी यह है कि क्या मामले का निष्पक्ष निर्णय करने के लिए विस्तार आवश्यक है या वह केवल उसे टालता है।
- 2. रोक ने 'उन्होंने कौन-सा दल छोड़ा?' प्रश्न को और कठिन बना दिया है** — दसवीं अनुसूची दल-बदल को उस दल के सापेक्ष मापती है जिसने सदस्य को प्रत्याशी बनाया था। तृणमूल का नाम रूका होने और दो गुटों द्वारा उस पर दावा करने की स्थिति में सांसदों का बचाव इस पर निर्भर हो सकता है कि आयोग पैराग्राफ 15 का विवाद कैसे सुलझाता है। अखबार यह नहीं बताते कि NCPI का किसी भी गुट से क्या संबंध है, इसलिए यह तर्क सशर्त है। सुभाष देसाई मानता है कि दोनों मंच समानांतर चलते हैं, पर व्यवहार में हर मंच दूसरे की प्रतीक्षा कर सकता है, जो विलंब से लाभ उठाने वाले हर व्यक्ति के अनुकूल है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि द हिंदू के अनुसार सांसदों ने तृणमूल 'छोड़ी' और एक अन्य संगठन से जुड़े, और रवि एस. नाइक के अंतर्गत ऐसा आचरण स्वयं यह दिखा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी।
- 3. 2003 के बाद किसी समूह का जाना या तो विलय है या निरहता** — 2003 से पहले विधायी दल का एक-तिहाई हिस्सा विभाजन का दावा कर सकता था। अब 20 सांसद निरहता से केवल यह दिखाकर बच सकते हैं कि उनका मूल दल किसी अन्य दल में विलीन हुआ और विधायी दल के दो-तिहाई सदस्य उस पर सहमत थे। अखबार यहाँ इसका आकलन करने के लिए आवश्यक संख्याएँ नहीं देते। 2003 का सुधार सामूहिक दल-बदल समाप्त करने के लिए था, पर अनुभव ने दिखाया है कि उसकी जगह विलय गढ़े जा सकते हैं। प्रतिपक्ष के तर्क में भी दम है: दसवीं अनुसूची सदस्यों के पास ऐसे दल से निकलने का कोई वैध रास्ता नहीं छोड़ती जिसके नेतृत्व को वे अस्वीकार करते हैं, इसलिए कुछ सुधारक, चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) का अनुसरण करते हुए, व्हिप की अवहलना पर निरहता को विश्वास और अविश्वास प्रस्तावों तक सीमित करना चाहेंगे।
- 4. दोष यह है कि निर्णायक एक राजनीतिक दल का सदस्य है, और विकल्पों में भी यही दोष है** — अध्यक्ष किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होते हैं और ऐसे मामलों का निर्णय करते हैं जो सदन में दलों की संख्या बदल देते हैं। किहोतो होलोहन की अल्पमत राय ने इसे घातक दोष माना था। कीशम ने स्वतंत्र अधिकरण का सुझाव दिया, और दिनेश गोस्वामी समिति ने प्रस्ताव किया था कि राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय करें। पर इस खंड की दूसरी खबर कठिनाई दिखाती है। उसी बंगाल विवाद में स्वयं आयोग पर पक्षपात का आरोप है, और उसके अपने दो सदस्यों ने दर्ज किया है कि निर्णय उनके बिना लिए गए। निर्णय को किसी अन्य निकाय को सौंप देने से तटस्थता पैदा नहीं होती। कानून में लिखी समय-सीमा और पूर्ण न्यायिक पुनर्विलोकन निर्णायक बदलने से अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
- 5. संपादकीय के आरोप का उत्तर आयोग को देना होगा, पर जिस प्रवृत्ति का वह वर्णन करता है वह वास्तविक है** — द हिंदू का संपादकीय कहता है कि आयोग भाजपा के हित में काम कर रहा

	है; यह एक कड़ा मत है, कोई निष्कर्ष नहीं। आयोग का आदेश पैराग्राफ 15 के अंतर्गत एक मानक कारण देता है: प्रतिद्वंद्वी दावों के सारवान निर्धारण की आवश्यकता है, और इस बीच चिह्न पर रोक किसी भी गुट को बढ़त लेने से रोकती है। उसने 2022 में शिवसेना के लिए भी यही कदम उठाया था। फिर भी संपादकीय जिस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है, वह वास्तविक है। हाल के वर्षों में आयोग ने विधायी बहुमत वाले गुट को दल के रूप में मान्यता दी है, जैसे शिवसेना और NCP के मामलों में, जिससे विधायिका के दल-बदलों को दल पर कब्जा करने का रास्ता मिल जाता है। सुभाष देसाई ने केवल विधायी बहुमत पर निर्भर रहने के विरुद्ध चेतावनी दी। आयोग इस चेतावनी को यहाँ कैसे लागू करता है, इसी से पता चलेगा कि संपादकीय की आशंका उचित है या नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“दसवीं अनुसूची ने दल-बदल की लड़ाई को सदन के पटल से हटाकर अध्यक्ष के कार्यालय और निर्वाचन आयोग तक पहुँचा दिया है।” हाल के घटनाक्रमों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और दल-बदल विरोधी कानून में सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — तृणमूल छोड़कर NCPI से जुड़े उन 20 लोकसभा सांसदों से शुरुआत कीजिए जिन्होंने अध्यक्ष ओम बिरला के निरहंता नोटिसों का जवाब देने के लिए चार सप्ताह और माँगे हैं, और 17 सितंबर को आयोग द्वारा तृणमूल के नाम तथा चिह्न पर लगाई गई रोक का उल्लेख कीजिए। मुख्य भाग — अध्यक्ष की भूमिका — पैराग्राफ 2, 4 और 6, 91वें संशोधन, किहोतो होलोहन (बहुमत और अल्पमत राय), और कीशम के तीन महीने वाले दिशानिर्देश को समझाइए। दिखाइए कि विलंब और समय-विस्तार कानून को कैसे कमजोर करते हैं। मुख्य भाग — निर्वाचन आयोग की भूमिका — प्रतीक आदेश के पैराग्राफ 15, सादिक अली, चिह्नों पर रोक लगाने की प्रथा, और समानांतर कार्यवाहियों तथा विधायी बहुमत की कसौटी की सीमाओं पर सुभाष देसाई को समझाइए। दिखाइए कि दलीय पहचान पर दोनों मंच अलग-अलग परिणामों तक कैसे पहुँच सकते हैं। मुख्य भाग — सुधार — वैधानिक समय-सीमा, स्वतंत्र अधिकरण या आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निर्णय (दिनेश गोस्वामी समिति), व्हिप को विश्वास मत और धन संबंधी मतदानों तक सीमित करना, और दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की चर्चा कीजिए। यह प्रतिपक्ष भी लिखिए कि किसी भी निर्णायक पर पक्षपात का आरोप लग सकता है। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि कानून का उद्देश्य, यानी स्थिर जनादेश, त्वरित और पुनर्विलोकन-योग्य निर्णयों से ही सबसे अच्छी तरह पूरा होता है, और सुधार का लक्ष्य केवल निर्णायक बदलना नहीं, बल्कि न्याय-निर्णयन को तेज़ करना होना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप लोकसभा के महासचिव हैं, और अध्यक्ष आपसे पूछते हैं कि क्या 20 सांसदों को चार सप्ताह और दिए जाएँ। आप क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं बताऊँगा कि नियम पर्याप्त कारण होने पर अतिरिक्त समय की अनुमति देते हैं, और निष्पक्षता की माँग है कि जवाब देने का वास्तविक अवसर मिले, विशेषकर बीस सदस्यों के मामले में। मैं यह भी बताऊँगा कि कीशम में सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि याचिकाओं का निर्णय सामान्यतः तीन महीनों के भीतर होना चाहिए, इसलिए कोई भी विस्तार छोटा, कारणयुक्त और अभिलिखित होना चाहिए। मैं जवाबों के बाद सुनवाई की एक निश्चित समय-सारिणी सुझाऊँगा, ताकि विस्तार अनिश्चितकालीन न बन जाए। लिखित और कारणयुक्त आदेश न्यायालय में चुनौती मिलने पर अध्यक्ष के निर्णय की रक्षा करता है। प्रश्न 2. तृणमूल के पैराग्राफ 15 वाले विवाद को संभाल रहे निर्वाचन आयोग के अधिकारी के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रक्रिया निष्पक्ष दिखे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूँगा कि दोनों गुटों को दस्तावेज़ दाखिल करने का समान अवसर मिले, सुनवाई का बराबर समय मिले, और उन्हें एक-दूसरे के प्रस्तुतीकरण प्राप्त हों। मैं दल के संविधान, संगठनात्मक सदस्यता और विधायी संख्या-बल की जाँच करूँगा, जो केवल विधायी बहुमत पर निर्भर न रहने की सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी के अनुरूप है। मैं स्पष्ट समय-सीमा तय करूँगा और हर चरण पर कारणयुक्त आदेश प्रकाशित करूँगा। पक्षपात के सार्वजनिक आरोपों को देखते हुए प्रक्रिया का वास्तव में निष्पक्ष होने के साथ-साथ निष्पक्ष दिखना भी ज़रूरी है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या दल-बदल विरोधी कानून ने लाभ से अधिक हानि की है? दृष्टिकोण (Approach): इसने व्यक्तिगत विधायकों की उस खुली खरीद-फरोख्त को कम किया है जो 1960 के दशक में आम थी, और यही इसका मुख्य उद्देश्य था। पर इसने विधायकों को उनके

दलों के भीतर चुप भी करा दिया है और दल-बदल को समूहों तथा गढ़े गए विलयों की ओर मोड़ दिया है, जबकि अध्यक्ष प्रायः निर्णयों में विलंब करते हैं। मैं कानून को बनाए रखूँगा, पर व्हिप को विश्वास मत और धन संबंधी मामलों तक सीमित करूँगा, निश्चित समय में निर्णय अनिवार्य करूँगा, और पूर्ण न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति दूँगा। इससे विधायकों को दल-नेताओं का मात्र एजेंट बनाए बिना मतदाता के जनादेश की रक्षा होगी।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की आर्थिक खबरें उन नियमों के बारे में हैं जो तय करते हैं कि पूँजी कहाँ जाएगी और वहाँ पहुँचकर कितनी सुरक्षित रहेगी। वॉशिंगटन अब ऐसी जाँचों के ज़रिए शुल्क तय करता है जिन पर भारत का कोई ज़ोर नहीं चलता, इसलिए नई दिल्ली हस्ताक्षर करने के बजाय इंतज़ार कर रही है। एक मध्यस्थता संस्था के प्रमुख का तर्क है कि भारत की संधियों को निवेशकों से देश के भीतर ही एक कारगर विवाद-निपटान व्यवस्था का वादा करना चाहिए। खान मंत्रालय खनन भूमि दबाकर बैठे स्ट्रेबार्जों से जूझ रहा है, और केंद्र राज्यों को आगाह कर रहा है कि बढ़ती उम्र, AI और जलवायु जोखिम उनके बजट पर दबाव डालेंगे — ठीक उस समय जब मुंबई बॉन्ड बाज़ार से उधार लेने की तैयारी कर रही है। हर मामले में असली कसौटी यह है कि संस्थाएँ टिकती हैं या नहीं, न कि घोषणा में क्या कहा गया।

2.1 वॉशिंगटन की धारा 301 जाँचें भारत के प्रतिस्पर्धियों पर फिर शुल्क न लगा दें, तब तक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अटका

समाचार (THE NEWS) वॉशिंगटन डीसी। प्रक्रिया से परिचित एक व्यक्ति ने द हिंदू को बताया कि जब तक वॉशिंगटन नई 'धारा 301 जाँचें' (Section 301 investigations) शुरू और पूरी करके पाकिस्तान, श्रीलंका और फ़िलीपींस जैसे भारत के प्रतिस्पर्धियों पर शुल्क नहीं लगा देता, तब तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। इसलिए 30 सितंबर से शुरू हो रही G-20 व्यापार मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा के आसपास समझौता होना "बेहद असंभव" है। अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 वॉशिंगटन को किसी विदेशी देश के व्यवहार की जाँच करने और उसे अनुचित पाने पर शुल्क लगाने की शक्ति देती है; अमेरिका इन जाँचों का इस्तेमाल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फ़रवरी 2026 के उस फैसले से बचने के लिए कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'पारस्परिक' (reciprocal) शुल्क अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम (International Emergency Economic Powers Act — IEEPA) का अवैध उपयोग थे। उस फैसले से पहले, 6 फ़रवरी के भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में एक अंतरिम समझौते की घोषणा हुई थी, जिसमें भारतीय वस्तुओं पर 18% का सामान्य शुल्क तय किया गया था — यह पाकिस्तान (19%), जो नई दिल्ली के लिए राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील है, वियतनाम (20%), श्रीलंका (20%), बांग्लादेश (19%) और फ़िलीपींस (19%) पर बढ़त थी। नेपाल और मालदीव, जो उस सूची से बाहर 10% चुकाते थे, अब सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र (most-favoured-nation — MFN) आधार पर व्यापार करते हैं, यानी वह सामान्य शुल्क जो WTO के सभी सदस्यों पर लगता है। समस्या मार्च 2026 में शुरू हुई धारा 301 जाँचों के दो समूहों में है। पाकिस्तान, श्रीलंका और फ़िलीपींस बलात् श्रम (forced labour) की जाँच झेल रहे हैं, लेकिन उन्हें 'अतिरिक्त क्षमता' (excess capacity) वाली सूची से बाहर रखा गया, जिसमें भारत का नाम है। बलात् श्रम जाँच के तहत पाकिस्तान 10% चुकाता है, और इन देशों के शुल्क को उनके पुराने स्तर तक दोबारा बढ़ाने का फ़िलहाल कोई कानूनी औज़ार नहीं है। इसके विपरीत, भारत पर अतिरिक्त क्षमता जाँच के तहत 8% शुल्क लगाने की संभावना है, जिससे उसका कुल शुल्क फिर 18% पर पहुँच जाएगा। उस व्यक्ति ने पाकिस्तान को उस सूची से बाहर रखने को एक "रणनीतिक भूल" बताया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ग्लोबल फ़िनटेक फ़ेस्ट 2026 में कह चुके थे कि भारत मोटे तौर पर MFN आधार पर चलता है और अमेरिका कार्यकारी शुल्कों पर, इसलिए किसी समझौते के लिए "अंतर" (differentials) और भारत के लिए अधिमन्य पहुँच ज़रूरी है। शुक्रवार, 18 सितंबर को ट्रंप ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी कार्यपालिका को भारत और चीन सहित रूसी तेल के पाँच सबसे बड़े आयातकों पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है। अमेरिका के राष्ट्रीय हित में प्रतिबंध निर्लंबित किए जा सकते हैं, और 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों को देखते हुए प्रशासन पेट्रोल की कीमतों पर नज़र रखे हुए है। भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 (विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव) और GS3 (व्यापार)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फ़रवरी 2026 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है कि IEEPA के तहत लगाए गए 'पारस्परिक' शुल्क अवैध थे → 6 फ़रवरी को भारत की सहमति वाली 18% दर और प्रतिद्वंद्वियों पर उसकी छोटी-सी बढ़त का कानूनी आधार खिसक जाता है → वॉशिंगटन मार्च 2026 में शुरू की गई धारा 301 जाँचों के ज़रिए देश-दर-देश शुल्क दोबारा खड़े करता है → भारत के हिस्से 'अतिरिक्त क्षमता' जाँच आती है (संभावित 8%, यानी कुल फिर 18%), जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और फ़िलीपींस के हिस्से बलात् श्रम जाँच (पाकिस्तान पर 10%) → अभी हस्ताक्षर करना भारत को घाटे की स्थिति में बाँध देगा, इसलिए नई दिल्ली प्रतिस्पर्धियों पर नई धारा 301 जाँचों का इंतज़ार करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. धारा 301 अमेरिकी कार्यपालिका को कांग्रेस के मतदान के बिना 'अनुचित' व्यापार व्यवहार पर दंड देने देती है — अमेरिका के व्यापार अधिनियम, 1974 (Trade Act of 1974) की धारा 301 संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (Office of the United States Trade Representative — USTR) को किसी विदेशी देश के ऐसे कार्यों, नीतियों या व्यवहारों की जाँच का अधिकार देती है जिन्हें वह अनुचित, अतार्किक या भेदभावपूर्ण पाए और जो अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ डालते हों। निष्कर्ष प्रतिकूल होने पर USTR शुल्क लगा सकता है, आयात पर रोक लगा सकता है या व्यापारिक रियायतें वापस ले सकता है। इसका सबसे चर्चित उपयोग 2018 से चीन के विरुद्ध हुआ, जब चीनी आयात के एक बड़े हिस्से पर शुल्क लगाए गए। 2020 में USTR ने डिजिटल सेवा करों पर भी धारा 301 जाँचें खोलीं, जिनमें भारत का समकारी लेवी (equalisation levy) भी शामिल था। 2020 में WTO के एक पैनल ने चीन पर लगे अमेरिकी शुल्कों को WTO नियमों से असंगत पाया — जिससे पता चलता है कि धारा 301 एक एकतरफ़ा औज़ार है जो बहुपक्षीय कानून के साथ सहज नहीं बैठता।
2. IEEPA प्रतिबंधों का कानून है, इसीलिए उस पर टिके शुल्कों को कानूनी चुनौती दी जा सकती

— अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977 अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अनुमति देता है कि देश के बाहर से किसी असामान्य और असाधारण खतरे पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद वह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन को विनियमित करे या रोक दे। इसका प्रयोग मुख्यतः प्रतिबंधों के लिए हुआ है, जैसे परिसंपत्तियाँ फ्रीज़ करना। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद I, खंड 8 के तहत शुल्क लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है, इसलिए राष्ट्रपति तभी शुल्क लगा सकता है जब कोई कानून यह शक्ति उसे प्रत्यायोजित करे। द हिंदू द्वारा उल्लिखित फ़रवरी 2026 के फ़ैसले में कहा गया कि 'पारस्परिक' शुल्क IEEPA का अवैध उपयोग थे। अन्य कानून — जैसे धारा 301 और व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 (Trade Expansion Act of 1962) की धारा 232, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा वाला वह प्रावधान जिसके तहत 2018 में इस्पात और एल्युमिनियम पर शुल्क लगे — कार्यपालिका के पास अब भी उपलब्ध हैं।

3. **सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र का व्यवहार सभी सदस्यों के लिए समान शुल्क का WTO नियम है** — शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT) का अनुच्छेद I हर WTO सदस्य को बाध्य करता है कि वह किसी एक सदस्य को जो भी शुल्क-लाभ दे, वही बाकी सभी को भी दे। हर सदस्य 'बाध्य' (bound) शुल्क भी दर्ज करता है, यानी वह अधिकतम सीमा जिसे पार न करने का उसने वादा किया है, और उसके 'लागू' (applied) शुल्क इससे कम हो सकते हैं। इसके मुख्य अपवाद हैं: अनुच्छेद XXIV के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र और सीमा शुल्क संघ, 1979 के सक्षमकारी खंड (Enabling Clause) के तहत विकासशील देशों को विशेष व्यवहार (जो सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली का आधार है), और अनुच्छेद XXI के सुरक्षा अपवाद। अमेरिका ने जून 2019 में भारत के सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (Generalised System of Preferences) लाभ वापस ले लिए थे। जब अग्रवाल कहते हैं कि भारत MFN आधार पर व्यापार करता है, तो उनका आशय यह है कि भारत के शुल्क कानून से तय और बाध्य हैं, हर हफ़्ते कार्यकारी आदेश से नहीं बदलते।
4. **WTO की अपीलीय अदालत 2019 से बंद है, इसलिए एकतरफ़ा शुल्कों पर कानूनी अंकुश नाममात्र का है** — WTO का विवाद निपटान समझौता (Dispute Settlement Understanding) पैनलों और सात सदस्यों वाले एक स्थायी अपीलीय निकाय (Appellate Body) के समक्ष अपील के चरण की व्यवस्था करता है। अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 में काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने नई नियुक्तियाँ रोक दीं और अपील सुनने के लिए ज़रूरी न्यूनतम तीन सदस्य भी नहीं बचे। अब हारने वाला पक्ष पैनल रिपोर्ट के विरुद्ध 'शून्य में अपील' (appeal into the void) कर सकता है, जिससे रिपोर्ट कभी बाध्यकारी नहीं बनती। कुछ सदस्यों ने कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement) बनाई, लेकिन भारत उसका हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि देश अब मुक़दमा लड़ने के बजाय अमेरिका से द्विपक्षीय मोलभाव करते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS2 सीधे पूछता है कि विकसित देशों की नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है** — GS2 पाठ्यक्रम में "विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव" शामिल है। 2018 के GS2 प्रश्नपत्र में पूछा गया था कि 'व्यापार युद्ध' के संदर्भ में, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए, WTO को बचे रहने के लिए किन सुधारों की ज़रूरत है। धारा 301 जाँचें, IEEPA पर फ़ैसला और ग्राहम अधिनियम ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए ताज़ा प्रमाण हैं।
2. **प्रारंभिक परीक्षा WTO के सिद्धांत और व्यापार की शब्दावली परखती है, शुल्क दरें नहीं** — UPSC बार-बार WTO समझौते, MFN सिद्धांत और सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली जैसी अधिमन्य योजनाओं पर प्रश्न पूछ चुका है। धारा 301 या IEEPA क्या अधिकार देते हैं, या अपीलीय निकाय की स्थिति क्या है — ऐसा प्रश्न इसी दर्रे में ठीक बैठता है। आज की 18% या 19% दरें नहीं पूछी जाएंगी; उनके पीछे के प्रावधान पूछे जा सकते हैं।
3. **GS3 व्यापार नीति को श्रम-प्रधान निर्यातों के रोज़गार से जोड़ता है** — रिपोर्ट में जिन प्रतिस्पर्धियों के नाम हैं — वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान — वे वस्त्र जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं में भारत से होड़ करते हैं। निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता या विनिर्माण में रोज़गार पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में यह समझाना चाहिए कि ऑर्डर कहाँ जाएंगे, यह निरपेक्ष नहीं, बल्कि सापेक्ष शुल्क तय करता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- अमेरिका के व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को ऐसे विदेशी व्यापार व्यवहारों की जाँच करने और उनका जवाब देने का अधिकार देती है जिन्हें अनुचित, अतार्किक या भेदभावपूर्ण माना जाता है।
- अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय आपात आर्थिक शक्ति अधिनियम, 1977 राष्ट्रपति को किसी बाहरी खतरे पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन को विनियमित करने की अनुमति देता है।
- WTO का सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र संबंधी दायित्व शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य

विश्लेषण (ANALYSIS)

समझौते (GATT) के अनुच्छेद I में निहित है।

- अमेरिका के व्यापार विस्तार अधिनियम, 1962 की धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आयात-प्रतिबंध की अनुमति देती है और 2018 में इस्पात व एल्युमिनियम पर अमेरिकी शुल्कों का आधार यही थी।
- WTO के अपीलीय निकाय में सात सदस्य होते हैं और नई नियुक्तियाँ रोके जाने के कारण यह दिसंबर 2019 से अपीलें सुनने में असमर्थ है।
- 1979 का सक्षमकारी खंड विकासशील देशों को अधिमान्य शुल्क व्यवहार देने का WTO का कानूनी आधार है, जिसमें सामान्यीकृत अधिमान्य प्रणाली भी शामिल है।
- भारत उस बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था का पक्षकार नहीं है जिसे कुछ WTO सदस्यों ने कामचलाऊ अपील तंत्र के रूप में बनाया है।

1. भारत कम शुल्क के लिए नहीं, प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त (margin) के लिए मोलभाव कर रहा है — अमेरिका में कमीजें खरीदने वाला व्यापारी भारतीय, बांग्लादेशी और वियतनामी माल की पहुँच-लागत (landed price) की तुलना करता है, इसलिए असली मायने उनके शुल्कों के बीच के अंतर के हैं। 6 फरवरी के समझौते में भारत की बढ़त एक-दो प्रतिशत अंक की थी — छोटी, पर कम मार्जिन वाली वस्तुओं में निर्णायक। अगर पाकिस्तान 10% पर रहे और भारत फिर 18% पर पहुँच जाए, तो बढ़त दंड में बदल जाती है। इसलिए प्रतिस्पर्धियों पर नई धारा 301 जाँचों का इंतज़ार करना नई दिल्ली की दृष्टि से तर्कसंगत है। प्रतिपक्ष यह है कि इंतज़ार की भी अपनी कीमत है: निर्यातक और कारखाने क्षमता की योजना पूर्वानुमेयता के आधार पर बनाते हैं, और महीनों की अनिश्चितता अंतिम दर जो भी हो, ऑर्डर दूर भगा सकती है।
2. समय-सारिणी अब भारतीय वार्ताकार नहीं, अमेरिकी प्रक्रिया तय कर रही है — धारा 301 जाँच में निर्णय से पहले नोटिस, सार्वजनिक टिप्पणी और सुनवाई होती है, और रिपोर्ट के अनुसार अभी यह भी तय नहीं है कि नई जाँचें किन देशों पर होंगी। 3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों के साथ, अमेरिका की घरेलू राजनीति ही गति और निशाने दोनों तय करेगी। उस प्रक्रिया में भारत की कोई भूमिका नहीं है। इसका अर्थ है कि 30 सितंबर की गोयल-यात्रा समझौते को अंतिम रूप नहीं दे सकती, और यथार्थवादी क्षितिज हफ्तों का नहीं, महीनों का है। इस अंतराल का भारत के लिए सबसे अच्छा उपयोग यह है कि वह अधिमान्य ढाँचे को समझौते के पाठ में सुरक्षित करा ले, ताकि आगे वॉशिंगटन चाहे जो औज़ार अपनाए, बढ़त बची रहे।
3. अग्रवाल का MFN वाला तर्क भारत के किसी भी समझौते में छिपी विषमता को उजागर करता है — भारत के शुल्क कानून से तय होते हैं और WTO में बाध्य हैं, इसलिए भारत जो कटौती देता है वह टिकाऊ होती है। अमेरिकी शुल्क अब जाँचों के ज़रिए कार्यकारी कार्रवाई से तय होते हैं, जिन्हें कोई दूसरी जाँच या अदालत का कोई और फैसला बदल सकता है। इसलिए दोनों के बीच का समझौता भारत की स्थायी रियायत के बदले अमेरिका की वापस ली जा सकने वाली रियायत है। भारत को 'स्नैपबैक' (snapback) खंड या ऐसी प्रतिबद्धताएँ माँगनी चाहिए कि अमेरिकी शुल्क बदलने पर अधिमान्य बढ़त बहाल की जाएगी। अमेरिका का प्रत्युत्तर यह है कि हाल के वर्षों में भारत ने स्वयं बजट के ज़रिए अपने लागू शुल्क बढ़ाए हैं, इसलिए भारत उतना नियम-बद्ध नहीं है जितना वह दावा करता है।
4. वॉशिंगटन से पाकिस्तान पर शुल्क की उम्मीद व्यापार के तर्क से सही, पर विदेश नीति के लिहाज़ से असहज है — स्रोत का "रणनीतिक भूल" वाला वाक्यांश दिखाता है कि भारत का लाभ अब इस पर टिका है कि अमेरिका उसके पड़ोसियों की लागत बढ़ाए। यह उलटी दिशा की 'पड़ोसी को भिखारी बनाओ' (beggar-thy-neighbour) व्यापार नीति है: भारत अपनी उत्पादकता से नहीं, दूसरों को दंड मिलने से लाभ पाता है। यह भारतीय व्यापार नीति को श्रीलंका और बांग्लादेश के बारे में अमेरिकी फैसलों से भी बाँध देता है — उन देशों के बारे में जिन्हें भारत अपनी 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति के तहत साधता है। प्रतिस्पर्धात्मकता का अधिक टिकाऊ रास्ता है कम लॉजिस्टिक्स लागत और कारखानों का बेहतर पैमाना, जो कोई भी शुल्क-सूची नहीं दे सकती।
5. ग्राहम अधिनियम एक भारी धमकी है, जिसके उपयोग की सीमा तेल की कीमतें तय करती हैं — रूसी तेल के पाँच सबसे बड़े खरीदारों पर 100% तक के शुल्क लागू हुए तो वे कमर तोड़ देने वाले होंगे। लेकिन कानून अमेरिका के राष्ट्रीय हित में प्रतिबंधों को निलंबित करने की छूट देता है, और रिपोर्ट मध्यावधि चुनावों से पहले पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रशासन की चिंता का उल्लेख करती है। चूँकि भारत कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, रूसी तेल से ज़बरन हटने पर वैश्विक कीमतें चढ़ेंगी, जिसका नुकसान अमेरिकी मतदाताओं को भी होगा। इसलिए खरीदार के रूप में भारत का आकार उसे कुछ मोलभाव की ताकत देता है। प्रतिपक्ष यह है कि यह ताकत दोधारी है: धमकी भर से भारतीय निर्यातकों और रिफ़ाइनरों के लिए जोखिम-प्रीमियम बढ़ सकता है, भले उसका इस्तेमाल कभी न हो।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

“एकतरफ़ा व्यापार उपकरण बातचीत से तय शुल्कों की जगह लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका की

(POSSIBLE MAINS QUESTION)	व्यापार नीति का मुख्य हथियार बन गए हैं।” अटके हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और धारा 301 जाँचों के उपयोग के आलोक में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए तथा सुझाव दीजिए कि भारत को अपने हितों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — फरवरी 2026 के अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले से शुरुआत कीजिए जिसमें IEEPA के तहत लगे ‘पारस्परिक’ शुल्कों को अवैध ठहराया गया, और फिर मार्च 2026 में शुरू हुई धारा 301 जाँचों की ओर बदलाव बताइए। उल्लेख कीजिए कि 6 फरवरी के अंतरिम समझौते ने भारत को 18% की दर दी थी, जबकि उसके प्रतिद्वंद्वियों पर 19-20% था। मुख्य भाग — ये उपकरण कैसे काम करते हैं — व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 और USTR की भूमिका समझाइए, इसकी तुलना GATT अनुच्छेद I के MFN सिद्धांत से कीजिए, और बताइए कि WTO का अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय है। दिखाइए कि भारत ‘अतिरिक्त क्षमता’ जाँच (संभावित 8%, यानी फिर 18%) क्यों झेल रहा है, जबकि पाकिस्तान बलात् श्रम जाँच के तहत 10% चुकाता है। मुख्य भाग — प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव — तर्क दीजिए कि बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका से होड़ करने वाले श्रम-प्रधान क्षेत्रों में ऑर्डर सापेक्ष शुल्क से तय होते हैं। साथ ही रूसी तेल के बड़े आयातकों पर 100% तक शुल्क की ग्राहम अधिनियम वाली धमकी और उसके उपयोग की सीमाएँ जोड़िए। मुख्य भाग — भारत के विकल्प — समझौते के पाठ में स्नेपबैक खंडों के साथ अधिमान्य बढ़त दर्ज कराने, मुक्त व्यापार समझौतों के ज़रिए बाज़ार विविधीकरण, देश के भीतर लॉजिस्टिक्स और अनुपालन लागत घटाने, तथा WTO अपीलीय सुधार के लिए निरंतर समर्थन का सुझाव दीजिए। निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि जाँच से तय हुए शुल्क जाँच से ही पलटे जा सकते हैं, इसलिए भारत को पाठ में टिकाऊ बढ़त हासिल करनी चाहिए और ऐसी प्रतिस्पर्धात्मकता बनानी चाहिए जो दूसरों को दंड मिलने पर निर्भर न हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप अमेरिका से वार्ता कर रहे संयुक्त सचिव हैं। मंत्री चाहते हैं कि 30 सितंबर की यात्रा के दौरान समझौते की घोषणा हो जाए। आप क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ऐसे पाठ पर हुस्ताक्षर के विरुद्ध सलाह दूँगा जो भारत को 18% पर बाँध दे, जबकि प्रतिद्वंद्वी अलग-अलग जाँचों के तहत कम चुकाएँ, क्योंकि इससे हमारी बढ़त स्थायी रूप से हाथ से निकल जाएगी। इसके बजाय यात्रा का उपयोग अधिमान्य अंतरों के ढाँचे और अमेरिकी जाँचों से जुड़ी समय-सीमा पर सहमति के लिए किया जा सकता है। सिद्धांतों पर एक संयुक्त वक्तव्य घाटे की स्थिति में बँधे बिना प्रगति दिखा सकता है। मैं निर्यात संवर्धन परिषदों को भी जानकारी दूँगा, ताकि बाज़ार इस देरी को विफलता न समझे। प्रश्न 2. वस्त्र-निर्यात क्लस्टर के ज़िलाधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि अमेरिकी खरीदारों की अनिश्चितता से ऑर्डर घट रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? दृष्टिकोण (Approach): शुल्क बदलना मेरे हाथ में नहीं, पर ज़िले के नियंत्रण वाली लागतें मैं घटा सकता हूँ — जैसे मंज़ूरियों में देरी, बिजली आपूर्ति की समस्याएँ और अंतर्देशीय परिवहन की अड़चनें। मैं ज़िला निर्यात संवर्धन समिति की बैठक बुलाकर जोखिम में पड़ी इकाइयों की पहचान करूँगा और निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से उन्हें निर्यात ऋण और विविधीकरण सहायता से जोड़ूँगा। मैं क्लस्टर में रोज़गार पर भी नज़र रखूँगा, ताकि किसी छूटनी की जानकारी समय रहते मिले और श्रमिकों को कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जा सके। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत का यह चाहना उचित है कि अमेरिका पाकिस्तान और श्रीलंका पर शुल्क लगाए? दृष्टिकोण (Approach): व्यापार वार्ताओं में हर देश अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त चाहता है, इसलिए समान व्यवहार की माँग वैध है। लेकिन जिस नीति की सफलता पड़ोसियों को दंड मिलने पर टिकी हो, वह नाज़ुक होती है और श्रीलंका व बांग्लादेश जैसे देशों से रिश्ते बिगाड़ सकती है, जिन्हें भारत करीब रखना चाहता है। बेहतर लक्ष्य यह है कि भारत के साथ भेदभाव न हो, न कि दूसरों के साथ भेदभाव हो। दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पादकता से आनी चाहिए, जो भारत के अपने नियंत्रण में है।

2.2 भारतीय मध्यस्थता परिषद के प्रमुख की सलाह: नई व्यापार संधियों में वाणिज्यिक मध्यस्थता को जगह दे भारत

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। भारतीय मध्यस्थता परिषद (Indian Council of Arbitration) के महानिदेशक अरुण चावला ने द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में तर्क दिया है कि भारत की हालिया व्यापार और निवेश संधियाँ इस तरह लिखी जानी चाहिए कि वे देश के भीतर वाणिज्यिक मध्यस्थता (commercial arbitration) को मजबूत करें। द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty — BIT) दो देशों के बीच ऐसा समझौता है जो तय करता है कि प्रत्येक देश दूसरे के निवेशकों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, और प्रायः यह भी कि किसी निवेशक और मेज़बान सरकार के बीच विवाद कैसे निपटेंगे। मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement — FTA) शुल्क घटाता है और व्यापार के, कभी-कभी निवेश के भी, नियम तय करता है। चावला बताते हैं कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (2024), इज़राइल (2025) और उज़्बेकिस्तान (2024) के साथ BIT पर, तथा न्यूज़ीलैंड (अप्रैल 2026), यूनाइटेड किंगडम (जुलाई 2025), यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association — मार्च 2024) और ओमान (दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित) के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। बहस उनके आर्थिक लाभों और निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement — ISDS) पर केंद्रित रही है, जिसके तहत कोई विदेशी निवेशक मेज़बान राज्य के विरुद्ध किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में दावा कर सकता है। वाणिज्यिक मध्यस्थता इससे अलग है: यह किसी अनुबंध के तहत होने वाला निजी विवाद-समाधान है, जिसमें फ़ैसला अदालत नहीं, मध्यस्थ करते हैं। भारत में यह माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) से शासित होती है, जो घरेलू मध्यस्थता, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी पंचाटों (awards) के प्रवर्तन — तीनों को समेटता है। चावला तीन प्रस्ताव रखते हैं। पहला, भारत के हालिया FTA में सामान्यतः ISDS शामिल नहीं किया गया है। चूंकि भारत में निवेश का एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशकों और भारतीय राज्य एजेंसियों के बीच अनुबंधों के ज़रिए होता है, इसलिए भविष्य के FTA में — जैसा यूरोपीय संघ-ऑस्ट्रेलिया FTA में किया गया — यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि ISDS की ज़रूरत क्यों नहीं है; भारत के मामले में इसलिए कि वाणिज्यिक मध्यस्थता के उपचार भारत में उपलब्ध हैं। दूसरा, भारत के BIT में ISDS का प्रावधान तो है, पर उसे अनुबंध-विवादों से अलग रखा गया है: भारत-उज़्बेकिस्तान BIT “केवल अनुबंध के कथित उल्लंघन से उत्पन्न विवादों” को बाहर रखती है, और निवेशकों को एक निर्धारित अवधि तक घरेलू अदालतों या प्रशासनिक निकायों में स्थानीय उपचारों को पूरी तरह आजमाना (exhaust) होता है। यह शब्दावली भारत में स्थित (seated) वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायाधिकरणों को बाहर करती प्रतीत होती है, जिसका चावला को कोई कारण नहीं दिखता; इसलिए भविष्य की BIT में भारत में होने वाली मध्यस्थता को स्थानीय उपचार के रूप में गिना जाना चाहिए। तीसरा, भारत की BIT ISDS में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण (third-party funding) को हतोत्साहित करती है — यानी कोई बाहरी वित्तदाता किसी पंचाट में हिस्से के बदले दावेदार का कानूनी खर्च उठाए। वे लिखते हैं कि संप्रभु निर्णयों के विरुद्ध दावों के लिए यह समझ में आता है, लेकिन संधियों को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका अर्थ घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता में ऐसे वित्तपोषण पर रोक नहीं है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (निवेश मॉडल) और GS2 (द्विपक्षीय समझौते)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

White Industries (2011) जैसे निवेशक-राज्य पंचाटों और पूर्वव्यापी कर विवादों से भारत ISDS को लेकर सतर्क हो जाता है → 2015 का मॉडल BIT निवेशक-संरक्षण को सीमित करता है और स्थानीय उपचारों को पहले आजमाने की शर्त लगाता है, और FTA में ज्यादातर ISDS छोड़ दिया जाता है → विदेशी निवेशक, जो अधिकतर अनुबंधों के ज़रिए भारतीय राज्य एजेंसियों से व्यवहार करते हैं, अब भी भारतीय अदालतों से बाहर एक तटस्थ मंच चाहते हैं → भारतीय मध्यस्थता परिषद का तर्क है कि संधि का पाठ उन्हें भारत में स्थित वाणिज्यिक मध्यस्थता की ओर भेज सकता है → भारत की संधि-नीति मध्यस्थता केन्द्र (hub) खड़ा करने और पूंजी आकर्षित करने का औज़ार बन जाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता के लिए भारत की एकल संहिता है — यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर 1985 के UNCITRAL आदर्श कानून (UNCITRAL Model Law) पर आधारित है। भाग I भारत में स्थित मध्यस्थताओं — घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक दोनों — को शासित करता है, और धारा 34 अदालत को केवल सीमित आधारों पर ही किसी पंचाट को रद्द करने देती है। भाग II 1958 के न्यूयॉर्क अभिसमय (New York Convention) के तहत विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की व्यवस्था करता है; भारत ने 1960 में इसका अनुसमर्थन इन आरक्षणों के साथ किया था कि यह केवल वाणिज्यिक विवादों पर और पारस्परिकता के आधार पर अधिसूचित देशों पर लागू होगा। BALCO v. Kaiser Aluminium (2012) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाग I विदेश में स्थित मध्यस्थताओं पर लागू नहीं होता। 2015 के संशोधन ने धारा 29A के ज़रिए पंचाट देने की समय-सीमा तय की और चुनौती के ‘लोक नीति’ (public policy) आधार को संकुचित किया, और 2019 के संशोधन ने भाग IA में भारतीय मध्यस्थता परिषद (Arbitration Council of India) का प्रावधान किया।
2. एक निवेशक-राज्य मामला हारने के बाद भारत ने अपना निवेश संधि मॉडल नए सिरे से लिखा — White Industries v. India (2011) में भारत-ऑस्ट्रेलिया BIT के तहत गठित एक न्यायाधिकरण ने कहा कि भारतीय अदालतों में लंबी देरी के कारण भारत किसी मध्यस्थता पंचाट को लागू करने के प्रभावी साधन देने में विफल रहा। वोडाफ़ोन और केयन से जुड़े पूर्वव्यापी कराधान के विवादों के साथ मिलकर इसने भारत को 2015 में नया मॉडल BIT अपनाने के लिए प्रेरित किया। मॉडल BIT में निवेश की संकरी, उद्यम-आधारित परिभाषा है, सर्वाधिक अनुगृहीत राष्ट्र खंड नहीं है, कराधान उपायों को बाहर रखा गया है, और निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में जाने से पहले कम-से-कम पाँच वर्ष तक घरेलू उपचार आजमाने होते हैं। इसके बाद भारत ने अपनी अधिकांश पुरानी BIT को समाप्त करने के नोटिस दे दिए। कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (Taxation Laws (Amendment) Act, 2021) ने वे पूर्वव्यापी कर माँगें वापस ले लीं जिनके कारण वोडाफ़ोन और केयन मध्यस्थताएँ हुई थीं।
3. ISDS, वाणिज्यिक मध्यस्थता और स्थानीय उपचारों को पहले आजमाना — ये तीन अलग

	चीज़ें हैं — ISDS किसी विदेशी निवेशक का संधि-आधारित अधिकार है कि वह निष्पक्ष व्यवहार या अधिग्रहण (expropriation) से संरक्षण जैसे संधि-मानकों के उल्लंघन पर किसी राज्य के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण में दावा करे। वाणिज्यिक मध्यस्थता दो पक्षों के बीच — जिनमें कोई राज्य एजेंसी भी हो सकती है — अनुबंध से उत्पन्न होती है और चुने गए क़ानून व स्थान (seat) के तहत तय होती है। स्थानीय उपचारों को पहले आज़माना (exhaustion of local remedies) अंतरराष्ट्रीय क़ानून का वह सिद्धांत है जो दावेदार से अपेक्षा करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने से पहले मेज़बान देश के अपने उपचारों का उपयोग करे। चावला का प्रस्ताव है कि भारत में स्थित मध्यस्थता को ऐसे ही एक स्थानीय उपचार के रूप में माना जाए। 4. भारत में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण के लिए कोई समर्पित क़ानून नहीं है — तृतीय-पक्ष वित्तपोषण का अर्थ है कि कोई बाहरी वित्तदाता वसूल होने वाली राशि में हिस्से के बदले किसी पक्ष का क़ानूनी खर्च उठाए। कोई भी भारतीय क़ानून इसे सीधे विनियमित नहीं करता। Bar Council of India v. A.K. Balaji (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जो तीसरे पक्ष अधिवक्ता नहीं हैं, उनके द्वारा मुक़दमेबाज़ी का वित्तपोषण वर्जित नहीं है, जबकि बार काउंसिल के नियम अधिवक्ताओं को परिणाम से जुड़ी फ़ीस लेने से रोकते हैं। सिंगापुर और हांगकांग ने 2017 में अपने क़ानूनों में संशोधन करके अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण की अनुमति दी, और मध्यस्थता के स्थान के रूप में ये दोनों ही इस क्षेत्र में भारत के मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। संस्थागत स्तर पर भारत ने 2019 के एक अधिनियम से नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (New Delhi International Arbitration Centre) बनाया, जिसका 2022 में नाम बदलकर भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (India International Arbitration Centre) कर दिया गया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में निवेश मॉडल और GS2 में द्विपक्षीय समझौते स्पष्ट रूप से लिखे हैं — FDI का प्रवाह केवल कर दरों पर नहीं, संस्थाओं पर क्यों निर्भर करता है — इस पर लिखे उत्तर को मध्यस्थता वाला पहलू मज़बूत करता है: चावला के शब्दों में निवेशक पृच्छते हैं कि “जब रिश्ता टूटेगा तब क्या होगा”। पुरानी BIT से 2015 के मॉडल BIT तक और भारत-UAE व भारत-उज़्बेकिस्तान जैसी संधियों तक का विकास GS2 और GS3 का एक मानक विषय है। 2. व्यापार सुगमता की बहसों में अनुबंध प्रवर्तन बार-बार कमज़ोर कड़ी साबित होता है — विश्व बैंक की अब बंद हो चुकी डूडिंग बिज़नेस रिपोर्टों में भारत अनुबंध प्रवर्तन के पैमाने पर लंबे समय तक नीचे रहा, और न्यायिक विलंब तथा वैकल्पिक विवाद समाधान पर प्रश्न GS2 और निबंध प्रश्नपत्र में आते रहते हैं। यह लेख संधि-नीति और घरेलू विवाद-समाधान के बीच एक नई और टोस कड़ी देता है। 3. प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्यस्थता से जुड़े तथ्यों का एक स्थिर समूह है — न्यूयॉर्क अभिसमय, UNCITRAL आदर्श क़ानून, BALCO का स्थान-आधारित नियम, भारतीय मध्यस्थता परिषद और भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र — ये सभी स्थापित तथ्य हैं जो कथन-आधारित प्रश्नों के लिए उपयुक्त हैं। इनमें से कोई भी खबरों के चक्र के साथ नहीं बदलेगा।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL आदर्श क़ानून, 1985 पर आधारित है। ● माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का भाग II 1958 के न्यूयॉर्क अभिसमय के तहत विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन की व्यवस्था करता है, जिसे भारत केवल वाणिज्यिक विवादों पर और पारस्परिकता के आधार पर लागू करता है। ● BALCO v. Kaiser Aluminium (2012) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम का भाग I भारत के बाहर स्थित मध्यस्थताओं पर लागू नहीं होता। ● 2015 के संशोधन द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में जोड़ी गई धारा 29A मध्यस्थता पंचाट देने की समय-सीमा निर्धारित करती है। ● माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम में 2019 का संशोधन मध्यस्थता संस्थाओं की ग्रेडिंग करने और मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद का प्रावधान करता है। ● भारत का 2015 का मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि किसी विदेशी निवेशक से अपेक्षा करता है कि वह भारत के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले घरेलू उपचार, सामान्यतः कम-से-कम पाँच वर्ष तक, आज़माए। ● 2019 के एक अधिनियम द्वारा स्थापित नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का 2022 में नाम बदलकर भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. चावला ISDS से भारत के इनकार को ख़ूबी में बदलते हैं, पर तभी जब भारतीय प्रवर्तन काम करे — वे जिस EU-ऑस्ट्रेलिया भाषा को हवाला देते हैं, वह इसलिए चलती है कि दोनों पक्ष

एक-दूसरे की अदालतों पर भरोसा करते हैं। यह कहना कि भारत में वाणिज्यिक मध्यस्थता ISDS को अनावश्यक बना देती है, एक ऐसा दावा है जिसे विदेशी निवेशक पंचाटों के प्रवर्तन के अपने अनुभव पर परखेंगे। White Industries मामला ठीक इसी बारे में था कि भारतीय अदालतों ने एक पंचाट लागू करने में बहुत लंबा समय लिया। अगर राज्य एजेंसियों के विरुद्ध पंचाटों को धारा 34 के तहत चुनौती मिलती रही और वर्षों तक अपीलें चलती रहीं, तो प्रस्तावना का वादा संरक्षण का एक रूप नहीं, बल्कि उसका विकल्प लगेगा। प्रस्ताव की दिशा सही है, पर उसकी विश्वसनीयता संधि के मसौदे पर नहीं, अदालतों और सरकार के मुकदमेबाजी वाले व्यवहार पर टिकी है।

2. **‘स्थानीय उपचार’ वाला सुधार तीनों प्रस्तावों में सबसे सस्ता और सबसे उपयोगी है** — ISDS से पहले निवेशकों को एक निश्चित अवधि तक भारतीय अदालतों में जाने की शर्त का उद्देश्य यह है कि भारतीय व्यवस्था को किसी गलती को सुधारने का पहला मौका मिले। भारत में स्थित मध्यस्थता को इसमें गिनने से यही उद्देश्य उतनी ही अच्छी तरह सधता है, और निवेशक की नज़र में यह तेज़ और अधिक तटस्थ भी है। इससे भारतीय मध्यस्थों, वकीलों और संस्थाओं को काम भी मिलता है — जो इस कहानी का पूँजी और उद्यमिता वाला पक्ष है। प्रतिपक्ष सरकार के भीतर से आता है: वित्त मंत्रालय के 2024 के दिशानिर्देशों ने सलाह दी थी कि सार्वजनिक खरीद के अनुबंधों में, विशेषकर बड़े अनुबंधों में, मध्यस्थता को नियमित रूप से शामिल न किया जाए, क्योंकि राज्य को प्रतिकूल पंचाटों का अनुभव रहा है। जो सरकार देश के भीतर ही मध्यस्थता को लेकर संशय में हो, वह संधियों में उसका समर्थन करने में धीमी रहेगी।
3. **ISDS में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण को वाणिज्यिक मध्यस्थता वाले वित्तपोषण से अलग रखना ठीक है** — ISDS के दावे संप्रभु विनियमन को चुनौती देते हैं, इसलिए किसी कर या पर्यावरण कानून के विरुद्ध दावों को पैसा देने वाला निवेश कोष विनियामक ठिठकाव (regulatory chill) की वास्तविक चिंता पैदा करता है। किसी आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच वाणिज्यिक विवाद में यह चिंता नहीं होती, और वित्तपोषण पूँजी की कमी झेल रही कंपनी — अक्सर छोटी कंपनी — को एक वैध दावा आगे बढ़ाने में मदद करता है। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना नीतिगत भूल है। ईमानदार जोखिम यह है कि प्रकटीकरण नियमों के बिना वित्तपोषण मध्यस्थों के लिए हितों का टकराव पैदा कर सकता है, इसीलिए भारत को चुप्पी नहीं, एक विनियामक ढाँचा चाहिए।
4. **संधि का पाठ अकेले मध्यस्थता केंद्र नहीं बना सकता** — सिंगापुर और लंदन मध्यस्थता केंद्र इसलिए बने कि वहाँ भरोसेमंद संस्थाएँ हैं, मध्यस्थों का गहरा समूह है, और ऐसी अदालतें हैं जो पंचाटों में शायद ही दखल देती हैं। भारत ने कानून पारित कर दिए हैं और भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित कर दिया है, फिर भी भारतीय पक्षों से जुड़े ऊँचे मूल्य के विवादों का स्थान अक्सर विदेश में ही रहता है। संधि का मसौदा एक संकेत है: असली खिचाव गति, लागत और पूर्वानुमेय प्रवर्तन से आता है। चावला स्वयं कहते हैं कि भारत को हर संधि को मध्यस्थता-संधि बनाने की ज़रूरत नहीं — यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कठिन काम देश के भीतर है।
5. **भारत के संधि-नेटवर्क को वार्ताकार ही नहीं, निवेशक भी परख रहे हैं** — 2015 से भारत ने निवेशकों के मज़बूत संरक्षण के बजाय अधिक विनियामक स्वतंत्रता को चुना है, और पुरानी BIT समाप्त होने से कई निवेशक कुछ वर्षों तक संधि-संरक्षण से वंचित रहे। समर्थकों का तर्क है कि इससे नीतिगत गुंजाइश (policy space) बची और FDI फिर भी आता रहा। आलोचकों का उत्तर है कि जो पूँजी आई, उसकी क्रीमत शायद ऊँचे जोखिम के हिसाब से लगी, जिससे भारतीय परियोजनाओं के लिए पूँजी की लागत बढ़ी। संधियों को एक विश्वसनीय घरेलू मध्यस्थता व्यवस्था से जोड़ना इन दोनों स्थितियों के बीच का मध्य मार्ग है, और इसीलिए यह प्रस्ताव ध्यान देने योग्य है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत अपनी हालिया संधियों में निवेशक-राज्य विवाद निपटान से दूर हटा है, परंतु निवेशकों को अब भी विवाद सुलझाने का एक विश्वसनीय रास्ता चाहिए।” इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत में वाणिज्यिक मध्यस्थता को मज़बूत करने के लिए भारत की द्विपक्षीय निवेश संधियों और मुक्त व्यापार समझौतों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। भारत को वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बनाने के लिए कौन-से घरेलू सुधार आवश्यक हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — भारत की हालिया BIT (UAE, उज़्बेकिस्तान, इज़राइल) और FTA (EFTA, UK, ओमान, न्यूज़ीलैंड) का उल्लेख कीजिए और बताइए कि FTA में सामान्यतः ISDS छोड़ा गया है। ISDS और वाणिज्यिक मध्यस्थता को एक-एक पंक्ति में परिभाषित कीजिए।
2. **मुख्य भाग** — **भारत ISDS से पीछे क्यों हटा** — White Industries (2011), पूर्वव्यापी कर विवाद, स्थानीय उपचारों को पहले आजमाने की शर्त वाला 2015 का मॉडल BIT, और पुरानी BIT की समाप्ति को समझाइए।
3. **मुख्य भाग** — **संधि-स्तर के प्रस्ताव** — तीनों प्रस्ताव दीजिए: EU-ऑस्ट्रेलिया शैली का ऐसा पाठ जो बताए कि भारतीय वाणिज्यिक मध्यस्थता ISDS को अनावश्यक बनाती है; भारत में

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

स्थित मध्यस्थता को स्थानीय उपचार की शर्त पूरी करने देना; और यह स्पष्ट करना कि ISDS में तृतीय-पक्ष वित्तपोषण पर रोक घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता पर लागू नहीं होती।

4. मुख्य भाग — घरेलू सुधार — धारा 34 के तहत न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप, समयबद्ध प्रवर्तन, भारतीय मध्यस्थता परिषद को क्रियाशील बनाना, भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को मजबूत करना, तृतीय-पक्ष वित्तपोषण के लिए विनियामक ढाँचा, और सरकार के मुकदमेबाज़ी वाले व्यवहार में बदलाव — इन्हें सूचीबद्ध कीजिए।

5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि संधियाँ इरादे का संकेत दे सकती हैं, पर विश्वसनीयता प्रवर्तन से आती है, और एक भरोसेमंद मध्यस्थता व्यवस्था भारत के लिए पूंजी की लागत घटाती है।

प्रश्न 1. आप विधि कार्य विभाग के सचिव हैं। वित्त मंत्रालय मध्यस्थता को लेकर सशक्त है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय भारत को केंद्र के रूप में बढ़ावा देना चाहता है। आप दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे?

दृष्टिकोण (Approach): वित्त मंत्रालय की चिंता खराब ढंग से तैयार किए गए अनुबंधों और सरकारी मामलों की कमजोर पैरवी को लेकर है, स्वयं मध्यस्थता को लेकर नहीं। मैं भारत में स्थित संस्थागत मध्यस्थता वाले मानक अनुबंध-खंड, प्रशिक्षित सरकारी वकील, और पंचाटों के विरुद्ध नियमित रूप से अपील न करने की नीति का प्रस्ताव रखूंगा। साथ ही, संधि का पाठ निवेशकों को भारतीय मध्यस्थता की ओर भेज सकता है। अगर राज्य गुण-दोष के आधार पर मामले जीते और हारने पर तुरंत भुगतान करे, तो दोनों मंत्रालयों को लाभ होगा।

प्रश्न 2. किसी राज्य अवसंरचना निगम के प्रमुख के रूप में आपके सामने एक विदेशी ठेकेदार के पक्ष में मध्यस्थता पंचाट आया है। आपकी कानूनी टीम इसे चुनौती देना चाहती है। आप किन बातों पर विचार करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं जाँचूंगा कि क्या पंचाट को धारा 34 के तहत चुनौती देने के वास्तविक आधार हैं — जैसे क्षेत्राधिकार का अभाव या लोक नीति से टकराव — या अपील केवल भुगतान टालने के लिए है। किसी ठोस पंचाट को टालने से व्याज का बोझ बढ़ता है और निवेशकों के बीच राज्य की साख को चोट पहुँचती है। मामला कमजोर हो तो मैं भुगतान या बातचीत से समझौते की सिफारिश करूंगा और उसके कारण दर्ज करूंगा। निर्णय कानूनी और वित्तीय सदस्यों वाली एक समिति को लेने चाहिए, ताकि अधिकारी समझौता करने पर दोष लगने से न डरे।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पछुता है: क्या भारत में मध्यस्थता के तृतीय-पक्ष वित्तपोषण की अनुमति होनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): स्पष्ट नियमों के साथ इसकी अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि यह वैध दावों पर कम पैसे वाले पक्षों — छोटी कंपनियों सहित — को न्याय पाने में मदद करता है। इसके जोखिम हैं हितों का टकराव और सट्टेबाज़ी के लिए कमजोर दावों का वित्तपोषण। ऐसा ढाँचा, जिसमें न्यायाधिकरण और विरोधी पक्ष के सामने वित्तदाता का प्रकटीकरण अनिवार्य हो और लागत संबंधी आदेश दिए जा सकें, इन जोखिमों को संभाल लेगा। संप्रभु विनियामक निर्णयों के विरुद्ध दावों के साथ सामान्य वाणिज्यिक विवादों की तुलना में अधिक सख्ती बरती जा सकती है।

2.3 खान सचिव की खनन ब्लॉकों पर 'कब्ज़ा जमाकर बैठने' के विरुद्ध चेतावनी, लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना शुरू होने को

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, केंद्रीय खान सचिव केशव चंद्र ने मंगलवार को फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज़ (FIMI) की 60वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि कुछ खनिक समय पर संचालन शुरू किए बिना अपने ब्लॉक दबाकर बैठे रहते हैं — इस प्रवृत्ति को उन्होंने 'स्क्वैटिंग' (squatting) यानी कब्ज़ा जमाकर बैठना कहा और इसे ऐसी चिंता बताया जिसका समाधान उद्योग को करना होगा। चंद्र ने समझाया कि खनन मंजूरियों की एक "कठिन" प्रक्रिया के बाद शुरू होता है, जिसमें वन और पर्यावरण मंजूरियाँ भी शामिल हैं। खनन पट्टे (mining lease) पर हस्ताक्षर होने के बाद खनिकों से अपेक्षा होती है कि वे एक "पर्याप्त" अवधि के भीतर संचालन शुरू कर दें, फिर भी कुछ ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा, "इससे [देश की] खनिज संपदा प्रभावित होती है; उत्पादन से समझौता होता है," और जोड़ा कि उन्होंने सदस्यों से संचालन तेज़ करने और नियमों का उल्लंघन न करने को कहा है। उन्होंने कहा, "स्क्वैटिंग से किसी का भला नहीं होगा। यह सट्टेबाज़ी है, इसलिए किसी भी गतिविधि को सट्टेबाज़ी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।" सीधे शब्दों में, ब्लॉक जीतने वाली कंपनी उससे उत्पादन करने के बजाय उसे ऐसी परिसंपत्ति मानकर बैठ सकती है जिसका मूल्य बढ़ सकता है। अलग से, उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम अफ्रीका के माली में एक रूसी लिथियम निष्कर्षण परियोजना पर "बहुत खुले मन से" विचार कर रहा है। रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम ने पिछले वर्ष भारत से संपर्क किया था; खबरों के अनुसार माली की राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह समझौता रोक दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि लिथियम और निकल के घरेलू प्रसंस्करण के लिए एक "बहुत बड़ी" योजना "बहुत जल्द" शुरू की जाएगी, ताकि इन दोनों खनिजों पर निर्भर पूरे बैटरी पारितंत्र का स्थानीयकरण हो सके; द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मंजूरियाँ मिलने के बाद विवरण सामने आएंगे। अप्रैल में पूर्व खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा था कि प्रसंस्करण नीति के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े दो अनाम खनिज चुने गए हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) प्रसंस्करण पार्कों के लिए चार राज्यों की पहचान भी की है, जिनमें से हर पार्क की योजना एक खनिज के संपूर्ण

पारितंत्र के रूप में बनाई गई है। गुजरात, जहाँ पहले से भारी दुर्लभ मृदा तत्व (heavy rare earth elements) हैं और जिसने सज्जीकरण (beneficiation — कच्चे अयस्क को समृद्ध सांद्र में बदलना) और प्रसंस्करण की तकनीक विकसित कर ली है, तथा दुर्लभ मृदा गलियारे के लिए चिह्नित आंध्र प्रदेश — ये दोनों दुर्लभ मृदा पर ध्यान देंगे। ओडिशा, जिसके पास अपने निकल भंडार हैं और जिसकी पूर्वी अवस्थिति इंडोनेशिया व अन्य देशों से आयातित निकल का प्रसंस्करण आसान बनाती है, निकल लेगा, और महाराष्ट्र लिथियम। भारत के पास महत्वपूर्ण खनिजों की प्रसंस्करण क्षमता बहुत कम है और वह कोबाल्ट, लिथियम, निकल, दुर्लभ मृदा तत्वों और सिलिकॉन के लिए 100% आयात पर निर्भर है। यह खबर उत्पादन के दो कारकों को हिलाती है: निष्क्रिय पट्टों में फँसी भूमि, और देश में प्रसंस्करण के लिए पूँजी। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 (खनिज संसाधन, औद्योगिक नीति)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2015 से लागू नीलामी व्यवस्था में खनिक ब्लॉकों के लिए ऊँचे प्रीमियम की बोली लगाते हैं → कुछ पट्टाधारक मंजूरियाँ मिलने के बाद भी ब्लॉकों का उत्पादन के बजाय सट्टे की परिसंपत्ति मानकर दबाए बैठे रहते हैं → खनिज भूमि निष्क्रिय पड़ी रहती है और उत्पादन पिछड़ता है, ठीक उस समय जब बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स खनिजों की मांग बढ़ रही है → भारत लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर बना रहता है और उसके पास लगभग कोई प्रसंस्करण क्षमता नहीं → केन्द्र तीन मोर्चों पर ज़ोर लगाता है: स्वैटिंग पर चेतावनी, अस्थिर माली तक में विदेशी स्रोत, और चार राज्यों में खनिज-विशिष्ट पार्कों वाली लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. MMDR अधिनियम नीलामी को खनन का एकमात्र द्वार बनाता है और उत्पादन की समय-सीमा तय करता है — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़कर सभी खनिजों का मूल कानून है। इसके 2015 के संशोधन ने खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस (composite licence) देने के लिए नीलामी को एकमात्र तरीका बना दिया, पट्टे की अवधि 50 वर्ष तय की, और ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundations) तथा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust) बनाए। धारा 4A(4) के तहत यदि पट्टा निष्पादित होने के दो वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू न हो, या खनन दो वर्ष तक बंद रहे, तो खनन पट्टा व्यपगत (lapse) हो जाता है, हालाँकि आवेदन पर राज्य सरकार यह अवधि बढ़ा सकती है। अधिकांश पट्टे राज्य देते हैं और रॉयल्टी भी उन्हें मिलती है, क्योंकि खनिज राज्य सूची की प्रविष्टि 23 में आते हैं, जो संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत संघ के विनियमन के अधीन है।
2. 2023 के संशोधन ने महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी का नियंत्रण केंद्र को दिया — खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 ने पहली अनुसूची में भाग D जोड़ा, जिसमें 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज सूचीबद्ध हैं, और केंद्र सरकार को इनके लिए रियायतों की नीलामी का अधिकार दिया। इसने लिथियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया, ताकि निजी कंपनियाँ उनका अन्वेषण और खनन कर सकें। इसने गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के निजी अन्वेषण को आकर्षित करने के लिए एक अन्वेषण लाइसेंस (exploration licence) भी बनाया। खान मंत्रालय ने 2023 में अलग से 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान की थी, और अन्वेषण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण तथा विदेशों में अधिग्रहण को समेटने के लिए 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission) शुरू किया गया।
3. बैटरी खनिजों में असली अड़चन खनन नहीं, प्रसंस्करण है — खनन से अयस्क मिलता है, पर बैटरी को लिथियम कार्बोनेट या निकल सल्फ़ेट जैसे परिष्कृत रसायन चाहिए, जिनके लिए प्रसंस्करण संयंत्र, अभिकर्मक (reagents) और तकनीक चाहिए। लिथियम और दुर्लभ मृदा में इस मध्य चरण पर चीन का प्रभुत्व है, और दिसंबर 2023 में उसने दुर्लभ मृदा के निष्कर्षण और पृथक्करण (separation) की तकनीकों के निर्यात पर रोक लगा दी। इंडोनेशिया ने देश में ही प्रसंस्करण के लिए बाध्य करने हेतु 2020 से निकल अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसीलिए इंडोनेशिया से आयातित निकल अब अधिकतर प्रसंस्कृत मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में मिलता है। उन्नत रसायन सेल (advanced chemistry cell) बैटरियों के लिए 2021 में मंजूर भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना सेल विनिर्माण को सहायता देती है, लेकिन सेलों को कच्चे माल के रूप में प्रसंस्कृत खनिज चाहिए।
4. भारत KABIL और साझेदारियों के ज़रिए विदेशों में खनिज सुरक्षित करता है — खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (Khanij Bidesh India Ltd — KABIL) तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों — नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) — का संयुक्त उद्यम है, जिसे विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के लिए बनाया गया। इसने 2024 में अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम अन्वेषण ब्लॉकों के लिए समझौता किया। भारत 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership) में शामिल हुआ। देश के भीतर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2023 में जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संसाधन (inferred resources) की सूचना दी, लेकिन अनुमानित संसाधन प्रारंभिक चरण का आकलन है, खनन-योग्य भंडार नहीं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- GS1 और GS3 दोनों खनिज संसाधनों के वितरण और सुरक्षा पर प्रश्न पूछते हैं** — GS1 पाठ्यक्रम में दक्षिण एशिया सहित विश्व भर में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण शामिल है, और GS3 में अवसंरचना तथा औद्योगिक नीति। ऊर्जा संक्रमण के गति पकड़ने के बाद से महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ मृदा और चीन पर आपूर्ति-शृंखला की निर्भरता पर प्रश्न नियमित हो गए हैं। चार राज्यों वाली प्रसंस्करण योजना मानचित्र-आधारित एक तैयार उदाहरण है।
- प्रारंभिक परीक्षा को MMDR अधिनियम की अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण खनिजों की सूची बहुत प्रिय है** — कथन-आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं कि महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी कौन-सा प्राधिकरण करता है, कौन-से खनिज परमाणु सूची से हटाए गए, या KABIL क्या है। खनिजों की अवस्थिति — जैसे ओडिशा में निकल या पूर्वी तट के साथ दुर्लभ मृदा वाली तटीय रेत — भूगोल की पारंपरिक सामग्री है।
- मुख्य परीक्षा खनन को भूमि, संघवाद और सट्टेबाजी से जोड़ती है** — UPSC खनन क्षेत्र की समस्याओं और विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन पर प्रश्न पूछ चुका है। 'स्क्वैटिंग' इसमें शासन का एक आयाम जोड़ता है: आवंटित संसाधन का उपयोग न होना राज्य के राजस्व और देश के उत्पादन, दोनों का नुकसान है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों को छोड़कर — जो अलग प्रावधानों से शासित हैं — अन्य खनिजों के खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस देने का एकमात्र तरीका नीलामी बन गया।
- MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 4A(4) प्रावधान करती है कि यदि पट्टा निष्पादित होने के दो वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू न हो या खनन दो वर्ष तक बंद रहे, तो खनन पट्टा व्यपगत हो जाता है, बशर्ते राज्य सरकार अवधि न बढ़ाए।
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 ने पहली अनुसूची में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की सूची वाला भाग D जोड़ा, जिनकी नीलामी केंद्र सरकार करती है।
- MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 ने लिथियम को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया, जिससे इसका अन्वेषण और खनन निजी क्षेत्र के लिए खुल गया।
- खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियाँ अर्जित करने के लिए NALCO, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है।
- Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India (2024) में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि रॉयल्टी कर नहीं है और राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं।
- भारत 2023 में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति-शृंखलाओं पर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल, खनिज सुरक्षा साझेदारी, का सदस्य बना।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- स्क्वैटिंग ब्लॉक बेचने के तरीके का स्वाभाविक और पूर्वानुमेय परिणाम है** — जब कोई कंपनी किसी ब्लॉक के लिए ऊँचे प्रीमियम की बोली लगाती है, तो वह खनन की जगह जितनी ही भविष्य की खनिज क्रीमों पर एक विकल्प (option) भी खरीद रही होती है। अगर क्रीमों कम हों या मंजूरियाँ धीमी, तो उत्पादन करने से इंतज़ार करना सस्ता पड़ता है, और निष्क्रिय पड़ा ब्लॉक किसी प्रतिद्वंद्वी को बाहर भी रखता है। अर्थशास्त्र की भाषा में यह सट्टेबाजी है, और चंद्र सही हैं कि यह नीलामी के उद्देश्य को ही विफल कर देती है। क़ानून पहले से ही उत्पादन के बिना दो वर्ष बाद पट्टे के व्यपगत होने की अनुमति देता है, लेकिन अवधि-विस्तार और ढीला प्रवर्तन इस धमकी की धार कुंद कर देते हैं। उपाय है सख्त पड़ाव (milestones), जिनके चूकने पर निष्पादन प्रतिभूति (performance security) स्वतः ज़ब्त हो, और राज्यों द्वारा इसका एकरूप प्रवर्तन।
- मंजूरियों को लेकर खनिकों का प्रतितर्क आंशिक रूप से सही है** — चंद्र ने स्वयं मंजूरी प्रक्रिया को "कठिन" बताया, जिसमें वन और पर्यावरण मंजूरियाँ शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की सहमति और वन भूमि के हस्तांतरण में वर्षों लग सकते हैं, और इनके कारण देरी झेल रही कंपनी स्क्वैटिंग नहीं कर रही। एक ही ठप्पा लगाने से कंपनियों को राज्य की अपनी देरी की सज़ा मिलने का खतरा है। प्रशासनिक काम यह है कि पाइपलाइन में अटकी कंपनियों को उन कंपनियों से अलग किया जाए जिनके पास सारी मंजूरियाँ हैं और फिर भी वे उत्पादन नहीं करतीं। मंजूरियों और उत्पादन की ब्लॉक-वार स्थिति प्रकाशित करने से यह भेद साफ़ दिखने लगेगा।
- ‘एक राज्य, एक खनिज’ वाले पार्क वहीं कारगर हैं जहाँ कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित हो** — एक खनिज के इर्द-गिर्द प्रसंस्करण, अभिकर्मक आपूर्तिकर्ताओं और कुशल श्रम को इकट्ठा करने से क्लस्टर के कारण लागत घटती है। गुजरात की मौजूदा भारी दुर्लभ मृदा तकनीक और

ओडिशा के निकल भंडार व पूर्वी बंदरगाहों तक पहुँच वास्तविक लाभ हैं। लेकिन महाराष्ट्र का लिथियम पार्क लगभग पूरी तरह आयातित अयस्क या सांद्र पर निर्भर होगा, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर लिथियम पैदा नहीं करता। सुनिश्चित कच्चे माल के बिना पार्क एक खाली औद्योगिक संपदा बनकर रह जाता है, इसलिए लिथियम योजना को KABIL या निजी कंपनियों के ज़रिए विदेशी आपूर्ति अनुबंधों से जोड़ना होगा। प्रतिपक्ष यह है कि जापान और दक्षिण कोरिया सहित हर जगह प्रसंस्करण केंद्र आयातित अयस्क पर चलते हैं, इसलिए स्थानीय खानों से ज़्यादा बंदरगाहों और माँग से निकटता मायने रख सकती है।

4. माली दिखाता है कि अस्थिर जगहों पर खनिजों के पीछे भागने की कीमत क्या है — संसाधन सुरक्षा भारत को उन देशों की ओर धकेलती है जिनसे दूसरे बचते हैं, और माली में एक रूसी सरकारी साझेदार दो तरह के जोखिम एक साथ जोड़ता है। माली में 2020 से सैन्य तत्त्वापलट हुए हैं, वह पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States) से अलग हो चुका है, और उसने 2023 में परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी खनन संहिता संशोधित की। किसी रूसी सरकारी निगम के साथ साझेदारी में प्रतिबंधों का जोखिम भी है, और वह भी ऐसे समय जब अमेरिका ने अभी-अभी रूसी तेल के खरीदारों के विरुद्ध शुल्कों का हथियार उठाया है। चंद्र के सधे हुए शब्द — “सभी संभावनाओं को देख रहे हैं” — प्रतिबद्धता के बजाय टटोलने का संकेत देते हैं। प्रतिपक्ष यह है कि स्थिर क्षेत्राधिकारों पर पहले ही अमीर खरीदारों के अनुबंध हो चुके हैं, और देर से आने वालों को कोई भी पहुँच पाने के लिए ऊँचा जोखिम स्वीकारना ही पड़ता है।
5. प्रसंस्करण योजना केवल सब्सिडी से नहीं, तकनीक और पक्के खरीदारों से सफल होगी — प्रसंस्करण संयंत्र भारी पूँजी वाले होते हैं और केवल बड़े पैमाने पर ही लाभदायक होते हैं, और चीन द्वारा पृथक्करण तकनीक के निर्यात पर रोक का अर्थ है कि भारत को यह तकनीक खुद विकसित करनी होगी या कहीं और से लाइसेंस पर लेनी होगी। सब्सिडी लागत का अंतर पाट सकती है, पर जानकारी (know-how) पैदा नहीं कर सकती। इसलिए योजना को मौजूदा प्रोत्साहन योजना के तहत बैटरी सेल निर्माताओं की माँग से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि प्रसंस्करणकर्ताओं को खरीदार मिलें। इसमें पुरानी बैटरियों का पुनर्चक्रण भी शामिल होना चाहिए, जो नए खनन के बिना लिथियम और निकल दे सकता है। इस जुड़ाव के बिना भारत ऐसी क्षमता खड़ी करने का जोखिम उठाता है जो चीनी कीमतों से होड़ नहीं कर पाएगी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति खानें अर्जित करने पर केंद्रित रही है, परंतु वास्तविक निर्भरता प्रसंस्करण में है।” लिथियम, निकल और दुर्लभ मृदा के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के हालिया कदमों के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। साथ ही चर्चा कीजिए कि खनन पट्टों को सट्टे के लिए दबाकर रखना नीलामी व्यवस्था के उद्देश्यों को कैसे कमज़ोर करता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताइए कि भारत कोबाल्ट, लिथियम, निकल, दुर्लभ मृदा तत्वों और सिलिकॉन के लिए 100% आयात पर निर्भर है और उसके पास प्रसंस्करण क्षमता बहुत कम है, तथा खान सचिव ने लिथियम-निकल प्रसंस्करण योजना की घोषणा की है।
2. मुख्य भाग — प्रसंस्करण की खाई — खनन और प्रसंस्करण का अंतर, चीन का प्रभुत्व और पृथक्करण तकनीक के निर्यात पर उसकी 2023 की रोक, तथा इंडोनेशिया का अयस्क-निर्यात प्रतिबंध समझाइए। चार प्रसंस्करण पार्कों का वर्णन कीजिए: दुर्लभ मृदा के लिए गुजरात और आंध्र प्रदेश, निकल के लिए ओडिशा, लिथियम के लिए महाराष्ट्र।
3. मुख्य भाग — विदेशों से आपूर्ति — KABIL के अर्जेंटीना ब्लॉक, खनिज सुरक्षा साझेदारी, और माली की रूसी लिथियम परियोजना तथा उससे जुड़े राजनीतिक व प्रतिबंध-संबंधी जोखिमों को शामिल कीजिए।
4. मुख्य भाग — स्क्वैटिंग और नीलामी व्यवस्था — MMDR अधिनियम के 2015 और 2023 के संशोधन, धारा 4A(4) के तहत दो वर्ष में व्यपगत होने का नियम, विजेता ब्लॉकों को निष्क्रिय क्यों रख सकते हैं, और वन व पर्यावरण मंजूरीयों में होने वाली वास्तविक देरी समझाइए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि घरेलू ब्लॉकों से उत्पादन, पक्के खरीदारों के साथ प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण मिलकर निर्भरता को केवल विदेशी अधिग्रहणों से कहीं अधिक घटाते हैं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. किसी राज्य के खान निदेशक के रूप में आप पाते हैं कि सभी मंजूरीयों वाले कई नीलाम किए गए ब्लॉकों में दो वर्ष बाद भी कोई उत्पादन नहीं है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले हर मामले का सत्यापन करूँगा: क्या सभी मंजूरीयाँ वास्तव में हाथ में हैं, और देरी पट्टाधारक के कारण है या सरकार की किसी लंबित कार्रवाई के कारण। जिन पट्टाधारकों के पास कोई वैध कारण नहीं, उन्हें मैं पट्टे की शर्तों और MMDR अधिनियम के व्यपगत प्रावधान के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करूँगा, और जहाँ नियम अनुमति दें वहाँ निष्पादन प्रतिभूति का उपयोग करूँगा। मैं ब्लॉक-वार स्थिति की सूची प्रकाशित करूँगा, ताकि

जनता और केंद्र प्रगति देख सकें। राज्य-स्तरीय मंजूरीयों में अटकी कंपनियों की एकल-खिडकी समीक्षा के ज़रिए मदद की जानी चाहिए।

प्रश्न 2. आप खान सचिव हैं। एक रूसी सरकारी कंपनी भारत को माली की एक लिथियम परियोजना में हिस्सेदारी की पेशकश करती है। आप किन कारकों को तौलेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं परियोजना के भूविज्ञान और लागत, सुरक्षा स्थिति और माली की खनन संहिता, तथा रूसी संस्थाओं पर पश्चिमी प्रतिबंधों के जोखिम का आकलन करूंगा। माली और उस क्षेत्र के साथ संबंधों पर मैं विदेश मंत्रालय से परामर्श करूंगा। तकनीकी अध्ययन और छोटी अन्वेषण प्रतिबद्धताओं से शुरू होने वाला चरणबद्ध दृष्टिकोण जोखिम को सीमित करेगा। किसी भी समझौते में उठान अधिकार (offtake rights) सुनिश्चित होने चाहिए, ताकि खनिज वास्तव में भारत पहुँचें।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: अगर कंपनी ने नीलामी में खनन ब्लॉक का दाम चुकाया है, तो क्या उसे दबाकर बैठना सचमुच ग़लत है?

दृष्टिकोण (Approach): खनिज जनता के हैं, और राज्य पट्टा इसलिए देता है कि अर्थव्यवस्था के लिए उनका निष्कर्षण हो, न कि उन्हें वित्तीय दाँव की तरह रखा जाए। निष्क्रिय ब्लॉकों का अर्थ है राज्य के लिए रॉयल्टी का नुकसान, स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार का नुकसान और उद्योग के लिए आपूर्ति का नुकसान। जो कंपनी किसी ब्लॉक का दाम चुकाती है, वह उसे कानूनी समय में विकसित करने का दायित्व भी स्वीकार करती है। अगर वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकती, तो उसे ब्लॉक सौंप देना चाहिए, ताकि कोई और उसमें खनन कर सके।

2.4 केंद्र ने राज्यों को बढ़ती उम्र, AI और जलवायु के दबावों से आगाह किया, मुंबई देश के सबसे बड़े नगरपालिका बॉन्ड की तैयारी में

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और मुंबई। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, केंद्र ने सप्ताहांत में राज्यों के साथ एक पृष्ठभूमि पत्र साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि बढ़ती उम्र की आबादी, तीव्र तकनीकी बदलाव, शहरीकरण और जलवायु जोखिम जिस तरह राज्यों के व्यय को नया रूप दे रहे हैं, उसे देखते हुए राज्यों को अपनी व्यय-प्राथमिकताएँ पूरी तरह बदलनी होंगी और वित्त को मज़बूत करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह पत्र 18-19 सितंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाले सम्मेलन से पहले प्रसारित किया। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की संगीता दास और वी. धन्या ने लिखा है। पत्र बताता है कि सामान्य सरकार (general government) के व्यय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा राज्यों का है। 'सामान्य सरकार' का अर्थ है केंद्र और राज्य को एक साथ लेना, उनके बीच के हस्तांतरणों को घटाकर — इसलिए इस आँकड़े का अर्थ यह है कि भारत में अधिकांश सार्वजनिक धन वास्तव में राज्य खर्च करते हैं। पत्र कहता है कि इसी कारण, जब भारत 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, तब विकास को बनाए रखने, मानव पूँजी के निर्माण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने में राज्यों की राजकोषीय क्षमता, उनके व्यय की गुणवत्ता और उनके निवेश निर्णय निर्णायक होंगे। इसके अनुमान के अनुसार उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भारत को वास्तविक रूप में — यानी मुद्रास्फीति का प्रभाव हटाकर — हर वर्ष लगभग 8% की दर से बढ़ना होगा, जिससे अपने सार्वजनिक वित्त को टिकाऊ रखने का दायित्व राज्यों पर आ जाता है। राजकोषीय क्षमता (fiscal capacity) का अर्थ है किसी सरकार की अपने वित्त को खर्च में डाले बिना राजस्व जुटाने और उधार लेने की सामर्थ्य; व्यय की गुणवत्ता (quality of spending) मोटे तौर पर इस बात को दर्शाती है कि कितना धन भविष्य का उत्पादन बढ़ाने वाली परिसंपत्तियों और सेवाओं पर जाता है और कितना वेतन, पेंशन और ब्याज जैसी प्रतिबद्ध मदों पर। उसी पृष्ठ पर रॉयटर्स की खबर है कि मुंबई का शासन चलाने वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अपने पहले बॉन्ड निर्गम के ज़रिए लगभग 95 अरब रुपये (क़रीब ₹9,500 करोड़, या 99.2 करोड़ डॉलर) जुटाने की योजना बना रही है — जो भारत में किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी राशि होगी। नाम न छापने की शर्त पर दो सूत्रों ने बताया कि यह राशि एक या अधिक किस्तों (tranches) में जुटाई जाएगी और पहली बिक्री वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में, मार्च तक होनी है; निगम ने टिप्पणी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया। नगरपालिका बॉन्ड (municipal bond) वह ऋण है जो कोई नगर सरकार निवेशकों से लेती है और नियमित ब्याज व मूलधन लौटाने का वादा करती है, आमतौर पर सड़क, जलापूर्ति और सीवरेज जैसी अवसंरचना के लिए धन जुटाने हेतु। दोनों खबरें एक-दूसरे से जुड़ी हैं: पत्र कहता है कि शहरीकरण और जलवायु जोखिम अधिक खर्च की माँग करेंगे, और BMC दिखाती है कि एक शहर इसके लिए पूँजी बाज़ार का दरवाज़ा खटखटा रहा है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 (राजकोषीय संघवाद, स्थानीय शासन) और GS3 (बजट निर्माण, संसाधन जुटाना)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

संविधान स्वास्थ्य, पुलिस, जल, नगरीय सेवाएँ और समाज कल्याण का बड़ा हिस्सा राज्यों और स्थानीय निकायों को सौंपता है → राज्य सामान्य सरकार के व्यय का लगभग दो-तिहाई करते हैं, जबकि अधिक उछाल वाले कर केंद्र के पास हैं → बढ़ती उम्र, AI से बदलते रोज़गार, तेज़ शहरीकरण और जलवायु जोखिम राज्यों के बजट पर नए, दीर्घकालिक दावे जोड़ते हैं → केंद्र RBI द्वारा लिखे एक पत्र के ज़रिए राज्यों से कहता है कि 2047 तक 8% वास्तविक वृद्धि को सहारा देने के लिए वे व्यय की प्राथमिकताएँ बदलें और वित्त को टिकाऊ रखें → कमज़ोर हस्तांतरण वाले शहर पूँजी बाज़ार की ओर मुड़ते हैं, और BMC लगभग ₹9,500 करोड़ के पहले बॉन्ड की योजना बनाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. संविधान राज्यों को अधिकांश व्यय-दायित्व देता है, पर राजस्व के स्रोत कम — सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में लोक व्यवस्था और पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, जल और

स्थानीय शासन आते हैं, जबकि शिक्षा 1976 में 42वें संशोधन के ज़रिए समवर्ती सूची में चली गई। आयकर और निगम कर जैसे सबसे अधिक लोचदार कर संघ के नियंत्रण में हैं, और 2017 में GST के बाद राज्यों ने अपनी अधिकांश अप्रत्यक्ष कर शक्तियाँ साझा कोष में डाल दीं। इस असंतुलन को, जिसे ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (vertical fiscal imbalance) कहते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश पर होने वाले कर हस्तांतरण (tax devolution) से ठीक किया जाता है। अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाला सोलहवाँ वित्त आयोग 2026-27 से 2030-31 की अवधि को समेटता है। संघ द्वारा लगाए गए उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले विभाज्य पूल से बाहर हैं।

2. **अनुच्छेद 293 और राजकोषीय उत्तरदायित्व क़ानून राज्यों के उधार की सीमा तय करते हैं** — अनुच्छेद 293 किसी राज्य को केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, अपनी संचित निधि (Consolidated Fund) की प्रतिभूति पर और अपने विधानमंडल द्वारा तय सीमाओं के भीतर उधार लेने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 293(3) के तहत जिस राज्य पर केंद्र का ऋण बकाया हो, उसे उधार लेने से पहले केंद्र की सहमति लेनी होती है, जो संघ को राज्यों के उधार पर व्यावहारिक नियंत्रण देता है। संघ के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003) की तर्ज पर सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व क़ानून बनाए हैं, जो आमतौर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखते हैं। उधार की सीमाओं को लेकर केंद्र के विरुद्ध केरल का वाद 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ को सौंपा गया।
3. **74वें संशोधन ने नगर सरकारें तो बनाईं, नगर वित्त नहीं** — संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 ने भाग IXA जोड़कर नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची में नगरीय नियोजन, जलापूर्ति और लोक स्वास्थ्य सहित 18 कार्य सूचीबद्ध हैं, जिन्हें राज्य नगरपालिकाओं को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 243X राज्य विधानमंडल को नगरपालिकाओं को कर और शुल्क लगाने के लिए अधिकृत करने देता है, और अनुच्छेद 243Y राज्य वित्त आयोग से नगरपालिकाओं के वित्त की समीक्षा की अपेक्षा करता है। व्यवहार में संपत्ति कर ही अपने राजस्व का मुख्य स्रोत बना हुआ है, और 2017 में GST में समाहित होने से मुंबई ने चुंगी (octroi) खो दी, जो उसका सबसे बड़ा राजस्व स्रोत थी — इसलिए BMC अब राज्य से मिलने वाली क्षतिपूर्ति पर निर्भर है।
4. **नगरपालिका बॉन्ड SEBI द्वारा विनियमित हैं और AMRUT के तहत प्रोत्साहित किए जाते हैं** — बेंगलुरु ने 1997 में राज्य-गारंटी वाला नगरपालिका बॉन्ड जारी किया, और अहमदाबाद ने 1998 में राज्य गारंटी के बिना पहला नगरपालिका बॉन्ड जारी करके धन जुटाया। SEBI ने 2015 में नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीकरण के लिए विनियम बनाए, जिनके तहत सार्वजनिक निर्गमों का विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़ा होना ज़रूरी है और जारीकर्ता के वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़ी शर्तें भी हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation — AMRUT) के तहत केंद्र नगरपालिका बॉन्ड से जुटाए गए हर ₹100 करोड़ पर ₹13 करोड़ का प्रोत्साहन देता है। बॉन्ड के लिए क्रेडिट रेटिंग ज़रूरी है, जो शहर को अपने लेखा-परीक्षित खाते प्रकाशित करने को बाध्य करती है, और प्रकटीकरण का यह अनुशासन अक्सर पैसे जितना ही मूल्यवान होता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **राजकोषीय संघवाद GS2 और GS3 के सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषयों में है** — वित्त आयोग, राज्यों के वित्त पर GST के प्रभाव और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता पर बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं। RBI का पत्र एक नया कोण देता है: केवल यह नहीं कि राज्यों को कितना मिलता है, बल्कि यह भी कि बढ़ती उम्र, जलवायु और प्रौद्योगिकी के लिए उनके व्यय को कैसे बदलना होगा।
2. **नगरीय स्थानीय निकायों का वित्त GS2 के शासन को GS3 की अवसंरचना से जोड़ता है** — UPSC 74वें संशोधन के बावजूद नगरीय स्थानीय निकायों की कमज़ोरी पर प्रश्न पूछ चुका है। किसी स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित सबसे बड़ा BMC बॉन्ड इस पर उत्तर के लिए ठोस प्रमाण है कि शहर पूँजी कैसे जुटा सकते हैं — और छोटी नगरपालिकाओं के लिए इस रास्ते की सीमाएँ क्या हैं।
3. **जनसांख्यिकीय संक्रमण अब केवल सामाजिक नहीं, राजकोषीय विषय भी है** — भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश पर प्रश्नों में अब दूसरा पक्ष भी चाहिए: बूढ़ी होती आबादी पेंशन और स्वास्थ्य की लागत बढ़ाती है, और केरल व तमिलनाडु जैसे राज्य इसका सामना सबसे पहले करेंगे। RBI का पत्र राज्यों पर पड़ने वाले नए दबावों की सूची में बढ़ती उम्र को सबसे ऊपर रखता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत जिस राज्य पर भारत सरकार का ऋण बकाया हो, उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र की सहमति प्राप्त करनी होती है।
- अनुच्छेद 293(1) किसी राज्य को केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, अपनी संचित निधि

की प्रतिभूति पर उधार लेने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 243Y अपेक्षा करता है कि अनुच्छेद 243-I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और राज्यपाल को सिफारिशें दे।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची में 18 ऐसे कार्य सूचीबद्ध हैं जो नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं।
- भारत में जनता को जारी किए जाने वाले नगरपालिका बॉन्ड भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा 2015 में बनाए गए विनियमों के तहत विनियमित होते हैं।
- वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत संघ और राज्यों के बीच साझा करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करने के लिए करते हैं।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- केंद्र राज्यों से विकास का बोझ उन औजारों से उठाने को कह रहा है जो बड़े पैमाने पर उसी के नियंत्रण में हैं** — सामान्य सरकार के व्यय का दो-तिहाई हिस्सा राज्यों के पास है, लेकिन GST के बाद उनके पास अपने बूते कर बढ़ाने की शक्ति सीमित है, और अनुच्छेद 293(3) के तहत उनके उधार के लिए केंद्र की सहमति चाहिए। पत्र का संदेश — कि 8% वृद्धि को सहारा देने के लिए राज्य अपना वित्त टिकाऊ रखें — सही है, पर यह ज़िम्मेदारी वहाँ डालता है जहाँ लीवर सबसे कमज़ोर हैं। विभाज्य पूल से बाहर के उपकरण और अधिभार राज्यों को मिलने वाली राशि और घटा देते हैं। प्रतिपक्ष यह है कि कई राज्यों का अपना कर-प्रयास कमज़ोर है, संपत्ति कर संग्रह कम है और बिना शर्त नक़द हस्तांतरण बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए समस्या केवल उनके हिस्से की नहीं, उनके चुनावों की भी है।
- बढ़ती उम्र की मार सबसे पहले उन्हीं राज्यों पर पड़ेगी जिन्होंने जनसंख्या को सबसे अच्छी तरह संभाला** — कम प्रजनन दर वाले दक्षिणी राज्यों में बुजुर्गों का हिस्सा जल्दी बढ़ेगा, जिससे पेंशन और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ेगा। यही राज्य तर्क देते रहें कि जनसंख्या-आधारित हस्तांतरण सूत्र उन्हें दंडित करते हैं, हालाँकि पंद्रहवें वित्त आयोग ने कम प्रजनन दर को पुरस्कृत करने के लिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (demographic performance) का मानदंड जोड़ा था। यहाँ पेंशन का ढाँचा मायने रखता है, क्योंकि कुछ राज्य पुरानी परिभाषित-लाभ (defined-benefit) पेंशन योजना पर लौट गए हैं, जिससे भविष्य की देनदारियाँ बढ़ती हैं। RBI का पत्र बढ़ती उम्र को रेखांकित करके सही करता है, पर नीतिगत उत्तर में पेंशन सुधार, निवारक स्वास्थ्य पर व्यय और ऐसा हस्तांतरण सूत्र — जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में देरी को पुरस्कृत न करे — तीनों को मिलाना होगा।
- AI जितनी व्यय की माँग है, उतना ही राजस्व का जोखिम भी** — नियमित काम की जगह लेने वाली प्रौद्योगिकी सेवाओं में रोज़गार घटा सकती है, जिससे वह आय और उपभोग आधार कमज़ोर होता है जिस पर GST और राज्यों के कर टिके हैं। इससे पुनर्कोशल (reskilling) की माँग भी पैदा होती है, जिसका बोझ मुख्यतः राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा और कौशल व्यवस्थाओं पर पड़ता है। यह श्रम बाज़ार का ऐसा बदलाव है जो बजट में वर्षों बाद दिखता है, इसलिए समय रहते योजना बनाना समझदारी है। प्रतिपक्ष यह है कि AI उत्पादकता और कर-योग्य उत्पादन भी बढ़ा सकती है, इसलिए राज्यों को इसे केवल ख़तरा मानने के बजाय डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं और कौशल में निवेश करना चाहिए।
- BMC बॉन्ड बाज़ार को परखता है, पर अधिकांश शहरों के लिए आदर्श नहीं है** — मुंबई भारत का सबसे समृद्ध शहर है और रिकॉर्ड राशि इसलिए जुटा सकता है कि निवेशक उसके राजस्व आधार पर भरोसा करते हैं। अधिकांश नगरपालिकाओं के खाते कमज़ोर, रेटिंग नीची और राजस्व छोटा है, और वे राज्य गारंटी के बिना इन शर्तों पर उधार नहीं ले सकतीं। फिर भी बॉन्ड मूल्यवान है, क्योंकि यह प्रकटीकरण, क्रेडिट रेटिंग और परियोजना-आधारित व्यय को अनिवार्य बनाता है, और एक सफल निर्गम दूसरों के लिए बाज़ार को गहरा करता है। जोखिम यह है कि उधार संपत्ति कर सुधार और उपयोगकर्ता शुल्कों का विकल्प बन जाए; ऋण राजस्व से ही चुकाना होता है, इसलिए जो शहर अपना राजस्व नहीं सुधारता, वह समस्या को केवल आगे टालता है।
- ‘व्यय की गुणवत्ता’ — यही वह वाक्यांश है जिस पर सबसे अधिक ज़ोर होना चाहिए** — पत्र केवल व्यय के आकार पर नहीं, उसकी गुणवत्ता और निवेश निर्णयों पर ज़ोर देता है। सिंचाई, नगरीय परिवहन और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना जैसी भविष्य का उत्पादन बढ़ाने वाली परिसंपत्तियों पर खर्च हुआ धन वृद्धि के ज़रिए आंशिक रूप से अपनी भरपाई खुद कर लेता है, जबकि वेतन, पेंशन और ब्याज पर प्रतिबद्ध व्यय ऐसे निवेश को बाहर धकेल देता है। पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को केंद्र के पचास वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋणों ने पूँजीगत व्यय को प्रोत्साहित किया है, लेकिन उनके साथ ऐसी शर्तें जुड़ी हैं जो राज्यों की स्वायत्तता घटाती हैं। सम्मेलन की असली कसौटी यह होगी कि राज्य सामान्य उपदेश नहीं, बल्कि पूँजीगत व्यय और जलवायु

	अनुकूलन के स्पष्ट लक्ष्य लेकर लौटते हैं या नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“सामान्य सरकार के व्यय में लगभग दो-तिहाई हिस्सा होने के कारण राज्यों के राजकोषीय निर्णय ही तय करेंगे कि भारत 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा पाता है या नहीं।” जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था, तकनीकी परिवर्तन, शहरीकरण और जलवायु जोखिम से राज्यों के वित्त पर उभर रहे दबावों की चर्चा कीजिए। राज्य और नगरीय स्थानीय निकाय अपनी राजकोषीय क्षमता का विस्तार कैसे कर सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — 18-19 सितंबर के राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन से पहले साझा किए गए RBI द्वारा लिखे पृष्ठभूमि पत्र का हवाला दीजिए: सामान्य सरकार के व्यय का लगभग दो-तिहाई राज्य करते हैं, और 2047 के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भारत को हर वर्ष लगभग 8% वास्तविक वृद्धि चाहिए। 2. मुख्य भाग — नए दबाव — बढ़ती उम्र और पेंशन व स्वास्थ्य की लागत, राजस्व और कौशल-आवश्यकताओं पर असर डालने वाले AI और रोज़गार के बदलाव, शहरीकरण और अवसंरचना की माँग, तथा जलवायु जोखिम और आपदा-व्यय को समझाएँ, साथ में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के उदाहरण दीजिए। 3. मुख्य भाग — संवैधानिक बाधाएँ — सातवीं अनुसूची का बँटवारा, ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन, राज्यों की कर स्वायत्तता पर GST का प्रभाव, अनुच्छेद 293 की उधार-सीमाएँ, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून और सोलहवें वित्त आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 4. मुख्य भाग — राजकोषीय क्षमता का विस्तार — अपने कर-प्रयास में सुधार, संपत्ति कर सुधार, प्रतिबद्ध व्यय और पेंशन ढाँचे को तर्कसंगत बनाना, और शहरों के लिए पूँजी बाज़ार तक पहुँच का सुझाव दीजिए — उदाहरण के रूप में लगभग ₹9,500 करोड़ के BMC के प्रस्तावित बॉन्ड, SEBI के 2015 के नगरपालिका ऋण विनियमों और AMRUT प्रोत्साहनों का उपयोग कीजिए। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि 2047 तक की वृद्धि राज्यों के व्यय की मात्रा जितनी ही उसकी गुणवत्ता पर निर्भर है, और राजकोषीय संघवाद को दायित्वों के अनुरूप संसाधन देने होंगे।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप एक ऐसे राज्य के वित्त सचिव हैं जहाँ पेंशन का बिल बढ़ रहा है और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की माँग है। आप सरकार को क्या सलाह देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं परिभाषित-लाभ पेंशन की दीर्घकालिक लागत केवल चालू वर्ष की नक़द बचत के आधार पर नहीं, बल्कि तीस वर्षों के बीमांकिक (actuarial) अनुमान के ज़रिए प्रस्तुत करूँगा। मैं दिखाऊँगा कि बढ़ता पेंशन व्यय किस तरह स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय को बाहर धकेलेगा। ऐसे विकल्प, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की रक्षा करें और लागत को पूर्वानुमेय भी रखें — जैसे अंशदायी व्यवस्था के भीतर गारंटीशुदा न्यूनतम राशि — कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान कर सकते हैं। निर्णय राजनीतिक है, पर भविष्य के बजटों पर उसकी लागत की पूरी जानकारी के साथ लिया जाना चाहिए। प्रश्न 2. एक मझोले शहर के नगर आयुक्त के रूप में, महापौर मुंबई की तरह बॉन्ड जारी करना चाहते हैं। पहले कौन-से कदम उठाने होंगे? दृष्टिकोण (Approach): उधार लेने से पहले शहर को उपार्जन-आधारित (accrual-based) लेखा-परीक्षित खाते, एक क्रेडिट रेटिंग और ऋण चुकाने के लिए राजस्व-धारा वाली एक स्पष्ट रूप से परिभाषित परियोजना चाहिए। मैं संपत्ति कर के दायरे और संग्रह में सुधार से शुरुआत करूँगा, क्योंकि निवेशक अपने राजस्व को देखते हैं। मैं AMRUT प्रोत्साहन और क्रेडिट संवर्धन (credit enhancement) के लिए किसी भी राज्य सहायता की माँग भी करूँगा। इन आधारों के बिना उधार लेने से लागत बढ़ेगी और चूक (default) का जोखिम पैदा होगा। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: अगर पैसा ज्यादातर राज्य खर्च करते हैं, तो क्या राज्यों के वित्त पर केंद्र का नियंत्रण अधिक होना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): अधिक केंद्रीय नियंत्रण संघीय सिद्धांत को और निर्वाचित राज्य सरकारों की अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही को कमज़ोर करेगा। ज़रूरत दिल्ली से निर्देशों की नहीं, बल्कि बेहतर जानकारी और नियमों की है — जैसे बजट से बाहर के उधार की पारदर्शी रिपोर्टिंग और साझा लेखा मानक। वित्त आयोग और वित्त मंत्रियों के सम्मेलन जैसे मंच समन्वय के सही माध्यम हैं। बदले में राज्यों को उन राजकोषीय नियमों को स्वीकार करना चाहिए जो उन्होंने स्वयं कानून बनाकर तय किए हैं।

3. कृषि एवं खाद्य (Agriculture & Food)

आज की तीनों खबरें भारतीय कृषि से एक ही सवाल पूछती हैं: गिनती किसकी होती है, और मूल्य किसके हाथ लगता है? जो महिला खेती करती है पर जिसके नाम कोई पट्टा नहीं, वह भू-अभिलेख में दिखती ही नहीं; जो छोटा किसान गहरा नलकूप नहीं खुदवा सकता, वह पानी के लिए अपने अमीर पड़ोसी को पैसे देता है; और जैसे ही भोजन घर की रसोई से निकलकर रेस्तराँ तक पहुँचता है, किसान के हाथ से रुपये का ज्यादातर हिस्सा निकल जाता है। तीनों मामलों में सिद्धांत रूप में इलाज एक ही है: लाभ उस व्यक्ति तक पहुँचे जो असल में काम करता है, न कि उस तक जिसके पास कागज़, पंप या प्रसंस्करण संयंत्र है।

3.1 महाराष्ट्र का महिला किसान कानून 'महिला किसान प्रमाणपत्र' के ज़रिए भूमिहीन महिलाओं को किसान का दर्जा देता है

समाचार (THE NEWS) महाराष्ट्र। जुलाई 2026 में महाराष्ट्र ने महिला किसान सशक्तीकरण विधेयक (Women Farmers' Empowerment Bill) पारित किया, जो 'महिला किसान प्रमाणपत्र' (Woman Farmer Certificate) नामक दस्तावेज़ के ज़रिए महिलाओं को किसान के रूप में स्वतंत्र मान्यता देता है, चाहे उनके नाम ज़मीन हो या न हो। द हिंदू में लिखते हुए भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) के संचित गुप्ता और तनु एम. गोयल इसे किसी भारतीय राज्य का पहला ऐसा कानून बताते हैं जो 'किसान' की उस गतिविधि-आधारित, भूमि से अलग परिभाषा को लागू करने योग्य कानूनी रूप देता है, जिसे राष्ट्रीय किसान नीति (National Policy for Farmers) ने 2007 में सामने रखा था पर कभी अमल में नहीं लाया गया। सीधे शब्दों में, किसान वह है जो वास्तव में खेती करता है, न कि वह जिसके पास ज़मीन का पट्टा है। इसी तरह का एक राष्ट्रीय विधेयक 2011 में राज्यसभा में पेश हुआ था, जो व्यपगत हो गया। यह अधिनियम 'कृषि' और 'किसान' की परिभाषाओं को व्यापक बनाकर उन महिला निवासियों को शामिल करता है जो साल में कम से कम एक कृषि मौसम तक खेती से जुड़ी रहती हैं, भूमि की प्रकृति चाहे जो हो; और यह भूमिहीन कृषकों, भूमिहीन पशुपालकों, खेतिहर मज़दूरों, बागान मज़दूरों और चरवाहों का नाम लेकर उल्लेख करता है। महिलाओं की पहचान स्व-पंजीकरण से या ग्राम सभा के माध्यम से होगी, और महिला किसानों का एक नया डेटाबेस तैयार किया जाएगा। 2025 में कृषि में लगभग 11 करोड़ महिलाएँ और 12.7 करोड़ पुरुष कार्यरत थे (ग्रामीण, आर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, जनगणना-समायोजित); खेती में महिलाओं का कार्यबल 2017-18 के बाद दोगुने से ज्यादा हो गया है, और ग्रामीण कामकाजी महिलाओं में लगभग तीन-चौथाई कृषि में हैं, जबकि पुरुषों में यह अनुपात आधे से कम है। 2025 में 41% से अधिक महिला कृषि कामगार अवैतनिक थीं, जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 20% था; वहीं लगभग 63% पुरुष स्व-लेखा (own-account) कामगार थे, जबकि महिलाओं में केवल 39%। फिर भी परिचालित जोतों (operational holdings) का केवल 14% महिलाओं के पास है (कृषि जनगणना 2015-16), क्योंकि भू-अभिलेख ज्यादातर पुरुषों के नाम पर हैं और हर राज्य योजनाओं के लिए अपने भू-राजस्व अभिलेखों को ही 'सत्य का स्रोत' मानता है। पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 देने वाली PM-KISAN के लाभार्थियों में महिलाएँ केवल 23% हैं, और अधिकांश राज्यों में एक-तिहाई से कम। मेघालय (70%) और केरल (44%) इस मामले में अलग खड़े हैं, जिसकी वजह मातृवंशीय और प्रथागत भू-धारण व्यवस्था तथा कुटुम्बश्री की सामूहिक खेती है; जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में महिलाएँ कार्यबल का लगभग दो-तिहाई हैं, पर लाभार्थियों में उनका हिस्सा बहुत छोटा है। लेखक इन प्रमाणपत्रों को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के डिजिटल मंच एग्री स्टैक (Agri Stack) से जोड़ने और महिलाओं को किसान ID जारी करने का आग्रह करते हैं, और याद दिलाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS1 (महिलाओं की भूमिका) और GS3 (भूमि सुधार, कृषि सहायता)।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार और रीति-रिवाज भू-अभिलेखों को पुरुषों के नाम पर रखते हैं → राज्य योजनाओं के लिए 'किसान' कौन है, यह भू-राजस्व अभिलेखों से तय करते हैं → पुरुषों का बाहर पलायन और ग्रामीण संकट अधिक महिलाओं को खेती के काम में धकेलते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा अवैतनिक है → महिलाएँ खेती का लगभग आधा काम करती हैं, पर परिचालित जोतों का 14% और PM-KISAN लाभों का 23% ही उनके पास है → महाराष्ट्र जुलाई 2026 में गतिविधि-आधारित 'महिला किसान प्रमाणपत्र' का कानून बनाकर मान्यता को ज़मीन से अलग कर देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 ने किसान की पहचान पट्टे से नहीं, काम से की — राष्ट्रीय किसान नीति (National Policy for Farmers), 2007 को केंद्र सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्टों के आधार पर अपनाया था। इसने 'किसान' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो फसलें उगाने और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पाद पैदा करने की आर्थिक या आजीविका-गतिविधि में सक्रिय रूप से लगा हो, और इसमें खेतिहर मज़दूरों, बटाईदारों, काश्तकारों, मुर्गीपालकों और पशुपालकों, मछुआरों, मधुमक्खी पालकों, चरवाहों और बागान मज़दूरों के साथ-साथ झूम खेती और वनोपज संग्रह में लगे जनजातीय परिवारों को स्पष्ट रूप से शामिल किया। लेकिन नीति-वस्तु से कोई लागू करने योग्य अधिकार पैदा नहीं होता, इसलिए योजनाएँ पात्रता की कसौटी के रूप में भू-स्वामित्व का ही इस्तेमाल करती रहीं। महिला किसान अधिकार विधेयक (Women Farmers' Entitlements Bill), 2011, जो स्वामीनाथन ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में निजी सदस्य विधेयक के तौर पर पेश किया था, महिला किसानों को वैधानिक मान्यता दिलाना चाहता था, पर व्यपगत हो गया। महाराष्ट्र का कानून 2007 की परिभाषा को कानून में बदलने वाला पहला राज्य अधिनियम है।
2. भूमि और भू-अभिलेख राज्य के विषय हैं, इसीलिए पहल एक राज्य कर सका — राज्य सूची की प्रविष्टि 14 कृषि से संबंधित है, प्रविष्टि 18 भूमि से, जिसमें भूमि पर या भूमि से जुड़े अधिकार, भू-धारण और भूस्वामी-काश्तकार संबंध शामिल हैं, और प्रविष्टि 45 भू-राजस्व से, जिसमें भू-

अभिलेखों और अधिकार-अभिलेखों (records of rights) का रखरखाव शामिल है। इसलिए अधिकार-अभिलेख, जिसे महाराष्ट्र में 7/12 उतारा और उत्तर भारत में जमाबंदी जैसे नामों से जाना जाता है, राज्य का दस्तावेज़ है, और अधिकांश कल्याणकारी योजनाएँ इसी दस्तावेज़ पर टिकी हैं। केंद्र की भूमिका डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme) के माध्यम से डिजिटलीकरण के लिए धन देने और उसका मानकीकरण करने की है। चूंकि प्रवेश-द्वार पर खड़ा दस्तावेज़ राज्य का अभिलेख है, इसलिए मान्यता का वैकल्पिक रास्ता बनाने की स्वाभाविक जगह राज्य का कानून ही है।

3. **कृषि भूमि पर महिलाओं का कानूनी अधिकार अभिलेखों से आगे निकल चुका है** — हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), 1956 की धारा 4(2) ने मूल रूप से कृषि भूमि में काश्तकारी अधिकारों के हस्तांतरण को राज्यों के काश्तकारी कानूनों पर छोड़ दिया था, जिनमें से कई पुरुष वारिसों के पक्ष में थे। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने यह खंड हटा दिया और बेटियों को संयुक्त परिवार की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार वाली सहदायिक (coparcener) बना दिया। Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बेटों का सहदायिक अधिकार जन्म से होता है, भले ही 2005 के संशोधन की तारीख पर पिता जीवित रहे हों या नहीं। इस तरह हिंदू महिलाओं के लिए उत्तराधिकार का कानून कागज़ पर काफ़ी हद तक बराबरी वाला है, पर उनके पक्ष में भू-अभिलेखों का नामांतरण (mutation) चलन, पारिवारिक दबाव और स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करता है, इसीलिए स्वामित्व के आँकड़े अब भी कम हैं।
4. **PM-KISAN और एग्री स्टैक, दोनों भू-अभिलेखों पर चलते हैं** — PM-KISAN फ़रवरी 2019 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है; इसके तहत भूमिधारक किसान परिवारों को, जिनमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल माने जाते हैं, सालाना ₹6,000 की राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। संस्थागत भूमिधारक, आयकरदाता, संवैधानिक पदों पर आसीन लोग और कुछ पेशेवर इससे बाहर हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के अंतर्गत बने एग्री स्टैक में तीन रजिस्ट्रियाँ हैं: विशिष्ट किसान ID जारी करने वाली किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र और बोर्ड गई फ़सल की रजिस्ट्री (Crop Sown Registry)। चूंकि किसान ID भू-अभिलेखों से ही तैयार होती है, इसलिए उन अभिलेखों में मौजूद हर बहिष्करण डिजिटल व्यवस्था में भी चला आता है, जब तक कि महाराष्ट्र के प्रमाणपत्र जैसा कोई गतिविधि-आधारित प्रवेश-मार्ग न जोड़ा जाए।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **पाठ्यक्रम इस मुद्दे का नाम दो प्रश्नपत्रों में लेता है** — GS1 में महिलाओं और महिला संगठनों की भूमिका तथा सामाजिक सशक्तीकरण शामिल है, जबकि GS3 में भूमि सुधार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सव्सिडी तथा किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी आती है। 'कृषि का स्त्रीकरण' (Feminisation of agriculture) मुख्य परीक्षा का जाना-पहचाना विषय है, और परीक्षक उन उत्तरों को अंक देते हैं जो महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वामित्व, ऋण और मान्यता की कमी से अलग करके दिखाते हैं। यह खबर एक ताज़ा विधायी उदाहरण और मान्यता के अंतर पर टोस आँकड़े देती है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा योजना-संरचना और आँकड़ों के स्रोत पृच्छती है** — UPSC PM-KISAN जैसी प्रमुख योजनाओं की पात्रता शर्तों, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) और कृषि जनगणना जैसे सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों, और परिचालित जोत की अवधारणा के बारे में नियमित रूप से पृच्छता है। वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय वर्षों के बारे में भी पृच्छता है। महाराष्ट्र का कानून इन सबको जोड़ता है, और जो विद्यार्थी समझता है कि भूमि-आधारित योजना महिलाओं को बाहर क्यों रखती है, वह स्वामित्व और परिचालन के अंतर को परखने वाले कथन-आधारित प्रश्न आसानी से हल कर सकता है।
3. **साक्षात्कार बोर्ड को संघीय पहलू पसंद है** — चूंकि भूमि राज्य का विषय है और राष्ट्रीय विधेयक व्यपगत हो चुका है, यह खबर दिखाती है कि राज्य नीति की प्रयोगशाला की तरह कैसे काम करते हैं। उम्मीदवार से पृच्छा जा सकता है कि क्या महाराष्ट्र मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए, और उसे मानकीकरण के पक्ष में तर्क तथा सबके लिए एक ही साँच वाली पहचान योजना के जोखिम, दोनों रखने आने चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफ़ारिशों पर बनी राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 किसान को गतिविधि के आधार पर परिभाषित करती है और इसमें खेतिहर मज़दूर, बटाईदार, काश्तकार, पशुपालक और चरवाहे शामिल हैं।
- भू-अभिलेखों का रखरखाव राज्य सूची की प्रविष्टि 45 के अंतर्गत आता है, और भू-धारण सहित भूमि राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आती है।
- PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जो पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के ज़रिए तीन बराबर किस्तों में सालाना ₹6,000 देती है।

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हर पाँच वर्ष में की जाने वाली कृषि जनगणना परिचालित जोतों की गिनती करती है, यानी वह भूमि जो स्वामित्व चाहे जिसका हो, एक तकनीकी इकाई के रूप में जोती जाती है।
- हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 ने बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार वाली सहृदायिक बनाया और उस प्रावधान को हटा दिया जिसने कृषि काश्तकारी अधिकारों को राज्यों के काश्तकारी कानूनों पर छोड़ रखा था।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में घरेलू उद्यमों के अवैतनिक सहायकों को स्व-नियोजित कामगारों की श्रेणी में रखा जाता है।
- डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक में विशिष्ट किसान ID वाली किसान रजिस्ट्री, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र और बोर्ड गई फसल की रजिस्ट्री शामिल हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. प्रमाणपत्र पहचान तो दिलाता है, पर पैसा अब भी ज़मीन के पीछे चलता है** — महाराष्ट्र का कानून भूमिहीन महिला को यह साबित करने देता है कि वह किसान है, लेकिन किसानों को मिलने वाला सबसे बड़ा प्रत्यक्ष अंतरण, PM-KISAN, केंद्रीय दिशानिर्देशों के तहत भूमिधारिता से परिभाषित है, जिन्हें कोई राज्य बदल नहीं सकता। इसलिए प्रमाणपत्र राज्य की योजनाओं और शायद कृषि विस्तार सेवाओं के दरवाज़े तो खोलता है, पर केंद्रीय नकद अंतरण के नहीं, जब तक कि केंद्र पात्रता का कोई गतिविधि-आधारित मार्ग न जोड़े। कानून की असली कसौटी यह होगी कि कितनी राज्य योजनाएँ, ऋण उत्पाद और बीमा नामांकन इस प्रमाणपत्र को पर्याप्त प्रमाण मानते हैं। ऐसा न हुआ तो यह मान्यता का ऐसा कार्ड बनकर रह जाएगा जिससे कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके विपरीत मत यह है कि पहचान पहले आनी ही चाहिए, क्योंकि जिस समूह को कभी गिना ही नहीं गया, उसके लिए कोई योजना नए सिरे से नहीं गढ़ी जा सकती।
- 2. ग्राम सभा से पहचान इस व्यवस्था की ताकत भी है और कमज़ोर कड़ी भी** — ग्राम सभा द्वारा सत्यापन समझदारी भरा है, क्योंकि पड़ोसी जानते हैं कि असल में खेत में कौन काम करता है, और इससे नई नौकरशाही का खर्च भी बचता है। पर ग्राम सभाओं पर अक्सर भ्रष्टाचारी पुरुषों और प्रभुत्वशाली जातियों का दबदबा रहता है, यानी ठीक वही समूह जिनके हितों को तब खतरा महसूस हो सकता है जब कोई बहु-या दलित मज़दूर स्वतंत्र दावा हासिल कर ले। स्व-पंजीकरण इस द्वारपाल-व्यवस्था से बचाता है, पर बढ़ा-चढ़ाकर या दोहराए गए दावों का रास्ता खोलता है। व्यावहारिक डिज़ाइन दोनों को जोड़ेगा: स्व-पंजीकरण, फिर विशेष महिला ग्राम सभा में सार्वजनिक सूची का वाचन, और प्रखंड कार्यालय में समयबद्ध अपील। लेखकों का सशक्त जागरूकता अभियान का आग्रह कोई छोटी बात नहीं; इसी से तय होगा कि इस अधिकार के बारे में किसे पता चलता है।
- 3. डिजिटल कृषि पुराने पक्षपात को स्थायी कर देगी, जब तक उसे अभी नए सिरे से न गढ़ा जाए** — एग्री स्टैक की किसान ID भू-अभिलेखों से तैयार होती है, यानी डिजिटल व्यवस्था उसी द्वारपाल पर खड़ी की जा रही है जिसने कागज़ पर महिलाओं को बाहर रखा था। डिजिटल व्यवस्थाएँ उन्हें दिए गए नियमों को ही बड़े पैमाने पर लागू करती हैं: जो बहिष्करण पहले किसी बाबू के विवेक पर निर्भर था, वह करोड़ों अभिलेखों में अपने-आप होने लगता है। इसीलिए प्रमाणपत्र को एग्री स्टैक से जोड़ने की लेखकों की सिफ़ारिश लेख की सबसे अहम पंक्ति है। 'गतिविधि-आधारित किसान' का खाना जोड़ने का सही समय अभी है, जब रजिस्ट्रियाँ भरी जा रही हैं, क्योंकि बाद में पहचान-प्रणालियों में बदलाव करना महंगा और धीमा होता है।
- 4. महिला किसानों की मान्यता संकट को स्वीकार कर लेने का बहाना न बने** — खेती में महिलाओं के बढ़ते काम का बड़ा हिस्सा इस बात को दर्शाता है कि पुरुष गैर-कृषि कामों के लिए बाहर चले जाते हैं और महिलाएँ छोटे, कम उत्पादकता वाले खेतों पर, अक्सर अवैतनिक पारिवारिक श्रम के रूप में, पीछे रह जाती हैं। खतरा यह है कि मान्यता को सशक्तीकरण के रूप में मनाया जाए और असली ढेर, यानी महिलाओं का सबसे कम लाभकारी क्षेत्र में छूट जाना, की अनदेखी हो। ईमानदार उत्तर यह है कि मान्यता आवश्यक है, पर पर्याप्त नहीं: इससे ऋण, कृषि-यंत्र सब्सिडी और प्रशिक्षण तक पहुँच मिलती है, जो उत्पादकता बढ़ा सकती है, पर दीर्घकालिक लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं के लिए बेहतर गैर-कृषि अवसर भी होना चाहिए। 41% अवैतनिक हिस्सा दिखाता है कि समस्या केवल पहचान की नहीं, आय पर नियंत्रण की भी है।
- 5. राज्यों के बीच मानकीकरण तय करेगा कि यह पहल फैलेगी या बिखर जाएगी** — भूमि राज्य का विषय है और 2011 में राष्ट्रीय विधेयक व्यपगत हो गया था, इसलिए प्रगति राज्य-दर-राज्य ही होगी। यह उपयोगी प्रयोग है, पर यदि हर राज्य 'महिला किसान' को अलग ढंग से परिभाषित करे, तो राज्य की सीमा पार करने वाली प्रवासी महिला या चरवाहिन एक राज्य में मान्य और अगले में अमान्य हो सकती है। लेखक सभी राज्यों में साझा परिभाषाओं, प्रमाणपत्र-प्रारूपों और डेटाबेसों का प्रस्ताव रखते हैं, जिन्हें केंद्र राज्य के विषय पर कानून बनाए बिना एग्री स्टैक के मानकों के ज़रिए बढ़ावा दे सकता है। मेघालय और केरल दिखाते हैं कि वैकल्पिक संस्थाएँ, यानी प्रथागत भू-धारण और सामूहिक समूह, पहले से ही महिलाओं की पहुँच बढ़ा रही

	हैं; सबक यह है कि पट्टे से ज़्यादा मायने रास्ते के हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“ग्रामीण भारत में खेती अब अधिकाधिक महिलाएँ कर रही हैं, पर राज्य अब भी भूस्वामी को ही मान्यता देता है।” महाराष्ट्र के महिला किसान सशक्तीकरण कानून के आलोक में परीक्षण कीजिए कि कृषि योजनाओं की भू-अभिलेखों पर निर्भरता महिलाओं को किस प्रकार बाहर रखती है, और मान्यता को वास्तविक पहुँच में बदलने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — अंतर को आँकड़ों से रखिए: कृषि कार्यबल में महिलाएँ लगभग आधी हैं (PLFS के अनुसार 2025 में लगभग 11 करोड़ महिलाएँ और 12.7 करोड़ पुरुष), पर परिचालित जोतों का केवल 14% उनके पास है और PM-KISAN के लाभार्थियों में वे 23% हैं। महाराष्ट्र के जुलाई 2026 के कानून और उसके 'महिला किसान प्रमाणपत्र' का परिचय दीजिए। 2. मुख्य भाग — बहिष्करण कैसे होता है — कड़ी समझाइए: पितृसत्तात्मक उत्तराधिकार और कमज़ोर नामांतरण पट्टों को पुरुषों के नाम पर रखते हैं; राज्य भू-राजस्व अभिलेखों को सत्य का स्रोत मानते हैं; PM-KISAN जैसी योजनाएँ और अब एग्री स्टैक की किसान ID भी इन्हीं से तैयार होती हैं। 41% अवैतनिक हिस्से तथा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के उदाहरण जोड़िए, जहाँ महिलाएँ कार्यबल का लगभग दो-तिहाई हैं पर लाभार्थियों में उनका हिस्सा बहुत छोटा है। 3. मुख्य भाग — महाराष्ट्र क्या करता है और उसकी सीमाएँ — गतिविधि-आधारित परिभाषा (साल में कम से कम एक मौसम), भूमिहीन कृषकों और चरवाहों जैसी नामित श्रेणियों, और स्व-पंजीकरण या ग्राम सभा द्वारा पहचान का वर्णन कीजिए। सीमाओं पर चर्चा कीजिए: केंद्रीय योजनाएँ अब भी भूमि-आधारित हैं, ग्राम सभा पर प्रभुत्वशाली वर्ग का कब्ज़ा, जागरूकता की कमी और डेटाबेस में दोहराव। 4. मुख्य भाग — उपाय — सुझाइए: प्रमाणपत्रों को एग्री स्टैक से जोड़ना और किसान ID जारी करना; केंद्रीय योजनाओं में पात्रता का गतिविधि-आधारित मार्ग; संयुक्त पट्टे और महिला वारिसों के पक्ष में समयबद्ध नामांतरण; कुटुम्बश्री जैसे सामूहिक खेती मॉडल और बटाईदारों तक पहुँचने वाली ओडिशा की KALIA जैसी योजनाएँ; और राज्यों के बीच साझा मानक। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष में भारत का काम मान्यता की इकाई को खेत के टुकड़े से हटाकर व्यक्ति पर लाना है, ताकि महिलाओं का काम, जो पहले से एक सच्चाई है, कानूनी और आर्थिक अधिकार बन सके।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप महाराष्ट्र के एक ज़िले के कलेक्टर हैं और आपको महिला किसान प्रमाणपत्र जारी करने का ज़िम्मा मिला है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सबसे हाशिए की महिलाओं तक पहुँच बने? दृष्टिकोण (Approach): मैं आवेदनों का इंतज़ार करने के बजाय पहले से मौजूद सूचियों, जैसे मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड, स्वयं सहायता समूहों की सूचियाँ और पशुधन गणना के अभिलेख, से संभावित आवेदकों की पहचान से शुरुआत करूँगा। विशेष महिला ग्राम सभाएँ आयोजित होंगी, जिनमें मसौदा सूची पढ़कर सुनाई जाएगी और तय समय के भीतर प्रखंड कार्यालय में अपील का स्पष्ट रास्ता होगा। कृषि सहायक तथा आंगनवाड़ी और आशा (ASHA) कार्यकर्ता यह जानकारी घर-घर पहुँचाएँगे, क्योंकि कानून की सफलता इसी पर टिकी है कि महिलाओं को उसके होने का पता चले। मैं भूमिहीन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जारी प्रमाणपत्रों का अलग-अलग हिसाब रखूँगा, क्योंकि औसत यह छिपा लेता है कि कौन छूट गया। प्रश्न 2. राज्य के कृषि सचिव के रूप में आप क्या करेंगे ताकि प्रमाणपत्र केवल पहचान नहीं, पहुँच भी बदले? दृष्टिकोण (Approach): मैं अधिसूचित करूँगा कि राज्य की हर कृषि, पशुपालन और मत्स्य योजना के लिए किसान होने का यह प्रमाणपत्र पर्याप्त प्रमाण है, और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के माध्यम से बैंकों से कहूँगा कि वे फसल ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए इसे स्वीकार करें। मैं सुनिश्चित करूँगा कि डेटाबेस एग्री स्टैक की किसान रजिस्ट्री से जुड़ा हो, और दोहराव हटाने के ऐसे नियम हों जो किसी महिला को केवल इसलिए बाहर न करें कि उसका पति पहले से पंजीकृत है। मैं केंद्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्रीय योजनाओं में गतिविधि-आधारित मार्ग का प्रस्ताव भी रखूँगा। प्रगति का मापदंड छुपे हुए प्रमाणपत्रों की संख्या नहीं, बल्कि प्रमाणपत्रधारकों द्वारा योजनाओं का वास्तविक लाभ उठाना होगा। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या केंद्र सरकार को पति-पत्नी के संयुक्त भू-पट्टे अनिवार्य कर देने चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): संयुक्त पट्टे महिलाओं को बेदखली से सुरक्षा और ऋण पर दावा देंगे, और यह उस मूल कारण को संबोधित करता है जिसके इर्द-गिर्द महाराष्ट्र का प्रमाणपत्र रास्ता

निकालता है। पर भूमि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र के आदेश को संवैधानिक और राजनीतिक प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, और जागरूकता के बिना थोपे गए संयुक्त पट्टे केवल कागज़ पर रह सकते हैं। बेहतर रास्ता प्रोत्साहन का है: महिला के या संयुक्त नाम पर पंजीकरण के लिए कम स्टांप शुल्क, महिला वारिसों के लिए समयबद्ध नामांतरण, और संयुक्त पट्टा अपनाने वाले राज्यों को सशर्त केंद्रीय अनुदान। महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता और महिलाओं का स्वामित्व एक-दूसरे के पूरक हैं, विकल्प नहीं।

3.2 पंजाब अपने निकालने योग्य भूजल का 152% खींच रहा है, और गिरता जलस्तर संपत्ति को बड़े किसानों की ओर खिसका रहा है

समाचार (THE NEWS) पंजाब। द हिंदू में बुधवार को 'जल-संपदा' (Water wealth) शीर्षक से छपा संपादकीय तर्क देता है कि पंजाब में भूजल का दोहन अब छोटे किसानों को हतोत्साहित कर रहा है और कृषकों के बीच संपत्ति की खाई चौड़ी कर रहा है। 2025-26 के गतिशील भूजल आकलन (Dynamic Groundwater Assessment) के अनुसार पंजाब में भूजल निष्कर्षण की दर 152% थी, यानी राज्य हर साल उतने भूजल का लगभग डेढ़ गुना खींच रहा है जितना भंडार घटाए बिना निकाला जा सकता है। हस्तक्षेपों से पिछले दो आकलनों में 'अति-दोहित' (over-exploited) प्रखंडों की संख्या पाँच घटी है, पर पंजाब के 153 प्रखंडों में से 72% अब भी 'लाल क्षेत्र' में हैं, जो राज्यों में सबसे ऊँचा अनुपात है। सबसे बड़ा उपभोक्ता धान और गेहूँ की सिंचाई है, जो ताज़ा अनुमान में सालाना लगभग 25 अरब घन मीटर बैठती है। मानसून के बाद की अवधि में 40 मीटर से नीचे जलस्तर वाले अवलोकन कुओं का अनुपात 2022 से 2025 के बीच दो प्रतिशत अंक बढ़ा। संपादकीय समस्या की जड़ नीति में देखता है: खाद्य सुरक्षा की रणनीति ने एक केंद्रित धान-गेहूँ व्यवस्था खड़ी की, जिसमें सुनिश्चित सरकारी खरीद, सब्सिडी वाली बिजली और भूजल तक पहुँच ने सघन खेती को विकल्पों की तुलना में कम जोखिम भरा बना दिया, जबकि दूसरी फ़सलों के भंडारण, दाम, प्रसंस्करण और आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितता दूर नहीं की गई। नई बात वितरण से जुड़ी है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) में हाल में छपे एक अध्ययन में पाया गया कि सीमांत जोत वाले किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं, पर धनी किसान नीचे गए जलस्तर तक पहुँच सकते हैं और अधिक मात्रा में पानी खींच सकते हैं। जलस्तर गिरने पर जो किसान गहरे नलकूप का खर्च नहीं उठा सकते, वे पानी खरीदने को मजबूर होते हैं, जिससे संपत्ति बड़े भूस्वामियों की ओर जाती है और अनियमित निर्भरताएँ पैदा होती हैं। उसी दल के दो सदस्यों के एक अलग अध्ययन, जो डिस्कवर सस्टेनेबिलिटी (Discover Sustainability) में छपा, ने पाया कि संगरूर और बरनाला में बड़े खेतों ने अधिक मुनाफ़ा कमाया, पर धान के लिए उनकी भूजल उत्पादकता छोटे खेतों से कम रही। भूजल उत्पादकता का अर्थ है इस्तेमाल किए गए भूजल की प्रति इकाई फ़सल उत्पादन। इस तरह भूजल का घटना सिंचाई के लिए ज़रूरी पूँजी बढ़ा देता है और उन किसानों को फ़ायदा पहुँचाता है जिनकी वित्त तक बेहतर पहुँच है। संपादकीय ध्यान दिलाता है कि 'पानी बचाओ, पैसा कमाओ' योजना, जो तय सीमा से नीचे बिना इस्तेमाल हुई पंपिंग बिजली को हर किलोवाट-घंटा पर किसानों को नकद देती है, आशाजनक है पर उसमें नामांकन कम है। वह प्रस्ताव करता है कि पंजाब अपने बिजली सब्सिडी बिल का एक हिस्सा छोटे किसानों को सीधी सहायता देने, सिंचाई ढाँचे को सामूहिक बनाने और दूसरी फ़सलों की ओर संक्रमण में मदद करने पर लगाए, ताकि लाभ ज़मीन या पंप के मालिकों के बजाय काश्तकारों समेत वास्तविक कृषक के पीछे चले। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में सिंचाई, फ़सल-प्रतिरूप, कृषि सब्सिडी और संसाधन संरक्षण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1960 के दशक के बाद खाद्य सुरक्षा पर जोर पंजाब को हरित क्रांति के धान-गेहूँ का केंद्र बनाता है → न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद और मुफ़्त या सब्सिडी वाली कृषि बिजली धान को सबसे कम जोखिम वाली फ़सल बना देती है → भूजल निष्कर्षण पुनर्भरण से आगे निकल जाता है और 2025-26 में 152% तक पहुँचता है, 72% प्रखंड लाल क्षेत्र में → गिरता जलस्तर गहरे नलकूपों की लागत बढ़ाता है → छोटे किसान बड़े भूस्वामियों से पानी खरीदते हैं, और भूजल का घटना संपत्ति के हस्तांतरण में बदल जाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भूजल आकलन प्रखंडों का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं कि पुनर्भरण का कितना हिस्सा बाहर खींचा जाता है — भारत का गतिशील भूजल संसाधन आकलन (Dynamic Ground Water Resources Assessment) केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) और राज्यों के भूजल विभाग मिलकर भूजल आकलन समिति, 2015 (Ground Water Estimation Committee, 2015) की पद्धति से करते हैं। मुख्य पैमाना भूजल निष्कर्षण का चरण (stage of groundwater extraction) है: वार्षिक निष्कर्षण को वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधन से भाग देकर प्रतिशत में व्यक्त किया गया अनुपात। कोई आकलन इकाई, आमतौर पर प्रखंड, 70% तक 'सुरक्षित', 70% से ऊपर और 90% तक 'अर्ध-गंभीर', 90% से ऊपर और 100% तक 'गंभीर' तथा 100% से ऊपर 'अति-दोहित' मानी जाती है; खारे भूजल वाली इकाइयों को अलग वर्ग में रखा जाता है। पूरे राज्य के लिए 152% का आँकड़ा बताता है कि निष्कर्षण उस संचित पानी के खनन से चल रहा है जो किसी मानवीय समय-सीमा में लौटकर नहीं आएगा।
2. कानून अब भी भूजल को ज़मीन का ही हिस्सा मानता है — सिंचाई सहित जल, संघ सूची की प्रविष्टि 56 (अंतरराज्यीय नदियाँ) के अधीन रहते हुए, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य का विषय है। भारतीय सुखाचार अधिनियम (Indian Easements Act), 1882 में झलकने वाले कॉमन लॉ सिद्धांतों के तहत भूस्वामी को अपनी ज़मीन के नीचे का भूजल निकालने का अधिकार है, जिसका अर्थ है कि जो जितना गहरा बोर कर सके और जितना ज़्यादा पंप कर सके, वह साझा जलभूत (aquifer) के उतने ही बड़े हिस्से का व्यावहारिक मालिक बन जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) मुख्य रूप से उद्योग और अवसंरचना द्वारा निष्कर्षण का विनियमन करता है, कृषि

पंपिंग का नहीं। केंद्र द्वारा परिचालित मॉडल भूजल विधेयकों ने भूजल को लोक न्यास (public trust) में रखे साझा संसाधन के रूप में देखने का प्रस्ताव रखा है, एक ऐसा विचार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने M.C. Mehta v. Kamal Nath (1997) में प्राकृतिक संसाधनों पर लागू किया था।

3. **पंजाब की धान-गेहूँ जकड़न प्रकृति ने नहीं, नीति ने बनाई** — धान अर्ध-शुष्क पंजाब की पारंपरिक फ़सल नहीं है; इसका प्रसार हरित क्रांति, भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ और धान की सुनिश्चित ख़रीद, और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुई कृषि पंपों के लिए मुफ़्त बिजली के बाद हुआ। पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम (Punjab Preservation of Subsoil Water Act), 2009 अधिसूचित तारीखों से पहले धान की नर्सरी बोनो और रोपाई पर रोक लगाता है, ताकि रोपाई मानसून के साथ हो और वाष्पीकरण से होने वाली हानि घटे। इसका दुष्प्रभाव यह है कि कटाई देर से होती है और गेहूँ की बुवाई से पहले समय कम बचता है, जो अक्टूबर और नवंबर में किसानों के पराली जलाने का एक कारण है। एस.एस. जौहल की अध्यक्षता वाली समितियों समेत विशेषज्ञ समूहों ने बार-बार धान के रकबे का एक हिस्सा दूसरी फ़सलों की ओर मोड़ने की सिफ़ारिश की है।
4. **केंद्र की भूजल और सिंचाई योजनाएँ आपूर्ति के साथ माँग को भी निशाना बनाती हैं** — अटल भूजल योजना, दिसंबर 2019 में शुरू की गई विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जो सात राज्यों, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, के जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देती है; पंजाब इनमें शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) का 'प्रति बूँद अधिक फ़सल' (Per Drop More Crop) घटक ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई पर सब्सिडी देता है। PM-KUSUM (2019) सौर पंपों और कृषि फ़ीडरों के सौरीकरण में मदद करता है, जिससे कृषि बिजली का राजकोषीय बोझ घट सकता है, पर यदि अतिरिक्त पंपिंग मुफ़्त हो जाए तो निष्कर्षण बढ़ भी सकता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत फ़सल विविधीकरण कार्यक्रम मूल हरित क्रांति वाले राज्यों को लक्ष्य बनाते हैं।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 इस शृंखला की हर कड़ी का नाम लेता है** — GS3 के पाठ्यक्रम में प्रमुख फ़सल-प्रतिरूप, सिंचाई प्रणालियाँ, और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में धान-गेहूँ व्यवस्था की संधारणीयता, उत्तर-पश्चिम भारत में फ़सल विविधीकरण, और सब्सिडी तथा संसाधनों के क्षय के संबंध पर बार-बार प्रश्न आए हैं। संपादकीय वह समता-पहलू जोड़ता है जो अधिकांश उत्तरों से छूट जाता है: भूजल का घटना केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि प्रतिगामी (regressive) समस्या भी है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा श्रेणियाँ, संस्थाएँ और कानूनी आधार पूछती हैं** — भूजल पर प्रश्नों में CGWB और CGWA, आकलनों में प्रयुक्त श्रेणियाँ, और अटल भूजल योजना जैसी योजनाओं तथा उनके दायरे को परखा गया है। सीमा-रेखाएँ (70%, 90%, 100%) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत CGWA का कानूनी आधार याद हो तो ऐसे प्रश्न सीधे हो जाते हैं।
3. **निबंध और GS4 साझा संसाधनों के प्रश्न पर लौटते हैं** — 'साझा संसाधनों की त्रासदी' (tragedy of the commons), जिसमें हर व्यक्ति के लिए तर्कसंगत पंपिंग मिलकर साझा संसाधन को नष्ट कर देती है, संधारणीयता पर निबंधों और अंतर-पीढ़ीगत समता पर नीतिशास्त्र की केस स्टडी का स्थायी विषय है। पंजाब इसका सबसे स्पष्ट भारतीय उदाहरण है, और संपत्ति के हस्तांतरण वाला संपादकीय का तर्क इसे न्याय का आयाम देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- गतिशील भूजल संसाधन आकलन में जिस आकलन इकाई का भूजल निष्कर्षण का चरण 100% से ऊपर हो, उसे 'अति-दोहित' माना जाता है; 90% से ऊपर और 100% तक 'गंभीर'; तथा 70% से ऊपर और 90% तक 'अर्ध-गंभीर'।
- भूजल निष्कर्षण का चरण, वार्षिक भूजल निष्कर्षण और वार्षिक निकालने योग्य भूजल संसाधन का अनुपात है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।
- केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत किया गया है।
- गतिशील भूजल संसाधन आकलन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के भूजल विभाग मिलकर भूजल आकलन समिति, 2015 की पद्धति से करते हैं।
- सिंचाई सहित जल, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन रहते हुए, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 के तहत राज्य का विषय है।
- समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन के लिए विश्व बैंक-सहायता प्राप्त अटल भूजल योजना सात राज्यों में लागू है, और पंजाब उनमें से एक नहीं है।
- पंजाब उप-मृदा जल संरक्षण अधिनियम, 2009 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से पहले धान की रोपाई पर रोक लगाता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. भूजल का घटना एक प्रतिगामी कर की तरह काम करता है —** जलस्तर गिरने पर सिंचाई की लागत सबके लिए बढ़ती है, पर यह एकमुश्त बढ़ती है: ज्यादा गहरा बोर और बड़ा सबमर्सिबल पंप। बड़ा किसान यह लागत कई एकड़ पर बाँट सकता है और सस्ते में उधार ले सकता है; सीमांत किसान ऐसा नहीं कर पाता, और इसलिए उस पड़ोसी से पानी खरीदने लगता है जो यह कर सका। संपादकीय का यह साक्ष्य कि छोटे किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं, नतीजे को और उलटा बना देता है: अधिक कुशल उपयोगकर्ता बाहर धकेला जाता है और कम कुशल को किराया देता है। इसीलिए इस समस्या को 'बाज़ार के समायोजन' पर नहीं छोड़ा जा सकता; यहाँ बाज़ार कुशलता को नहीं, पूँजी तक पहुँच को पुरस्कृत करता है।
- 2. मुफ्त बिजली वह सब्सिडी है जो सबसे बड़े पंप वाले को सबसे ज्यादा फ़ायदा देती है —** बिना मीटर की मुफ्त बिजली का अर्थ है कि हर किसान को मिलने वाला लाभ उसके पंप की हॉर्सपावर और उसे चलाने के घंटों के अनुपात में होता है, जो आगे चलकर जोत के आकार और संपत्ति से जुड़ता है। काश्तकार या बिना नलकूप वाले किसान को सीधे कुछ नहीं मिलता। 'पानी बचाओ, पैसा कमाओ' सही विचार है, क्योंकि यह हक बनाए रखते हुए किसानों को उसे इस्तेमाल न करने के पैसे देता है और बचाए गए पानी को आय में बदल देता है। पर इसका कम नामांकन बताता है कि किसानों को डर है कि यह मुफ्त बिजली खत्म करने की दिशा में पहला क़दम है, इसलिए इसकी सफलता भरोसे पर और इस विश्वसनीय गारंटी पर निर्भर है कि मूल हक़ में कटौती नहीं होगी। विपरीत मत यह है कि मुफ्त बिजली इतनी गहराई से जमी राजनीतिक व्यवस्था है कि उसे केवल स्वेच्छिक, मुआवज़े वाली योजनाएँ ही हिला सकती हैं।
- 3. जब तक धान सबसे सुरक्षित फ़सल है, केवल कुशलता जलभृत को नहीं बचा सकती —** संपादकीय ध्यान दिलाता है कि माँग का पैमाना कुशलता से होने वाले लाभों को लगातार पीछे छोड़ देता है। ड्रिप सिंचाई और बेहतर पंप प्रति हेक्टेयर पानी की खपत घटाते हैं, पर यदि बचा हुआ पानी धान के विस्तार या सघनीकरण में लग जाए, तो कुल निष्कर्षण नहीं घटता; अर्थशास्त्री इसे प्रतिक्षेप प्रभाव (rebound effect) कहते हैं। असली बाधा यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद धान को मक्का, दलहन या कपास से कहीं कम जोखिम वाला बना देती है, जिनके पास तुलनीय भंडारण, प्रसंस्करण और दाम की गारंटी नहीं है। जब तक वैकल्पिक फ़सल उगाना धान जितना सुरक्षित न हो, विविधीकरण योजनाएँ उम्मीद से कम ही देती रहेंगी, जैसा दशकों से होता आया है।
- 4. देश की खाद्य सुरक्षा पंजाब के पानी से खरीदी गई, तो बिल भी देश को बाँटना चाहिए —** पंजाब का चावल बड़े पैमाने पर केंद्रीय पूल में जाता है, यानी राज्य ने वास्तव में अपना भूजल अनाज में समाहित करके बाक़ी भारत को निर्यात किया है। संक्रमण की लागत, यानी घटी आय, बेकार हो चुके नलकूप-निवेश और राजनीतिक प्रतिक्रिया, अकेले पंजाब पर डालना न न्यायसंगत है, न कारगर होने की संभावना रखता है। विश्वसनीय संक्रमण में धान से हटाए गए प्रति हेक्टेयर पर केंद्रीय सहायता, वैकल्पिक फ़सलों के लिए खरीद या मूल्य समर्थन, और उन फ़सलों के प्रसंस्करण में निवेश शामिल होगा। प्रतिवाद यह है कि पंजाब की अपनी बिजली सब्सिडी राज्य का चुनाव है, जिसकी ज़मानत केंद्र को नहीं लेनी चाहिए; इसका उत्तर यह है कि केंद्रीय सहायता को उस सब्सिडी में राज्य के सुधार से जोड़ा जाए।
- 5. लाभ वास्तविक कृषक के पीछे चले, पर यहाँ वही अभिलेख-समस्या खड़ी है जो महिला किसानों के साथ है —** संपादकीय की सबसे अच्छी पंक्ति यह है कि कल्याण भूजल निष्कर्षण पर नहीं, पानी तक पहुँच पर सब्सिडी दे, और मालिकों के साथ काश्तकारों तक भी पहुँचे। पर पंजाब में काश्तकारी ज़्यादातर मौखिक और अपंजीकृत है, इसलिए काश्तकार के पास लोभ का दावा करने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में महिला किसान के पास पट्टा नहीं होता। सामूहिक सिंचाई, जैसे जल उपयोगकर्ता समूहों के स्वामित्व वाले साझा नलकूप, छोटे किसानों को हर किसी के लिए अलग गहरे बोर के बिना पानी तक पहुँच देगी। इसलिए कोई भी नया डिज़ाइन वास्तविक कृषक की पहचान के तरीके से शुरू होना चाहिए, वरना सब्सिडी फिर से भू-अभिलेख में दर्ज नाम तक ही बहेगी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“पंजाब में गिरते भूजल स्तर ने एक पर्यावरणीय संकट को ग्रामीण असमानता के तंत्र में बदल दिया है।” इस कथन का परीक्षण कीजिए। सुझाइए कि जलभृत और छोटे किसान, दोनों की रक्षा के लिए कृषि सब्सिडी और फ़सल-प्रोत्साहनों को किस प्रकार नए सिरे से गढ़ा जा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका —** तथ्य रखिए: 2025-26 का गतिशील भूजल आकलन पंजाब का निष्कर्षण 152% बताता है, और उसके 153 प्रखंडों में से 72% लाल क्षेत्र में हैं; धान-गेहूँ की सिंचाई सालाना लगभग 25 अरब घन मीटर पानी लेती है। एक पंक्ति में निष्कर्षण के चरण की परिभाषा दीजिए।
- 2. मुख्य भाग — संकट कैसे बना —** हरित क्रांति की विरासत, धान और गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद और मुफ्त कृषि बिजली को समझाइए, जिन्होंने धान को सबसे कम जोखिम वाली फ़सल बना दिया। उप-मृदा जल अधिनियम, 2009 और पराली जलाने पर उसके दुष्प्रभाव का उल्लेख कीजिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

3. मुख्य भाग — असमानता का तंत्र — EPW के इस निष्कर्ष का उपयोग कीजिए कि सीमांत किसान पानी का अधिक कुशल उपयोग करते हैं पर गिरते जलस्तर का पीछा नहीं कर पाते, इसलिए बड़े मालिकों से पानी खरीदते हैं; साथ ही संगरूर-बरनाला का यह निष्कर्ष कि बड़े खेतों पर भूजल उत्पादकता कम है। इसे उस कानूनी नियम से जोड़िए जो भूजल को भू-स्वामित्व से बांधता है।
4. मुख्य भाग — नया डिज़ाइन — प्रस्ताव कीजिए: बिजली सब्सिडी के एक हिस्से को छोटे किसानों और काश्तकारों की सीधी सहायता की ओर मोड़ना, गारंटीशुदा मूल हक के साथ 'पानी बचाओ, पैसा कमाओ' का विस्तार, सामूहिक सिंचाई, वैकल्पिक फसलों के लिए केंद्रीय सहायता और मूल्य-आश्वासन, और भूजल को साझा संसाधन मानने की दिशा में कानूनी बदलाव।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि जलभूत और छोटे किसान को एक साथ तभी बचाया जा सकता है जब सब्सिडी वास्तविक कृषक के पीछे चले और निकाले गए पानी के बजाय बचाए गए पानी को पुरस्कृत करें, और उस संक्रमण की लागत में केंद्र भी हिस्सा बँटाए जिससे कभी पूरे देश को लाभ मिला था।

प्रश्न 1. आप संगरूर के उपायुक्त हैं। छोटे किसान शिकायत करते हैं कि बड़े भूस्वामी सिंचाई के पानी के लिए उनसे मनमानी दरें वसूलते हैं। आप क्या कर सकते हैं?

दृष्टिकोण (Approach): निजी तौर पर पंप किए गए पानी का दाम मैं तय नहीं कर सकता, पर निर्भरता घटा सकता हूँ। मैं उन गाँवों की पहचान करूँगा जहाँ कई छोटे किसानों के पास नलकूप नहीं हैं, और मनरेगा, सहकारी ऋण और राज्य के किसी भी सिंचाई कोष का सहारा लेकर उन्हें साझा सामुदायिक नलकूप के लिए जल उपयोगकर्ता समूह बनाने में मदद करूँगा। मैं बिजली वितरण कंपनी से ऐसे सामूहिक कनेक्शनों के फ्रीडों को प्राथमिकता देने को कहूँगा। कृषि अधिकारी कम अवधि वाली धान की किस्मों और सुनिश्चित खरीदारों वाली वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देंगे। मैं प्रचलित जल-दरों का दस्तावेजीकरण भी करूँगा, क्योंकि संपत्ति के इस हस्तांतरण का साक्ष्य ही राज्य को सब्सिडी नए सिरे से गढ़ने के लिए राजी करता है।

प्रश्न 2. पंजाब के बिजली सचिव के रूप में आप 'पानी बचाओ, पैसा कमाओ' में नामांकन कैसे बढ़ाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): कम नामांकन अविश्वास का संकेत है, इसलिए पहला कदम लिखित गारंटी है कि योजना में शामिल होने से किसान का मुफ्त हक कभी नहीं घटेगा और मीटर केवल प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए है। भुगतान तुरंत और दिखाई देने वाला होना चाहिए, बेहतर हो कि हर बिलिंग चक्र में खाते में आए, ताकि पड़ोसी योजना को काम करते देखें। मैं किसान संगठनों और सहकारी समितियों को विरोधी मानने के बजाय साझेदार बनाऊँगा। मैं गाँव-वार बचत और भुगतान भी प्रकाशित करूँगा, ताकि संरक्षण स्थानीय गौरव और आय का स्रोत बन जाए।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भूजल बचाने के लिए भारत को पंजाब से धान की खरीद बंद कर देनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): खरीद को अचानक बंद करने से पंजाब की कृषि आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और गंभीर अशांति पैदा हो सकती है, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं कि किसान पानी बचाने वाली फसलों की ओर जाएँगे। समस्या खरीद अपने-आप में नहीं, बल्कि यह है कि किसी और फसल को वैसा आश्वासन नहीं मिलता। चरणबद्ध तरीका अति-दोहित प्रखंडों में धान की खरीद की सीमा तय करेगा या उसे धीरे-धीरे घटाएगा, और साथ ही मक्का और दलहन जैसे विकल्पों को बराबर का मूल्य-आश्वासन और प्रसंस्करण सहायता देगा, तथा धान से हटाए गए प्रति हेक्टेयर पर केंद्रीय मदद देगा। लक्ष्य फसलों के सापेक्ष जोखिम को बदलना है, न कि उन किसानों को दंडित करना जिन्होंने राज्य द्वारा बनाए गए प्रोत्साहनों के अनुसार काम किया।

3.3 घर पर भोजन पर खर्च हुए रुपये का 57.8% किसान को मिलता है, बाहर खाने पर केवल 8.4%

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख में अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI), भारत की सुधा नारायणन और बरुण देब पाल तथा मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की अदिति गौतम वह प्रस्तुत करते हैं जिसे वे 2011-12 से 2023-24 तक समूचे भोजन का पहला व्यवस्थित अनुमान बताते हैं। भारत की आपूर्ति-उपयोग तालिकाओं (supply-use tables) का उपयोग करके, जो अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के बीच होने वाले लेन-देन दर्ज करती हैं, वे 'फूड डॉलर सीरीज़' (Food Dollar series) नामक पद्धति लागू करते हैं, जो हर रुपये को खुदरा, परिवहन, प्रसंस्करण और सेवा से होते हुए वापस खेत तक खोजती है। 'कृषि हिस्सा' (farm share) वह भाग है जो स्वयं कृषि को मिलता है। 2023-24 में जब किसी उपभोक्ता ने घर पर खाए जाने वाले भोजन पर एक रुपया खर्च किया, तो उसका 57.8% तक खेत को मिला, जो 2011-12 में 51.8% था। घर से बाहर खाए गए भोजन में कृषि हिस्सा केवल 8.4% था और घटता जा रहा है; 2010 के दशक में यह लगभग 10% था। यह अंतर अपेक्षित है, क्योंकि रेस्तराँ में भोजन तैयार करना, परोसना और व्यापार लंबी शृंखलाओं में मूल्य सोख लेते हैं। भारत का कृषि हिस्सा दूसरे देशों से काफी ऊँचा है; 2005-15 के दौरान 61 देशों के

अनुमान घर पर भोजन के खर्च में कृषि हिस्सा लगभग 27% बताते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका में घर से बाहर भोजन पर खर्च में कृषि हिस्सा केवल 4% है। घरों की भोजन-खरीद में अब भी बिना प्रसंस्करण वाली या न्यूनतम प्रसंस्कृत, जल्दी खराब होने वाली, ऊँचे मूल्य की वस्तुओं का बोलबाला है। कोई भी प्रसंस्कृत और पैकेटबंद भोजन (लेखकों के संक्षेप में 'PPF') खाने वाले परिवारों का हिस्सा 2011-12 से 2022-23 के बीच 82.2% से बढ़कर 96.6% हो गया, पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) में ऐसे भोजन का हिस्सा मुश्किल से बढ़ा। प्रसंस्करण उद्योग में अब भी कम मार्जिन वाली पिसाई (milling) का दबदबा है, जो ज्यादातर असंगठित है और जिसमें मूल्यवर्धन कम है। बाहर खाना कुल भोजन उपभोग का लगभग 13% है, जो अमेरिका और चीन से बहुत कम है। लेखकों को उम्मीद है कि इन रूझानों के आगे बढ़ने के साथ कुल कृषि हिस्सा घटेगा। वे सावधान करते हैं कि कम हिस्से के साथ ऊँचा शुद्ध लाभ भी हो सकता है: किसानों को खीरे की किस्म घेरकिन (gherkin) के खुदरा दाम का केवल 3-5% मिलता है, फिर भी वे इससे टमाटर की तुलना में ज्यादा कमाते हैं, जहाँ उनका हिस्सा ऊँचा है। ऊँचा हिस्सा भी मुनाफ़े की गारंटी नहीं है: अमूल के सहकारी डेयरी किसानों को ऐतिहासिक रूप से खुदरा दाम का 60% से अधिक मिलता रहा है, फिर भी चारे की बढ़ती लागत उनकी आय को निचोड़ सकती है। उनका नुस्खा है कि किसान आगे की कड़ियों, यानी खाद्य, पेय और लॉजिस्टिक्स उद्यमों के मालिक बनें, जहाँ भविष्य के और बेहतर वेतन वाले रोज़गार पैदा होने की संभावना है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति शृंखलाएँ।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारतीय आहार अब भी घर पर पकाने के लिए खरीदे गए ताज़ा, न्यूनतम प्रसंस्कृत भोजन पर टिका है → छोटी मूल्य शृंखलाएँ बड़ा हिस्सा, 2023-24 में 57.8%, खेत के पास छोड़ती हैं → बढ़ती आय पैकेटबंद भोजन को लगभग हर घर तक ले आती है और बाहर खाने को बढ़ाती है → घर से बाहर का भोजन रेस्तराँ और सेवाओं से होकर गुज़रता है, जहाँ कृषि हिस्सा केवल 8.4% है और घट रहा है → कुल कृषि हिस्सा घटना तय है, इसलिए खेत से दूर जा रहे मूल्य को पकड़ने के लिए किसानों को आगे के उद्यमों का मालिक बनना होगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. कृषि हिस्सा यह मापता है कि उपभोक्ता का रुपया कहाँ जाता है, यह नहीं कि किसान कितना कमाता है — फूड डॉलर सीरीज़ (Food Dollar series) संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग (USDA) की आर्थिक अनुसंधान सेवा (Economic Research Service) ने विकसित की थी, ताकि उपभोक्ता के भोजन पर खर्च हुए हर डॉलर को खेत और उसके बाद की 'विपणन' गतिविधियों, यानी प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, थोक और खुदरा व्यापार, और खाद्य सेवा, के बीच बाँटा जा सके। यह आगत-निर्गत तालिकाओं (input-output tables) का उपयोग करती है, जो दिखाती हैं कि हर उद्योग हर दूसरे उद्योग से कितना खरीदता है, इसलिए यह किसी एक वस्तु के बजाय पूरी खाद्य व्यवस्था को पकड़ती है। यह प्याज़ या टमाटर के लिए अक्सर उद्धृत 'मूल्य अंतर' (price spread) से अलग है, जो किसी एक उत्पाद के खेत पर मिलने वाले दाम और खुदरा दाम की तुलना करता है। कृषि हिस्सा सकल राजस्व का हिस्सा है; किसान की शुद्ध आय आगे बीज, उर्वरक, चारा और मजदूरी जैसी आगत लागतों पर निर्भर करती है।
2. एंजेल का नियम बताता है कि देश जैसे-जैसे अमीर होते हैं, कृषि हिस्सा क्यों घटता है — एंजेल का नियम (Engel's law) कहता है कि परिवार की आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च होने वाला अनुपात घटता है, भले ही भोजन पर कुल खर्च बढ़ जाए। भोजन के भीतर भी अमीर परिवार ज्यादा सुविधा, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाहर खाना खरीदते हैं, इसलिए हर रुपये का बड़ा हिस्सा कच्ची उपज के बजाय सेवाओं के लिए जाता है। भारत के आँकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षणों से आते हैं, जो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) बताते हैं, और राष्ट्रीय लेखा के हिस्से के रूप में संकलित आपूर्ति-उपयोग तालिकाओं से। इसलिए ऊँचा कृषि हिस्सा उन अर्थव्यवस्थाओं की पहचान है जहाँ भोजन ज्यादातर ताज़ा खरीदा जाता है और घर पर पकाया जाता है।
3. केंद्र सरकार का खाद्य प्रसंस्करण अभियान तीन मुख्य योजनाओं से चलता है — खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana, 2017) चलाता है, जो मेगा फूड पार्कों, शीत शृंखलाओं और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए एक समग्र केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME), जो 2020 में केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में शुरू हुई, ऋण-संबद्ध सब्सिडी और 'एक ज़िला एक उत्पाद' (One District One Product) दृष्टिकोण के ज़रिए छोटी, असंगठित इकाइयों की मदद करती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI, 2021) बड़ी कंपनियों को बिक्री में वृद्धि और ब्रांडिंग के लिए पुरस्कृत करती है। खाद्य प्रसंस्करण में स्वचालित मार्ग से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है, और भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार, जिसमें ई-कॉमर्स भी शामिल है, में सरकारी मार्ग से 100% तक।
4. आगे की कड़ियों में किसान-स्वामित्व के दो भारतीय मॉडल पहले से मौजूद हैं — डेयरी सहकारिताओं का आनंद पैटर्न 1946 में खेड़ा (Kaira) ज़िला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ से शुरू हुआ, जिसका ब्रांड अमूल है; 1965 में आनंद में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने 1970 से ऑपरेशन फ़्लड के माध्यम से इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन, तीनों के मालिक किसान हैं, इसीलिए उन्हें खुदरा दाम का बड़ा हिस्सा मिलता है। दूसरा मॉडल किसान उत्पादक संगठन (FPO) है, जो सहकारी समिति के रूप में या उत्पादक कंपनी के रूप में पंजीकृत होता है; उत्पादक कंपनी का कानूनी रूप वाई.के. अलघ की अध्यक्षता वाली

	समिति की सिफ़ारिश पर कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 से लाया गया था। 10,000 FPO के गठन और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्रक योजना 2020 में शुरू हुई।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	GS3 खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति शृंखला को नाम लेकर सूचीबद्ध करता है — पाठ्यक्रम भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों के बारे में पूछता है: उनका दायरा और महत्व, स्थान, ऊपरी और निचली कड़ियों की आवश्यकताएँ, और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन। मुख्य परीक्षा में पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण अब भी अविकसित क्यों है और यह कृषि आय कैसे बढ़ा सकता है। यह लेख एक दुर्लभ, मात्रात्मक ढाँचा देता है: भोजन के रुपये में कृषि हिस्सा, और यह कि ऊँचा हिस्सा ज़रूरी नहीं कि अच्छी खबर हो। किसानों की आय दोगुनी करना और विपणन सुधार मुख्य परीक्षा में बार-बार लौटते हैं — कृषि आय, APMC सुधार, e-NAM, अनुबंध खेती और FPO पर प्रश्न नियमित रूप से आते हैं। घेरकिन और अमूल के उदाहरण ठीक वैसा ठोस साक्ष्य हैं जिसे परीक्षक अंक देते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि उम्मीदवार समझता है कि हिस्सा और आय अलग-अलग चीज़ें हैं। प्रारंभिक परीक्षा योजनाओं की संरचना परखती है — UPSC ने खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं की विशेषताओं, खाद्य खुदरा और प्रसंस्करण में FDI के नियमों, और उत्पादक कंपनियों के कानूनी रूप के बारे में पूछा है। कौन-सी योजना केंद्रीय क्षेत्रक है और कौन-सी केंद्र प्रायोजित, यह जानना एक आम जाल है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● उपभोक्ता के भोजन-खर्च को खेत और खेत के बाद की विपणन गतिविधियों के बीच बाँटने वाली फ़ूड डॉलर सीरीज़ संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की आर्थिक अनुसंधान सेवा ने विकसित की थी। ● एंजेल का नियम कहता है कि परिवार की आय बढ़ने पर आय का वह अनुपात घटता है जो भोजन पर खर्च होता है। ● प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PMFME) योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 'एक ज़िला एक उत्पाद' दृष्टिकोण अपनाती है। ● प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक समग्र केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसमें मेगा फ़ूड पार्क और शीत शृंखला अवसंरचना शामिल हैं। ● उत्पादक कंपनियों को वाई.के. अलघ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिशों के बाद कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा कंपनी कानून में शामिल किया गया। ● राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में है, और इसने 1970 से ऑपरेशन फ़्लड लागू किया। ● भारत में निर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पादों के व्यापार में, जिसमें ई-कॉमर्स के माध्यम से व्यापार भी शामिल है, सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	भारत का ऊँचा कृषि हिस्सा उथले खाद्य उद्योग का संकेत है, न्यायपूर्ण व्यवस्था का नहीं — 57.8% का कृषि हिस्सा किसानों के लिए अच्छी खबर लगता है, पर यह मुख्य रूप से यह दर्शाता है कि भारत में खेत और रसोई के बीच भोजन के साथ कितना कम होता है: थोड़ा प्रसंस्करण, थोड़ी पैकेजिंग, थोड़ा ब्रांडेड खुदरा व्यापार। जिन देशों में खेतों को लगभग 27% मिलता है, वे ज़रूरी नहीं कि किसानों का शोषण कर रहे हों; उनकी खाद्य व्यवस्थाएँ खेत के बाद कहीं ज़्यादा मूल्य जोड़ती हैं। लेखक स्वयं मानते हैं कि आय बढ़ने के साथ यह हिस्सा घटेगा। इसलिए नीति को किसानों की निरपेक्ष आय और जोड़े गए मूल्य में उनकी हिस्सेदारी को लक्ष्य बनाना चाहिए, न कि ऊँचे हिस्से का बचाव अपने-आप में करना चाहिए। बढ़ते हिस्से को सफलता मान लेना उस प्रसंस्करण निवेश को भी हतोत्साहित कर सकता है जो रोज़गार पैदा करता है। मूल्य रेस्तराँ की ओर जा रहा है, जहाँ किसान की मौजूदगी सबसे कम है — घर से बाहर के भोजन में कृषि हिस्सा 8.4% है और घट रहा है, जबकि बाहर खाना, जो अब भोजन उपभोग का लगभग 13% है, खाद्य अर्थव्यवस्था का सबसे तेज़ी से बढ़ता हिस्सा है। रेस्तराँ, क्लाइड किचन और डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म थोक विक्रेताओं और एग्रीगेटरों के माध्यम से खरीदते हैं, और किसान का उनसे कोई अनुबंध नहीं होता। जैसे-जैसे यह खंड बढ़ेगा, राष्ट्रीय भोजन-रुपये का अधिक हिस्सा उन सेवाओं को मिलेगा जिनका मालिक किसान नहीं है। व्यावहारिक जवाब FPO और खाद्य-सेवा शृंखलाओं के बीच सीधी आपूर्ति कड़ियाँ और किसानों के स्वामित्व वाले 'रेडी-टू-कुक' उत्पाद हैं, न कि रेस्तराँ के मार्जिन को विनियमित करने की कोशिश। हिस्सा और आय अलग हैं, इसलिए आगत लागत उतनी ही मायने रखती है जितना मार्जिन — घेरकिन का मामला दिखाता है कि बहुत छोटे हिस्से के साथ भी अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है, क्योंकि अनुबंध खेती सुनिश्चित दाम, आगत और निर्यात देती है। अमूल का मामला दिखाता है

कि बड़ा हिस्सा होने पर भी किसान दबाव में आ सकते हैं, यदि चारे की लागत बढ़े और खुदरा दाम उसके साथ न बढ़ें। 'बिचौलियों' पर सार्वजनिक बहस का बड़ा हिस्सा यह मानकर चलता है कि कम कृषि हिस्से का अर्थ शोषण है, जिसका साक्ष्य समर्थन नहीं करता। किसान का भला कम आगत लागत, बेहतर पैदावार और स्थिर दामों से ज़्यादा होता है, बजाय उस मध्यस्थ को हटाने के जो वास्तव में भंडारण, ऋण और परिवहन उपलब्ध करा रहा हो सकता है। विपरीत मत यह है कि कई मंडियों में गुटबंद व्यापारी सचमुच किराया (rent) वसूलते हैं, इसलिए जवाब प्रतिस्पर्धी है, व्यापार का उन्मूलन नहीं।

4. आगे की कड़ियों में किसान-स्वामित्व सही दिशा है, पर भारत के FPO अभी इसके लिए तैयार नहीं — लेखकों का नुस्खा, यानी खाद्य, पेय और लॉजिस्टिक्स उद्यमों पर किसानों का स्वामित्व, दूध से आगे लागू किया गया अमूल का ही तर्क है। पर अधिकांश FPO नए हैं, उनकी पूँजी कम है और उनके पास पैसेवर प्रबंधन नहीं है, जबकि प्रसंस्करण के लिए कार्यशील पूँजी, गुणवत्ता प्रमाणन और ब्रांड-निर्माण चाहिए। दूध इसलिए सफल हुआ क्योंकि वह रोज़ का, जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है जिसे सामूहिक रूप से टंडा करना पड़ता है; अनाज और सब्जियों को संगठित करना कठिन है। यथार्थवादी रास्ता यह है कि FPO प्राथमिक प्रसंस्करण, यानी ग्रेडिंग, छुटाई, सफ़ाई और भंडारण, से शुरुआत करें और इक्विटी या दीर्घकालिक अनुबंधों के ज़रिए निजी प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ साझेदारी करें, बजाय इसके कि एक झटके में ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पाद बनाने की कोशिश करें।

5. पहला व्यवस्थित माप आधिकारिक आँकड़ा बनना चाहिए — कृषि दामों पर भारत की बहस अब तक क्रिस्सों पर चलती रही है, आमतौर पर किसी सब्जी के खेत पर मिलने वाले दाम और शहर के खुदरा दाम की वायरल तुलना पर। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि अब तक समूचे भोजन-खर्च में कृषि हिस्से का लगभग कोई व्यवस्थित माप नहीं था। चूंकि यह पद्धति उन आपूर्ति-उपयोग तालिकाओं का उपयोग करती है जिन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहले से संकलित करता है, इसलिए कृषि मंत्रालय या सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ऐसी शृंखला नियमित रूप से प्रकाशित कर सकता है, जैसा USDA करता है। नियमित आँकड़ों से नीति यह परख सकेगी कि PMFME और FPO कार्यक्रम जैसी योजनाएँ वास्तव में किसानों के हाथ आने वाले मूल्य का हिस्सा बढ़ाती हैं या नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“उपभोक्ता के भोजन-खर्च में ऊँचे कृषि हिस्से को अक्सर किसानों के प्रति न्याय के रूप में पढ़ा जाता है, पर यह समान रूप से अविकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का संकेत भी हो सकता है।” भारत के हाल के अनुमानों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। किसान फ़सल-कटाई के बाद के मूल्य का बड़ा हिस्सा कैसे हासिल कर सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. भूमिका — कृषि हिस्से की परिभाषा दीजिए और IFPRI के अनुमान उद्धृत कीजिए: 2023-24 में घर पर भोजन के खर्च का 57.8% (2011-12 के 51.8% से अधिक), पर बाहर खाए गए भोजन पर खर्च का केवल 8.4%, जबकि 61 देशों में घर के भोजन के लिए यह लगभग 27% है।
2. मुख्य भाग — भारत का हिस्सा ऊँचा क्यों है — ताज़ा, न्यूनतम प्रसंस्कृत भोजन के वर्चस्व, लगभग सार्वभौमिक उपभोग (82.2% से 96.6% परिवार) के बावजूद MPCE में पैकेटबंद भोजन के कम हिस्से, कम मार्जिन वाली असंगठित पिसाई, और भोजन उपभोग में बाहर खाने के केवल लगभग 13% हिस्से को समझाइए। इसे एंजेल के नियम से जोड़िए।
3. मुख्य भाग — हिस्सा आय क्यों नहीं है — घेरकिन का उदाहरण (खुदरा दाम का 3-5%, फिर भी टमाटर से बेहतर लाभ) और अमूल का उदाहरण (60% से अधिक हिस्सा, फिर भी चारे की लागत से दबाव) दीजिए। सकल हिस्से और शुद्ध आय में अंतर स्पष्ट कीजिए।
4. मुख्य भाग — मूल्य हासिल करना — FPO और उत्पादक कंपनियों, सहकारी डेयरी मॉडल, PMFME, किसान संपदा और PLI, अनुबंध खेती, खाद्य सेवा और लॉजिस्टिक्स से सीधी कड़ियों, और कृषि हिस्से के नियमित आधिकारिक आँकड़े पर चर्चा कीजिए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि कृषि हिस्से का घटना जब अवश्यंभावी है, तो लक्ष्य किसानों को खेत से दूर जा रहे मूल्य का मालिक बनाना है, क्योंकि भविष्य के और बेहतर वेतन वाले रोज़गार वहीं होंगे।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप उस ज़िले के कलेक्टर हैं जिसे ‘एक ज़िला एक उत्पाद’ के तहत टमाटर के लिए चुना गया है। बंपर पैदावार के समय किसान टमाटर फेंक देते हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं PMFME के ज़िला संसाधन व्यक्तियों के साथ मिलकर प्युरी, सूखे टमाटर और सास के लिए छोटी प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करवाऊँगा, जिनके मालिक FPO या महिला स्वयं सहायता समूह हों, ताकि अतिरिक्त उपज को निकास मिले। खेतों के पास ग्रेडिंग और शीत भंडारण जैसी प्राथमिक अवसंरचना को किसान संपदा के कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर और शीत शृंखला घटकों के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। मैं सुनिश्चित अनुबंधों के लिए FPO

को पास के शहरों के खाद्य-सेवा खरीदारों और संस्थागत रसोइयों से जोड़ूंगा। सफलता का मापदंड अगली बंपर पैदावार के दौरान मजबूरी में होने वाली बिक्री में कमी होगी।

प्रश्न 2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव के रूप में आप IFPRI के अनुमानों का नीति में कैसे उपयोग करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और लेखकों से आपूर्ति-उपयोग तालिकाओं पर आधारित नियमित कृषि-हिस्सा शृंखला को संस्थागत रूप देने में मदद माँगूंगा, ताकि मंत्रालय के पास एक आधार-रेखा हो। फिर मैं योजनाओं के परिणाम किसानों द्वारा हासिल मूल्य के रूप में तय करूंगा, उदाहरण के लिए FPO के राजस्व में प्रसंस्कृत उत्पादों का हिस्सा। जो योजनाएँ किसान-जुड़ाव के बिना केवल क्षमता के लिए धन देती हैं, उन्हें इस तरह नए सिरे से गढ़ा जाएगा कि वे FPO से खरीद को प्रोत्साहित करें। ये आँकड़े उन भटकी हुई बहसों को भी सुधारेगा जो हर मध्यस्थ को शोषक मान लेती हैं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या बिचौलिए भारतीय किसानों की गरीबी का मुख्य कारण हैं?

दृष्टिकोण (Approach): सामान्य नियम के रूप में साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करता। घर पर भोजन के खर्च में भारत का कृषि हिस्सा लगभग 57.8% है, जो अधिकांश देशों से ऊँचा है, इसलिए औसतन मध्यस्थ असामान्य रूप से बड़ा हिस्सा नहीं लेते। किसानों की गरीबी मुख्यतः छोटी ज़ोनों, कम उत्पादकता, दामों की अस्थिरता और बढ़ती आगत लागतों से आती है। जहाँ बाज़ार पतले या गुटबंद हैं, वहाँ मध्यस्थ सचमुच किराया वसूलते हैं, इसलिए e-NAM, निजी मंडियों और FPO के ज़रिए प्रतिस्पर्धा मूल्यवान है। पर व्यापारी के भंडारण, ऋण और परिवहन कार्यों का विकल्प दिए बिना उसे हटा देना किसानों की हालत और बिगाड़ सकता है।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

संयुक्त राष्ट्र आज भी वह जगह है जहां दुनिया बात करने जाती है, पर इस सप्ताह साफ हो गया कि फैसले अब वहां नहीं होते। एक अमेरिकी राष्ट्रपति महासभा के मंच से एक सदस्य देश को 'विनाश' की धमकी देता है, सुरक्षा परिषद के कुछ न कर पाने के कारण 'गैर-महाशक्तियों' का एक नया क्लब बनता है, और तकनीक की दो महाशक्तियां AI के नियम तय करने वाशिंगटन के एक द्विपक्षीय कमरे में जा बैठती हैं। चारों खबरों में भारत का उत्तर एक ही है: जिस मेज पर बैठ सके, बैठो; मुद्दा-दर-मुद्दा गठबंधन बनाओ; और अपनी स्मृति तथा अपने हितों की रक्षा स्वयं करो। यहां तक कि हाइफा में 108 वर्ष पहले हुआ घुड़सवार सेना का एक धावा भी आज इस प्रश्न में बदल जाता है कि भारत इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संतुलन कैसे साधता है।

4.1 ट्रंप ने UNGA से कहा — उन्हें ईरान समझौते और 'विनाश' में से एक चुनना है; होर्मुज़ में व्यवधान जारी

समाचार (THE NEWS) संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार, 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly — UNGA) के 81वें सत्र में कहा कि उनके सामने “एक बड़ा फैसला” है: या तो ऐसा समझौता जो ईरान को “फिर से खड़ा होने और कहीं बड़ा देश बनने” दे, या फिर “इस्लामी गणराज्य का विनाश, और वह भी जल्दी”। 37 मिनट के भाषण में उन्होंने “सभी राष्ट्रों” से ईरान का “पूर्ण आर्थिक अलगाव” लागू करने का आग्रह किया, फिर भी भविष्यवाणी की कि समझौता “चुनाव के ठीक बाद” होगा — यानी 3 नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनाव, जिनमें द हिंदू के अनुसार उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर कांग्रेस गंवाने का खतरा है, और इसका एक कारण ईंधन की ऊंची कीमतें हैं। युद्ध फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिकी-इज़राइली हमलों से शुरू हुआ, जिसे वाशिंगटन ने “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” (Operation Epic Fury) नाम दिया; एक अंतरिम समझौता, जिस पर ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान ने हस्ताक्षर किए थे, कुछ ही सप्ताह बाद जुलाई में टूट गया। तब से ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में वाणिज्यिक जहाजों पर गोलीबारी की है — यह वही संकरा समुद्री मार्ग है जिससे युद्ध से पहले दुनिया के हाइड्रोकार्बन का पांचवां हिस्सा गुजरता था — और मांग की है कि यहां से गुजरने के लिए उसकी स्वीकृति ली जाए; बदले में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की जवाबी नाकेबंदी कर रखी है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि यदि अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटा ले तो ईरान “कुछ ही दिनों में” होर्मुज़ खोल सकता है; उन्होंने UNGA को “सुनहरा अवसर” बताया और कहा कि ईरान ने 16 सितंबर को मध्यस्थों के जरिए एक प्रस्ताव भेजा था। बुधवार को बोलने वाले पेज़ेशकियान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी धरती पर आने वाले सबसे उच्च पदस्थ ईरानी अधिकारी हैं; उनकी संचार टीम को वीज़ा नहीं दिया गया, जिसे तेहरान ने “शत्रुतापूर्ण” कहा। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बसेंट ने कहा कि सभी ईरानी एयरलाइनें “दुनिया भर में बंद कर दी जाएंगी”, और उन्हें सेवा देने वाली विदेशी कंपनियों को द्वितीयक प्रतिबंधों (secondary sanctions) — यानी तीसरे देशों की कंपनियों पर दंड — की धमकी दी। यमन के ईरान-समर्थित हतियों ने इसी महीने देश के पूरे लाल सागर तट पर कब्ज़ा कर लिया है और वे बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण चाहते हैं; संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जबूती भाग रहे शरणार्थियों की संख्या 10,000 तक पहुंच गई है। हतियों का आरोप है कि सऊदी हमलों में उत्तर-पश्चिमी यमन में जेल के नौ बंदी, मोखा में छह नागरिक और अल-जौफ़ में दो नागरिक मारे गए; ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने सऊदी अरब को हवा में ईंधन भरने (aerial refuelling) की सुविधा की पेशकश की है। सऊदी अरब ने 13 सितंबर को ड्रोन हमलों से बंद हुई अपनी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन फिर चालू कर दी है, जो लगभग 40 लाख बैरल प्रतिदिन — वैश्विक आपूर्ति का करीब 4% — लाल सागर के बंदरगाह यानबू की ओर मोड़ती है; इस पर ब्रेंट कच्चा तेल 2 डॉलर से अधिक गिर गया। इसी दौरान अलग से ट्रंप, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की अनुमति देता है, पर उसे डेनमार्क के नियंत्रण में ही रखता है, चाहे वह स्वतंत्र ही क्यों न हो जाए। कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक भारत के लिए 21 सितंबर को भारतीय बास्केट 117.36 डॉलर प्रति बैरल और रुपया ₹95.59 प्रति डॉलर पर था। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, अन्य देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; सामान्य अध्ययन-3, ऊर्जा सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिकी-इज़राइली हमले (‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’) → ईरान जहाजों पर गोलीबारी करता है और होर्मुज़ से गुजरने के लिए अपनी स्वीकृति की मांग करता है; अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की जवाबी नाकेबंदी करता है → दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर वाला अंतरिम समझौता जुलाई में टूट जाता है → हूती यमन के लाल सागर तट पर कब्ज़ा करते हैं और 13 सितंबर को ड्रोन सऊदी अरब की वैकल्पिक पाइपलाइन बंद कर देते हैं → UNGA में ट्रंप ईरान के पूर्ण आर्थिक अलगाव की मांग करते हैं, साथ ही 3 नवंबर के मध्यावधि चुनाव के बाद समझौते का वादा भी

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- होर्मुज़ और बाब-अल-मंदेब पश्चिम एशियाई तेल के दो दरवाज़े हैं, और सऊदी पाइपलाइन उसका बगल वाला दरवाज़ा — होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है, और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर से जोड़ता है। बाब-अल-मंदेब अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका के जबूती व इरिट्रिया के बीच है, और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है; लाल सागर उत्तर में स्वेज नहर होते हुए यूरोप तक ले जाता है। सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन उसके पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल प्रायद्वीप के आर-पार लाल सागर पर स्थित यानबू तक ले जाती है, और इसी कारण बंद होर्मुज़ से बचने का यह मुख्य रास्ता है। इसलिए बाब-अल-मंदेब पर हतियों की मौजूदगी केवल लाल सागर के नौवहन के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि उस वैकल्पिक मार्ग के लिए भी है जो होर्मुज़ से बचने के लिए ही बनाया गया था।
- महासभा हर सदस्य की आवाज़ है, पर किसी को बाध्य नहीं करती — महासभा (General Assembly) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV (अनुच्छेद 9 से 22) के तहत हुई है; हर सदस्य का एक मत है, और बजट व चुनाव जैसे ‘महत्वपूर्ण प्रश्नों’ पर निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है

(अनुच्छेद 18)। इसके संकल्प सिफारिशें मात्र हैं, सिवाय आंतरिक मामलों के, जैसे अनुच्छेद 17 के तहत बजट। वार्षिक आम बहस (General Debate) हर सितंबर में शुरू होती है, और पुरानी परंपरा के अनुसार पहले ब्राज़ील बोलता है और दूसरे स्थान पर मेज़बान देश अमेरिका। अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है; एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को पदभार संभाला था और उनका दूसरा कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है। 'शांति के लिए एकता' (Uniting for Peace) संकल्प 377 (1950) महासभा को यह अधिकार देता है कि वीटो के कारण परिषद के ठप होने पर वह शांति के लिए खतरे के मामले को स्वयं उठा सके।

3. **द्वितीयक प्रतिबंध भारत तक पहुंचते हैं, भले ही निशाना भारत न हो** — प्राथमिक प्रतिबंध (primary sanctions) किसी देश के अपने नागरिकों और कंपनियों को लक्षित देश से लेन-देन करने से रोकते हैं; द्वितीयक प्रतिबंध उन तीसरे देशों की कंपनियों को धमकाते हैं जो लक्षित देश से कारोबार करती हैं, आमतौर पर उन्हें अमेरिकी बाज़ार और डॉलर व्यवस्था से काटकर। मई 2018 में अमेरिका के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action — JCPOA), यानी 2015 के ईरान परमाणु समझौते से हटने और 2019 में छूटे समाप्त करने के बाद भारत ने ईरानी कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया। ईरान में भारत के संपर्क-दांव हैं: ओमान की खाड़ी पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह, जहां भारत ने मई 2024 में शाहिद बेहेशती टर्मिनल चलाने का दस वर्षीय अनुबंध किया, और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), जिस पर भारत, ईरान और रूस 2000 में सहमत हुए थे। इसलिए ईरान पर प्रतिबंधों की हर सख्ती इन परियोजनाओं को जीवित रखने की भारत की क्षमता की परीक्षा लेती है।
4. **ग्रीनलैंड स्वायत्त है, डेनमार्क का है, और अमेरिका के लिए सामरिक रूप से अपरिहार्य है** — दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य (Kingdom of Denmark) के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है; इसे 1979 में गृह शासन (home rule) मिला, और 2009 का स्वशासन अधिनियम (Self-Government Act) ग्रीनलैंडवासियों को स्वतंत्रता सहित आत्मनिर्णय के अधिकार वाले एक जन-समुदाय के रूप में मान्यता देता है। 1951 का अमेरिका-डेनमार्क रक्षा समझौता वहां अमेरिकी ठिकानों को नियंत्रित करता है, जिनमें मिसाइल चैतावनी के लिए प्रयुक्त पिटुफ़िक अंतरिक्ष अड्डा (Pituffik Space Base, पूर्व में थुले) शामिल है। डेनमार्क NATO (1949) का संस्थापक सदस्य है, जिसका अनुच्छेद 5 एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला मानता है। 1996 की ओटावा घोषणा से गठित आर्कटिक परिषद (Arctic Council) के आठ आर्कटिक राज्य सदस्य हैं; भारत 2013 से इसका पर्यवेक्षक है, 2008 से स्वालबार्ड (नॉर्वे) के नी-ओलेसुंड में हिमाद्रि अनुसंधान केंद्र चला रहा है, और उसने 2022 में अपनी आर्कटिक नीति जारी की।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **सामान्य अध्ययन-2 पूछता है कि दूसरे देशों की नीतियां भारत के हितों को कैसे प्रभावित करती हैं** — पाठ्यक्रम की पंक्ति 'विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों व राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव, प्रवासी भारतीय' इस खबर पर पूरी तरह लागू होती है: ईरान के अलगाव की अमेरिकी मांग, खाड़ी का युद्ध और लाल सागर की नाकेबंदी — तीनों का बोझ भारत के ईंधन बिल, उसके नौवहन और खाड़ी में काम कर रहे उसके श्रमिकों पर पड़ता है। 2017 के सामान्य अध्ययन-2 प्रश्नपत्र में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण करने को कहा गया था; आज वही प्रश्न होमुंज़, सऊदी वैकल्पिक पाइपलाइन और चाबहार के सहारे हल किया जाएगा।
2. **प्रारंभिक परीक्षा बार-बार मानचित्र, जलडमरूमध्य और अवरोध बिंदुओं पर लौटती है** — जलडमरूमध्यों, लाल सागर और फारस की खाड़ी से लगे देशों, तथा चाबहार, यानबू और जिबूती जैसे बंदरगाहों की स्थिति पर मानचित्र-आधारित प्रश्न स्थायी रूप से पूछे जाते हैं। आर्कटिक भी आर्कटिक परिषद और भारत के अनुसंधान केंद्रों से जुड़े प्रश्नों के माध्यम से प्रश्नपत्र में आ चुका है। जो विद्यार्थी खाली मानचित्र पर होमुंज़, बाब-अल-मंदेब, मुसंदम और ग्रीनलैंड को सही जगह रख सकता है, उसने इस खबर से जुड़ा प्रारंभिक परीक्षा का अधिकांश जोखिम संभाल लिया है।
3. **सामान्य अध्ययन-4 और निबंध दबाव की नैतिकता को परखते हैं** — संयुक्त राष्ट्र के मंच से किसी राष्ट्राध्यक्ष का दूसरे सदस्य देश को 'नष्ट' करने की धमकी देना बल प्रयोग, प्रतिबंधों की सीमाओं और नाकेबंदी की मानवीय कीमत पर प्रश्नों के लिए तैयार उदाहरण है। जिबूती पहुंचे 10,000 शरणार्थी और यमन में नागरिकों की मौत की खबरें वह मानवीय पक्ष देती हैं जिसे परीक्षक अंक देते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- होमुंज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और ईरान तथा ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के बीच स्थित है।
- बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यमन तथा हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका के देशों जिबूती व इरिट्रिया के बीच स्थित है।

- यमन का हथी आंदोलन, जिसका औपचारिक नाम अंसार अल्लाह (Ansar Allah) है, उत्तरी यमन के ज़ैदी शिया समुदाय में जड़ें रखता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है।
- ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र है; इसका 2009 का स्वशासन अधिनियम ग्रीनलैंडवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देता है।
- भारत 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक है और 2008 से नॉर्वे के स्वालबार्ड स्थित नी-ओलेसुंड में हिमाद्रि अनुसंधान केंद्र चला रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे पर 2000 में भारत, ईरान और रूस सहमत हुए थे; चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी पर ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **ट्रंप की समय-सीमा घरेलू है, और भारत के लिए यही सबसे आशाजनक तथ्य है** — अखबार वादा किए गए समझौते को 3 नवंबर के मध्याह्न चुनाव से जोड़ते हैं, और द हिंदू रिपब्लिकन पार्टी के संकट को युद्ध से बढ़ी ईंधन की ऊंची कीमतों से जोड़ता है। जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता को मतदान से पहले सस्ता पेट्रोल चाहिए, तो समझौते का दबाव कैलेंडर में ही अंतर्निहित हो जाता है। यह 'विनाश' की बयानबाजी से अधिक महत्वपूर्ण है, जो जितनी तेहरान के वार्ताकारों के लिए है उतनी ही अमेरिकी मतदाताओं के लिए। विरोधी तर्क गंभीर है: ट्रंप स्वयं कहते हैं कि वे 'चुनाव नहीं लड़ रहे', कोई भी राष्ट्रपति मजबूत दिखने के लिए तनाव बढ़ा सकता है, और जुलाई का अंतरिम समझौता दोनों राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षर के बावजूद टूट गया। इसलिए भारत को समझौते की योजना बनानी चाहिए, पर लंबे युद्ध के विरुद्ध बीमा भी रखना चाहिए।
2. **'पूर्ण आर्थिक अलगाव' की मांग का बोझ यूरोप से अधिक भारत पर पड़ता है** — यूरोप ने ईरानी और रूसी तेल खरीदना काफी हद तक बंद कर दिया है; पर भारत — कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और द हिंदू के अनुसार रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार — ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया है। पिछले सप्ताह ट्रंप ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) पर हस्ताक्षर किए, जो रूसी तेल के शीर्ष पांच आयातकों पर 100% तक टैरिफ की अनुमति देता है, और अब बेसेंट ईरानी एयरलाइनों को सेवा देने वाले हर किसी पर द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। 117.36 डॉलर प्रति बैरल की भारतीय बास्केट और ₹95.59 प्रति डॉलर का रुपया दिखाते हैं कि युद्ध भारतीय परिवारों के लिए पहले ही कितना महंगा हो चुका है। एकमात्र गुंजाइश यह है कि नया कानून अमेरिकी राष्ट्रीय हित में प्रतिबंधों को निलंबित करने की अनुमति देता है, जिससे भारतीय वार्ताकारों के पास केवल पालन करने के बजाय मोलभाव करने के लिए कुछ है।
3. **तेल की कीमत कूटनीति नहीं, भूगोल तय कर रहा है, और अमेरिका-ईरान समझौता शायद लाल सागर न खोल पाए** — सऊदी अरब ने जैसे ही एक पाइपलाइन फिर चालू की, ब्रेंट 2 डॉलर से अधिक गिर गया — इससे पता चलता है कि बाज़ार का डर आपूर्ति से ज़्यादा मार्गों को लेकर है। लेकिन वह पाइपलाइन लाल सागर पर यानबू में खत्म होती है, जहां अब यमनी तट हथियों के कब्जे में है और उनकी नज़र बाब-अल-मंदेब पर है। इंडियन एक्सप्रेस का एक व्याख्यात्मक लेख MP-IDSA के प्रशांत कुमार प्रधान को उद्धृत करते हुए बताता है कि हथी काफी हद तक स्वतंत्र रूप से संचालन करते हैं, इसलिए तनाव घटना के ईरानी वादे हथियों के संयम की गारंटी नहीं हैं। भारत, जिसका यूरोप के साथ व्यापार सामान्यतः लाल सागर और स्वेज से होकर गुजरता है, उसके लिए यमन में समझौते के बिना होर्मुज़ पर हुआ समझौता भी माल-भाड़े और बीमा की लागत को ऊंचा ही रखेगा।
4. **मेज़ पर रखा कतर का प्रस्ताव ही एकमात्र विचार है जो समस्या की जड़ को छूता है** — नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी लक्षण का इलाज करती हैं; ईरान और अरब खाड़ी देशों को साथ लाने वाली एक साझा सुरक्षा संरचना उस कारण को संबोधित करती है जिसके चलते हर पक्ष दूसरे से डरता है। कतर के प्रधानमंत्री ने इसे सीधे शब्दों में कहा: स्थायी सुरक्षा न तो तनाव बढ़ने के चक्रों पर टिक सकती है और न ही ऐसी व्यवस्थाओं पर जो किसी राज्य को स्थायी रूप से असुरक्षा के सामने खुला छोड़ दें। भारत के ईरान, सऊदी अरब, UAE और कतर — सभी से एक साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो उसे उन गिनी-चुनी बड़ी शक्तियों में शामिल करता है जिनके पास एक पक्ष की सुरक्षा को दूसरे से ऊपर रखने का कोई कारण नहीं। आपत्ति यह है कि अखबारों के अनुसार खाड़ी देश ईरान को बहुत अधिक प्रभाव देने से सावधान हैं, और कोई भी क्षेत्रीय योजना अमेरिकी स्वीकृति के बिना टिकती नहीं।
5. **ग्रीनलैंड दिखाता है कि सहयोगी संप्रभुता की मांग को मोलभाव से घटा सकते हैं, पर केवल मिलकर** — ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में चाहते थे; उसकी जगह उन्होंने बड़ी सैन्य उपस्थिति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें डेनमार्क का नियंत्रण बरकरार है और समझौता तब भी मान्य रहेगा जब ग्रीनलैंड स्वतंत्रता चुन ले। यह परिणाम महीनों की शांत

	वार्ता, डेनमार्क के प्रधानमंत्री की इस चेतावनी कि कब्ज़ा अटलांटिक गठबंधन का अंत होगा, और EU साझेदारों के सैन्य अभ्यास बढ़ाने के बाद आया। भारत जैसी मध्यम शक्तियों के लिए सबक यह है कि गठबंधन किसी क्षेत्रीय मांग को सैन्य-अड्डा समझौते में बदल सकते हैं। सावधानी यह है कि ट्रंप ने इसका उत्तर नहीं दिया कि क्या अधिग्रहण का विकल्प खत्म हो गया है; इसलिए प्रादेशिक अखंडता का सिद्धांत, जिसकी दुहाई भारत स्वयं देता है, मोलभाव से बचाया गया है, सुलझाया नहीं गया।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	पश्चिम एशिया के युद्ध ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य और बाब-अल-मंदेब को दबाव के औज़ारों में बदल दिया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता पर इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और एक नीतिगत उत्तर सुझाएं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — 22 सितंबर के तथ्यों से शुरुआत करें: UNGA में ईरान के 'पूर्ण आर्थिक अलगाव' का ट्रंप का आह्वान, अमेरिका की जवाबी नाकेबंदी, होर्मुज़ से गुजरने पर ईरान का नियंत्रण — जिससे युद्ध से पहले विश्व के हाइड्रोकार्बन का पांचवां हिस्सा गुजरता था — और यमन के लाल सागर तट पर हथियों का कब्ज़ा। 2. मुख्य भाग — ऊर्जा सुरक्षा — कच्चे तेल के तीसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में भारत की संवेदनशीलता समझाएं: 117.36 डॉलर प्रति बैरल की भारतीय बास्केट, ₹95.59 पर रुपया, और यानबू तक जाने वाली सऊदी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन की नाजुकता। इसमें लाल सागर और स्वेज से होने वाले नौवहन तथा पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों के जोखिम को भी जोड़ें। 3. मुख्य भाग — सामरिक स्वायत्तता — 100% तक के टैरिफ वाले लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रीशिया एंड ईरान एक्ट, बेसेंट की द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी, और चाबहार व INSTC पर इसके असर की चर्चा करें। एकतरफा अलगाव में शामिल होने से भारत के इनकार की तुलना अमेरिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी की उसकी ज़रूरत से करें। 4. मुख्य भाग — नीतिगत उत्तर — कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण, बड़े सामरिक पेट्रोलियम भंडार, भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए नौसैनिक सुरक्षा और सूचना-साझाकरण, कतर के क्षेत्रीय सुरक्षा प्रस्ताव को कूटनीतिक समर्थन, और अमेरिकी कानून के राष्ट्रीय हित वाले प्रावधान के तहत छूट के लिए शांत वार्ता का सुझाव दें। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि अवरोध बिंदुओं के ज़रिए होने वाले दबाव से कोई अकेला आयातक नहीं बच सकता, इसलिए भारत की सुरक्षा विविध आपूर्ति, भंडार और ऐसे क्षेत्रीय समाधान में है जिसमें ईरान और खाड़ी देश दोनों शामिल हों।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) हैं। हथियों के कब्ज़े में अब यमन का लाल सागर तट है और सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं यमन, दक्षिणी सऊदी अरब और जिबूती में भारतीय नागरिकों की निकासी योजना को अद्यतन करूंगा, और नौसेना तथा वायुसेना को मार्गों और पड़ाव स्थलों की जानकारी दूंगा। मैं मिशन से भारतीयों का पंजीकरण करने और हेल्पलाइन जारी करने को कहूंगा, क्योंकि घबराहट तथ्यों से तेज़ फैलती है। लाल सागर पार करने वाले भारतीय नाविकों के लिए परामर्श जारी करने हेतु मैं नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) से समन्वय करूंगा। कूटनीतिक स्तर पर मैं रियाद, तेहरान और मध्यस्थों के ज़रिए ज़मीन पर मौजूद पक्षों से संवाद के रास्ते खुले रखूंगा, क्योंकि निकासी के लिए हर पक्ष से सुरक्षित मार्ग चाहिए। प्रश्न 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव के रूप में, यदि होर्मुज़ में व्यवधान अगले छह महीने और बना रहे, तो आप उपभोक्ताओं की रक्षा कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से दीर्घकालिक अनुबंध पक्के करूंगा जिनका माल होर्मुज़ से होकर नहीं आता, और जब तक सऊदी लाल सागर मार्ग चालू है, उसे प्राथमिकता दूंगा। सामरिक भंडार को केवल एक स्पष्ट ट्रिगर पर ही खाली किया जाना चाहिए और कीमतें गिरने पर फिर भरा जाना चाहिए। कीमत के झटके का कितना हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाला जाए, इस पर मैं वित्त मंत्रालय से समन्वय करूंगा, क्योंकि अचानक उछाल परिवहन और खेती की लागत को चोट पहुंचाता है। भंडार पर पारदर्शी सार्वजनिक संवाद जमाखोरी और अफवाहों को रोकता है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को ईरान के पूर्ण आर्थिक अलगाव के अमेरिकी आह्वान में शामिल होना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): भारत को एकतरफा अलगाव में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य प्रतिबंधों को ही मान्यता देता है, और चाबहार तथा INSTC के ज़रिए उसके संपर्क में ईरान केंद्रीय है। ईरान जितने बड़े देश को अलग-थलग

करने से शायद ही कभी समाधान निकलता है; इससे आमतौर पर शासन कठोर होता है और नागरिक पिसते हैं। साथ ही भारत अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकता, इसलिए उसे छूट के लिए वार्ता करनी होगी और चुपचाप अपना जोखिम घटाना होगा। ईमानदार उत्तर यह है कि भारत का हित युद्ध के वार्ता से अंत में है, किसी एक पक्ष की जीत में नहीं।

4.2 जयशंकर ने पहले P4M शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, '4F' संकट की चेतावनी दी; ताजिकिस्तान ने भारत की UNSC दावेदारी को चुनौती दी

समाचार (THE NEWS) संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार, 21 सितंबर को पहले बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय विधि, शांति और समृद्धि के लिए साझेदार (Partners for Multilateralism, International Law, Peace & Prosperity — P4M) शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, जो 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान अलग से आयोजित हुआ। द हिंदू के अनुसार भारत इस समूह में शामिल हुआ — यह 'गैर-महाशक्ति' पहल मूल रूप से यूरोपीय संघ, ब्राज़ील, कनाडा और केन्या ने शुरू की थी — और ऑस्ट्रेलिया तथा बारबाडोस के साथ अतिरिक्त सह-प्रायोजक बना; इंडियन एक्सप्रेस सह-प्रायोजकों में ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राज़ील, कनाडा, EU और केन्या को गिनाता है, और बताता है कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली जयशंकर के साथ मंच पर थे। बहुपक्षवाद (multilateralism) का अर्थ है कि देश साझा समस्याओं को केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे साझा नियमों और संस्थाओं के ज़रिए सुलझाएँ। जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था "दबाव में" है: लंबे समय से अपेक्षित पुनर्संतुलन को "अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, भू-राजनीतिक तनावों और वास्तविक संघर्षों" ने "एक बिल्कुल अलग स्वरूप" दे दिया है। उन्होंने "ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के '4F' संकट" का उल्लेख किया, जिसे "उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता", "ढाँचों और सुरक्षा-रेखाओं" (frameworks and guardrails) की मांग की, और कहा कि "जहां अवरोध बिंदुओं पर प्रभुत्व और व्यवधान का खतरा हो, वहां जोखिम घटाने और विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए"। उन्होंने कहा, "इसलिए सुधरा हुआ बहुपक्षवाद अनिवार्य है", जिसमें "अधिक सहभागी विचार-विमर्श और अधिक पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया" हो। इंडियन एक्सप्रेस बताता है कि ये टिप्पणियाँ ट्रंप द्वारा उस रूस प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर के कुछ ही दिन बाद आईं, जो रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों — भारत और चीन सहित — पर 100% तक टैरिफ की अनुमति देता है। द हिंदू के अनुसार उनके एजेंडे में सबसे ऊपर 2028-2029 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट की भारत की दावेदारी के लिए समर्थन जुटाना है, जिसका निर्णय अगले वर्ष के चुनाव में होगा; ताजिकिस्तान ने भी एशिया-प्रशांत सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है, इसलिए ताजिक विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन के साथ उनकी बैठक पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी, यूक्रेन, मोल्दोवा और स्विट्ज़रलैंड के विदेश मंत्रियों तथा नाउरू के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और मंगलवार को 33 सदस्यीय लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्य समुदाय (Community of Latin American and Caribbean States — CELAC) से मिले। पहली भारत-विशेषाद बैठक में चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में भारत का समर्थन किया; स्लोवाक विदेश मंत्री युराय ब्लानार ने कहा कि भारत को "मेज़ पर होना ही चाहिए"। यूक्रेन के आंद्रीय सिबिहा ने कहा कि काला सागर में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करना "वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए निर्णायक" है। जयशंकर शनिवार, 26 सितंबर को आम बहस को संबोधित करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का तर्क है कि शिखर सम्मेलनों का यह कैलेंडर संकटों को एक सीमा से नीचे गिरने से तो रोकता है, पर शायद दुनिया को सुरक्षित नहीं बना रहा। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और भारत के हित।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद को गहराई से धुवीकृत कर देती है → यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त का ऐसा झटका देते हैं जिसकी सबसे अधिक मार विकासशील देशों पर पड़ती है → EU, ब्राज़ील, कनाडा और केन्या बहुपक्षवाद के लिए एक 'गैर-महाशक्ति' साझेदारी शुरू करते हैं → भारत सह-प्रायोजक के रूप में जुड़ता है और 81वीं UNGA में पहले P4M शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करता है → उसी सप्ताह भारत 2028-29 की परिषद सीट के लिए विशेषाद समूह, CELAC और अन्य से समर्थन मांगता है, जिस पर अब ताजिकिस्तान भी दावा कर रहा है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. अनुच्छेद 23 सुरक्षा परिषद को 15 सदस्यों पर तय करता है, और केवल दस सीटों पर ही कभी चुनाव होता है — संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 पांच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और दस अस्थायी सदस्यों का प्रावधान करता है, जिन्हें महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है, और कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य तुरंत पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते। 1965 में लागू हुए एक चार्टर संशोधन से परिषद का विस्तार 11 से 15 सदस्यों तक किया गया। हर वर्ष पांच अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, और प्रत्येक को महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रतिस्पर्धी सीट का चुनाव कई दौर तक खिंच सकता है। सीटें क्षेत्रीय समूहों में बंटी हैं, और भारत एशिया-प्रशांत समूह से चुनाव लड़ता है। भारत आठ बार सदस्य रह चुका है, सबसे हाल में 2021-22 में।
2. अनुच्छेद 27 वीटो देता है, और अनुच्छेद 108 वीटोधारकों को अपने ही सुधार को रोकने देता है — अनुच्छेद 27 के तहत प्रक्रियात्मक निर्णयों के लिए नौ मत चाहिए, जबकि अन्य सभी निर्णयों के लिए स्थायी सदस्यों के सहमति-मतों सहित नौ मत चाहिए — यही वीटो है; व्यवहार में किसी स्थायी सदस्य के मतदान से अनुपस्थित रहने को वीटो नहीं माना जाता। परिषद की संरचना में किसी भी बदलाव के लिए अनुच्छेद 108 के तहत चार्टर संशोधन आवश्यक है:

महासभा के दो-तिहाई द्वारा स्वीकृति और संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन, जिनमें पांचों स्थायी सदस्य शामिल हों। यही कारण है कि सुधार का हर अभियान, महासभा में कितना भी लोकप्रिय हो, अंततः उन्हीं देशों की सहमति पर आकर अटकता है जिनका विशेषाधिकार उससे कम होगा।

3. सुधार तीन खेमों के बीच फंसा है — G4 — ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान — स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। 'सहमति के लिए एकजुट' (Uniting for Consensus) समूह, जिसमें इटली, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया और तुर्किये शामिल हैं, नई स्थायी सीटों का विरोध करता है और अधिक निर्वाचित सीटें चाहता है। अफ्रीकी संघ की एज़ुल्विनी सहमति (Ezulwini Consensus, 2005) अफ्रीका के लिए दो स्थायी सीटें — जब तक वीटो है, वीटो सहित — और पांच अस्थायी सीटें मांगती है। वार्ता महासभा की अंतर-सरकारी वार्ता (Intergovernmental Negotiations — IGN) प्रक्रिया में चलती है, जो 2009 में शुरू हुई और जिसके पास अब तक कोई सहमत वार्ता-पाठ नहीं है।

4. मेहता का तर्क अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के दो शास्त्रीय सिद्धांतों पर टिका है — चार्ल्स किंडलबर्गर और रॉबर्ट गिल्पिन से जुड़ा आधिपत्य स्थिरता सिद्धांत (hegemonic stability theory) मानता है कि एक खुली विश्व व्यवस्था के लिए ऐसी प्रभुत्वशाली शक्ति चाहिए जो स्थिर मुद्रा और खुले समुद्री मार्गों जैसी सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने की लागत उठाने को तैयार हो। 1965 में मैकर ओल्सन द्वारा प्रस्तुत सामूहिक कार्रवाई की समस्या (collective action problem) बताती है कि साझा हित से सबको लाभ होने के बावजूद पक्ष उसे उपलब्ध क्यों नहीं करा पाते, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लागत कोई और उठाए। रॉबर्ट कियोहेन जैसे उदार संस्थावादी (liberal institutionalists) तर्क देते हैं कि विश्वास की लागत घटाकर संस्थाएं आधिपत्य के पतन के बाद भी सहयोग बनाए रख सकती हैं। मेहता का यह दावा कि 'कोई आधिपत्यशाली शक्ति नहीं' है और राज्य 'एक-दूसरे पर अंकुश तो लगा सकते हैं' पर 'सामूहिक कार्रवाई नहीं कर सकते', सीधे इसी बहस के भीतर आता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-2 का पाठ्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, उनकी संरचना और अधिदेश का नाम लेता है — UPSC ने 2015 में सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पाने की कोशिश में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर प्रश्न पूछा था, और यह विषय भारत की बहुपक्षीय कूटनीति के प्रश्नों में लौटता रहता है। P4M शिखर सम्मेलन, विशेषाद का समर्थन और ताजिक चुनौती उत्तर के लिए एक नया ढांचा देते हैं: भारत कैसा सुधार चाहता है, कौन-से गठबंधन बनाता है, और इस बीच उसे कौन-से चुनाव अभी जीतने हैं।

2. प्रारंभिक परीक्षा चार्टर के अनुच्छेदों और समूहों की सदस्यता को परखती है — सुरक्षा परिषद की संरचना, अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि, और G4, BRICS तथा SCO जैसे समूहों की सदस्यता पर प्रश्न आ चुके हैं। विशेषाद समूह और CELAC ऐसे अगले प्रश्न के स्वाभाविक उम्मीदवार हैं, और अनुच्छेद 108 की संशोधन प्रक्रिया भी।

3. निबंध और सामान्य अध्ययन-2 स्वयं बहुपक्षवाद पर एक दृष्टिकोण को अंक देते हैं — वैश्विक शासन और संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर निबंध के विषय आम हैं। मेहता का यह तर्क कि शिखर सम्मेलन संकटों को सुलझाए बिना उन्हें एक सीमा से नीचे गिरने से रोकते हैं, और इसके सामने जयशंकर का समान विचार वालों के मुद्दा-आधारित गठबंधनों का आह्वान — दोनों मिलकर विद्यार्थी को संस्थाओं की सूची के बजाय एक वास्तविक बहस देते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं: पांच स्थायी और दस अस्थायी, जिन्हें महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनती है, और कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य तुरंत पुनर्निर्वाचन के पात्र नहीं होते।
- सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के निर्वाचन के लिए महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 के तहत कोई संशोधन तब लागू होता है जब उसे महासभा के दो-तिहाई सदस्य स्वीकार करें और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य उसका अनुसमर्थन करें।
- 1965 में लागू हुए एक चार्टर संशोधन द्वारा सुरक्षा परिषद का विस्तार 11 से 15 सदस्यों तक किया गया।
- 1991 में गठित विशेषाद समूह (Visegrad Group) में चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया शामिल हैं।
- 2011 में स्थापित लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई राज्य समुदाय (CELAC) के 33 सदस्य राज्य हैं, और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा शामिल नहीं हैं।
- सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता चाहने वाले G4 देश ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और

जापान हैं।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. '4F' सूत्र के ज़रिए भारत पश्चिम की ओर झुके एक क्लब में वैश्विक दक्षिण का एजेंडा लिख रहा है —** P4M के आधे प्रायोजक — EU, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया — अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी हैं, जबकि ब्राज़ील, केन्या और बारबाडोस विकासशील दुनिया की आवाज़ हैं। ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त ठीक वही लागते हैं जो यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध गरीब देशों पर डालते हैं, और 'अवरोध बिंदुओं पर प्रभुत्व' ऐसा वाक्यांश है जो होर्मुज़ और काला सागर दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इन्हें नाम देकर जयशंकर भारत को इस समूह के दोनों हिस्सों के बीच सेतु के रूप में स्थापित करते हैं। खतरा यह है कि ऐसे सूत्र नारे बनकर रह जाते हैं; असली कसौटी यह है कि क्या P4M उर्वरक आपूर्ति या ऋण राहत पर कुछ ठोस दे पाता है।
- 2. 'गैर-महाशक्ति' समूह में शामिल होना जोखिम-संतुलन (hedge) है, किसी खेमे का चुनाव नहीं —** भारत P4M में उस समय शामिल हुआ जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने रूसी तेल के खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति अपने हाथ में ली, और जब भारत BRICS, SCO और क्वाड में भी बना हुआ है। मध्यम शक्तियों के मंच की सदस्यता यह संकेत देती है कि भारत को न अमेरिकी और न चीनी प्राथमिकताओं में धकेला जा सकता है। इसकी लागत भी कम है, क्योंकि P4M में कोई संधिगत दायित्व नहीं है। विरोधी दृष्टिकोण, जिस पर मेहता ज़ोर देते हैं, यह है कि मध्यम शक्तियों के समूह बात तो कर सकते हैं पर कुछ लागू नहीं करवा सकते, इसलिए यह संतुलन कूटनीतिक गुंजाइश तो खरीदता है, सुरक्षा नहीं।
- 3. ताजिकिस्तान की उम्मीदवारी एक औपचारिकता को ऐसे अभियान में बदल देती है जिसे भारत हल्के में नहीं ले सकता —** भारत की 2021-22 की उम्मीदवारी को एशिया-प्रशांत समूह ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया था और वह निर्विरोध थी, पर खुले मुकाबले में महासभा के दो-तिहाई मत चाहिए और यह बार-बार के दौर तक जा सकता है। भारत पहले हार चुका है — 1996 में जापान से — और एक बार बंटी हुई महासभा के कारण इटली और नीदरलैंड्स को 2017-18 का कार्यकाल आपस में बांटना पड़ा था। छोटे राज्य एकजुटता के आधार पर गुट के रूप में मतदान करते हैं, इसीलिए जयशंकर CELAC और नाउरू के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। भारत के पक्ष में सबसे अच्छा तर्क उसका रिकॉर्ड है: आठ कार्यकाल और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में बड़ा योगदान।
- 4. भारत की स्थायी सीट के समर्थन तब तक सस्ते हैं जब तक अनुच्छेद 108 सामने न आए —** विशेषाद का समर्थन स्वागत योग्य है, और ब्लानार की यह पंक्ति कि भारत को 'मेज़ पर होना ही चाहिए' बार-बार उद्धृत होगी। पर स्थायी सदस्यता के लिए पांचों स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए, और चीन ने कभी भारत के दावे का समर्थन नहीं किया। बयानबाज़ी भी भ्रम पैदा कर सकती है: तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोआन ने महासभा में कहा कि जिस व्यवस्था में 190 से अधिक देश 'पांच देशों की मनमर्जी के अधीन' हों, वह अन्यायपूर्ण है, फिर भी तुर्किये उसी 'सहमति के लिए एकजुट' समूह का सदस्य है जो नई स्थायी सीटों का विरोध करता है। विद्यार्थियों को सुधार पर दिए गए भाषणों को इस दृष्टि से भी पढ़ना चाहिए कि वे किसका विरोध करते हैं, केवल इस दृष्टि से नहीं कि किसकी निंदा करते हैं।
- 5. मेहता का निदान सही है, पर उपचार अधूरा —** मेहता का तर्क है कि कोई भी व्यवस्थागत युद्ध — रूस-यूक्रेन, अमेरिका-ईरान, ईरान-सऊदी, इज़राइल और उसके पड़ोसी — क्षेत्र, शक्ति और प्रतिष्ठा की मौजूदा धारणाओं के भीतर सौदेबाज़ी से हल नहीं होता, और वे मुज़िल की इस पंक्ति से समाप्त करते हैं कि 'जो हमारे पास है उसे बचाए रखना युद्ध की ओर ले जाता है'। यह शिखर सम्मेलनों की धूमधाम को प्रगति समझ बैठने के विरुद्ध एक उचित चेतावनी है। पर आधिपत्यशाली शक्ति से रहित दुनिया में, जयशंकर जिस तरह के मुद्दा-आधारित गठबंधनों का वर्णन करते हैं — 'समान विचार वाले' देशों का किसी 'अनिवार्य उद्देश्य' पर एक साथ आना — शायद वही एकमात्र सामूहिक कार्रवाई है जो उपलब्ध है। गुटेरेस ने अपने अंतिम संबोधन में महाशक्तियों से कहा कि 'उनकी शक्ति उतनी भी महा नहीं है'; इसका निहितार्थ यह है कि मध्यम शक्तियों को संगठन का अधिक काम स्वयं करना होगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“सुधरा हुआ बहुपक्षवाद” संयुक्त राष्ट्र में भारत की कूटनीति का केंद्रीय विषय बन गया है। बहुपक्षवाद के लिए साझेदार (Partners for Multilateralism) जैसे मध्यम शक्तियों के नए समूहों के आलोक में परीक्षण कीजिए कि क्या ऐसे गठबंधन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमियों को दूर कर सकते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका —** 81वीं UNGA के दौरान अलग से आयोजित पहले P4M शिखर सम्मेलन का उल्लेख करें, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत ने ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, ब्राज़ील, कनाडा, EU और केन्या के साथ की, और अधिक सहभागी तथा पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया वाले 'सुधरे हुए बहुपक्षवाद' के जयशंकर के आह्वान का।
- 2. मुख्य भाग — कमियां —** पांच वीटोधारकों के बीच परिषद के ध्रुवीकरण, 1965 के विस्तार के बाद से जमी हुई 1945 वाली संरचना, और अनुच्छेद 108 की बाधा का वर्णन करें। प्रमाण के रूप में

एर्दोआन की '190 देश पांच के अधीन' वाली पंक्ति और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया के युद्धों का उपयोग करें।

3. **मुख्य भाग — गठबंधन क्या कर सकते हैं** — तर्क दें कि मध्यम शक्तियों के गठबंधन एजेंडा तय कर सकते हैं (ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त का '4F' संकट), अवरोध बिंदुओं के ज़रिए दबाव के विरुद्ध मानदंड बना सकते हैं, और सुधार तथा भारत की 2028-29 दावेदारी जैसे चुनावों के लिए मतदाता गुट तैयार कर सकते हैं। विशेषाद के समर्थन और CELAC तक पहुंच का उल्लेख करें।
4. **मुख्य भाग — सीमाएं** — ध्यान दिलाएं कि ऐसे समूहों के पास प्रवर्तन की शक्ति नहीं है, वे वीटो को पलट नहीं सकते, और मेहता द्वारा बताई गई सामूहिक कार्रवाई की समस्या से जूझते हैं। सुधार के प्रतिस्पर्धी खेमों — G4, 'सहमति के लिए एकजुट' और एजुल्विनी सहमति — का उल्लेख करें।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि गठबंधन परिषद सुधार के पूरक हो सकते हैं, विकल्प नहीं; भारत को इनका उपयोग आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में करना चाहिए और साथ ही स्थायी सीट का अपना अभियान जीवित रखना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। ताजिकिस्तान 2028-29 की सीट की दौड़ में उतर आया है। आप अभियान कैसे चलाएंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं महासभा के हर मत को क्षेत्र के आधार पर और हर देश की प्राथमिकता वाले मुद्दों के आधार पर चिह्नित करूंगा, क्योंकि दो-तिहाई बहुमत एक-एक राजधानी में जीता जाता है। छोटे द्वीपीय राज्यों, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर केवल वोट मांगकर नहीं, बल्कि विकास साझेदारी और शांति स्थापना सहयोग के ज़रिए ध्यान देना होगा। मैं ताजिकिस्तान के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रखूंगा, क्योंकि एशिया-प्रशांत समूह के भीतर कड़वा मुकाबला दोनों को नुकसान पहुंचाता है। परिषद में भारत क्या करेगा — जैसे आतंकवाद, शांति स्थापना और '4F' संकट पर — इसका स्पष्ट वक्तव्य आकार के दावों से अधिक प्रभावी होता है।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या आपके जीवनकाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सुधार यथार्थवादी है ?

दृष्टिकोण (Approach): चार्टर संशोधन के लिए पांचों स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए, इसलिए स्थायी सदस्यता में सुधार जल्द होने की संभावना कम है। पर आंशिक बदलाव संभव है: अधिक निर्वाचित सीटें, कार्य-पद्धति में सुधार और सामूहिक अत्याचार की स्थितियों में वीटो पर संयम को व्यापक समर्थन प्राप्त है। भारत को संभव लक्ष्यों को साधना चाहिए और अपने बड़े दावे को जीवित रखना चाहिए। इस बीच, निर्वाचित सदस्य के रूप में और P4M जैसे समूहों के ज़रिए भारत जो विश्वसनीयता बनाता है, वह स्वयं उसके दावे का हिस्सा है।

प्रश्न 3. बहुपक्षीय आर्थिक मामलों को संभालने वाले संयुक्त सचिव के रूप में आप '4F' भाषण को नीति में कैसे बदलेंगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं हर 'F' के लिए एक ठोस परिणाम तय करूंगा: उर्वरक के लिए संयुक्त भंडारण या आपूर्ति का आश्वासन, यूक्रेन द्वारा उठाई गई काला सागर की चिंताओं पर आधारित एक खाद्य-गलियारा प्रस्ताव, ऊर्जा मार्गों का विविधीकरण, और कमज़ोर देशों के लिए ऋण पुनर्गठन का समर्थन। हर प्रस्ताव P4M साझेदारों के सामने भारत के अपने योगदान के स्पष्ट उल्लेख के साथ रखा जाना चाहिए। मैं सफलता को संयुक्त वक्तव्यों से नहीं, बल्कि हस्ताक्षरित समझौतों और पहुंचाई गई खेपों से मापूंगा। ठोस परिणामों के बिना यह सूत्र अगली महासभा तक भुला दिया जाएगा।

4.3 राजा मोहन: शी और ट्रंप AI संवाद शुरू कर रहे हैं, भारत के सामने तीन कठिन प्रश्न

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और वाशिंगटन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार, 24 सितंबर को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (artificial intelligence — AI) और उसके जोखिमों पर एक औपचारिक द्विपक्षीय संवाद शुरू किया जा सके — यह बात सी. राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में अपने स्तंभ 'राजा मंडल' में लिखते हैं। यह बैठक उसके मुश्किल से 10 दिन बाद हो रही है जब शी ने दिल्ली BRICS शिखर सम्मेलन में AI सहयोग की चीनी दृष्टि पेश की थी: उन्होंने BRICS सदस्यों को इस गर्मी शंघाई में चीन द्वारा शुरू किए गए विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन (World Artificial Intelligence Cooperation Organisation — WAICO) से जुड़ने का न्योता दिया, इस मंच के लिए एक ओपन-सोर्स AI समुदाय का प्रस्ताव रखा, और चीन को उन विकासशील देशों के हितैषी के रूप में प्रस्तुत किया जो सस्ती, ओपन-सोर्स AI चाहते हैं — यानी ऐसी AI जिसकी रूपरेखा कोई भी इस्तेमाल और अपने अनुसार बदल सकता है। राजा मोहन का तर्क है कि वाशिंगटन में बात AI के दूसरे पहलू पर होगी: शक्तिशाली 'फ्रंटियर' मॉडलों (frontier models), यानी सबसे उन्नत प्रणालियों, के खतरे, और दुर्घटनाओं, गलत आकलन और दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता। वे बताते हैं कि यह 10 महीने से कम समय में दोनों का तीसरा शिखर सम्मेलन है। वे इस संवाद की जड़ नवंबर 2023 में कैलिफ़ोर्निया के वुडसाइड में जो बाइडेन और शी की बैठक में देखते हैं; एक वर्ष बाद लीमा में दोनों ने पुष्टि की कि परमाणु हथियारों के प्रयोग के निषेध AI नहीं, मनुष्य नियंत्रित करेंगे। ट्रंप के कार्यकाल में AI कूटनीति अधिक लेन-देन वाली हो गई है

और चिप्स, निर्यात नियंत्रणों, दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earths) और टैरिफ से उलझ गई है; मई में जब दोनों बीजिंग में मिले, तो उन्होंने AI की 'सुरक्षा-रेखाओं' (guardrails) पर चर्चा की, पर कोई व्यवस्था नहीं बनी। पिछले सप्ताहांत न्यूयॉर्क में ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग की वार्ता के बाद वाशिंगटन ने कहा कि दोनों पक्षों ने एक स्थायी AI संवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाली घटनाओं के लिए एक अधिसूचना प्रणाली पर विचार किया। राजा मोहन भारत के सामने तीन प्रश्न रखते हैं: प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखलाओं पर अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका (Pax Silica) पहल का हिस्सा रहते हुए, WAICO से बाहर रहते हुए और फिर भी चीन-प्रधान BRICS में बैठे हुए, इस प्रतिस्पर्धा में रास्ता कैसे निकाला जाए; जब चीन वैश्विक दक्षिण को कहीं व्यापक प्रौद्योगिकी पैकेज दे सकता है, तब मुकाबला कैसे किया जाए; और क्या अमेरिका-चीन की 'सामरिक स्थिरता' बाकी सबके लिए भेदभावपूर्ण नियमों में बदल सकती है, जैसा परमाणु व्यवस्था के साथ हुआ था। उनका नुस्खा: बाहर भरोसेमंद साझेदार, भीतर स्वदेशी क्षमता। उसी दिन PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने शी की तीन दिवसीय यात्रा — मई के बाद दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात — से पहले ताइवान को "लाल रेखा" बताया, और उम्मीद है कि वह ताइवान के लिए प्रस्तावित 11 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार पैकेज का विरोध करेगा, जिसे ट्रंप ने अभी मंजूरी नहीं दी है। UNGA में, AI और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले, ट्रंप ने कहा कि वे "औद्योगिक क्रांति से भी बड़ी" इस प्रौद्योगिकी का "गला नहीं घोंटेंगे"। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-2, महाशक्तियों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; सामान्य अध्ययन-3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

नवंबर 2023 में वुडसाइड में बाइडन और शी AI पर एक आरंभिक संवाद-मार्ग खोलते हैं → एक वर्ष बाद लीमा में वे पुष्टि करते हैं कि परमाणु प्रयोग के निर्णय AI नहीं, मनुष्य नियंत्रित करेंगे → ट्रंप के समय AI सुरक्षा चिप्स, निर्यात नियंत्रणों, दुर्लभ मृदा तत्वों और टैरिफ से उलझ जाती है, और मई का बीजिंग शिखर सम्मेलन बिना किसी व्यवस्था के समाप्त होता है → शी दिल्ली BRICS शिखर सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के सामने WAICO और ओपन-सोर्स AI का प्रस्ताव रखते हैं → शी और ट्रंप वाशिंगटन में औपचारिक AI संवाद शुरू करने के लिए मिलते हैं, और भारत के सामने प्रश्न रह जाता है कि उसे किसके नियमों के तहत जीना होगा

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. परमाणु व्यवस्था वह मिसाल है जो भारत को महाशक्तियों के प्रौद्योगिकी नियमों से सावधान करती है — परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty — NPT) 1968 में हस्ताक्षर के लिए खोली गई और 1970 में लागू हुई; यह परमाणु-हथियार संपन्न राज्य उसे मानती है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु उपकरण बनाकर उसका विस्फोट किया हो, और इस तरह इस क्लब को पांच सदस्यों पर जमा दिया गया। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताकर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group — NSG) का गठन 1974 में पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद परमाणु निर्यात पर रोक लगाने के लिए हुआ, और भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु पहल के बाद ही सितंबर 2008 में इसने भारत को विशेष छूट दी। राजा मोहन इसी इतिहास का हवाला देते हैं जब वे चेताते हैं कि AI पर अमेरिका-चीन 'सामरिक स्थिरता' दूसरों के विरुद्ध नियंत्रणों में जम सकती है।
2. भारत तब से अधिकांश निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है, पर NSG में नहीं — भारत 2016 में प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime), दिसंबर 2017 में पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं व प्रौद्योगिकियों पर वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement), और जनवरी 2018 में रासायनिक व जैविक हथियारों पर ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group) का सदस्य बना। ये व्यवस्थाएं आपूर्तिकर्ता राज्यों के अनौपचारिक समूह हैं जो अपने राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रणों में समन्वय करते हैं; ये संधियां नहीं हैं। NSG की सदस्यता के लिए अब भी सर्वसम्मति चाहिए, और चीन NPT से बाहर के राज्यों के लिए मानदंडों पर जोर देकर भारत का प्रवेश रोकता रहा है। सदस्यता इसलिए मायने रखती है क्योंकि उन्नत AI चिप्स को निर्यात नियंत्रणों के तहत तेज़ी से दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं माना जा रहा है।
3. प्रतिद्वंद्वी पहले भी नियमों पर सहमत हुए हैं, और वे नियम बाकी सब पर भी लागू हुए — क्यूबा मिसाइल संकट के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने 1963 में एक सीधा संचार संपर्क, यानी 'हॉटलाइन', स्थापित किया। 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Partial Test Ban Treaty) ने वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई, पर भूमिगत परीक्षणों पर नहीं; भारत ने 1963 में इस पर हस्ताक्षर किए। 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty) ने कक्षा में परमाणु हथियारों पर रोक लगाई, और 1972 में प्रक्षेपास्त्र-रोधी (Anti-Ballistic Missile) संधि तथा SALT I आई। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच अभी जिस घटना-अधिसूचना प्रणाली पर चर्चा हो रही है, वह संकट-प्रबंधन के इन्हीं साधनों के परिवार की है।
4. भारत की अपनी AI और चिप संरचना, और ताइवान पर उसका रुख — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 में पांच वर्षों के लिए ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन (India AI Mission) को मंजूरी दी, जो सार्वजनिक कंप्यूटिंग क्षमता, स्वदेशी आधारभूत मॉडलों (foundation models), डेटासेट और कौशल के लिए है। चिप और डिस्प्ले विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए ₹76,000 करोड़ के कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission) की स्थापना हुई। ताइवान पर भारत 'एक चीन' की व्यवहार-नीति का पालन करता है और ताइपे के साथ उसके राजनयिक संबंध नहीं हैं, पर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के लिए 1995 से भारत-ताइपे संघ (India-Taipei Association) बनाए गए हैं। अमेरिका का 1979 का ताइवान संबंध अधिनियम (Taiwan Relations Act) वाशिंगटन

	को ताइवान को रक्षात्मक प्रकृति के हथियार देने के लिए प्रतिबद्ध करता है, और यही उस 11 अरब डॉलर के पैकेज का कानूनी आधार है जिसका बीजिंग विरोध करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	सामान्य अध्ययन-2 और सामान्य अध्ययन-3 अब प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति पर आकर मिलते हैं — सामान्य अध्ययन-2 की पंक्ति 'विकसित देशों की नीतियों व राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव' में अब निर्यात नियंत्रण, चिप आपूर्ति शृंखलाएं और AI के नियम भी शामिल हैं, जबकि सामान्य अध्ययन-3 में 'सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और रोबोटिक्स के क्षेत्र में जागरूकता' आती है। हाल के प्रश्नपत्रों में AI के अनुप्रयोगों पर प्रश्न आए हैं; अगला कदम AI शासन और उसमें भारत के स्थान पर प्रश्न हैं, जिनके लिए यह स्तंभ तैयार ढांचा देता है। प्रारंभिक परीक्षा निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाओं और संधियों पर प्रश्न पूछ चुकी है — MTCR, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भारत की सदस्यता और NSG में उसकी गैर-सदस्यता परखी जा चुकी है, और NPT तथा परीक्षण प्रतिबंध संधियों के प्रावधान भी। इंडिया AI मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन, उनके मूल मंत्रालयों और परिव्यय के साथ, योजना-आधारित प्रश्नों के संभावित विषय हैं। साक्षात्कार व्यवहार में सामरिक स्वायत्तता को टटोलते हैं — बोर्ड अक्सर पूछते हैं कि क्या भारत एक साथ BRICS और क्वाड दोनों में रह सकता है। राजा मोहन के तीन प्रश्न अभ्यर्थी को सटीक उत्तर देते हैं: भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका के भीतर है, चीन के WAICO से बाहर है, और उसे अब भी चीन द्वारा आकार दी गई BRICS बयानबाज़ी को संभालना है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● NPT के तहत परमाणु-हथियार संपन्न राज्य वह है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरण बनाकर उसका विस्फोट किया हो। ● परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद हुआ था, और इसने सितंबर 2008 में भारत को विशेष छूट दी। ● भारत प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (2016), वासेनार व्यवस्था (2017) और ऑस्ट्रेलिया समूह (2018) का सदस्य है, पर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का नहीं। ● 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करती है, पर भूमिगत परीक्षणों को नहीं। ● मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इंडिया AI मिशन का परिव्यय पांच वर्षों के लिए ₹10,371.92 करोड़ है। ● अमेरिका का 1979 का ताइवान संबंध अधिनियम, वाशिंगटन द्वारा चीनी जनवादी गणराज्य को मान्यता देने के बाद, ताइवान को रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति का प्रावधान करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	दिल्ली से वाशिंगटन तक शी का रास्ता BRICS की AI बयानबाज़ी की सीमाएं उजागर करता है — दिल्ली में शी ने खुलेपन, पहुंच और प्रसार की बात की; वाशिंगटन में वे फ्रंटियर AI के नियमों पर उस एकमात्र दूसरी शक्ति से बातचीत करेंगे जिसके पास ऐसी क्षमता है। राजा मोहन का आशय यह है कि बहुध्रुवीयता की भाषा इस तथ्य को नहीं बदलती कि प्रौद्योगिकीय शक्ति द्विध्रुवीय है। BRICS शिखर सम्मेलन के मेज़बान भारत के लिए यह असहज है: जिस मंच की अध्यक्षता उसने की, वह वैश्विक दक्षिण के लिए चीन के AI प्रस्ताव का मंच बन गया। विरोधी दृष्टिकोण यह है कि BRICS अब भी भारत को ऐसी सीट देता है जहां से चीन के प्रस्तावों को कमज़ोर किया जा सकता है, जो बाहर रहकर संभव नहीं होता। घटना-अधिसूचना का संवाद-मार्ग सही पहला कदम है, और भारत को भी अपना एक चाहिए — जैसा राजा मोहन कहते हैं, संकट में पहली ज़रूरत कोई बड़ा समझौता नहीं, बल्कि यह पता लगाने की क्षमता होती है कि हुआ क्या, क्या यह जानबूझकर था, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। यही 1963 की हाटलाइन का तर्क है, और यह उन AI-सक्षम प्रणालियों पर भी लागू होता है जो किसी दिन विवादित सीमा पर किसी संकेत को गलत पढ़ सकती हैं। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control) पर चीन और नियंत्रण रेखा (Line of Control) के पार पाकिस्तान का सामना करता है, फिर भी दोनों में से किसी के साथ AI-विशिष्ट अधिसूचना व्यवस्था नहीं है। आपत्ति यह है कि पूर्वी लद्दाख में 2020 की झड़पों के बाद से चीन के साथ विश्वास-निर्माण कमज़ोर हुआ है; पर ठीक इसी कारण कम लागत वाले तकनीकी संवाद-मार्ग प्रस्तावित करने योग्य हैं। 'संयुक्त प्रभुत्व' (condominium) का डर वास्तविक है, पर अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता भारत का दांव भी है — चिंता यह है कि जो दो शक्तियां सामरिक स्थिरता पर सहमत होती हैं, वे इस पर भी सहमत हो सकती हैं कि उन्नत चिप्स और मॉडल और किसे मिलें, जैसे NPT ने कभी दुनिया को 'संपन्न' और 'वंचित' में बांट दिया था। राजा मोहन स्वयं इसका प्रतिस्तुलन सुझाते हैं: बाज़ारों और साझेदारों के लिए प्रतिस्पर्धा ऐसी मिलीभगत को सीमित करती है और उभरती

शक्तियों के लिए जगह बनाती है। 1970 के दशक से अंतर यह है कि भारत अब हर क्लब से बाहर नहीं, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी व्यवस्था पैक्स सिलिका के भीतर है। इससे जोखिम पलट जाता है: सदस्यता अपने साथ अनुपालन की मांगें ला सकती है, जैसे अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के साथ तालमेल, जिन पर भारत को मानकर नहीं चलना, बल्कि वार्ता करनी होगी।

4. वैश्विक दक्षिण के प्रौद्योगिकी पैकेज में भारत पिछड़ रहा है — इस वर्ष की शुरुआत में दिल्ली AI शिखर सम्मेलन में विकासशील समाजों के लिए AI पर भारत के जोर को साराहना मिली, पर चीन कंप्यूटिंग, बुनियादी ढांचा, हार्डवेयर और उन्नत मॉडल एक साथ पैकेज में दे सकता है। भारत का सबसे मजबूत निर्यात डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (digital public infrastructure) है, जैसे आधार-आधारित पहचान और UPI भुगतान, जिसकी कई देश प्रशंसा करते हैं। इस अवसंरचना को सस्ती AI सेवाओं के साथ जोड़ना भारत का स्वाभाविक प्रस्ताव है। कमजोरी कंप्यूटिंग क्षमता और पूंजी के पैमाने की है; इनके बिना भारत केवल ब्लूप्रिंट देता है, जबकि चीन तैयार प्रणालियां।
5. घोषणाएं नहीं, क्षमता भारत का स्थान तय करेगी, और यह दौड़ कोई धीमी नहीं करने वाला — UNGA में ट्रंप का यह बयान कि वे AI का 'गला नहीं घोंटेंगे', दिखाता है कि अमेरिका सुरक्षा के लिए गति का सौदा नहीं करेगा, और उसी पृष्ठ पर महत्ता लिखते हैं कि दौड़ के प्रलोभन ठीक तब आते हैं जब प्रौद्योगिकी को धीमा करने की जरूरत होती है। इसलिए निकट भविष्य में किसी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था की संभावना कम है, और नियम वही लिखेंगे जिनके पास फ्रंटियर क्षमता है। इससे इंडिया AI मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल औद्योगिक नहीं, बल्कि सामरिक कार्यक्रम बन जाते हैं। राजा मोहन का नुस्खा — बाहर भरोसेमंद साझेदार, भीतर स्वदेशी शक्ति — सही है, पर अमेरिका और चीन से जिस अंतर को वे स्वयं स्वीकारते हैं, उसका अर्थ है कि वर्षों तक अधिकांश बोझ साझेदारियों को ही उठाना होगा।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाशक्तियों का खेल बन गई है।” AI पर उभरते अमेरिका-चीन संवाद के संदर्भ में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने वाली एक रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — बताएं कि शी और ट्रंप वाशिंगटन में औपचारिक AI संवाद शुरू कर रहे हैं, उसके लगभग 10 दिन बाद जब शी ने दिल्ली BRICS शिखर सम्मेलन में WAICO और एक ओपन-सोर्स AI समुदाय का प्रस्ताव रखा था, और यह संवाद वुडसाइड (2023) तथा लीमा (2024) की समझ पर आधारित है।
2. मुख्य भाग — यह क्यों महत्वपूर्ण है — जोखिमों का एजेंडा समझाएं: फ्रंटियर मॉडल, सैन्य उपयोग, दुर्घटनाएं और गलत आकलन, तथा बेसेंट और हे लिफेंग द्वारा चर्चित प्रस्तावित घटना-अधिसूचना प्रणाली। शीत युद्ध की 1963 की हॉटलाइन और परीक्षण प्रतिबंध संधि से तुलना करें।
3. मुख्य भाग — भारत की तीन चुनौतियां — राजा मोहन का ढांचा अपनाएं: पैक्स सिलिका और BRICS में रहते हुए पर WAICO से बाहर रहकर इस प्रतिस्पर्धा में रास्ता निकालना; वैश्विक दक्षिण के लिए चीन के व्यापक प्रौद्योगिकी पैकेज से मुकाबला; और भेदभावपूर्ण 'AI संयुक्त प्रभुत्व' का खतरा, जिसके प्रमाण के रूप में NPT और NSG का इतिहास रखें।
4. मुख्य भाग — रणनीति — इंडिया AI मिशन और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए स्वदेशी क्षमता, भरोसेमंद राज्यों के साथ साझेदारी, वैश्विक दक्षिण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को AI के साथ जोड़ना, और संयुक्त राष्ट्र में — सुरक्षा परिषद की AI बहस सहित — समावेशी, गैर-भेदभावपूर्ण AI शासन के लिए दबाव बनाने की सिफारिश करें।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि भारत को AI जोखिम घटाने वाले अमेरिका-चीन के हर कदम का स्वागत करना चाहिए, पर यह सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षा के नियम पहुंच के नियम न बन जाएं; स्वायत्तता क्षमता के पीछे-पीछे आएगी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. आप इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं। अमेरिका और चीन ऐसे AI सुरक्षा मानदंडों पर सहमत हो सकते हैं जो बाद में चिप निर्यात को सीमित करें। आप तैयारी कैसे करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं इंडिया AI कंप्यूटिंग कार्यक्रम के लिए आयातित उच्च-स्तरीय चिप्स पर भारत की निर्भरता का आकलन करूंगा और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक अनुबंधों के जरिए क्षमता का एक भंडार बनाऊंगा। विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि पहुंच को प्रभावित करने वाले किसी भी मानदंड पर भारत से परामर्श हो, और जिम्मेदार आचरण के प्रमाण के रूप में निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाओं में हमारी सदस्यता का हवाला दूंगा। मैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत धरेलू डिज़ाइन और पैकेजिंग की गति

बढ़ाऊंगा। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय सुरक्षा मानक विश्वसनीय हों, ताकि हम अपने रिकॉर्ड के आधार पर पहुंच की मांग कर सकें।

प्रश्न 2. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को चीन के विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन में शामिल होना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): अभी नहीं। चीन के साथ भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं स्थायी हैं, और किसी सामरिक प्रौद्योगिकी पर चीन के नेतृत्व वाले निकाय में शामिल होना अमेरिका के नेतृत्व वाली आपूर्ति-शृंखला व्यवस्थाओं में उसकी स्थिति को जटिल बना देगा। पर भारत को विकासशील देशों के लिए AI तक पहुंच के विचार को खारिज नहीं करना चाहिए; उसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और खुले मानकों पर आधारित अपना मॉडल पेश करना चाहिए। WAICO से बाहर रहते हुए BRICS और संयुक्त राष्ट्र में AI पर सक्रिय रहना सामरिक स्वायत्तता के अनुरूप है।

प्रश्न 3. निरस्त्रीकरण देखने वाले विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में, AI और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बहस में आप क्या प्रस्ताव रखेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं प्रस्ताव रखूंगा कि परमाणु हथियारों के प्रयोग के निर्णयों पर मानवीय नियंत्रण, जिसकी पुष्टि अमेरिका और चीन ने लीमा में की थी, सभी परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा अनुमोदित हो। मैं ऐसी घटना-अधिसूचना प्रथाओं की वकालत करूंगा जो केवल दो सबसे बड़े देशों के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए खुली हों। मैं जोर दूंगा कि सुरक्षा के नियम विकासशील देशों को AI तक पहुंच से वंचित करने का औज़ार न बनें। इससे भारत एक जिम्मेदार आवाज़ के रूप में उभरता है, जो न मूकदर्शक है और न अनुयायी।

4.4 थरूर ने 1918 के हाइफा युद्ध को फिर से याद किया: भारत और इज़राइल के लिए गौरव, फ़िलिस्तीनियों के लिए आक्रोश

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 23 सितंबर 1918 को लड़े गए हाइफा युद्ध (Battle of Haifa) की 108वीं वर्षगांठ पर शशि थरूर — तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और 'एन एरा ऑफ डार्कनेस: द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया' (An Era of Darkness: The British Empire in India) के लेखक — द हिंदू में लिखते हैं कि यह युद्ध भारत, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लिए "विवादित स्मृति का स्थल" बन गया है। सैन्य दृष्टि से, वे लिखते हैं, यह प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में घुड़सवार सेना की एक छोटी पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड की जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स — जो रियासतों की सेनाओं से ली गई थीं — ने माउंट कार्मेल की ढलानों पर धावा बोला और मुख्यतः उस्मानी (ऑटोमन) सेनाओं को परास्त किया; तत्कालीन ब्रिटिश युद्ध डायरियां इस कार्रवाई को बंदरगाह शहर पर कब्ज़ा पक्का करने और मित्र राष्ट्रों को उत्तर में दमिश्क तक बढ़ने में सक्षम बनाने वाली निर्णायक कार्रवाई बताती हैं, और यह घुड़सवार सेना के अंतिम महान धावों में से एक था। उस युद्ध में दस लाख से अधिक भारतीयों ने फ़्लैंडर्स से मेसोपोटामिया तक विदेशों में सेवा दी, और 74,000 से अधिक मारे गए। थरूर हर स्मृति को उसका उचित स्थान देते हैं। भारत के लिए इस युद्ध का उत्सव — जिसमें दिल्ली में प्रथम विश्व युद्ध के एक स्मारक का नाम बदलकर 'तीन मूर्ति हाइफा चौक' रखना भी शामिल है — ऐतिहासिक पुनर्प्राप्ति है: इस बात का प्रमाण कि स्वतंत्रता से पहले भी भारतीय सैनिकों ने विश्व की घटनाओं को आकार दिया। इज़राइल के लिए भारतीय घुड़सवारों द्वारा हाइफा को 'मुक्त' कराने की स्मृति कृतज्ञता और मित्रता की कथा में बुनी हुई है, जिसके स्मारक और वार्षिक समारोह हैं; भारतीय नेता हाइफा स्मारक पर जा चुके हैं। बहुत-से फ़िलिस्तीनियों के लिए यह जीत फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण, बालफ़ोर घोषणा (Balfour Declaration) के क्रियान्वयन और इज़राइल के निर्माण तक ले जाने वाले परिवर्तनों को पक्का करने में सहायक बनी, इसलिए यह बेदखली की कहानी है; भारत में फ़िलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला मोहम्मद अबू शावेश थरूर को लिखे एक पत्र में कहते हैं कि उन्हें "समकालीन भारत को इज़राइल की स्थापना के इतिहास से जोड़ने का एक स्पष्ट इज़राइली प्रयास" दिखता है, और वे सैनिकों को नायक नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के "शिकार" कहते हैं। थरूर एक विद्वत विवाद का भी उल्लेख करते हैं: कुछ इज़राइली विद्वान कहते हैं कि भारतीय भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और वे श्रेय ब्रिटिश व ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को देते हैं, जिसे थरूर आंशिक रूप से उपनिवेशित घुड़सवारों का बहुत 'ऋणी' होने की असहजता के रूप में पढ़ते हैं, जबकि भारतीय सैन्य इतिहासकार उन ब्रिटिश युद्ध अभिलेखों का हवाला देते हैं जो भारतीय घुड़सवार सेना को श्रेय देते हैं। उनका निष्कर्ष: सैनिक असाधारण साहस से लड़े, पर औपनिवेशिक कमान के अधीन, और एक परिपक्व ऐतिहासिक चेतना दोनों सत्यों को एक साथ धामे रखती है। यह स्मृति आज भी जीवंत है: मंगलवार को UNGA में तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोआन ने देशों से फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का आग्रह किया, और द हिंदू बताता है कि भारत ने 2025 में इज़राइल के साथ एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: सामान्य अध्ययन-1, आधुनिक इतिहास और विश्व युद्ध; सामान्य अध्ययन-2, भारत की पश्चिम एशिया नीति।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

उस्मानी साम्राज्य प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों (Central Powers) के साथ जुड़ा है → नवंबर 1917 की बालफ़ोर घोषणा में ब्रिटेन फ़िलिस्तीन में 'यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह' का वादा करता है → 23 सितंबर 1918 को जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स मुख्यतः उस्मानी सेनाओं से हाइफा छीन लेती हैं, जिससे फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण पक्का होने में मदद मिलती है → 1948 में ब्रिटिश मैंडेट इज़राइल के निर्माण और उस फ़िलिस्तीनी विस्थापन के साथ समाप्त होता है जिसे फ़िलिस्तीनी नकबा कहते हैं → एक सदी बाद भारत और इज़राइल इस धावे की मित्रता के रूप में याद करते हैं, जबकि फ़िलिस्तीनी उसमें वह साम्राज्यवादी परियोजना देखते हैं जिसकी उसने सेवा की

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- 1. प्रथम विश्व युद्ध में भारत की ओर से वह सेना लड़ी जो एक साम्राज्य की थी — भारतीय सेना फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, मिस्र, फिलिस्तीन, गैलीपोली और पूर्वी अफ्रीका में लड़ी, और एडविन लुटियंस द्वारा रूपांकित तथा 1931 में पूर्ण हुआ नई दिल्ली का इंडिया गेट उन भारतीय सैनिकों की स्मृति में है जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे आंग्ल-अफ़गान युद्ध में मारे गए। इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स (Imperial Service Troops) वे टुकड़ियाँ थीं जिन्हें रियासतें रखती थीं और साम्राज्यिक सेवा के लिए ब्रिटिश भारत सरकार के हवाले करती थीं। हाइफा में जोधपुर लांसर्स के कमांडर मेजर दलपत सिंह शहीद हुए, जिन्हें भारत में 'हाइफा के नायक' के रूप में याद किया जाता है। भारतीय सेना 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है, और नई दिल्ली का तीन मूर्ति स्मारक — जिसकी तीन कांस्य प्रतिमाएं जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर लांसर्स का प्रतिनिधित्व करती हैं — जनवरी 2018 में इज़राइली प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान तीन मूर्ति हाइफा चौक नाम दिया गया।**
- 2. युद्धकाल के तीन ब्रिटिश वादों ने फिलिस्तीन प्रश्न को जन्म दिया — 1915-16 के हुसैन-मैकमोहन पत्राचार (Hussein-McMahon correspondence) ने मक्का के शरीफ को यह विश्वास दिलाया कि यदि अरब उस्मानियों के विरुद्ध उठ खड़े हों तो अरब भूमि स्वतंत्र हो जाएगी। 1916 के साइक्स-पिको समझौते (Sykes-Picot Agreement) ने गुप्त रूप से उस्मानी अरब प्रांतों को ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया। 2 नवंबर 1917 की बालफोर घोषणा — विदेश सचिव आर्थर बालफोर का लॉर्ड रोथ्सचाइल्ड को लिखा एक पत्र — ने फिलिस्तीन में 'यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह' के लिए ब्रिटिश समर्थन का वादा किया, साथ ही कहा कि मौजूदा गैर-यहूदी समुदायों के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। राष्ट्र संघ (League of Nations) ने 1922 में फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश मैंडेट को स्वीकृति दी; 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की विभाजन योजना, संकल्प 181, आई, और मई 1948 में इज़राइल की स्थापना हुई, उसी दौरान फिलिस्तीनियों के पलायन और निष्कासन के बीच, जिसे वे नकबा, यानी महाविपत्ति, कहते हैं।**
- 3. भारत की नीति केवल फिलिस्तीन के समर्थन से आगे बढ़कर दोनों से संबंधों तक पहुंची — भारत ने 1947 में विभाजन योजना के विरुद्ध मतदान किया, 1950 में इज़राइल को मान्यता दी, पर पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में ही स्थापित किए। भारत ने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organisation) को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी — ऐसा करने वाला वह पहला गैर-अरब राज्य था — और 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। 2017 में नरेंद्र मोदी इज़राइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, और 2018 में वे अलग से रामल्ला गए — इस दृष्टिकोण को अक्सर 'डी-हाइफ़नेशन' (de-hyphenation) कहा जाता है, यानी दोनों के साथ संबंध उनके अपने गुण-दोष पर आगे बढ़ाना। भारत का घोषित रुख आज भी वार्ता से निकलने वाले द्वि-राष्ट्र समाधान (two-state solution) का समर्थन है।**
- 4. संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की स्थिति मौजूदा बहस का हिस्सा है — 2012 के महासभा संकल्प 67/19 द्वारा फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य (non-member observer State) का दर्जा दिया गया; भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश चाहिए, जहां किसी स्थायी सदस्य का वीटो इसे रोक सकता है, और उसके बाद महासभा का दो-तिहाई मत। इसके विपरीत, किसी राज्य को मान्यता देना हर देश का अपना निर्णय है, इसीलिए एर्दोआन ने सरकारों से अलग-अलग अपने रुख की समीक्षा करने का आग्रह किया। व्यापक मान्यता और अवरुद्ध सदस्यता के बीच का यह अंतर स्वयं उस वीटो समस्या का उदाहरण है जिसकी चर्चा बहुपक्षवाद की बहस में हुई है।**

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. सामान्य अध्ययन-1 भारत और विश्व युद्धों पर, और सामान्य अध्ययन-2 भारत और इज़राइल पर प्रश्न पूछता है — सामान्य अध्ययन-1 के पाठ्यक्रम में आधुनिक भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास, जिसमें विश्व युद्ध और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण शामिल है, आते हैं, और हाइफा दोनों को जोड़ता है। सामान्य अध्ययन-2 की ओर, 2018 के प्रश्नपत्र ने पूछा था कि क्या इज़राइल के साथ भारत के संबंधों ने ऐसी गहराई और विविधता हासिल कर ली है जिसे पलटा नहीं जा सकता। आज अच्छे उत्तर को यह भी दिखाना होगा कि भारत फिलिस्तीन के साथ अपने संबंध कैसे अक्षुण्ण रखता है, और हाइफा इस संतुलन का सजीव उदाहरण है।**
- 2. प्रारंभिक परीक्षा तिथियों के साथ संधियों और घोषणाओं को परखती है — बालफोर घोषणा, साइक्स-पिको, राष्ट्र संघ के मैंडेट और फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र के संकल्प विश्व इतिहास के मानक प्रश्न हैं। इंडिया गेट जैसे स्मारक और तीन मूर्ति हाइफा चौक का नाम परिवर्तन भी संस्कृति और समसामयिकी के प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं।**
- 3. निबंध और सामान्य अध्ययन-4 स्मृति और इतिहास पर सूक्ष्म दृष्टि को अंक देते हैं — इतिहास, स्मृति और पहचान पर निबंध के विषय बार-बार आते हैं, और थरूर का सूत्र — साहस उन उद्देश्यों की भी सेवा कर सकता है जिन्हें साहस दिखाने वालों ने नहीं चुना — एक तैयार नैतिक तर्क है। साक्षात्कार बोर्ड अभ्यर्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे भोंडे ढंग से पक्ष लिए बिना प्रतिस्पर्धी कथाओं को तौलें; यह खबर ऐसा करने का आदर्श नमूना है।**

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- हाइफा युद्ध 23 सितंबर 1918 को 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड की जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स द्वारा मुख्यतः उस्मानी सेनाओं के विरुद्ध लड़ा गया था।
- नई दिल्ली के तीन मूर्ति स्मारक का नाम 2018 में बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक रखा गया।
- 2 नवंबर 1917 की बालफोर घोषणा ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बालफोर द्वारा लॉर्ड रॉथ्सचाइल्ड को लिखा गया पत्र थी, जिसमें फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय गृह का समर्थन किया गया था।
- 1916 का साइक्स-पिको समझौता रूस की सहमति से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक गुप्त समझ थी, जिसने उस्मानी अरब क्षेत्रों को प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया।
- भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता दी और 1992 में इज़राइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- एडविन लुटियंस द्वारा रूपांकित इंडिया गेट ब्रिटिश भारतीय सेना के उन सैनिकों की स्मृति में है जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध में मारे गए।
- 2012 के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 67/19 ने फ़िलिस्तीन को गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. 'अनेक सत्त्यों' को एक साथ थामना ही एकमात्र ईमानदार रुख है, और राजनीतिक रूप से सबसे महंगा भी — थरूर का तर्क है कि सैनिकों का साहस और साम्राज्य के उद्देश्य — दोनों सच हैं, और एक को चुनना दूसरे को मिटा देना है। यह ठोस इतिहास है, पर इससे कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता: राष्ट्रवादी एक असंदिग्ध जीत चाहते हैं, इज़राइली समारोह कृतज्ञता चाहते हैं, और फ़िलिस्तीनी राजदूत चाहते हैं कि सैनिकों को शिकार कहा जाए। कोई सरकार तीन स्वयं में एक समारोह नहीं कर सकती। वह इतना कर सकती है कि स्मरणोत्सव को स्वयं सैनिकों, उनकी रेजिमेंटों और उनके बलिदान पर केंद्रित रखे, और इस दावे को बाहर रखे कि उस जीत ने बाद में क्या संभव बनाया।
2. स्मरणोत्सव दूसरे साधनों से की जाने वाली कूटनीति है, और दोनों पक्ष इसका उपयोग करते हैं — दिल्ली में नाम परिवर्तन एक इज़राइली प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुआ, और इज़राइल के वार्षिक समारोह व स्मारक भारतीय भूमिका को दृश्यमान बनाए रखते हैं; थरूर स्वीकार करते हैं कि इनमें एक वास्तविक ऐतिहासिक जुड़ाव के साथ-साथ कूटनीतिक उद्देश्य भी झलकता है। फ़िलिस्तीनी राजदूत इनमें आधुनिक भारत को इज़राइल की स्थापना से जोड़ने का 'एक स्पष्ट इज़राइली प्रयास' देखते हैं — यह उनकी व्याख्या है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। इज़राइली दृष्टिकोण उत्तर देगा कि उस शहर में लड़कर जान देने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञता सामान्य स्मरण है, कोई राजनीतिक दावा नहीं। विद्यार्थियों को दोनों व्याख्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए और यह रेखांकित करना चाहिए कि एक ही कार्य एक साथ सच्चा भी हो सकता है और उपयोगी भी।
3. फ़िलिस्तीनी आलोचना का निशाना साम्राज्य है — वही आलोचना जो भारत के अपने स्वतंत्रता आंदोलन ने भी की थी — फ़िलिस्तीनी पक्ष — 'हमने आपसे हमें मुक्त कराने को नहीं कहा था' — साम्राज्यवादी परियोजना पर प्रश्न उठाता है, सैनिकों की वीरता पर नहीं, जैसा थरूर ज़ोर देकर कहते हैं। भारत के राष्ट्रवादियों ने भी ऐसा ही तर्क दिया था जब 1939 में कांग्रेस ने भारत को उसकी सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में झोंके जाने पर आपत्ति की थी। फिर भी सैनिकों को 'शिकार' कहना उनकी स्वतंत्र कर्तृत्व-क्षमता (agency) को भी नकारता है, जिसे उत्तर-औपनिवेशिक इतिहासकार ठीक-ठीक बहाल करने का प्रयास करते हैं; बहुतां ने वेतन, सम्मान या रेजिमेंट की परंपरा के लिए सेवा चुनी थी। संतुलित दृष्टि यह है कि वे एक असमान व्यवस्था में बहादुर लोग थे — न तो केवल ज़ायनवाद के नायक, न निष्क्रिय शिकार।
4. श्रेय पर विवाद दिखाता है कि साम्राज्यिक स्मृति सैनिकों को नस्ल के आधार पर कैसे आंकती थी — थरूर बताते हैं कि कुछ इज़राइली विद्वान श्रेय ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को देते हैं, और सुझाते हैं कि यह आंशिक रूप से उपनिवेशित, सांवली त्वचा वाले घुड़सवारों का बहुत 'ऋणी' होने की असहजता को दर्शाता है; यह उनकी व्याख्या है और इसे उन्हीं के नाम से उद्धृत किया जाना चाहिए। भारतीय सैन्य इतिहासकार उन ब्रिटिश युद्ध अभिलेखों से उत्तर देते हैं जो सफलता का श्रेय भारतीय घुड़सवार सेना को देते हैं, और थरूर तत्कालीन ब्रिटिश युद्ध डायरियों का हवाला देते हैं जो इस कारवाई को निर्णायक बताती हैं। इसलिए भारतीय भूमिका की पुनर्प्राप्ति वैध इतिहास-लेखन है, मात्र राष्ट्रवाद नहीं। सावधानी यह है कि बढ़ा-चढ़ाकर किया गया दावा भी वर्तमान राजनीति की सेवा करता है, चाहे उद्देश्य भारतीय गौरव हो या भारत-इज़राइल मित्रता।
5. नीति के स्तर पर स्मृति भारतीय बनी रहे, और फ़िलिस्तीन पर रुख सिद्धांतनिष्ठ रहे — इज़राइल के साथ भारत के संबंध गहरे हैं — रक्षा से लेकर 2025 की उस द्विपक्षीय निवेश संधि तक जिसका उल्लेख आज द हिंदू करता है। भारत ने 1988 में फ़िलिस्तीन को भी मान्यता दी और द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, जबकि UNGA में एर्दोआन राज्यों पर फ़िलिस्तीन

	को मान्यता देने का दबाव बना रहे हैं और यह रेखांकित कर रहे हैं कि महमूद अब्बास लगातार दूसरे वर्ष उपस्थित नहीं हो सके। भारत 1948 के बारे में किसी भी पक्ष का विवरण अपनाए बिना हाइफा दिवस को अपने सैन्य इतिहास के एक अध्याय के रूप में सम्मान दे सकता है। इससे यह स्मृति किसी वर्तमान विवाद में एक मत बनने से बची रहती है, और थरूर की 'परिपक्व ऐतिहासिक चेतना' का व्यावहारिक अर्थ यही है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	हाइफा युद्ध (1918) को भारत और इजराइल में याद किया जाता है, पर फ़िलिस्तीनी इसे बहुत अलग दृष्टि से देखते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के साथ भारत के संबंधों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक काल का सैन्य इतिहास समकालीन कूटनीति को कैसे आकार देता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	भूमिका — 23 सितंबर 1918 के युद्ध का वर्णन करें: 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड की जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद लांसर्स ने मुख्यतः उस्मानी सेनाओं से हाइफा छीना, और यह उस युद्ध का हिस्सा था जिसमें दस लाख से अधिक भारतीयों ने विदेशों में सेवा दी और 74,000 से अधिक मारे गए। मुख्य भाग — तीन स्मृतियाँ — भारतीय स्मृति को कर्तृत्व की पुनर्प्राप्ति (तीन मूर्ति हाइफा चौक, हाइफा दिवस), इजराइली स्मृति को कृतज्ञता और मित्रता, और फ़िलिस्तीनी स्मृति को ब्रिटिश नियंत्रण, बालफ़ोर घोषणा और 1948 से जुड़ी बेदखली के रूप में समझाएं। फ़िलिस्तीनी राजदूत के 'शिकार' वाले तर्क को उनके नाम के साथ उद्धृत करें। मुख्य भाग — कूटनीति के रूप में स्मृति — दिखाएं कि स्मरणोत्सव का उपयोग भारत-इजराइल संबंधों को मज़बूत करने में कैसे हुआ है, और श्रेय पर विवाद राष्ट्रीय गौरव को कैसे दर्शाता है। इसे भारत की नीति के इतिहास से जोड़ें: 1947 में विभाजन के विरुद्ध मत, 1950 में इजराइल को मान्यता, 1974 में PLO को, 1988 में फ़िलिस्तीन को, 1992 में इजराइल से पूर्ण संबंध, और 2017-18 से डी-हाइफनेशन। मुख्य भाग — आज का संतुलन — चर्चा करें कि भारत 1948 की प्रतिस्पर्धी कथाओं का समर्थन किए बिना अपने सैनिकों का सम्मान कैसे कर सकता है, और साथ ही 2025 की निवेश संधि जैसे इजराइल के साथ आर्थिक संबंध आगे बढ़ाते हुए, UNGA में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने की नई मांगों के बीच, द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन कैसे जारी रख सकता है। निष्कर्ष — थरूर के इस बिंदु के साथ समाप्त करें कि परिपक्व ऐतिहासिक चेतना साम्राज्य की नैतिक अस्पष्टता को स्वीकारते हुए साहस का सम्मान करती है, और यही अच्छी कूटनीति भी है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप तेल अवीव में भारत के राजदूत हैं। हाइफा दिवस समारोह निकट है, और फ़िलिस्तीनी मिशन ने सार्वजनिक रूप से उसकी प्रस्तुति पर आपत्ति की है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं समारोह को भारतीय सैनिकों, उनकी रेजिमेंटों और हाइफा की युद्ध समाधियों पर केंद्रित रखूंगा, और 'भूमि' जैसी भाषा से बचूंगा जो बाद के इतिहास पर कोई दृष्टिकोण ध्वनित करे। मैं इजराइली गणमान्य व्यक्तियों को शहर के मेज़बान के रूप में आमंत्रित करूंगा और आयोजन को राजनीतिक के बजाय गरिमापूर्ण रखूंगा। साथ ही मैं रामल्ला में हमारे प्रतिनिधि कार्यालय से समन्वय करूंगा ताकि फ़िलिस्तीनी वातांकार भारत का रुख सीधे सुनें: हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं और द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं। शांत संवाद किसी स्मरणोत्सव को विवाद बनने से रोकता है। प्रश्न 2. राज्य की पाठ्यपुस्तक समिति के सदस्य के रूप में आप स्कूली विद्यार्थियों के सामने हाइफा युद्ध को कैसे प्रस्तुत करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले तथ्य रखूंगा: कौन लड़ा, कहां, कब और किसकी कमान में। फिर मैं दिखाऊंगा कि अलग-अलग लोग इस युद्ध को अलग-अलग ढंग से याद करते हैं, और भारतीय, इजराइली तथा फ़िलिस्तीनी दृष्टिकोणों के छोटे अंशों के सहारे विद्यार्थियों से पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। उद्देश्य साहस पर गर्व के साथ-साथ इतिहास को एक से अधिक पक्ष से पढ़ने का कौशल सिखाना है। इससे नारों के बजाय ऐतिहासिक चिंतन विकसित होता है। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: हाइफा के भारतीय सैनिक नायक थे या शिकार? दृष्टिकोण (Approach): वे एक औपनिवेशिक सेना में सेवा कर रहे बहादुर सैनिक थे, और दोनों शब्द सत्य का केवल एक हिस्सा पकड़ते हैं। उनका साहस ब्रिटिश युद्ध अभिलेखों तक में दर्ज है, और वह भारत के इतिहास का हिस्सा है। पर अपनी जीत के राजनीतिक परिणामों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और फ़िलिस्तीनियों के लिए वे परिणाम बेदखली की कहानी का हिस्सा थे। मैं सैनिकों का सम्मान करूंगा और साथ ही उस साम्राज्य के बारे में ईमानदार रहूंगा जिसकी उन्होंने सेवा की — यही संतुलन एक लोक सेवक को साधना चाहिए।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

आज की चारों खबरें एक ही दुर्लभ संसाधन के इर्द-गिर्द घूमती हैं: ज़मीन, और यह सवाल कि उसके इस्तेमाल का फैसला कौन करे। एक थिक टैंक दिखाता है कि नहरें एक भी नया एकड़ लिए बिना सौर पैनल ढो सकती हैं; केंद्र बंदरगाहों की मंजूरीयों को तीन दशक तक ज़िंदा रहने की छूट देता है; पर्यावरण मंत्री गैडों को बिहार और अरुणाचल में नए घास के मैदानों का वादा करते हैं; और एक ब्रिटिश भू-आकृतिक विज्ञानी चेतावनी देता है कि जलविद्युत परियोजनाओं से भरी हिमालयी घाटियाँ ऐसे खतरों के सामने खुली हैं जिन्हें झील-आधारित चेतावनी प्रणालियाँ देख ही नहीं सकती। साझा सबक यह है कि पर्यावरण नीति अब तेज़ी से भूमि-उपयोग नीति बनती जा रही है, और कठिन फैसले इस बारे में उतने ही हैं कि कहाँ निर्माण न किया जाए, जितने इस बारे में कि क्या बनाया जाए।

5.1 नहरों के ऊपर सौर ऊर्जा बिना नई ज़मीन के 131 GW जोड़ सकती है, पर 2012 के बाद से इसका विस्तार नहीं हुआ

समाचार (THE NEWS) गुजरात, पंजाब और भारत का व्यापक सिंचाई तंत्र। बुधवार को द हिंदू में प्रकाशित एक विश्लेषण में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) में नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सेक्टर समन्वयक शांतनु राय का तर्क है कि भारत का नहर तंत्र, जो दुनिया के सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है, सौर ऊर्जा के लिए एक कम इस्तेमाल हुआ स्थल है। नहर-शीर्ष फोटोवोल्टिक (Canal-Top Photovoltaics, CTPV) में सौर पैनल नहर के हिस्सों के ऊपर बनी ऊँची संरचनाओं पर या नहर के किनारों पर इस तरह लगाए जाते हैं कि पानी का बहाव बिना रुकावट चलता रहे; इसके विपरीत तैरती सौर ऊर्जा (floating solar) में पैनल जलाशयों पर तैरते प्लेटफॉर्म पर रखे जाते हैं। इस चर्चा का अवसर हाल ही में स्वीकृत पीएम सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) है, जिसका लक्ष्य जलाशयों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों पर 5,000 MW तैरती सौर क्षमता विकसित करना है; लेखक के अनुसार “भूमि-तटस्थ” सौर ऊर्जा में यह रुचि CTPV तक भी बढ़ाई जा सकती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि CTPV को लगभग कोई अतिरिक्त ज़मीन नहीं चाहिए: पंजाब में 20 MW नहर-शीर्ष प्रणालियों से लगभग 100 एकड़ ज़मीन बचने का अनुमान है। नहर पर पड़ने वाली छाया वाष्पीकरण घटाती है, और नीचे बहता पानी पैनलों को ठंडा रखकर गर्म मौसम में उनका उत्पादन बढ़ाता है। भारत ने इसे जल्दी अपनाया था। गुजरात के मेहसाणा में नर्मदा नहर पर 2012 में चालू हुई 1 MW की प्रणाली कथित तौर पर हर साल लगभग 90 लाख लीटर पानी बचाती है और सालाना 16 लाख यूनिट बिजली पैदा करती है। वडोदरा में 2014 से 2017 के बीच 10-10 MW की दो प्रणालियाँ चालू हुईं, और पंजाब में 2017-18 में 20 MW। 2014 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने एक पायलट-सह-प्रदर्शन योजना शुरू की, जिसका लक्ष्य नहर-शीर्ष और नहर-तट, दोनों तरह की 50-50 MW परियोजनाएँ थीं; इसमें क्रमशः ₹3 करोड़ और ₹1.5 करोड़ प्रति MW या परियोजना लागत का 30%, जो भी कम हो, सहायता के रूप में दिया जाना था। सितंबर 2025 में पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने 10,000 किमी से अधिक लंबे नहर तंत्र पर 40 MW के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (expressions of interest) आमंत्रित की, और हरियाणा छह सिंचाई नहरों पर विचार कर रहा है। CSTEP के सह-लेखन वाले 2024 के एक आकलन ने नहर-शीर्ष और नहर-तट क्षमता लगभग 131 GW आँकी, जिसमें 30 मीटर से चौड़ी नहरों के लिए ऊर्ध्वाधर द्विमुखी (vertical bifacial) पैनल, यानी दोनों सतहों से प्रकाश ग्रहण करने वाले पैनल, सुझाए गए; उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब इस सूची में सबसे आगे हैं। फिर भी एक दशक से अधिक समय से इसका प्रसार सीमित रहा है, क्योंकि ढाँचागत लागत ऊँची है, बहते पानी के ऊपर रखरखाव कठिन है, और रेखीय बनावट वाले संयंत्र सबस्टेशनों से दूर पड़ते हैं। लेखक स्थलों की प्राथमिकता तय करने, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding), सस्ते ऋण और मानक विनिर्देशों की माँग करते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में ऊर्जा अवसंरचना और उत्पादन के कारक के रूप में भूमि।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सौर लक्ष्यों के लिए ज़मीन के बड़े, सटे हुए टुकड़े चाहिए → भूमि अधिग्रहण महंगा और विवादित हो जाता है, खासकर घनी आबादी वाले कृषि प्रधान राज्यों में → गुजरात 2012 में नर्मदा नहर पर 1 MW लगाता है और MNRE 2014 में 50 MW + 50 MW के पायलट को समर्थन देता है → ऊँची ढाँचागत लागत, कठिन रखरखाव और ग्लिड तक खराब पहुँच एक दशक तक प्रसार को छोटा रखते हैं → PM-SSY का 5,000 MW तैरती सौर ऊर्जा का अभियान भूमि-तटस्थ सौर ऊर्जा में रूचि फिर जगाता है, और अब नहरों की 131 GW क्षमता का नक्शा तैयार है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. भारत का सौर कार्यक्रम एक राष्ट्रीय जलवायु मिशन और एक अंतरराष्ट्रीय संकल्प के भीतर चलता है — जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (Jawaharlal Nehru National Solar Mission) 2010 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change, 2008) के आठ मिशनों में से एक के रूप में शुरू हुआ, और 2015 में इसका लक्ष्य बढ़ाकर 2022 तक 100 GW सौर क्षमता कर दिया गया। 2021 में ग्लासगो में COP26 में भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। अगस्त 2022 में जमा किए गए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता है। इन सबके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
2. ज़मीन पर लगने वाली सौर ऊर्जा के लिए अब तकनीक नहीं, ज़मीन असली बाधा बन गई है — यूटिलिटी-स्तरीय सौर ऊर्जा के लिए प्रति MW लगभग चार से पाँच एकड़ ज़मीन चाहिए; लेख का पंजाब वाला उदाहरण, 20 MW के लिए 100 एकड़, लगभग पाँच एकड़ प्रति MW बैठता है। केंद्र की सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना (2014) ने डेवलपर्स के लिए पहले से ज़मीन ज़टाने की कोशिश की, लेकिन सौर पार्क बार-बार साझा चरागाह भूमि और आजीविका से जुड़े विवादों में फँसे। M.K. Ranjitsinh v. Union of India मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में आदेश दिया कि राजस्थान और गुजरात में ग्रेट

इंडियन बस्टर्ड के आवास में बिजली की लाइनें जहाँ संभव हो भूमिगत की जाएँ, और 2024 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस आदेश में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी। यह मामला दिखाता है कि स्वच्छ ऊर्जा की भी ज़मीन और जैव विविधता के रूप में कीमत होती है।

3. **तैरती, नहर-शीर्ष और कृषि-फोटोवोल्टिक प्रणालियाँ मिलकर भूमि-तटस्थ सौर ऊर्जा का परिवार बनाती हैं** — तैरती सौर ऊर्जा में पैनल जलाशयों और झीलों पर पोट्टूनों पर रखे जाते हैं; तेलंगाना में रामागुंडम जलाशय पर NTPC का 100 MW का तैरता संयंत्र, जो 2022 में चालू हुआ, इसका एक शुरुआती बड़ा उदाहरण है। नहर-शीर्ष प्रणालियाँ स्टील की संरचनाओं पर नहर के आर-पार फैली होती हैं, जबकि नहर-तट प्रणालियाँ तटबंध की पट्टी का इस्तेमाल करती हैं। कृषि-फोटोवोल्टिक (Agrivoltaics) में पैनल इतने ऊँचे लगाए जाते हैं कि नीचे फसल उगाई जा सके। तीनों ही खेती से होड़ घटाती हैं, और पानी पर आधारित प्रणालियाँ वाष्पीकरण भी कम करती हैं, जो इन्हें जल-ऊर्जा गठजोड़ (Water-Energy Nexus) से जोड़ता है: यह विचार कि पानी और बिजली से जुड़े फसले साथ-साथ नियोजित होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक-दूसरे की खपत करते हैं।
4. **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण उन परियोजनाओं के लिए है जो सामाजिक रूप से उपयोगी पर व्यावसायिक रूप से कमज़ोर हैं** — व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना (Viability Gap Funding Scheme) 2006 में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने उन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) अवसंरचना परियोजनाओं के समर्थन के लिए शुरू की थी जो आर्थिक रूप से उचित हों, पर अपने दम पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य न हों। इसके तहत केंद्र कुल परियोजना लागत के 20% तक पूँजी अनुदान दे सकता है, और प्रायोजक मंत्रालय या राज्य अतिरिक्त 20% तक जोड़ सकता है। लागत के अंतर को पाटने के लिए एकमुश्त पूँजी अनुदान का यही विचार बाद में बैटरी भंडारण और अपतटीय पवन जैसी नई ऊर्जा तकनीकों के लिए भी अपनाया गया है। पीएम-कुसुम (PM-KUSUM, 2019) इससे जुड़ी कृषि-सौर योजना है: इसका घटक A बंजर या परती भूमि पर 2 MW तक के छोटे ग्रिड-संबद्ध संयंत्रों को समर्थन देता है, और घटक C ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरीकरण को।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 अवसंरचना (ऊर्जा) और विकास की कीमत, दोनों पर प्रश्न पूछता है** — पाठ्यक्रम में “अवसंरचना: ऊर्जा” और “संरक्षण” साथ-साथ दर्ज हैं, और UPSC GS3 में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति और लक्ष्यों तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के तहत सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच पर प्रश्न पूछ चुका है। जो उत्तर केवल क्षमता के आँकड़ों से आगे बढ़कर नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़मीन और पानी की बाधाओं की बात करे, और CTPV तथा तैरती सौर ऊर्जा को उदाहरण के रूप में रखे, वह अलग दिखता है।
2. **प्रारंभिक परीक्षा योजनाओं की संरचना और तकनीकी परिभाषाएँ परखती है** — राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance), पीएम-कुसुम के घटक और द्विमुखी पैनल या तैरती सौर ऊर्जा जैसे शब्दों पर प्रश्न आम हैं। गुजरात में नर्मदा नहर पर बना पहला नहर-शीर्ष संयंत्र ठीक उसी तरह का “भारत में पहला” तथ्य है जिसे यह परीक्षा पसंद करती है।
3. **ज़मीन का सवाल ऊर्जा को अर्थव्यवस्था के प्रश्नपत्र से जोड़ता है** — भूमि उत्पादन के चार कारकों में से एक है, और इसकी कमी हर मेगावाट की लागत बढ़ा देती है। परीक्षक अब हरित विकास के भीतर के समझौतों पर अधिक प्रश्न पूछते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा बनाम घास के मैदान या बस्टर्ड का आवास; ऐसे उत्तरों के लिए यह खबर समाधान-पक्ष का एक उदाहरण देती है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- नहर-शीर्ष सौर फोटोवोल्टिक में पैनल सिंचाई नहरों के आर-पार फैली ऊँची संरचनाओं पर लगाए जाते हैं, जिनके लिए लगभग कोई अतिरिक्त भूमि नहीं चाहिए और जो नहर से होने वाले वाष्पीकरण को भी घटाते हैं।
- भारत की पहली नहर-शीर्ष सौर परियोजना 2012 में गुजरात के मेहसाणा ज़िले में नर्मदा नहर पर चालू की गई थी।
- 2010 में शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना, 2008 के आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- द्विमुखी (bifacial) सौर मॉड्यूल अपनी अगली और पिछली, दोनों सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश से बिजली पैदा करते हैं।
- PPP अवसंरचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना का संचालन वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग करता है, और इसमें कुल परियोजना लागत के 20% तक केंद्रीय सहायता दी जा सकती है।
- पीएम-कुसुम का घटक A बंजर या परती भूमि पर 2 MW तक के विकेंद्रीकृत ग्रिड-संबद्ध

नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को समर्थन देता है।

- भारत का अद्यतन NDC (2022) 2030 तक संचयी स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. 131 GW का आँकड़ा तकनीकी सीमा है; असली संख्या ग्रिड का नक्शा तय करेगा** — CSTEP का अनुमान सौर विकिरण, नहर की बनावट, संरक्षित क्षेत्रों और सबस्टेशनों से दूरी को पहले ही छाँट चुका है, लेकिन तकनीकी क्षमता आर्थिक क्षमता नहीं होती। नहरों खेतों के बीच से, खपत केंद्रों से दूर गुज़रती हैं, और कई किलोमीटर में फैले एक रेखीय संयंत्र को किसी सघन सौर पार्क की तुलना में ज़्यादा केवल और ज़्यादा कनेक्शन बिंदु चाहिए। लेख खुद मानता है कि जहाँ सबस्टेशन या ट्रांसफॉर्मर रणनीतिक जगहों पर नहीं हैं, वहाँ लागत बढ़ जाती है। इसलिए यथार्थवादी लक्ष्य की शुरुआत नहर के उन हिस्सों से होनी चाहिए जो मौजूदा कृषि फ़ीडरों और सबस्टेशनों के पास से गुज़रते हैं। फिर भी 131 GW का छोटा-सा हिस्सा भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सूची में सबसे ऊपर हैं और जहाँ खेती की ज़मीन इतनी कीमती है कि उसे पैनलों से ढका नहीं जा सकता।
- 2. 2014 का पायलट संस्थागत कारणों से विफल हुआ, जिन्हें अकेला पैसा ठीक नहीं कर सकता** — 2014 की योजना ने नहर-शीर्ष परियोजनाओं के लिए ₹3 करोड़ प्रति MW का उदार समर्थन दिया, फिर भी परियोजनाओं की कोई कतार नहीं बनी; लेखक स्वयं मानते हैं कि इससे पता चलता है कि केवल वित्तीय सहायता शायद काफी न हो। गहरी समस्या स्वामित्व की है: नहरें सिंचाई विभागों की हैं, जिनकी प्राथमिकता पानी पहुँचाना, गाद निकालना और तटबंधों की मरम्मत है, जबकि बिजली राज्य की नोडल एजेंसियाँ और वितरण कंपनियों के हाथ में है। नहर के ऊपर बनी संरचना सिंचाई इंजीनियर का काम उलझा देती है, और सिंचाई विभाग में बिजली पैदा करने के लिए किसी को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। जब तक राजस्व-साझेदारी या पट्टा भुगतान के ज़रिए सिंचाई विभागों को इसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती, वे CTPV को एक झंझट ही मानेंगे। इसका प्रतिपक्ष यह है कि 2014 के बाद अर्थशास्त्र बदल चुका है, क्योंकि मॉड्यूल की कीमतें तेज़ी से गिरी हैं, इसलिए ढाँचागत अतिरिक्त लागत अब कुल लागत का छोटा हिस्सा रह गई है।
- 3. पानी की बचत एक अतिरिक्त लाभ है, व्यावसायिक आधार नहीं** — मेहसाणा संयंत्र की सालाना 90 लाख लीटर पानी की बचत उपयोगी है, लेकिन भारत की अधिकांश नहरों में बिना पक्की तलहटी से होने वाला रिसाव (seepage) सतह के वाष्पीकरण से कहीं अधिक पानी गँवाता है। CTPV को मुख्य रूप से जल-संरक्षण के उपाय के रूप में पेश करने पर यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या यही पैसा नहरों को पक्का करने पर खर्च करने से ज़्यादा पानी नहीं बचेगा। ज़्यादा मज़बूत तर्क ज़मीन का है: पंजाब में हर 20 MW पर बची 100 एकड़ ज़मीन वह खेती की ज़मीन है जो फ़सलों के अधीन बनी रहती है, और भूमि अधिग्रहण के विवाद ही सौर पार्कों में देरी कराते हैं। इसलिए CTPV की तुलना ज़मीन पर लगने वाली सौर ऊर्जा से करते समय नीति को केवल प्रति-MW पूँजी लागत नहीं, बल्कि बची हुई ज़मीन की लागत को भी गिनना चाहिए।
- 4. नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा विकेंद्रीकृत कृषि बिजली के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाती है** — नहरों के कमान क्षेत्र ठीक वहीं हैं जहाँ कृषि पंपों का भार होता है, इसलिए नहर के ऊपर पैदा हुई बिजली कम पारेषण हानि के साथ पास के कृषि फ़ीडरों में भेजी जा सकती है। यह पीएम-कुसुम के तहत फ़ीडर-स्तरीय सौरीकरण के तर्क से मेल खाता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय संयंत्रों से किसानों को दिन में बिजली देना है। एक संयुक्त कार्यक्रम राज्यों को परती ज़मीन अधिग्रहित करने के बजाय नहर के हिस्सों का उपयोग करके फ़ीडरों का सौरीकरण करने दे सकता है। जौखिम यह है कि सब्सिडी वाले कृषि शुल्क के बोझ तले पहले से दबी वितरण कंपनियाँ ऊँचे शुल्क पर और अधिक दिन की बिजली खरीदने का विरोध कर सकती हैं, और इसीलिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और मानक बिजली खरीद शर्तें मायने रखती हैं।
- 5. मानक डिज़ाइन सूची का सबसे सस्ता सुधार है** — हर शुरुआती परियोजना एक अलग इंजीनियरिंग अभ्यास थी, जिसे किसी विशेष नहर की चौड़ाई, दिशा और बहाव के हिसाब से डिज़ाइन किया गया था। स्पैन, नींव, पवन-भार और रखरखाव की पहुँच के लिए मानक विनिर्देश डिज़ाइन का समय घटाएँगे, ऋणदाताओं को भरोसा देंगे और निर्माताओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने देंगे। इसलिए मानकीकृत दिशानिर्देशों और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं की लेखक की माँग केवल प्रशासनिक सफ़ाई नहीं है: छूत पर और ज़मीन पर लगने वाली सौर ऊर्जा की लागत इसी तरह गिरी थी। सिर्फ़ बिजली इंजीनियरों के बजाय सिंचाई इंजीनियरों के साथ मिलकर तैयार की गई एक राष्ट्रीय डिज़ाइन संहिता डिज़ाइन के चरण में ही रखरखाव की समस्या का हल भी निकाल देगी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“तकनीक या वित्त के बजाय ज़मीन भारत के सौर विस्तार की निर्णायक बाधा बन गई है।” इस कथन की चर्चा कीजिए तथा नहर-शीर्ष और तैरती सौर ऊर्जा जैसे भूमि-तटस्थ विकल्पों की संभावनाओं और सीमाओं का परीक्षण कीजिए। इनके विस्तार के लिए उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — भारत के 2030 के गैर-जीवाश्म लक्ष्यों और यूटिलिटी सौर ऊर्जा के लिए आवश्यक ज़मीन, लगभग पाँच एकड़ प्रति MW (पंजाब में 20 MW पर 100 एकड़ की बचत का उदाहरण), से शुरुआत करें। हाल ही में स्वीकृत पीएम सूर्य सरोवर योजना और उसके 5,000 MW तैरती सौर ऊर्जा के लक्ष्य का उल्लेख करें।
- 2. मुख्य भाग — संभावनाएँ** — CTPV और तैरती सौर ऊर्जा को समझाएँ; 2012 के मेहसाणा संयंत्र (1 MW, सालाना लगभग 90 लाख लीटर पानी की बचत और 16 लाख यूनिट बिजली), वडोदरा और पंजाब की परियोजनाओं, और 2024 के लगभग 131 GW के अनुमान का हवाला दें, जिसमें उ.प्र., बिहार, कर्नाटक, आंध्र और पंजाब आगे हैं। सह-लाभ जोड़ें: खेती की ज़मीन की बचत, कम वाष्पीकरण और पैनेलों का टंडा रहना।
- 3. मुख्य भाग — सीमाएँ** — ऊँची ढाँचागत लागत, बहते पानी के ऊपर रखरखाव, रेखीय बनावट और सबस्टेशनों से दूरी, तथा सब्सिडी के बावजूद 2014 के MNRE पायलट के विस्तार न कर पाने की चर्चा करें। सिंचाई विभागों और बिजली एजेंसियों के बीच की संस्थागत खाई को भी सामने लाएँ।
- 4. मुख्य भाग — उपाय** — फ्रीडरों और सबस्टेशनों के पास के स्थलों को प्राथमिकता, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सस्ता ऋण, राष्ट्रीय डिज़ाइन मानक, सिंचाई विभागों के साथ राजस्व-साझेदारी, और पीएम-कुसुम के फ्रीडर सौरीकरण के साथ एकीकरण का सुझाव दें।
- 5. निष्कर्ष** — निष्कर्ष दें कि भूमि-तटस्थ सौर ऊर्जा ज़मीन पर या छतों पर लगाने वाली सौर ऊर्जा की जगह नहीं लेगी, पर खेती की ज़मीन और साझा संसाधनों से दबाव हटा सकती है, और इसकी सफलता सब्सिडी जितनी ही संस्थाओं पर निर्भर करती है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप उत्तर प्रदेश में सिंचाई सचिव हैं, और ऊर्जा विभाग आपकी 50 किमी नहरों के ऊपर सौर पैनेल लगाना चाहता है। आप कौन-सी शर्तें रखेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मेरी पहली शर्त यह होगी कि कोई भी संरचना बहाव, गाद निकालने या तटबंध की मरम्मत में बाधा न बने, और डिज़ाइन हमारे मुख्य अभियंताओं से स्वीकृत हों। मैं सिंचाई विभाग के लिए पट्टा या राजस्व में हिस्सेदारी पर जोर दूँगा, ताकि मेरे फ़ील्ड कर्मचारियों के पास सहयोग करने का कारण हो। मैं रखरखाव का एक प्रोटोकॉल माँगूँगा जो पैनेलों की सफ़ाई, मरम्मत और पानी के पास सुरक्षा की ज़िम्मेदारी तय करे। अंत में, पूरे 50 किमी पर प्रतिबद्ध होने से पहले मैं सबस्टेशनों और कृषि फ्रीडरों के पास वाले हिस्सों पर पायलट चलाऊँगा।

प्रश्न 2. आप ज़िलाधिकारी हैं और किसान एक सौर पार्क के लिए 500 एकड़ के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा आपकी कैसे मदद कर सकती है?

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले यह जाँचूँगा कि क्या पास की नहरों के हिस्से क्षमता का कुछ भाग उठा सकते हैं, क्योंकि नहर की ज़मीन पहले से सरकारी है और उसके लिए अधिग्रहण की ज़रूरत नहीं। आंशिक बदलाव भी ज़मीन की माँग और प्रभावित परिवारों की संख्या घटा देता है। मैं डेवलपर और बिजली एजेंसी के साथ एक सार्वजनिक बैठक में यह तुलना रखूँगा और लागतें खुलकर दिखाऊँगा। जहाँ ज़मीन लेनी ही पड़े, वहाँ उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करूँगा और सीधे अधिग्रहण के बजाय पट्टे के विकल्प तलाशूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: सीमित धन में किसी राज्य को नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा पर खर्च करना चाहिए या अपनी नहरों को पक्का करने पर?

दृष्टिकोण (Approach): दोनों अलग-अलग काम करते हैं, इसलिए चुनाव राज्य की समस्या पर निर्भर है। यदि पानी की हानि मुख्य चिंता है, तो नहर को पक्का करना छाया देने से कहीं ज़्यादा पानी बचाता है, क्योंकि रिसाव से होने वाली हानि आमतौर पर वाष्पीकरण से अधिक होती है। यदि राज्य की बाधा नवीकरणीय लक्ष्यों के लिए ज़मीन है, तो नहर-शीर्ष सौर ऊर्जा बिना अधिग्रहण के बिजली देती है। सबसे अच्छा उत्तर क्रम तय करना है: पहले प्राथमिकता वाली नहरों को पक्का और दुरुस्त करें, फिर उन्हीं हिस्सों के लिए नहर-शीर्ष संरचनाएँ डिज़ाइन करें, ताकि एक हस्तक्षेप दूसरे को बेकार न कर दे।

5.2 केंद्र ने बंदरगाहों की पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता दोगुनी कर 20 वर्ष की, साथ में पाँच-पाँच वर्ष के दो सशर्त विस्तार

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 22 सितंबर। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में एक बड़ी ढील अधिसूचित की है: बंदरगाहों और पोताश्रयों (ports and harbours) को दी गई मंजूरीयों की वैधता दोगुनी करके कम से कम 20 वर्ष कर दी गई है, और शर्तों के अधीन पाँच-पाँच वर्ष के दो विस्तारों की गुंजाइश भी रखी गई है। सोमवार को प्रकाशित यह अधिसूचना पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (Environment Impact Assessment Notification, 2006) में संशोधन करती है, जो देश में पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance, EC) की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। EC वह अनुमति है जो किसी परियोजना को शुरू होने से पहले, हवा, पानी, ज़मीन और लोगों पर उसके संभावित प्रभाव के अध्ययन के बाद, पर्यावरण मंत्रालय या किसी राज्य प्राधिकरण से लेनी होती है; इसकी "वैधता" वह अवधि है जिसके भीतर परियोजना को संचालन शुरू कर देना होता है, वरना अनुमति

समाप्त हो जाती है। संशोधन के तहत बंदरगाह और पोताश्रय परियोजनाओं की मंजूरी 20 वर्ष की अवधि के बाद पाँच वर्ष और बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते मूल्यांकन समितियाँ मौजूदा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता की समीक्षा करें। यदि परियोजना फिर भी चालू नहीं हुई है, तो “योग्य मामलों” (deserving cases) में पाँच वर्ष का एक और विस्तार दिया जा सकता है। संशोधन के अनुसार क्षेत्रवार विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (Expert Appraisal Committee, EAC) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) जाँच के बाद और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के अधीन इस दूसरे विस्तार की सिफारिश कर सकती है। अब तक बंदरगाहों और पोताश्रयों की EC 10 वर्ष के लिए वैध थी और उसे एक वर्ष बढ़ाया जा सकता था, जिसके बाद परियोजनाओं को नई मंजूरी लेनी पड़ती थी। यह संशोधन उद्योग जगत और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस ढाँचे को “युक्तिसंगत” बनाने के अनुरोधों के बाद आया है। अधिसूचना कहती है: “मंत्रालय को बंदरगाहों और पोताश्रयों को दी गई पर्यावरणीय मंजूरीयों की वैधता अवधि को युक्तिसंगत बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में दस वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध है और जिसे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।” 2006 की अधिसूचना के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों की नई परियोजनाओं को पूर्व EC लेनी होती है, और तय सीमा से आगे के विस्तार, आधुनिकीकरण, क्षमता वृद्धि और उत्पाद-मिश्रण में बदलाव के लिए भी; यह EIA, जहाँ लागू हो वहाँ जन सुनवाई, और विशेषज्ञ समितियों के अंतिम मूल्यांकन पर आधारित होती है। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब समुद्री वित्त का भी विस्तार हो रहा है: द हिंदू में छुपी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पहले समुद्री ऋणदाता के रूप में वर्णित सागरमाला फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन 28 सितंबर को देश के पहले ब्लू बॉन्ड (blue bond) के ज़रिए ₹600 करोड़ जुटाने की योजना बना रहा है, जिसमें ₹500 करोड़ का ग्रीनशू विकल्प (अधिक अभिदान की राशि रख लेने का अधिकार) शामिल है; ब्लू बॉन्ड जल और समुद्री परियोजनाओं, जैसे पोत परिवहन, टिकाऊ मत्स्यन और महासागरीय ऊर्जा, के लिए धन जुटाते हैं। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और अवसरचना।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

EIA अधिसूचना, 2006 हर मंजूरी को एक निश्चित वैधता देती है ताकि मूल्यांकन पुराने न पड़ें → बड़े बंदरगाहों के वित्तपोषण, चरणबद्ध विकास और निर्माण में वर्षों लगते हैं, और 10 + 1 वर्ष की अवधि बीच में ही नई मंजूरी लेने को मजबूर करती है → समुद्री विस्तार और समुद्री वित्त बढ़ने के साथ उद्योग और पत्तन मंत्रालय “युक्तिसंगत” बनाने की मांग करते हैं → केंद्र 20 वर्ष की वैधता और पाँच-पाँच वर्ष के दो सशर्त विस्तार अधिसूचित करता है → अब किसी बंदरगाह की मंजूरी मूल मूल्यांकन से 30 वर्ष तक जीवित रह सकती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. EIA अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रत्यायोजित विधान है — पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) की धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अधिकार देती है, जिसमें उन क्षेत्रों को सीमित करना भी शामिल है जहाँ उद्योग और प्रक्रियाएँ चलाई जा सकती हैं। पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पढ़ने पर यही 14 सितंबर 2006 की EIA अधिसूचना का कानूनी आधार है, जिसने 1994 की EIA अधिसूचना का स्थान लिया। EIA पर संसद का कोई अलग अधिनियम नहीं है, इसलिए यह व्यवस्था अधिसूचना के ज़रिए बदली जा सकती है, और यही कारण है कि 2006 के बाद से इसमें कई बार संशोधन हुए हैं। इसका प्रशासन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है।
2. परियोजनाएँ श्रेणी A और श्रेणी B में बाँटी जाती हैं और चार चरणों में उनका मूल्यांकन होता है — श्रेणी A की परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र में क्षेत्रवार विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियाँ करती हैं, और मंजूरी मंत्रालय देता है। श्रेणी B की परियोजनाओं का मूल्यांकन राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है और मंजूरी राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) देता है; B1 परियोजनाओं को पूरी EIA रिपोर्ट चाहिए, जबकि B2 परियोजनाओं को इससे छूट है। चार चरण हैं: स्क्रीनिंग (केवल श्रेणी B के लिए), स्कोपिंग (EIA अध्ययन के संदर्भ-बिंदु तय करना), जन परामर्श (अधिकांश परियोजनाओं के लिए जन सुनवाई सहित) और मूल्यांकन। बंदरगाह, पोताश्रय, तरंगरोधक (breakwaters) और तलकषण (dredging) अनुसूची में मद 7(e) के रूप में दर्ज हैं, और प्रति वर्ष 50 लाख टन या उससे अधिक माल सभालने वाले बंदरगाह श्रेणी A में रखे गए हैं।
3. बंदरगाहों को तटीय विनियमन व्यवस्था के तहत भी मंजूरी चाहिए — तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone, CRZ) अधिसूचना, जो पहली बार 1991 में इसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत जारी हुई, तट के किनारे निर्माण को नियंत्रित करती है; इसका वर्तमान रूप CRZ अधिसूचना, 2019 है, जिसने 2011 की अधिसूचना का स्थान लिया और जो शैलेश नायक समिति की रिपोर्ट के बाद आई। बंदरगाह उन गतिविधियों में हैं जिन्हें तटीय (foreshore) सुविधाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए मंजूरी के अधीन वे CRZ क्षेत्रों में अनुमेय हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ऐसी परियोजनाओं की जाँच करते हैं। इस तरह एक बंदरगाह दो अधिसूचनाओं के संगम पर खड़ा होता है, और दोनों को कार्यपालिका संशोधित कर सकती है।
4. न्यायालयों ने पर्यावरणीय मंजूरी को एहतियात से जोड़ा है और बाद में दी गई मंजूरीयों का विरोध किया है — Vellore Citizens' Welfare Forum v. Union of India (1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) भारतीय पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं। Alembic Pharmaceuticals v. Rohit Prajapati (2020) में न्यायालय ने कहा कि कार्यान्वयन (ex post facto) मंजूरी, यानी परियोजना शुरू हो जाने के बाद दी गई मंजूरी, की अवधारणा पर्यावरणीय

	न्यायशास्त्र के विपरीत है। Vanashakti v. Union of India (मई 2025) में दो न्यायाधीशों की पीठ ने ऐसी कार्योत्तर मंजूरीयों की अनुमति देने वाली केंद्र की 2017 की अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, लेकिन नवंबर 2025 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वह फैसला वापस ले लिया, इसलिए यह मुद्दा अब भी विवादित है। इन मामलों का साझा सूत्र यह है कि मूल्यांकन निर्माण से पहले होना चाहिए और उसे वर्तमान परिस्थितियों को दर्शाना चाहिए।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. EIA का नाम स्वयं GS3 के पाठ्यक्रम में है — पाठ्यक्रम में लिखा है: “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन”। UPSC EIA के उद्देश्य और कमज़ोरियों पर प्रश्न पूछ चुका है, और मसौदा EIA अधिसूचना, 2020 पर हुए विवाद से, जिसमें कार्योत्तर स्वीकृतियों और सार्वजनिक टिप्पणी की छोटी अवधि का प्रस्ताव था, प्रश्न आने की व्यापक अपेक्षा थी। वैधता अवधि इसका अगला स्वाभाविक उप-विषय है, क्योंकि वही तय करती है कि कोई मूल्यांकन कितने समय तक भरोसेमंद रहता है। 2. बंदरगाह-आधारित विकास अवसंरचना का बार-बार आने वाला विषय है — सागरमाला (2015 में स्वीकृत), मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (2021 में जारी) और अमृत काल मैरीटाइम विज़न 2047 बंदरगाहों को विकास के इंजन के रूप में देखते हैं। अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था (blue economy) पर मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में अपेक्षा रहती है कि अभ्यर्थी बंदरगाह-आधारित विकास को तटीय पारिस्थितिकी और मछुआरों की आजीविका के सामने तौलें, और यह खबर ठीक यही दिखाती है। 3. प्रारंभिक परीक्षा पर्यावरणीय मंजूरी की संस्थाओं से प्रश्न लेती है — EAC और SEIAA का अंतर, EIA और CRZ अधिसूचनाओं का मूल अधिनियम, और ब्लू बॉन्ड तथा एहतियाती सिद्धांत जैसे शब्दों का अर्थ प्रारंभिक परीक्षा की पारंपरिक सामग्री है। यह संशोधन इन सबको एक साथ दोहराने का सुविधाजनक बहाना है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● EIA अधिसूचना, 2006 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी की गई थी और इसने 1994 की EIA अधिसूचना का स्थान लिया। ● EIA अधिसूचना, 2006 के तहत श्रेणी A की परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है, जबकि श्रेणी B की परियोजनाओं को राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण मंजूरी देता है। ● 2006 की अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के चार चरण हैं: स्क्रीनिंग (केवल श्रेणी B की परियोजनाओं के लिए), स्कोपिंग, जन परामर्श और मूल्यांकन। ● तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019, जिसने 2011 की अधिसूचना का स्थान लिया, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी की गई है। ● सर्वोच्च न्यायालय ने Vellore Citizens' Welfare Forum v. Union of India (1996) में एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भारतीय पर्यावरण कानून का हिस्सा माना। ● ब्लू बॉन्ड ऐसे ऋण साधन हैं जिनका उपयोग महासागरों और जल से जुड़ी परियोजनाओं, जैसे टिकाऊ मत्स्यन, पोत परिवहन, समुद्री संरक्षण और महासागरीय ऊर्जा, के लिए धन जुटाने में होता है। ● पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार देती है, जिसमें उन क्षेत्रों को सीमित करना भी शामिल है जहाँ उद्योग काम कर सकते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. मंजूरी की वैधता अपने-आप में एक सुरक्षा उपाय है, क्योंकि आधारभूत आँकड़े पुराने पड़ते हैं — EIA तट का वह चित्र दर्ज करता है जो अध्ययन के समय था: मैंग्रोव, मछली पकड़ने के क्षेत्र, कटाव के पैटर्न और बस्तियाँ। वैधता की अवधि परियोजना को मजबूर करती है कि या तो वह तब निर्माण करे जब यह चित्र सही हो, या फिर नए सिरे से जाँच के लिए लौटे। इसे दोगुना करके 20 वर्ष और ऊपर से 10 वर्ष तक करने का अर्थ है कि कोई बंदरगाह लगभग तीन दशक पहले जुटाए गए आँकड़ों पर निर्माण शुरू कर सकता है। तट सबसे तेज़ी से बदलने वाले भू-दृश्यों में हैं, जिन्हें समुद्र-स्तर में वृद्धि, चक्रवात और आसपास का विकास बदलते रहते हैं। पहले विस्तार में कम से कम समितियों को सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता की समीक्षा करनी होती है, लेकिन सुरक्षा उपायों की समीक्षा न तो नया आधारभूत अध्ययन है और न ही नई जन सुनवाई। 2. उद्योग की शिकायत वास्तविक है, और पुराने नियम में सचमुच एक दोष था — बंदरगाह कई वर्षों में चरणबद्ध ढंग से बनते हैं, और उनका वित्तपोषण उस यातायात पर निर्भर करता है जो धीरे-धीरे आता है। 10 + 1 वर्ष की अवधि में किसी बंदरगाह डेवलपर की मंजूरी नियोजित विस्तार के बीच में ही समाप्त हो सकती थी, जिससे उस परियोजना के लिए नई मंजूरी लेनी

पड़ती जिसके प्रभावों का आकलन पहले ही हो चुका था। यह दोहराव लागत और अनिश्चितता तो बढ़ाता है, पर सुरक्षा में खास कुछ नहीं जोड़ता। ब्लू बॉन्ड जैसे नए वित्तपोषण माध्यमों के लिए भी दीर्घकालिक निश्चितता मायने रखती है, क्योंकि ऋणदाता नियामकीय जोखिम की कीमत लगाते हैं। संशोधन के पक्ष में ईमानदार तर्क यह है कि यह मंजूरी को बंदरगाह के जीवन-चक्र से मेल खिलाता है; सवाल यह है कि इसके साथ जुड़ी शर्तें पर्याप्त मज़बूत हैं या नहीं।

3. दूसरा विस्तार देरी को पुरस्कृत करता है, जो वैधता के उद्देश्य के ठीक उलट है — पाँच वर्ष का अतिरिक्त विस्तार “योग्य मामलों” में तब मिलता है जब परियोजना चालू न हुई हो। जो परियोजना 25 वर्ष बाद भी शुरू नहीं हुई, ठीक उसी का मूल मूल्यांकन सबसे ज़्यादा पुराना होता है। नई मंजूरी माँगने के बजाय किसी मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिश पर उसे एक और विस्तार देना वैधता को ज़मीन और अनुमति के आरक्षण में बदल देता है। “योग्य” किसे माना जाएगा, इसके स्पष्ट मानदंड पहले से प्रकाशित हों, तो विवेकाधिकार और लॉबिंग का जोखिम घटेगा। उनके बिना यह प्रावधान अपवाद के बजाय सामान्य नियम बन सकता है।
4. असली कमज़ोर कड़ी वैधता की लंबाई नहीं, निगरानी की क्षमता है — मंज़ूरियों के साथ शर्तें जुड़ी होती हैं, और उनके अनुपालन की जाँच छमाही रिपोर्टों और मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षणों से होती है, जिनमें कर्मचारी बहुत कम हैं। लंबी वैधता से उन जीवित मंज़ूरियों का भंडार बढ़ता है जिनकी निगरानी और लंबे समय तक करनी होगी। अगर निगरानी क्षमता नहीं बढ़ती, तो लंबी वैधता का व्यावहारिक अर्थ है शर्तों के बिना जाँच के पड़े रहने की लंबी अवधि। बेहतर सौदा यह होता कि लंबी वैधता के बदले मज़बूत आवधिक समीक्षा हो: हर विस्तार से पहले अनिवार्य अनुपालन ऑडिट जो ऑनलाइन प्रकाशित हो, और 10 वर्ष बाद भी न बनी किसी परियोजना के लिए अद्यतन आधारभूत अध्ययन।
5. क्षेत्र-दर-क्षेत्र ढील दिखाती है कि EIA को एक कानून की ज़रूरत क्यों है — यह संशोधन एक मंत्रालय के एक क्षेत्र से जुड़े अनुरोध का जवाब है, और वर्षों में दूसरे क्षेत्रों के लिए भी ऐसे ही बदलाव हुए हैं। चूँकि EIA एक अधिसूचना पर टिका है, कार्यपालिका उसे बिना संसदीय बहस के नया रूप दे सकती है; हर बदलाव अलग से मामूली लगता है, पर इनका संचयी प्रभाव बड़ा है। एक वैधानिक EIA कानून आधारभूत आँकड़ों की अधिकतम आयु और जन सुनवाई के अधिकार जैसे सिद्धांत तय करेंगे और सीमाएँ नियमों पर छोड़ देगा। इसका प्रतिपक्ष यह है कि अधिसूचनाएँ वास्तविक समस्याओं को जल्दी सुधारने देती हैं, जैसा बंदरगाहों का मामला दिखाता है, और एक कठोर कानून ज़रूरी सुधारों को धीमा कर सकता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“पर्यावरणीय मंज़ूरियों की लंबी वैधता लंबी अवधि में पूरी होने वाली अवसंरचना को निश्चितता देती है, पर इससे पर्यावरणीय मूल्यांकन के एकबारगी औपचारिकता बन जाने का खतरा है।” बंदरगाहों और पोताश्रयों के लिए EIA अधिसूचना, 2006 में हाल के संशोधन के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

1. भूमिका — संशोधन बताएँ: उद्योग और पत्तन मंत्रालय के अनुरोधों के बाद बंदरगाहों और पोताश्रयों की EC की वैधता 10 + 1 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 20 वर्ष की गई, साथ में सुरक्षा उपायों की समीक्षा के बाद पाँच वर्ष का एक विस्तार और योग्य मामलों में चालू न हुई परियोजनाओं के लिए एक और विस्तार।
2. मुख्य भाग — निश्चितता के पक्ष में तर्क — बंदरगाहों की लंबी निर्माण अवधि और चरणबद्ध विकास, पुराने नियम के तहत दोहराव, और ब्लू बॉन्ड जैसे साधनों से वित्तपोषण के संबंध को समझाएँ। इसे सागरमाला और मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के संदर्भ में रखें।
3. मुख्य भाग — जोखिम — तेज़ी से बदलते तटों पर पुराने पड़ते आधारभूत आँकड़े, विस्तार के लिए नई जन सुनवाई का अभाव, चालू न हुई परियोजनाओं के लिए दूसरा विस्तार, कमज़ोर निगरानी क्षमता, और Vellore Citizens' Welfare Forum मामले से एहतियाती सिद्धांत की चर्चा करें। CRZ की परत का भी उल्लेख करें।
4. मुख्य भाग — संतुलित ढाँचा — “योग्य मामलों” के लिए प्रकाशित मानदंड, हर विस्तार से पहले अनुपालन ऑडिट, 10 वर्ष बाद भी न बनी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य आधारभूत अद्यतन, और मज़बूत क्षेत्रीय निगरानी का प्रस्ताव रखें। मूल सिद्धांतों के लिए एक वैधानिक EIA ढाँचे का सुझाव दें।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि निश्चितता और जाँच एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं: कोई मंजूरी लंबे समय तक चल सकती है यदि उसे समय-समय पर ताज़ा किया जाए, और संशोधन को इसी संतुलन की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S)

प्रश्न 1. आप विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य हैं। 25 वर्ष पहले मंज़ूर हुई, पर कभी न बनी एक बंदरगाह परियोजना पाँच वर्ष का दूसरा विस्तार मांग रही है। आप क्या जाँचेंगे?

BRAINSTORM — Q & APPROACH

दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले यह पूछूंगा कि परियोजना शुरू क्यों नहीं हुई और क्या इसके कारण डेवलपर के नियंत्रण से बाहर थे। मैं मूल आधारभूत आँकड़ों की तुलना वर्तमान उपग्रह चित्रों, CRZ मानचित्रों और तटरेखा परिवर्तन के आँकड़ों से करूँगा ताकि पता चले कि स्थल कितना बदल चुका है। अगर मैंग्रोव, मछली पकड़ने के क्षेत्र या बस्तियाँ काफी बदल चुकी हैं, तो मैं विस्तार के बजाय नई स्कोपिंग और जन सुनवाई की सिफारिश करूँगा। मेरी सिफारिश कारणों सहित लिखित होगी, ताकि निर्णय की समीक्षा हो सके।

प्रश्न 2. आप एक तटीय ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं, और मछुआरे कहते हैं कि अभी बन रहा बंदरगाह बहुत पहले उनसे पूछे बिना मंजूर हो गया था। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं मछुआरों की सहकारी समितियों से मिलकर उतरने के घाटों, मछली पकड़ने के क्षेत्रों तक पहुँच और कटाव से जुड़ी उनकी विशिष्ट चिंताएँ दर्ज करूँगा। मैं डेवलपर से मंजूरी की शर्तें और अनुपालन रिपोर्ट माँगकर सार्वजनिक करूँगा, क्योंकि ये शर्तें सार्वजनिक दस्तावेज़ हैं। जहाँ शर्तों का उल्लंघन हो रहा हो, वहाँ मैं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को रिपोर्ट करूँगा। निर्माण की अवधि के लिए मैं मछुआरों के प्रतिनिधित्व वाली एक स्थानीय शिकायत समिति पर भी ज़ोर दूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर एक अलग कानून होना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): इसके पक्ष में मज़बूत तर्क है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था एक अधिसूचना पर टिकी है जिसे बिना संसदीय जाँच के जल्दी-जल्दी और बार-बार बदला जा सकता है। एक कानून जन सुनवाई, मूल्यांकन निकायों की स्वतंत्रता और आधारभूत आँकड़ों की आयु की सीमा जैसे मूल सिद्धांतों की गारंटी दे सकता है। क्षेत्रवार सीमाएँ और प्रक्रियाएँ फिर भी नियमों के ज़रिए तय हो सकती हैं। जोखिम कटोरता का है, इसलिए कानून सिद्धांत तय करे और विवरण समीक्षा के अधीन प्रत्यायोजित विधान पर छोड़ दे।

5.3 गैंडा संरक्षण चरण I (2026-31) के तहत बिहार और अरुणाचल तक विस्तार, साथ में घास के मैदानों का एटलस बनाने की योजना

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस (World Rhino Day) के अवसर पर द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़े एक सींग वाले गैंडे (greater one-horned rhinoceros) के लिए सरकार की योजनाएँ सामने रखीं: यह सरकार का अपने ही कार्यक्रम का विवरण है। वे लिखते हैं कि गैंडे का ऐतिहासिक विस्तार क्षेत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के साथ-साथ पूरे उत्तरी उपमहाद्वीप में फैला था, लेकिन भारत में इसकी जंगली आबादी अब मुख्य रूप से असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों और तराई के घास के मैदानों में सिमटी है। 2019 में शुरू की गई गैंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति (National Conservation Strategy) मौजूदा आबादी को मज़बूत करने, प्रजाति को उसके उपयुक्त पूर्व आवासों में फिर से बसाने, आनुवंशिक सुरक्षा (genetic security) बनाए रखने, यानी इतनी अलग-अलग आबादियाँ हों कि एक बाढ़ या बीमारी प्रजाति के बड़े हिस्से को खत्म न कर सके और इतना मेल-जोल हो कि अंतःप्रजनन न हो, आवासों की संपर्कता बनाए रखने, वैज्ञानिक ढंग से नियोजित स्थानांतरण को बढ़ावा देने और जलवायु-सहनशीलता विकसित करने का ढाँचा देती है। गैंडों की संख्या 1980 के दशक के लगभग 1,500 से बढ़कर सितंबर 2024 तक 4,000 से अधिक हो गई है। पाँच वर्ष का चरण I (2026-2031), जिसे राष्ट्रीय CAMPA प्राधिकरण से समर्थन दिलाने का प्रस्ताव है, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को एक साथ लाता है; इसका ध्यान वैज्ञानिक निगरानी, सुरक्षा, आवास बहाली, स्थानांतरण की योजना, सह-अस्तित्व और क्षमता निर्माण पर है, और यह बिहार तथा अरुणाचल प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्रों में विस्तार का समर्थन करना चाहता है। CAMPA का धन उन एजेंसियों से आता है जो वन भूमि का अन्य उपयोग के लिए परिवर्तन करती हैं। गैंडा संरक्षण कार्ययोजना (Rhino Conservation Action Plan) में घास के मैदानों और आर्द्रभूमियों का मानचित्रण, आक्रामक प्रजातियों की पहचान, बहाली के लिए आवासों की प्राथमिकता तय करना और हर संरक्षित क्षेत्र के लिए अलग प्रबंधन प्रोटोकॉल का प्रावधान है। घास के मैदानों को क्षरण, “अनुपयुक्त अनुक्रमण” (inappropriate succession), यानी घास के मैदान का धीरे-धीरे झाड़ियों और वन में बदल जाना, और आक्रामक प्रजातियों के फैलाव से बचाने के लिए विज्ञान-आधारित प्रबंधन चाहिए; यही आवास बारहसिंगा, जंगली भैंसे, हाथियों, बाघों और घास के मैदानों के पक्षियों को भी आश्रय देते हैं। पाँच वर्ष (2026-2031) का एक अलग भारतीय घास के मैदानों का व्यापक आकलन (Comprehensive Assessment of Indian Grasslands), जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद और भारतीय वन सर्वेक्षण लागू करेंगे, घास के मैदानों के विस्तार, स्थिति, जैव विविधता, क्षरण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और कार्बन क्षमता का आकलन करेगा और एक राष्ट्रीय घास के मैदान एटलस (National Grassland Atlas) का आधार बनेगा। काज़ीरंगा जैसे भू-दृश्यों में बाढ़ स्वाभाविक है, लेकिन अधिक चरम घटनाओं के कारण ऊँची ज़मीन और आवाज़ाही के रास्तों तक पहुँच महत्वपूर्ण हो गई है। मंत्री यादव बताते हैं कि 2019 में नई दिल्ली में हुई दूसरी एशियाई गैंडा रेंज देशों की संरक्षण बैठक में भारत, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल ने नई दिल्ली घोषणा (New Delhi Declaration) अपनाई थी। लेख में किसी बजट या विशिष्ट स्थलों का उल्लेख नहीं है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में संरक्षण और जैव विविधता।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गैंडे कभी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों में फैले थे → शिकार और बाढ़ के मैदानों के घास के मैदानों के रूपांतरण ने उन्हें असम, उ.प्र. और पश्चिम बंगाल के कुछ संरक्षित क्षेत्रों तक सीमित कर दिया → सख्त सुरक्षा से संख्या 1980 के दशक के लगभग 1,500 से बढ़कर सितंबर 2024 तक 4,000 से ऊपर पहुँची, पर अधिकांश जानवर गिने-चुने स्थलों में ही रहे → इस सघनता से बाढ़, बीमारी

और आनुवंशिक जोखिम पैदा होते हैं, इसलिए 2019 की राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति विस्तार क्षेत्र की बहाली की बात करती है → CAMPA से वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित चरण I (2026-31) राष्ट्रीय घास के मैदान आकलन के सहारे बिहार और अरुणाचल तक विस्तार का लक्ष्य रखता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

- 1. बड़ा एक सींग वाला गैंडा उबरती हुई, पर अब भी संवेदनशील प्रजाति है —** बड़ा एक सींग वाला या भारतीय गैंडा (Rhinoceros unicornis) भारत और नेपाल में पाया जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील (Vulnerable) के रूप में दर्ज है; 2008 में इसे संकटग्रस्त (Endangered) से इस श्रेणी में लाया गया। यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की अनुसूची I के तहत संरक्षित है और CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक व्यापार पर रोक लगाता है। बाकी दो एशियाई गैंडों में जावा और सुमात्रा के गैंडे, दोनों गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) हैं; अफ्रीका में सफ़ेद और काले गैंडे पाए जाते हैं। इसका सींग केराटिन से बना होता है, वही प्रोटीन जो मनुष्य के बालों और नाखूनों में होता है, और पारंपरिक चिकित्सा में इसकी माँग ने अवैध शिकार को बढ़ावा दिया है। 22 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व गैंडा दिवस पहली बार 2010 में WWF-दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया था।
- 2. भारत के गैंडों का भार गिने-चुने संरक्षित क्षेत्र उठाते हैं —** असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रजाति की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में गैंडों का घनत्व सबसे अधिक है, और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम का एक और गढ़ है। उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 1984 में पुनर्स्थापन के ज़रिए गैंडे लाए गए, और पश्चिम बंगाल के गैंडे जलदापारा और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यानों में हैं। असम ने 2005 में संरक्षण भागीदारों के साथ इंडियन राइनो विज़न 2020 शुरू किया, जिसका लक्ष्य सात संरक्षित क्षेत्रों में फैले 3,000 गैंडे थे, और स्थानांतरणों के ज़रिए मानस में फिर से गैंडे बसाए गए, जहाँ अवैध शिकार ने उन्हें खत्म कर दिया था।
- 3. CAMPA का धन वन भूमि के परिवर्तन से आता है और 2016 के एक अधिनियम से नियंत्रित होता है —** जब वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act, 1980), जिसका नाम 2023 के संशोधन के बाद वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 हो गया है, के तहत वन भूमि को गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाता है, तो उपयोगकर्ता एजेंसी क्षतिपूर्क वनीकरण और खोए हुए वन के शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) का भुगतान करती है। T.N. Godavarman Thirumulpad मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से इन निधियों को रखने के लिए एक तदर्थ क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) बना। क्षतिपूर्क वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 (Compensatory Afforestation Fund Act, 2016) ने इन्हें भारत के लोक लेखा में एक राष्ट्रीय कोष और राज्यों के लोक लेखा में राज्य कोषों में रखा, जिसमें 90% राज्यों को और 10% राष्ट्रीय कोष को जाता है। क्षतिपूर्क वनीकरण कोष नियम, 2018 अनुमेय उपयोगों की सूची देते हैं, जिनमें वनीकरण के साथ वन्यजीव और आवास प्रबंधन भी शामिल हैं।
- 4. बाढ़ के मैदानों के घास के मैदान अपने-आप में पारिस्थितिकी तंत्र हैं, बंजर ज़मीन नहीं —** तराई और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों के घास के मैदान हर साल की बाढ़, चराई और आग से खुले रहते हैं; इनके बिना पारिस्थितिक अनुक्रमण (ecological succession) के ज़रिए वे वन में बदल जाते हैं। ये बारहसिंगा या दलदली हिरण (संवेदनशील), जंगली भैंसा (संकटग्रस्त) और बंगाल फ़्लोरिकन (गंभीर रूप से संकटग्रस्त) जैसी घास के मैदान की विशेषज्ञ प्रजातियों को सहारा देते हैं। Mikania micrantha और Chromolaena odorata जैसे आक्रामक पौधे इन घास के मैदानों को ढक लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से कई खुले घास के मैदान भू-अभिलेखों और भारत के बंजर भूमि एटलस (Wastelands Atlas of India) में क्षरित या बंजर भूमि के रूप में दर्ज किए गए हैं, जिससे वे वृक्षारोपण और अन्य उपयोग के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान (1982), द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report) प्रकाशित करने वाला भारतीय वन सर्वेक्षण (1981) और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, तीनों का मुख्यालय देहरादून में है।
- 1. प्रारंभिक परीक्षा हर साल प्रजातियों की स्थिति और संरक्षित क्षेत्रों पर प्रश्न पूछती है —** UPSC नियमित रूप से पूछता है कि कौन-से संरक्षित क्षेत्र किसी प्रमुख प्रजाति को आश्रय देते हैं; जानवरों की IUCN स्थिति क्या है, और उनकी अनुसूची तथा CITES सूचीकरण क्या है। गैंडे की स्थिति, उसके मुख्य उद्यान और तीनों एशियाई गैंडा प्रजातियाँ पारंपरिक निशाने हैं, और 2019 की नई दिल्ली घोषणा अभिसमय जैसी वह जानकारी है जो इस परीक्षा को पसंद है।
- 2. मुख्य परीक्षा बाघ से आगे के संरक्षण की अपेक्षा करती है —** GS3 जैव विविधता संरक्षण, स्वस्थाने (in-situ) और बहिःस्थाने (ex-situ) तरीकों और वित्तपोषण तंत्रों की भूमिका पर प्रश्न पूछता है। एक स्थल की रक्षा से आगे बढ़कर किसी प्रजाति के ऐतिहासिक विस्तार क्षेत्र की बहाली की ओर, और प्रजाति से घास के मैदानों जैसे भू-दृश्यों की ओर बढ़ना वही

विश्लेषणात्मक कदम है जिसे परीक्षक पुरस्कृत करता है।

3. घास के मैदान परीक्षा का उभरता विषय है — ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जुड़ा मुकदमा, खूले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों पर वृक्षारोपण की बहस और घास के मैदानों को बंजर भूमि मानने की प्रवृत्ति ने घास के मैदानों के संरक्षण को एक जीवंत विषय बना दिया है। राष्ट्रीय घास के मैदान एटलस अभ्यर्थियों को उद्धृत करने के लिए एक टोस, तारीख-युक्त पहल देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- बड़ा एक सींग वाला गैंडा (Rhinoceros unicornis) IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में और CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है।
- असम के काज़ीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।
- असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में बड़े एक सींग वाले गैंडे का घनत्व सबसे अधिक है।
- IUCN ने जावा और सुमात्रा, दोनों गैंडों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है।
- क्षतिपूर्क वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय कोष भारत के लोक लेखा में रखा जाता है और एकत्रित धन का 90% राज्य कोषों में जाता है।
- एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा 2019 में दूसरी एशियाई गैंडा रेंज देशों की बैठक में भारत, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया और नेपाल ने अपनाई।
- द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. संख्या बढ़ना सफलता है; भूगोल अब भी जोखिम है** — लगभग 1,500 से 4,000 से अधिक तक की वृद्धि एशिया में किसी भी बड़े स्तनधारी के पुनरुद्धार के सबसे अच्छे रिकॉर्डों में है। लेकिन इनमें से अधिकांश जानवर अब भी कुछ ही संरक्षित क्षेत्रों में हैं, सबसे बढ़कर काज़ीरंगा में, जहाँ हर साल बाढ़ आती है। किसी एक उद्यान में एक चरम बाढ़, बीमारी का प्रकोप या अवैध शिकार में उछाल इन उपलब्धियों के बड़े हिस्से पर पानी फेर सकता है। इसीलिए आनुवंशिक सुरक्षा और विस्तार क्षेत्र बढ़ाने पर मंत्री का जोर सिद्धांततः सही है। इसलिए अगले पाँच वर्षों में सफलता का पैमाना कुल संख्या नहीं, बल्कि सुरक्षित और प्रजनन करने वाली आबादियों की संख्या होनी चाहिए।
- 2. विस्तार क्षेत्र बढ़ाना एक सामाजिक परियोजना है, परिवहन का काम नहीं** — गैंडों को बिहार और अरुणाचल ले जाना आसान हिस्सा है; उन्हें वहाँ ज़िंदा रखना कठिन हिस्सा है। उप्रवाद के वर्षों में मानस ने अपनी पूरी गैंडा आबादी खो दी थी और उसे फिर से बसाना पड़ा, जो दिखाता है कि जानवरों के पहुँचने से पहले स्थल सुरक्षित होना चाहिए। नई आबादियाँ संरक्षित क्षेत्रों के किनारे फसलों पर भी धावा बोलेंगी, इसलिए सह-अस्तित्व, जिसे मंत्री ने सूची में रखा है, के लिए ज़मीन पर मुआवज़ा, बाड़बंदी और सामुदायिक कर्मचारी चाहिए। लेख न कोई स्थल बताता है, न बजट, न पहले स्थानांतरण की कोई समय-सीमा, और चरण I को CAMPA समर्थन के लिए केवल “प्रस्तावित” किया गया है। जब तक ये बातें सार्वजनिक नहीं होतीं, यह योजना कार्यक्रम कम और दिशा ज़्यादा है।
- 3. घास के मैदानों के लिए CAMPA का उपयोग एक पूर्वाग्रह सुधारता है, पर एक सैद्धांतिक प्रश्न उठाता है** — क्षतिपूर्क वनीकरण का अर्थ आमतौर पर पेड़ लगाना रहा है, अक्सर ऐसी खुली ज़मीन पर जो कभी वन थी ही नहीं, और इससे घास के मैदानों की प्रजातियों को नुकसान होता है। इसलिए CAMPA का धन घास के मैदानों की बहाली और गैंडे के आवास की ओर मोड़ना खोए हुए वनों की भरपाई के भारत के तरीके में पेड़-केंद्रित पूर्वाग्रह को सुधारता है। फिर भी CAMPA का धन इसलिए मौजूद है क्योंकि कहीं और खानों, सड़कों और बाँधों के लिए वन काटे गए हैं, और इसे किसी प्रमुख प्रजाति के कार्यक्रम पर खर्च करने से यह सवाल धुंधला हो सकता है कि खोए हुए वन की वास्तव में भरपाई हो रही है या नहीं। क्षतिपूर्क वनीकरण पर CAG के 2013 के ऑडिट ने ऐसी निधियों के उपयोग में गंभीर कमियाँ पाई थीं, इसलिए परिणामों की पारदर्शी रिपोर्टिंग उतनी ही मायने रखती है जितना आवंटन।
- 4. घास के मैदान एटलस गैंडा योजना से भी ज़्यादा अहम साबित हो सकता है** — भारत के पास अपने घास के मैदानों का कोई आधिकारिक नक्शा नहीं है, और इसीलिए उन्हें इतनी आसानी से बंजर भूमि दर्ज करके वृक्षारोपण, सौर पाकों या उद्योग को सौंप दिया जाता है। WII, ICFRE और FSI द्वारा विस्तार, स्थिति, जैव विविधता और कार्बन क्षमता का आकलन घास के मैदानों को वही सांख्यिकीय दृश्यता देगा जो वनों को वन स्थिति रिपोर्ट से मिलती है। यह दृश्यता कानूनी मान्यता की ओर पहला कदम है। इसका प्रतिपक्ष यह है कि किसी कानूनी श्रेणी के बिना एटलस कुछ नहीं बदलता: कई घास के मैदान राजस्व या साझा भूमि हैं, जो वन विभाग के

	नियंत्रण से बाहर हैं, और अगर कार्बन क्षमता केवल ज़मीन के ऊपर मापी गई, तो मानचित्रण उलटे पेड़ लगाकर उन्हें “हरा-भरा” करने को न्योता दे सकता है। 5. मंत्री का विवरण क्या छोड़ देता है — लेख में ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े खतरे, अवैध शिकार, का ज़िक्र नहीं है, न ही उन आक्रामक पौधों का जो काज़ीरंगा और मानस में पहले ही फैल चुके हैं। यह काज़ीरंगा के दक्षिणी किनारे से गुज़रते राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा नहीं करता, जहाँ बाढ़ के दौरान कार्बी आंगलों की पहाड़ियों की ओर जाते जानवर वाहनों की चपेट में आते हैं, और न ही काज़ीरंगा के पशु गलियारों में खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की 2019 की रोक की, जो दिखाती है कि संपर्कता उद्यानों के बाहर की ज़मीन पर निर्भर है। न ही यह गैडों के आवासों के आसपास बदखली अभियानों और आजीविका के संघर्षों को छूता है। सरकार के लेख से उपलब्धियों का जश्न मनाने की ही अपेक्षा होती है; परीक्षक चाहता है कि बाकी तस्वीर अभ्यर्थी पूरी करे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत में गैडों की संख्या में सुधार को अक्सर संरक्षण की सफलता के रूप में उद्धृत किया जाता है, फिर भी कुछ ही संरक्षित क्षेत्रों में आबादी का सिमटा होना एक जोखिम बना हुआ है। बड़े एक सींग वाले गैडे के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने के औचित्य और चुनौतियों की चर्चा कीजिए, तथा स्पष्ट कीजिए कि उसके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए घास के मैदानों का प्रबंधन केंद्रीय क्यों है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. भूमिका — 1980 के दशक के लगभग 1,500 गैडों से सितंबर 2024 तक 4,000 से अधिक तक की वृद्धि, उनका मुख्य रूप से असम, उ.प्र. और पश्चिम बंगाल में सिमटा होना, और 2019 की राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति का उल्लेख करें। 2. मुख्य भाग — विस्तार क्षेत्र बढ़ाने का औचित्य — आनुवंशिक सुरक्षा, काज़ीरंगा में बाढ़ और बीमारी का जोखिम, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ ऐतिहासिक विस्तार क्षेत्र, और दुधवा तथा मानस में हुए स्थानांतरणों की मिसाल समझाएँ। पाँच राज्यों को शामिल करने वाले और बिहार तथा अरुणाचल तक विस्तार वाले चरण I (2026-31) का उल्लेख करें। 3. मुख्य भाग — चुनौतियाँ — आवास की सुरक्षा, अवैध शिकार, फसलों पर धावा और सह-अस्तित्व, CAMPA के ज़रिए वित्तपोषण और उसकी सीमाएँ, उद्यानों के बाहर गायब गलियारे, और ऊँची ज़मीन तक पहुँच को माँग करने वाली जलवायु-जनित चरम बाढ़ों की चर्चा करें। 4. मुख्य भाग — घास के मैदान — अनुक्रमण, आक्रामक प्रजातियाँ, बंजर भूमि वर्गीकरण की समस्या, गैडा संरक्षण कार्ययोजना का मानचित्रण, और राष्ट्रीय घास के मैदान एटलस की ओर ले जाने वाले भारतीय घास के मैदानों के व्यापक आकलन को समझाएँ। बारहसिंगा और बंगाल फ्लोरिकन जैसी घास के मैदानों की अन्य प्रजातियों से जोड़ें। 5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि गैडे का भविष्य केवल उद्यानों की रखवाली पर नहीं, बल्कि भू-दृश्यों के प्रबंधन पर निर्भर है, और सफलता को सुरक्षित आबादियों की संख्या तथा बहाल हुए घास के मैदानों के क्षेत्रफल से मापा जाना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप बिहार में प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) हैं जहाँ गैडों को लाया जाना है। पहला जानवर पहुँचने से पहले क्या-क्या तैयार होना चाहिए? दृष्टिकोण (Approach): मैं सुनिश्चित करूँगा कि आवास में पर्याप्त घास का मैदान और पानी हो, आक्रामक पौधे साफ़ किए जा चुके हों, और अवैध शिकार-रोधी कर्मचारी, शिविर और खुफ़िया तंत्र अपनी जगह पर हों। मैं सीमांत गाँवों से मिलकर योजना समझाऊँगा, फसल नुकसान के लिए त्वरित मुआवज़ा व्यवस्था बनाऊँगा और स्थानीय लोगों को ट्रैकर के रूप में रखूँगा। मैं रेडियो-कॉलर लगाने सहित पशु-चिकित्सा और निगरानी की व्यवस्था करूँगा। जल्दी परिणाम दिखाने का कितना भी दबाव हो, स्थानांतरण तब तक रुकना चाहिए जब तक ये तैयारियाँ पूरी न हों। प्रश्न 2. आप काज़ीरंगा के निदेशक हैं और एक बड़ी बाढ़ के दौरान जानवर राजमार्ग पार करके पहाड़ियों की ओर जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर गलियारे वाले हिस्सों पर गति-सीमा, तय समय पर बंदी और गश्त के ज़रिए यातायात नियंत्रित करूँगा। वन कर्मचारियों को पार करने के ज्ञात स्थलों और ऊँची ज़मीन पर तैनात किया जाएगा ताकि जानवरों के असुरक्षित होने के समय अवैध शिकार न हो। फँसे या घायल जानवरों के लिए बचाव और पशु-चिकित्सा दल तैयार रखूँगा। बाढ़ के बाद मैं इन पारगमनों का दस्तावेज़ीकरण करूँगा ताकि गलियारों के ऊपर ऊँची सड़कों जैसे स्थायी उपायों के लिए दबाव बनाया जा सके। प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या नष्ट हुए वनों की भरपाई के लिए दिए गए धन से किसी प्रमुख प्रजाति के कार्यक्रम को वित्तपोषित करना सही है? दृष्टिकोण (Approach): यह सही हो सकता है, यदि कार्यक्रम ऐसे आवासों को बहाल करे जो

पारिस्थितिक मूल्य में सचमुच समतुल्य हों, जैसे वे घास के मैदान जिनकी वृक्षारोपण ने उपेक्षा की है। खतरा यह है कि प्रमुख प्रजाति की परियोजनाएँ धन खर्च करने का सुविधाजनक रास्ता बन जाएँ और खोए हुए वन की वास्तविक भरपाई कभी न हो। कसौटी परिणाम होने चाहिए: बहाल हुआ क्षेत्र, सुरक्षित हुई प्रजातियाँ और प्रकाशित रिपोर्ट। मैं सख्त परिणाम रिपोर्टिंग और स्वतंत्र ऑडिट के साथ इस उपयोग का समर्थन करूँगा।

5.4 रसुवा आपदा GLOF नहीं, चट्टान-हिम हिमस्खलन थी, और इसके लिए भूकंपीय चेतावनी नेटवर्क चाहिए

समाचार (THE NEWS) रसुवा, नेपाल, और तिब्बत। न्यूकैसल विश्वविद्यालय, ब्रिटेन में अनुप्रयुक्त भू-आकृतिविज्ञान (applied geomorphology) के प्रोफेसर स्टुअर्ट डनिंग द इंडियन एक्सप्रेस में तर्क देते हैं कि नेपाल-तिब्बत सीमा के आर-पार आई आपदा की शुरुआत किसी हिमनद झील के फटने से नहीं, बल्कि एक चट्टान-हिम हिमस्खलन (rock-ice avalanche) से हुई, जो आगे चलकर मलबा प्रवाह (debris flow) में बदल गया। चट्टान-हिम हिमस्खलन किसी खड़ी पर्वतीय ढलान से चट्टान और हिमनद की बर्फ का अचानक ढह जाना है; मलबा प्रवाह पानी, कीचड़ और बड़े पत्थरों का तेज़ी से बहता गाढ़ा घोल है, जो घाटी में बहुत दूर तक जा सकता है। हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood, GLOF) किसी हिमनद या ढीले हिमनदी मलबे से बँधी झील से पानी का अचानक निकल पड़ना है। डनिंग कहते हैं कि 2025 की धराली आपदा के पीछे भी यही क्रम था, और 2021 में रोंटी चोटी (Ronti Peak) से गिरा एक चट्टान-हिम हिमस्खलन ही वह मलबा प्रवाह बना जो चमोली आपदा का कारण बना। वे लिखते हैं कि इनमें से कोई भी “प्राकृतिक” नहीं है: ये तभी आपदा बनती हैं जब जान-माल से टकराती हैं। नेपाल से आई शुरुआती खबरों में भूकंप और संभवतः GLOF की बात कही गई थी। GLOF वास्तविक खतरा है: डनिंग के समूह ने एक बार गणना की थी कि दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोग GLOF के खतरे में हैं, जिनमें से 90 लाख से अधिक ऊँचे पर्वतीय एशिया (High Mountain Asia) में और लगभग 30 लाख अकेले भारत में हैं। लेकिन “भूकंप” असल में घाटी के तल से टकराते हिमस्खलन का बल था, और घाटी में कोई हिमनद झील थी ही नहीं। इसलिए रसुवा की घटना के लिए योजना बनाना कहीं कठिन था: न कोई झील थी जिससे बाढ़ का मॉडल बनाया जाए, न जिसे खाली किया जाए, न जिसकी निगरानी की जाए। ऐसे हिमस्खलन हिमालय की उन कई लाख खड़ी ढलानों में से किसी से भी शुरू हो सकते हैं जहाँ हिमनद तेज़ी से पीछे हट रहे हैं और पर्माफ्रॉस्ट (permafrost), यानी वर्षों तक जमी रहने वाली ज़मीन, पिघल रहा है। चमोली और रसुवा, दोनों में मृतकों या लापता लोगों की एक बड़ी संख्या उन मज़दूरों की थी जो प्रवाह के रास्ते में पड़ने वाली जलविद्युत अवसंरचना पर काम कर रहे थे। मौजूदा प्रणालियों ने निचले प्रवाह में तो पर्याप्त चेतावनी दी, पर ऊपरी हिस्से में नहीं, और चेतावनी पहचान, संचार और लोगों की प्रतिक्रिया की गति पर निर्भर करती है। भूकंपीय केंद्रों का सघन नेटवर्क भूस्खलन से पैदा हुए कंपन और बाढ़ से निकलने वाले लगातार भूकंपीय “शोर” को पहचान और उनका स्थान तय कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, क्योंकि इसके लिए पूरे हिमालय में सीमा-पार सहयोग और करोड़ों डॉलर (tens of millions of dollars) चाहिए। उनका तर्क है कि विज्ञान को उन समुदायों में रचा-बसा होना चाहिए जो चेतावनियों पर भरोसा करें और जानें कि क्या करना है; फिर भी, “हम जानें तो बचा सकते हैं... पर जगहें नहीं बचा पाते”। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS1 में भू-आकृतिविज्ञान और GS3 में आपदा प्रबंधन।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

गर्मी बढ़ने से हिमालयी हिमनद पतले होते हैं और खड़ी ढलानों पर पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है → ढलानें वह बर्फ खो देती हैं जो उन्हें बाँधे और धामे रखती थी, और चट्टान-हिम हिमस्खलन के रूप में ढह जाती हैं → हिमस्खलन पानी और तलछट समेटकर दूर तक जाने वाले मलबा प्रवाह बन जाते हैं → जलविद्युत स्थलों और मज़दूरों से भरी घाटियाँ चोट झेलती हैं, जैसे चमोली (2021) और रसुवा में → झील-केंद्रित GLOF चेतावनी इन श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को नहीं देख पाती, जिससे सघन भूकंपीय नेटवर्क और समुदायों के भरोसे वाली चेतावनियों का पक्ष मज़बूत होता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. GLOF और चट्टान-हिम हिमस्खलन अलग-अलग खतरे हैं, जिनकी चेतावनी का तर्क भी अलग है — हिमनद झील विस्फोट बाढ़ तब आती है जब किसी हिमनद या हिमोढ़ (moraine), यानी हिमनद के पीछे छोड़े गए ढीले मलबे की मेड़, से बँधी झील अचानक टूट जाती है, अक्सर झील में हिमस्खलन गिरने, भारी बारिश या भूकंप के बाद। चूँकि इसका स्रोत एक ज्ञात झील होती है, उसका मानचित्रण और मॉडलिंग की जा सकती है, उसे आंशिक रूप से खाली किया जा सकता है और उस पर सेंसर लगाए जा सकते हैं। अक्टूबर 2023 में सिक्किम में दक्षिण ल्हानक झील के GLOF ने तीस्ता-III जलविद्युत परियोजना के चुंगथांग बाँध को नष्ट कर दिया था, जो इस प्रकार का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है। चट्टान-हिम हिमस्खलन का कोई तय स्रोत नहीं होता: यह किसी भी खड़ी ढलान से आ सकता है जहाँ चट्टान और बर्फ कमज़ोर हो रहे हों, और इसीलिए डनिंग इसके लिए योजना बनाना कठिन बताते हैं।
2. हिमनदों का पीछे हटना और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना पर्वतीय ढलानों को कमज़ोर करता है — पर्माफ्रॉस्ट वह ज़मीन है जो लगातार कम से कम दो वर्षों तक 0°C या उससे नीचे रहती है; ऊँचे पहाड़ों में इसमें आधार-चट्टान की दरारों में भरी बर्फ भी शामिल होती है, जो सीमेंट की तरह काम करती है। तापमान बढ़ने पर यह बर्फ पिघलती है और चट्टान का द्रव्यमान अपनी मज़बूती खो देता है। पीछे हटते हिमनद घाटी की दीवारों को दिया जाने वाला सहारा भी हटा लेते हैं, जिसे डीबट्रेसिंग (debuitressing) कहते हैं, और इससे खड़ी ढलानें ढहने के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। बर्फ के अपने भंडार के कारण अक्सर तीसरा ध्रुव (Third Pole) कहा जाने वाला हिमालय वैश्विक औसत से तेज़ी से गर्म हो रहा है, इसलिए ऐसी ढलान-विफलताओं के और बार-बार होने की आशंका है।

	3. भारत का आपदा कानून और NDMA के दिशानिर्देश GLOF को एक अलग खतरे के रूप में देखते हैं — आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) बनाया, और उसके नीचे राज्य तथा जिला प्राधिकरण। 2020 में NDMA ने GLOF के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें हिमनद झीलों का मानचित्रण, पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, ज़रूरत पड़ने पर झीलों का जलस्तर घटाना और बाढ़ के रास्तों में भूमि-उपयोग का नियमन शामिल है। क्षेत्रीय स्तर पर काठमांडू स्थित अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) भारत, नेपाल और चीन सहित हिंदू कुश हिमालय के आठ देशों को पर्वतीय खतरों पर शोध के लिए एक साथ लाता है। फ़रवरी 2021 की चमोली आपदा ने इस ढाँचे की सीमाएँ दिखाई, क्योंकि उसकी बाढ़ बिना किसी झील के फटे ऋषिगंगा और तपोवन-विष्णुगाड जलविद्युत परियोजनाओं पर टूटी थी। 4. सेंदाई फ्रेमवर्क पूर्व चेतावनी को एक वैश्विक लक्ष्य बनाता है — आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) मार्च 2015 में जापान के सेंदाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया, और इसने ह्योगो कार्यवाही फ्रेमवर्क (Hyogo Framework for Action, 2005-2015) का स्थान लिया। इसमें सात वैश्विक लक्ष्य और चार प्राथमिकताएँ हैं: आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम शासन को मज़बूत करना, सहनशीलता के लिए जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना, और पुनर्प्राप्ति में “बेहतर पुनर्निर्माण” (Build Back Better) के साथ तैयारी को बढ़ाना। इसका लक्ष्य G बहु-खतरा पूर्व चेतावनी प्रणालियों की उपलब्धता और उन तक पहुँच बढ़ाना चाहता है। भारत ने 2019 में आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI) शुरू किया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और जो बिजली संयंत्रों जैसी अवसंरचना को आपदाओं के प्रति सहनशील बनाने पर केंद्रित है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. आपदा प्रबंधन और भूभौतिकीय घटनाएँ पाठ्यक्रम के स्थायी विषय हैं — GS1 में महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ और GS3 में आपदा तथा आपदा प्रबंधन शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में सेंदाई फ्रेमवर्क और ह्योगो फ्रेमवर्क से उसके अंतर पर सीधा प्रश्न आ चुका है, और केदारनाथ तथा चमोली जैसी हिमालयी आपदाओं के बाद कारणों और तैयारी पर प्रश्न पृष्ठ गए हैं। यह लेख नवीनतम विज्ञान देता है: कि मुख्य खतरा शायद वह नहीं है जिसके इर्द-गिर्द नीति बनी है। 2. प्रारंभिक परीक्षा खतरों की परिभाषाएँ और संस्थाएँ परखती है — GLOF, पर्माफ्रॉस्ट और मलबा प्रवाह की परिभाषाएँ, तथा NDMA, CDRI, ICIMOD और सेंदाई फ्रेमवर्क से जुड़े तथ्य प्रारंभिक परीक्षा की नियमित सामग्री हैं। झील से निकली बाढ़ और ढलान से आए हिमस्खलन का अंतर ठीक उसी तरह का वैचारिक जाल है जो परीक्षक बिछा सकता है। 3. नाजुक क्षेत्रों में जलविद्युत पर्यावरण, ऊर्जा और सुरक्षा को जोड़ती है — हिमालयी जलविद्युत पर प्रश्न अब स्वच्छ ऊर्जा के लाभों को आपदा जोखिम और नेपाल तथा चीन के साथ सीमा-पार जल संबंधों से जोड़ते हैं। चमोली और रसुवा में पीड़ितों में बड़ी संख्या जलविद्युत मज़दूरों की होना एक मानवीय पहलू देता है, जिसका उपयोग अभ्यर्थी GS3 और निबंध में कर सकते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● हिमनद झील विस्फोट बाढ़ किसी हिमनद या हिमोढ़, यानी हिमनद द्वारा जमा किए गए मलबे की मेड़, से बँधी झील से पानी का अचानक निकलना है। ● पर्माफ्रॉस्ट वह ज़मीन है जो लगातार कम से कम दो वर्षों तक 0°C या उससे नीचे रहती है। ● आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ● आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030 में सात वैश्विक लक्ष्य और कार्रवाई की चार प्राथमिकताएँ हैं, और इसने ह्योगो कार्यवाही फ्रेमवर्क 2005-2015 का स्थान लिया। ● आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन भारत ने 2019 में शुरू किया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ● अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) का मुख्यालय काठमांडू में है और इसके भारत सहित हिंदू कुश हिमालय के आठ सदस्य देश हैं। ● उत्तराखंड की 2021 की चमोली आपदा की शुरुआत रौंटी चोटी से गिरे एक चट्टान-हिम हिमस्खलन से हुई, जो मलबा प्रवाह में बदल गया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. हर पहाड़ी बाढ़ को GLOF कहना गलत इलाज की ओर ले जाता है — नीति का ध्यान हिमनद झीलों पर रहा है, क्योंकि वे दिखती हैं, गिनी जा सकती हैं और उन पर इंजीनियरिंग की जा सकती है: उनका जलस्तर घटाया जा सकता है, पानी निकाला जा सकता है या सेंसर लगाए जा सकते हैं। अगर रसुवा, चमोली और धराली की आपदाएँ झीलों के बजाय ढलानों से शुरू हुईं, तो

झील-केंद्रित कार्यक्रम जोखिम के केवल एक हिस्से से बचाता है। डनिंग की यह बात कि हिमनद खोती ढलानें कई लाख हैं, बताती है कि इस खतरे को स्थल-दर-स्थल नहीं संभाला जा सकता। नीति की शब्दावली को “GLOF जोखिम” से आगे बढ़कर “शृंखलाबद्ध उच्च-पर्वतीय खतरों” (cascading high-mountain hazards) तक फैलना होगा, और हर एक के लिए अलग उपकरण चाहिए। इससे GLOF पर हुआ काम व्यर्थ नहीं हो जाता, क्योंकि सिक्किम की दक्षिण त्थोनक बाढ़ सचमुच झील के फटने से आई थी।

2. **चेतावनियाँ निचले प्रवाह वालों को बचाती हैं; ऊपरी हिस्से में अक्सर जलविद्युत मज़दूर होते हैं** — डनिंग बताते हैं कि मौजूदा प्रणालियों ने निचले प्रवाह में पर्याप्त चेतावनी दी, पर ऊपरी हिस्से में नहीं, और चमोली तथा रसुवा, दोनों में मृतकों का बड़ा हिस्सा जलविद्युत मज़दूरों का था। बाँध, जल-ग्रहण ढाँचे और सुरंगें घाटियों में ऊपर ठीक वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ चेतावनी का समय सबसे कम होता है। इससे मज़दूरों की सुरक्षा परियोजना के डिज़ाइन का विषय बन जाती है: सुरंगों से निकलने के रास्ते, कार्यस्थलों पर सायरन, और ऐसे नियम जो ऊपरी सेंसरों के सक्रिय होते ही काम रुकवा दें। ऐसी परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी में केवल बाढ़ डिज़ाइन मानक नहीं, बल्कि शृंखलाबद्ध खतरों का आकलन भी अनिवार्य होना चाहिए। इसका प्रतिपक्ष यह है कि जलविद्युत हिमालयी राज्यों को भरोसेमंद, कम-कार्बन बिजली और राजस्व देती है, इसलिए उत्तर पूर्ण रोक नहीं, बल्कि सुरक्षित स्थल-चयन और संचालन है।
3. **भूकंपीय नेटवर्क सस्ता है; कठिन हिस्सा सीमाओं के पार आँकड़े साझा करना है** — करोड़ों डॉलर की राशि किसी एक आपदा के नुकसान और जोखिम में पड़ी जलविद्युत परिसंपत्तियों के मूल्य की तुलना में छोटी है। असली बाधा यह है कि उपयोगी नेटवर्क को भारत, नेपाल, भूटान और चीन में फैला होना चाहिए, क्योंकि तिब्बत के हिमस्खलन नेपाल में बह सकते हैं और बाढ़ें भारत में आ सकती हैं। ब्रह्मपुत्र और सतलुज पर बाढ़ के मौसम के जल-वैज्ञानिक आँकड़ों के लिए भारत-चीन व्यवस्थाएँ रुक-रुककर चली हैं, जो दिखाता है कि राजनीति विज्ञान को कैसे बाधित कर सकती है। भारत अपनी ओर के भूकंपीय आँकड़े खुले रूप से उपलब्ध कराकर और ICIMOD या CDRI जैसे निकायों के जरिए नेपाल और भूटान में केंद्रों को वित्तपोषित करके अगुवाई कर सकता है। साझा चेतावनियाँ पड़ोस कूटनीति का एक कम लागत वाला रूप भी हैं।
4. **भरोसा शासन का एक चर है, कोई नरम अतिरिक्त चीज़ नहीं** — डनिंग का यह आग्रह कि विज्ञान उन समुदायों में रचा-बसा हो जो चेतावनियों पर भरोसा करें, कठोर अनुभव से निकला है। बहुत बार आने वाली और गलत चेतावनियाँ लोगों को उन्हें नज़रअंदाज़ करना सिखा देती हैं, जबकि बिना निर्देशों वाली चेतावनियाँ लोगों को इस उलझन में छोड़ देती हैं कि कहाँ जाएँ। ओडिशा का चक्रवात रिकॉर्ड यह अंतर दिखाता है: 1999 के महाचक्रवात के बाद सामुदायिक आश्रय-स्थलों, अभ्यासों और स्थानीय स्वयंसेवकों ने बाद के चक्रवातों में मौतें नाटकीय रूप से घटा दीं। पहाड़ी गाँवों को भी यही चाहिए: चिह्नित सुरक्षित क्षेत्र, अभ्यास किए हुए रास्ते, चेतावनी आगे पहुँचाने के लिए प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवक, और ऐसी प्रतिक्रिया-व्यवस्था जिसमें झूठी चेतावनियों की वजह समझाई जाए। इस अंतिम कड़ी के बिना पहचान अधूरी है।
5. **जानें बचाना संभव है; जगहें बचाने के लिए भूमि-उपयोग के फैसले चाहिए** — डनिंग अपनी बात इस पर खत्म करते हैं कि चेतावनियाँ जानें तो बचा सकती हैं, पर जगहें नहीं, और यह असहज सवाल खड़ा करता है कि लोग कहाँ रह सकते हैं और कहाँ नहीं। नदी वेदिकाओं (river terraces) और मलबा पंखों (debris fans) पर बनी बस्तियाँ और होटल, जैसे धराली में जिन पर चोट पड़ी, उन भू-आकृतियों पर खड़े हैं जिन्हें अतीत की बाढ़ों ने बनाया है। 2023 के जोशीमठ भू-धंसाव ने दिखाया कि पहाड़ों में अनियंत्रित निर्माण कैसे जोखिम पैदा करता है। ऐसी भू-आकृतियों पर नए निर्माण को सीमित करने वाला खतरा क्षेत्रीकरण (hazard zonation) राजनीतिक रूप से कठिन है, क्योंकि यह आजीविका और पर्यटन को सीमित करता है। फिर भी इसके बिना हर चेतावनी प्रणाली बस लोगों को उन इमारतों से भागने का समय देती है जिन्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“हिमालय में खतरों की शृंखला हमेशा किसी हिमनद झील से शुरू नहीं होती।” नेपाल और उत्तराखंड की हाल की आपदाओं के आलोक में झील-केंद्रित GLOF जोखिम प्रबंधन की सीमाओं की चर्चा कीजिए तथा चट्टान-हिम हिमस्खलनों और मलबा प्रवाहों के अनुरूप पूर्व चेतावनी और भूमि-उपयोग का दृष्टिकोण सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — GLOF, चट्टान-हिम हिमस्खलन और मलबा प्रवाह को परिभाषित करें। डनिंग का निष्कर्ष बताएँ कि रसुवा आपदा, चमोली (2021, रैंटी चोटी) और धराली (2025) की तरह, एक चट्टान-हिम हिमस्खलन के रूप में शुरू हुई और इसमें कोई हिमनद झील शामिल नहीं थी।
2. **मुख्य भाग** — **झील-केंद्रित प्रबंधन क्यों अपर्याप्त है** — समझाएँ कि झीलों का मानचित्रण, उन्हें खाली करना और उनकी निगरानी संभव है, पर ढलान-विफलताएँ हिमनद खोती और पिघलते पर्माफ्रॉस्ट वाली कई लाख ढलानों में से किसी से भी आ सकती हैं। “भूकंप” की गलत व्याख्या और दुनिया भर में GLOF के खतरे में पड़े 1.5 करोड़ लोगों, जिनमें लगभग 30 लाख भारत में हैं, के आँकड़े से दिखाएँ कि दोनों खतरे मायने रखते हैं।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

3. मुख्य भाग — पूर्व चेतावनी की संरचना — भूस्खलन के कंपन और बाढ़ के शोर को पहचानने के लिए सघन भूकंपीय नेटवर्क, ICIMOD या द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के जरिए सीमा-पार आँकड़ों की साझेदारी, जलविद्युत स्थलों पर ऊपरी हिस्से की चेतावनियाँ, और सेंडाई लक्ष्य G तथा NDMA के 2020 के GLOF दिशानिर्देशों से जुड़ा समुदाय-आधारित प्रसार प्रस्तावित करें।
4. मुख्य भाग — भूमि-उपयोग और जलविद्युत — मलबा पंखों और नदी वेदिकाओं का खतरा क्षेत्रीकरण, जलविद्युत स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा, पर्यावरणीय मंजूरी में शृंखलाबद्ध खतरों का आकलन, और जोशीमठ के सबकों की चर्चा करें।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दें कि चेतावनियाँ तभी जाने बचाती हैं जब समुदाय उन पर भरोसा करें, और जगहें बचाने के लिए यह तय करना होगा कि निर्माण कहाँ हो, जिससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि विकास का एक चुनाव बन जाता है।

प्रश्न 1. आप एक हिमालयी ज़िले के ज़िलाधिकारी हैं जहाँ तीन जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। रसुवा के बाद इस सप्ताह आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं परियोजना प्रबंधकों, ज़िला आपदा प्राधिकरण और पुलिस की बैठक बुलाकर यह समीक्षा करूँगा कि ऊपरी हिस्से से आई चेतावनी हर सुरंग और कार्यस्थल तक कैसे पहुँचती है, और मजदूरों को कितनी जल्दी निकाला जा सकता है। मैं हर परियोजना से सायरन लगाने, निकास मार्ग चिह्नित करने और एक महीने के भीतर अभ्यास (drill) करने को कहूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगा कि ठेकेदार रोज़ाना स्थल पर मौजूद मजदूरों की सटीक सूची रखें, क्योंकि इसके बिना लापता लोगों की गिनती असंभव हो जाती है। दीर्घकालिक क्षेत्रीकरण अभ्यास के लिए मैं नदी वेदिकाओं और मलबा पंखों पर बसी बस्तियों का मानचित्रण भी कराऊँगा।

प्रश्न 2. NDMA के एक अधिकारी के रूप में आपसे पूछा जाता है कि क्या भारत के GLOF कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर उसमें चट्टान-हिम हिमस्खलनों को भी शामिल किया जाए। आप क्या सलाह देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सलाह दूँगा कि कार्यक्रम को एक उच्च-पर्वतीय खतरा कार्यक्रम में विस्तृत किया जाए, और झीलों पर वह काम जारी रखा जाए जो अब भी ज़रूरी है। इसका नया तत्व खिसकती ढलानों की क्षेत्रीय भूकंपीय और उपग्रह निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि स्थल-दर-स्थल लगे मापक हर घाटी को नहीं ढक सकते। मैं शोध भागीदारों और पड़ोसी देशों के साथ किसी एक नदी बेसिन में सघन भूकंपीय नेटवर्क का पायलट प्रस्तावित करूँगा। सामुदायिक चेतावनी प्रोटोकॉल तकनीक के बाद नहीं, उसके साथ-साथ तैयार किए जाने चाहिए।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को ऊँचे हिमालय में जलविद्युत परियोजनाएँ बनाना बंद कर देना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पूर्ण रोक उस स्वच्छ, भरोसेमंद बिजली और आय की बलि दे देगी जिसकी हिमालयी राज्यों को ज़रूरत है। लेकिन चमोली और रसुवा के नुकसान दिखाते हैं कि कुछ स्थल बहुत ज़्यादा असुरक्षित हैं, और परियोजनाओं का स्थल-चयन और डिज़ाइन केवल सामान्य बाढ़ों के लिए नहीं, बल्कि शृंखलाबद्ध खतरों के लिए होना चाहिए। मैं नई परियोजनाओं से पहले बेसिन-स्तरीय जोखिम आकलन, मजदूरों की सुरक्षा के सख्त मानकों और हर परियोजना के लिए ऊपरी हिस्से की चेतावनी प्रणाली का समर्थन करूँगा। जहाँ जोखिम घटाया न जा सके, वहाँ परियोजना नहीं बननी चाहिए।

6. स्वास्थ्य एवं जीवन विज्ञान (Health & Life Sciences)

आज की तीनों खबरें उस दूरी के बारे में हैं जो कागज़ पर लिखी दवा और मरीज़ के हाथ में पहुँची दवा के बीच है। कागज़ पर भारत आवश्यक दवाओं की कीमतों की सीमा तय करता है, एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर के पर्चे पर बेचता है और हर टीके का बैच सरकारी जाँच के बाद ही जारी करता है; व्यवहार में एक कैंसर दवा पर उसके व्यापार मूल्य का दस गुना दाम छपा है, एंटीबायोटिक काउंटर पर बिना पर्चे खरीदी जाती है; और रेबीज़ का नकली टीका राजधानी के थोक बाज़ार तक पहुँच जाता है। कानून पुराने हैं और अधिकांशतः पर्याप्त हैं। विफलता प्रवर्तन की है, और हर खबर एक अलग नियामक — मूल्य नियामक, औषधि नियामक और राज्य औषधि नियंत्रक — को वही काम करने के लिए कहती दिखती है जो उसे पहले से सौंपा हुआ है।

6.1 सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर दवा पर दस गुना मुनाफ़े को 'दिनदहाड़े डकैती' कहा, खामोश नियामकों को कटघरे में खड़ा किया

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार, 22 सितंबर को आवश्यक कैंसर दवाओं की अत्यधिक कीमतों पर हैरानी जताई और इसे मरीज़ों के विरुद्ध "दिनदहाड़े डकैती" (broad daylight dacoity) कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ध्यान दिलाया कि एक दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price - MRP) ₹27,000 है, जबकि खुदरा विक्रेताओं को वह ₹2,700 में दी जाती है। पीठ ने पूछा, "MRP उस दर का 10 गुना है जिस पर यह खुदरा विक्रेताओं को दी जाती है। अगर यह जबरन वसूली नहीं है, तो फिर क्या है?" और आगे कहा, "यह बहुत आश्चर्यजनक है कि जिन अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वे चुप हैं।" न्यायालय दवाओं से जुड़े दो मामलों की सुनवाई कर रहा था, जिनमें से एक में दवाओं पर कड़े मूल्य नियंत्रण की माँग की गई है। अखबार ने न तो दवा का नाम बताया है और न ही याचिकाकर्ताओं का। MRP वह अधिकतम कानूनी बिक्री मूल्य है जिसे कंपनी स्वयं पैक पर छापती है; इसके और खुदरा विक्रेता को दिए गए मूल्य के बीच का अंतर "व्यापार मार्जिन" (trade margin) कहलाता है, जो वितरण शृंखला के पास रहता है। उसी दिन इंडियन एक्सप्रेस में जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय सह-संयोजक अभय शुक्ला के लेख ने अस्पतालों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई। उन्होंने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंडे का हवाला दिया: जो ड्रिप सेट अस्पताल को ₹11 में पड़ता है उस पर ₹325 छपा होता है, और ₹7 से कम में खरीदी गई सिरिज पर ₹57 अंकित होता है। जन आरोग्य अभियान की सहायता से महाराष्ट्र भर के निजी अस्पतालों में गंभीर मरीज़ों के बिलों के एक ऑडिट में पाया गया कि 46 दवा ब्रांडों में से एक का भी बिल महामारी के दौरान तय की गई क्रय मूल्य पर 10% की अधिकतम बढ़ोतरी की सीमा के भीतर नहीं था; लगभग आधे मामलों में मरीज़ों ने अस्पताल की लागत से 150% से अधिक चुकाया, और सबसे आम मार्जिन 200-400% था। 2016 में सुधांशु पंत की अध्यक्षता वाली औषध विभाग की एक समिति ने ऊँचे MRP को "असहाय उपभोक्ता को टगने का औज़ार" कहा था और सिफ़ारिश की थी कि सभी दवाओं और प्रत्यारोपणों (implants) पर, चाहे वे मूल्य-नियंत्रित हों या नहीं, कीमत के अनुसार 35% से 50% तक व्यापार मार्जिन की सीमा लगाई जाए। श्री शुक्ला लिखते हैं कि दस वर्ष बाद भी केवल 18% दवाएँ मूल्य-नियंत्रित हैं। वे माँग करते हैं कि बिलों में अस्पताल का क्रय मूल्य और उसका वसूला गया शुल्क दोनों दिखाए जाएँ, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के ज़रिए सभी आवश्यक दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं पर वैधानिक मूल्य नियंत्रण हो, और अस्पताल की फ़ार्मसी के बाहर से दवा खरीदने के मरीज़ के अधिकार को लागू किया जाए। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य और GS3 में मूल्य निर्धारण तथा उपभोक्ता संरक्षण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दवाओं की कीमतें केवल सूचीबद्ध आवश्यक दवाओं के लिए नियंत्रित हैं, बाकी पर कंपनियाँ MRP मनमर्जी से तय करती हैं → खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को बिक्री का प्रलोभन देने के लिए व्यापार मार्जिन लागत का कई गुना हो जाता है → 2016 की पंत समिति सभी दवाओं और प्रत्यारोपणों पर 35-50% की सीमा की सिफ़ारिश करती है, जिसे अपनाया नहीं जाता → मरीज़, खासकर कैंसर के मरीज़ और भर्ती मरीज़ जो दूसरी दुकान नहीं ढूँढ़ सकते, छपा हुआ MRP चुकाते हैं → सर्वोच्च न्यायालय दस गुना मुनाफ़े को "डकैती" कहता है और पूछता है कि नियामक चुप क्यों हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 औषधि कानून के तहत नहीं, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी होता है — औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (Drugs (Prices Control) Order - DPCO) केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) की धारा 3 के तहत बनाती है, जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और मूल्य के नियंत्रण की अनुमति देती है। इसकी पहली अनुसूची में "अनुसूचित फ़ॉर्मूलेशन" (scheduled formulations) सूचीबद्ध हैं, जो राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (National List of Essential Medicines - NLEM) की दवाएँ हैं; वर्तमान NLEM, 2022 में 384 दवाएँ हैं। इनके लिए अधिकतम मूल्य (ceiling price) उन सभी ब्रांडों के खुदरा विक्रेता मूल्य के साधारण औसत में 16% खुदरा मार्जिन जोड़कर तय किया जाता है जिनकी बाज़ार हिस्सेदारी कम-से-कम 1% है, और यह सीमा हर वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के अनुरूप संशोधित होती है। बाकी सभी "गैर-अनुसूचित" फ़ॉर्मूलेशन के लिए कंपनी अपना MRP स्वयं तय करती है, पर किसी भी बारह महीने में उसे 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकती।
2. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कीमतें लागू करता है; वह आवश्यक सूची से बाहर भी कार्रवाई कर सकता है — राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority - NPPA) की स्थापना 1997 में हुई थी और यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का संबद्ध कार्यालय है। यह DPCO के तहत अधिकतम मूल्य तय करता है, सभी दवाओं की कीमतों पर निगरानी रखता है और कंपनियों से अधिक वसूली गई राशि वापस लेता है। DPCO का पैराग्राफ़ 19 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में,

जनहित में, किसी भी दवा — अनुसूचित हो या नहीं — की कीमत तय या संशोधित करने की अनुमति देता है। इसी शक्ति का प्रयोग 2019 में 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित करने के लिए किया गया; इस तरीके को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण (trade margin rationalisation) कहा जाता है।

3. सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार पढ़ा है, और अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य को राज्य का कर्तव्य बनाता है — राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार शामिल है, विशेष रूप से *Parmanand Katara v. Union of India* (1989) और *Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal* (1996) में। “औषधियाँ और विष” समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19 है, जबकि “लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय” राज्य सूची की प्रविष्टि 6 है। इसलिए मूल्य निर्धारण केंद्र का विषय है, पर अस्पतालों का विनियमन मुख्यतः राज्यों के हाथ में है।

4. उपभोक्ता कानून और मरीजों के अधिकारों से जुड़े दस्तावेज़ ज़बरन खरीद के विरुद्ध मरीज़ को उपाय देते हैं — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act) “अनुचित व्यापार व्यवहार” को परिभाषित करता है और ज़िला, राज्य तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों की त्रि-स्तरीय निवारण व्यवस्था प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार मरीजों के अधिकारों का चार्टर, जिसे लेख में राष्ट्रीय मरीज़ अधिकार चार्टर कहा गया है, दवाओं और जाँचों का स्रोत चुनने का अधिकार भी देता है। पैकेटों पर MRP छापना विधिक माप विज्ञान (पैकेटबंद वस्तुएँ) नियम, 2011 (Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules) के तहत अनिवार्य है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जन औषधि केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ बेचती है, जो ब्रांडेड कीमतों पर बाज़ार की ओर से एक अंकुश का काम करती है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर पूछता है; GS3 मूल्य निर्धारण और विनियमन पर — GS2 के पाठ्यक्रम में “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे” शामिल हैं। UPSC बार-बार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और जेब से होने वाले खर्च (out-of-pocket expenditure) के बोझ पर प्रश्न पूछ चुका है, और इस खर्च में सबसे बड़ा एकल मद दवाएँ हैं। यह खबर एक ठोस क्रियाविधि — अनियंत्रित MRP — बताती है जिससे यह बोझ पैदा होता है, और साथ में न्यायालय का यह कथन भी कि नियामक चुप है।

2. प्रारंभिक परीक्षा दवा मूल्य निर्धारण के संस्थागत नक्शे को परखती है — प्रश्न इस पर बनाए गए हैं कि दवाओं की कीमतें कौन-सी संस्था तय करती है, मूल्य नियंत्रण आदेश किस कानून के तहत जारी होता है और NLEM क्या है। CDSCO (गुणवत्ता और अनुमोदन, स्वास्थ्य मंत्रालय) और NPPA (कीमतें, औषध विभाग) के बीच भ्रम एक क्लासिक जाल है, और उतना ही यह तथ्य भी कि DPCO औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम से नहीं, बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से निकलता है।

3. नियामक विफलता में न्यायिक सक्रियता मुख्य परीक्षा का बार-बार आने वाला विषय है — पीठ की यह टिप्पणी कि अधिकारी “चुप हैं”, उस बड़े पैटर्न में फिट बैठती है जिसमें नियामकों के कार्रवाई न करने पर सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है। न्यायिक सक्रियता या नियामक संस्थाओं पर मुख्य परीक्षा के उत्तर में इसे ताज़ा उदाहरण के रूप में लिखा जा सकता है, इस सावधानी के साथ कि न्यायालय नियामकों को झकझोर तो सकते हैं, पर स्वयं मूल्य नियंत्रण नहीं चला सकते।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया जाता है।
- राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल दवाएँ DPCO, 2013 के तहत “अनुसूचित फ़ॉर्मूलेशन” हैं, और उनके अधिकतम मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण तय करता है।
- 1997 में स्थापित राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन औषध विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है।
- DPCO, 2013 के तहत कोई निर्माता किसी गैर-अनुसूचित फ़ॉर्मूलेशन का MRP बारह महीने की अवधि में 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकता।
- DPCO, 2013 का पैराग्राफ़ 19 सरकार को असाधारण परिस्थितियों में जनहित में किसी भी दवा की कीमत तय या संशोधित करने की अनुमति देता है; 2019 में कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन के युक्तिकरण के लिए इसका प्रयोग किया गया।

- संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने।
- “औषधियाँ और विष” समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19 है, जबकि “लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय” राज्य सूची की प्रविष्टि 6 है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

- 1. समस्या कानून के न होने की नहीं, उसके इस्तेमाल न होने की है —** DPCO में पैराग्राफ 19 पहले से मौजूद है, और NPPA 2019 में कैंसर दवाओं पर व्यापार मार्जिन सीमित करने के लिए इसका प्रयोग कर भी चुका है। पंत समिति की 35-50% की सीमा इसी मॉडल को पूरे बाज़ार पर लागू करने की सिफारिश थी, जिसे एक दशक से अपनाया नहीं गया। इसलिए जब पीठ कहती है कि अधिकारी “चुप हैं”, तो वह शक्ति की कमी का नहीं, एक नीतिगत चुनाव का वर्णन कर रही है। न्यायालय की टिप्पणियाँ उस चुप्पी की राजनीतिक कीमत बढ़ा देती हैं, और अक्सर यही बात किसी मंत्रालय को हरकत में लाती है। ईमानदार प्रतिपक्ष यह है कि अखबार यह नहीं बताता कि कौन-सी कैंसर दवा थी, वह अनुसूचित है या नहीं, या वह 2019 की सीमा के दायरे में आती है या नहीं; इसलिए यह मामला नियमों के अभाव के बजाय कमज़ोर निगरानी को भी उजागर कर सकता है।
- 2. ऊँचा MRP खरीदार को नहीं, विक्रेता को लक्ष्य करके बनाया गया बित्री का औज़ार है —** कंपनियाँ दस गुना MRP इस उम्मीद में नहीं रखती कि मरीज़ दुकान-दुकान घूमकर तुलना करेंगे; वे इसे इसलिए रखती हैं कि खुदरा विक्रेता या अस्पताल को बड़ा मार्जिन मिले और वह उसी ब्रांड को आगे बढ़ाए। यही कारण है कि ब्रांडों के बीच प्रतिस्पर्धा मरीज़ द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत घटाने के बजाय बढ़ा सकती है: ब्रांड मार्जिन के ज़रिए विक्रेता की वफ़ादारी के लिए होड़ करते हैं। मरीज़ के पास, खासकर कैंसर के इलाज़ में या अस्पताल के भीतर, न मोलभाव की शक्ति होती है और अक्सर न समय। मार्जिन की सीमा सीधे इसी पर चोट करती है, क्योंकि वह छुपी कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर रखने का प्रलोभन ही खत्म कर देती है। केवल दवा पर अधिकतम मूल्य तय करने से यह नहीं होता, जैसा महाराष्ट्र के उपभोग्य वस्तुओं के आँकड़े दिखाते हैं।
- 3. केवल 18% दायरे का अर्थ है कि मूल्य नियंत्रण एक सूची की रक्षा करता है, मरीज़ की नहीं —** NLEM प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के लिए बनाई गई है, इसलिए कैंसर की कई नई दवाएँ, प्रत्यारोपण और अस्पताल की उपभोग्य वस्तुएँ इसके बाहर रह जाती हैं। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज़ दर्जनों चीज़ों का भुगतान करता है, जिनमें से अधिकांश गैर-अनुसूचित होती हैं, और गिनी-चुनी अनुसूचित वस्तुओं पर हुई बचत बाकी पर लगे भारी मुनाफ़े में डूब जाती है। महाराष्ट्र में महामारी के दौर की 10% बढ़ोतरी की सीमा, जिसे ऑडिट ने सभी 46 ब्रांडों में टूटा हुआ पाया, दिखाती है कि बिलिंग पारदर्शिता के बिना कोई सीमा अपने-आप लागू नहीं होती। श्री शुक्ला का यह प्रस्ताव कि वसूली गई राशि के साथ क्रय मूल्य भी छपा जाए, सस्ता है और हर बिल को एक निरीक्षण रिपोर्ट बना देता है।
- 4. उद्योग के प्रतिर्तक का उत्तर दिया जाना चाहिए, उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए —** निर्माताओं का तर्क है कि मार्जिन से छोटे शहरों तक वितरण का खर्च निकलता है, कि मूल्य सीमाओं के कारण कुछ कंपनियों ने उत्पाद वापस ले लिए या गैर-अनुसूचित संयोजनों (combinations) की ओर चली गईं, और कि आक्रामक नियंत्रण नई दवाओं में निवेश को हतोत्साहित करता है। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि मूल्य नियंत्रण ऐसी चालाकी को बढ़ावा देता है, और इसीलिए उत्पाद-दर-उत्पाद अधिकतम मूल्य के बजाय सब पर लागू मार्जिन सीमा बेहतर है: वह मूल कीमत कंपनी पर छोड़ती है और केवल ऊपर की बढ़ोतरी को सीमित करती है। पंत समिति द्वारा सुझाई गई 35-50% की सीमा में वितरण का उचित मार्जिन पहले से शामिल है। उद्देश्य मार्जिन खत्म करना नहीं, बल्कि MRP को मनमाना आँकड़ा बनने से रोकना है।
- 5. राज्य सूची का विषय होने के कारण अस्पताल सबसे कमज़ोर कड़ी हैं —** मूल्य निर्धारण केंद्र का विषय है, पर अस्पतालों का विनियमन राज्य करते हैं, और कई राज्यों ने नैदानिक स्थापन (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act) को या तो अपनाया नहीं है या उसे ढीले ढंग से लागू करते हैं। अस्पताल की फ़ार्मसी के बाहर से दवा खरीदने का अधिकार महाराष्ट्र FDA के 2016 और 2022 के आदेशों में है और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में बरकरार रखा है, फिर भी मरीज़ शायद ही कभी इसका उपयोग करते हैं। केंद्र की मार्जिन सीमा खुदरा फ़ार्मसियों तक जल्दी पहुँच जाएगी, पर अस्पताल के बिलों की जाँच के लिए राज्य FDA की ज़रूरत होगी। इस जोड़ी के बिना सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ सुर्खियाँ तो बदल देंगी, बिल नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)

“अधिकतम खुदरा मूल्य असहाय उपभोक्ता को ठगने का औज़ार बन गया है।” कैंसर दवाओं के मूल्य निर्धारण पर हाल की न्यायिक टिप्पणियों के आलोक में भारत के औषधि मूल्य नियंत्रण ढाँचे की पर्याप्तता का परीक्षण कीजिए और मरीज़ों को अत्यधिक व्यापार मार्जिन से बचाने के लिए सुधार सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

- भूमिका** — सर्वोच्च न्यायालय की 22 सितंबर की इस टिप्पणी से शुरुआत कीजिए कि ₹27,000 MRP वाली जो कैसर दवा खुदरा विक्रेताओं को ₹2,700 में दी जाती है, वह “दिनदहाड़े डकैती” है, और कि नियामक चुप हैं। इसे अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार और अनुच्छेद 47 से जोड़िए।
- मुख्य भाग — ढाँचा** — आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत DPCO, 2013, NLEM पर आधारित अधिकतम मूल्य, गैर-अनुसूचित दवाओं पर 10% की वार्षिक सीमा, NPPA की भूमिका और पैराग्राफ 19 को समझाइए, जिसमें 42 कैसर-रोधी दवाओं पर 2019 की व्यापार मार्जिन सीमा भी शामिल हो।
- मुख्य भाग — खामियाँ** — साक्ष्य का उपयोग कीजिए: केवल 18% दवाएँ मूल्य-नियंत्रित, 2016 की पंत समिति की 35-50% मार्जिन सीमा जिसे अपनाया नहीं गया, महाराष्ट्र का ऑडिट जिसमें 200-400% मार्जिन मिला और 46 में से एक भी ब्रांड 10% सीमा के भीतर नहीं था, तथा ₹11 का ड्रिप सेट ₹325 पर बिकने जैसी उपभोग्य वस्तुएँ। मूल्य निर्धारण और अस्पताल विनियमन के बीच केंद्र-राज्य बंटवारे का उल्लेख कीजिए।
- मुख्य भाग — सुधार** — सभी दवाओं और उपभोग्य वस्तुओं पर व्यापार मार्जिन की सीमा, अस्पताल के बिलों पर दोहरे मूल्य का प्रकटीकरण, अस्पताल की फार्मसी के बाहर से खरीदने के अधिकार का प्रवर्तन, राज्यों में नैदानिक स्थापन विनियमन को मजबूत करना और जन औषधि का विस्तार प्रस्तावित कीजिए। आपूर्ति और नवाचार को लेकर उद्योग की चिंता को स्वीकार कीजिए, और तर्क दीजिए कि मार्जिन सीमा उत्पाद-स्तरीय अधिकतम मूल्य की तुलना में कम विकृति पैदा करती है।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि भारत की समस्या शक्ति के अभाव से अधिक उसके उपयोग न होने की है, और कि पारदर्शी मार्जिन दवाओं पर जेब से होने वाले खर्च को घटाने का सबसे सस्ता रास्ता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. NPPA के अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय आपसे पूछता है कि प्राधिकरण ने एक कैसर दवा पर दस गुना मुनाफ़े के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं तथ्य स्थापित करूँगा: दवा अनुसूचित है या नहीं, वह 2019 की व्यापार मार्जिन सीमा के दायरे में आती है या नहीं, और MRP बढ़ाने की 10% वार्षिक सीमा का उल्लंघन हुआ है या नहीं। उल्लंघन होने पर अधिक वसूली गई राशि की ब्याज सहित वसूली तुरंत शुरू होनी चाहिए। यदि उल्लंघन न हो, तो मैं औषधि विभाग के समक्ष खुदरा विक्रेता मूल्य और MRP के अंतर के आँकड़ों के साथ यह प्रस्ताव रखूँगा कि पैराग्राफ 19 का प्रयोग करके मार्जिन युक्तिकरण को सभी कैसर-रोधी दवाओं तक बढ़ाया जाए। न्यायालय को सीमाओं की सफ़ाई नहीं, समय-सीमा वाली योजना चाहिए।

प्रश्न 2. ज़िला कलेक्टर के रूप में आपको शिकायतें मिलती हैं कि निजी अस्पताल मरीजों को केवल अपनी फार्मसी से MRP पर दवा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िला औषधि निरीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दूँगा कि वे अस्पताल की फार्मसियों का निरीक्षण करें और जहाँ कानून अनुमति देता हो वहाँ बिलों का मिलान क्रय चालानों से करें। मैं अस्पतालों से अपेक्षा करूँगा कि वे प्रमुखता से यह सूचना लगाएँ कि मरीज़ किसी भी लाइसेंसधारी फार्मसी से दवा खरीद सकते हैं, और निकटतम जन औषधि केंद्र का प्रचार करूँगा। मरीजों को बताया जाएगा कि ज़िला उपभोक्ता आयोग तक कैसे पहुँचें। जहाँ राज्य में नैदानिक स्थापन कानून है, वहाँ बार-बार उल्लंघन उसके तहत कार्रवाई का आधार बनेगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: जिस निजी उद्योग को भारत ‘दुनिया की फार्मसी’ के रूप में बढ़ाना भी चाहता है, उसके मुनाफ़े पर सीमा लगाना क्या उचित है?

दृष्टिकोण (Approach): दवाएँ सामान्य वस्तुएँ नहीं हैं, क्योंकि खरीदार उत्पाद स्वयं नहीं चुनता, अक्सर खरीद टाल नहीं सकता और प्रायः गुणवत्ता नहीं परख सकता। व्यापार मार्जिन की सीमा निर्माता की कीमत या उसकी निर्यात आय पर सीमा नहीं लगाती; वह केवल कारखाने और मरीज़ के बीच की बढ़ोतरी को सीमित करती है। भारत की दवा-शक्ति सस्ती जेनेरिक दवाओं में है, और ऐसा घरेलू बाज़ार जिसमें मरीजों से अधिक वसूली हो, इस क्षेत्र की साख को नुकसान पहुँचाता है। अचानक लगाए गए उत्पाद-स्तरीय मूल्य नियंत्रण की तुलना में एक उचित और पूर्वानुमय मार्जिन सीमा उद्योग और मरीज़ दोनों के लिए अधिक न्यायसंगत है।

6.2 CDSCO के परिपत्र की चेतावनी: एंटीबायोटिक और दर्द-निवारक दवाएँ खुद से न लें, गुर्दे को नुकसान का खतरा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार देश के राष्ट्रीय औषधि नियामक, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO) ने दर्द-निवारक दवाओं और एंटीबायोटिक के अंधाधुंध या लंबे

समय तक उपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है और इससे जुड़े गुर्दे (kidney) की क्षति के खतरे का हवाला दिया है। 21 सितंबर के एक परिपत्र में नियामक ने कहा कि गैर-स्टेरायडी शोथरोधी दवाएँ (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs – NSAIDs) और एंटीबायोटिक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act) तथा औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules) के तहत विनियमित हैं और इन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही बेचा जाना चाहिए। इसने जनता को सलाह दी कि वह एंटीबायोटिक से स्व-उपचार न करे और उन स्थितियों में इनका उपयोग न करे जहाँ चिकित्सकीय रूप से इनकी ज़रूरत नहीं है, जिनमें अधिकांश सामान्य (जटिलता-रहित) विषाणु संक्रमण शामिल हैं। अखबार यह नहीं बताता कि किन विशिष्ट दवाओं, विक्रेताओं या घटनाओं के कारण यह परिपत्र जारी हुआ। कुछ शब्दों को समझना ज़रूरी है। NSAIDs दर्द और बुखार घटाने वाली दवाओं का वह आम वर्ग है जो सूजन (शोथ) को रोककर काम करता है; व्यवहार में ये बिना किसी पर्चे के बड़े पैमाने पर बिकती हैं। एंटीबायोटिक वे दवाएँ हैं जो जीवाणुओं को मारती हैं या उनकी वृद्धि रोकती हैं; विषाणुओं पर इनका कोई असर नहीं होता, इसीलिए नियामक सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे विषाणु संक्रमणों को अलग से उन मामलों के रूप में गिनाता है जहाँ इनकी ज़रूरत नहीं है। “स्व-उपचार” (self-medication) का अर्थ है डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना, अक्सर दवा विक्रेता के सुझाव पर या किसी पुराने पर्चे के आधार पर। गुर्दे की क्षति इसलिए मायने रखती है कि शरीर से कई दवाओं को गुर्दे ही बाहर निकालते हैं, और कुछ दर्द-निवारक तथा एंटीबायोटिक लंबे समय तक या ऊँची खुराक में लेने पर गुर्दों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। एंटीबायोटिक पर किसी भी चेतावनी के पीछे दूसरी, बड़ी चिंता रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance – AMR) की है: जब जीवाणु बार-बार ऐसे एंटीबायोटिक के संपर्क में आते हैं जो बिना ज़रूरत या अधूरे लिए गए हों, तो प्रतिरोधी किस्में बच जाती हैं और बढ़ती हैं, जिससे आम संक्रमणों का इलाज भी कठिन और महंगा हो जाता है। यह परिपत्र कोई नया नियम नहीं, बल्कि मौजूदा कानूनी नियम की याद दिलाता है — इन दवाओं के लिए पर्चे की अनिवार्यता पहले से है। इसका महत्व इस बात में है कि यह उस नियम और भारत की दवा दुकानों के काउंटर पर होने वाले व्यवहार के बीच की खाई को स्वीकार करता है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य, और GS3 में दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

औषधि नियमों के तहत एंटीबायोटिक और दर्द-निवारक दवाओं को केवल पर्चे पर बिकने वाली अनुसूचियों में रखा गया है → लाखों खुदरा दवा दुकानों पर कमज़ोर प्रवर्तन और डॉक्टर के पास जाने का खर्च बिना पर्चे खरीद को आम बना देते हैं → मरीज़ विषाणु-जनित बीमारियों में एंटीबायोटिक और लंबे समय तक दर्द-निवारक लेते हैं → इसकी सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों और दवा से होने वाली गुर्दे की क्षति के रूप में सामने आती है → CDSCO 21 सितंबर को परिपत्र जारी कर जनता और विक्रेताओं को पर्चे के नियम की याद दिलाता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. CDSCO केंद्रीय औषधि नियामक है, पर खुदरा स्तर का अधिकांश प्रवर्तन राज्यों के पास है — केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसके प्रमुख भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India – DCGI) होते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है। यह नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) को मंजूरी देता है, आयात को विनियमित करता है और टीकों तथा रक्त उत्पादों जैसी कुछ श्रेणियों को राज्यों के साथ संयुक्त रूप से लाइसेंस देता है। अधिकांश दवाओं के निर्माण तथा थोक और खुदरा बिक्री के लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रक देते हैं और वही इन्हें लागू करते हैं। इसलिए खुदरा बिक्री पर CDSCO की किसी सलाह का असर राज्य के औषधि निरीक्षकों पर निर्भर करता है।
2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 दवाओं को अनुसूचियों में बाँटता है, जिनसे तय होता है कि वे कैसे बेची जा सकती हैं — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री का मूल कानून है; इसके तहत बने नियम, जो पहले औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 कहलाते थे, 2020 में प्रसाधन सामग्री के लिए अलग नियम बनने के बाद औषधि नियम, 1945 नाम से जाने जाते हैं। अनुसूची H में वे दवाएँ हैं जो खुदरा में केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बेची जा सकती हैं और जिन पर “Rx” चिह्न तथा चेतावनी होनी चाहिए। 2014 से लागू अनुसूची H1 में उच्च पीढ़ी के एंटीबायोटिक, तपेदिक-रोधी दवाएँ और कुछ आदत डालने वाली दवाएँ शामिल हैं; दवा विक्रेता को ऐसी बिक्री का अलग रजिस्टर, पर्चा लिखने वाले और मरीज़ के विवरण के साथ, तीन वर्ष तक रखना होता है। भारत में “ओवर-द-काउंटर” (बिना पर्चे बिकने वाली) दवाओं की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, इसलिए पर्चे वाली अनुसूचियों के बाहर की कोई भी दवा व्यवहार में बिना पर्चे बेची जा सकती है।
3. रोगाणुरोधी प्रतिरोध को विश्व स्तर पर ‘वन हेल्थ’ समस्या माना जाता है — रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी इस तरह विकसित हो जाते हैं कि दवाएँ उन पर असर करना बंद कर देती हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2015 में AMR पर वैश्विक कार्य योजना (Global Action Plan) अपनाई, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 और 2024 में AMR पर उच्च-स्तरीय बैठकें कीं; 2024 की राजनीतिक घोषणा ने 2030 तक AMR से जुड़ी वैश्विक मौतों में 10% कमी का लक्ष्य रखा। WHO का AWaRe वर्गीकरण एंटीबायोटिक को Access, Watch और Reserve समूहों में बाँटता है, जिनमें Reserve दवाओं को अंतिम उपाय के रूप में बचाकर रखा जाता है। AMR एक ‘वन हेल्थ’ (One Health) समस्या है, क्योंकि पशुओं, मृगीपालन, जलकृषि और पर्यावरण में एंटीबायोटिक का उपयोग मनुष्यों में प्रतिरोध को बढ़ाता है।
4. AMR पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना पिछले अभियानों की नींव पर खड़ी है — भारत ने

	2017 में वैश्विक कार्य योजना के अनुरूप रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP-AMR) शुरू की, जिसकी रणनीतिक प्राथमिकताएँ जागरूकता, निगरानी, संक्रमण की रोकथाम, रोगाणुरोधी दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग, अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2016 के “लाल रेखा वाली दवाएँ” (Medicines with the Red Line) अभियान ने लोगों से कहा कि जिन दवाओं के पैक पर खड़ी लाल रेखा हो — जो पर्चे पर ही मिलने वाले एंटीबायोटिक की पहचान है — उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। चिकित्सा संघों द्वारा 2012 की चेन्नई घोषणा राष्ट्रीय AMR नीति के लिए पेशेवरों की एक शुरुआती पुकार थी। ICMR प्रयोगशालाओं का रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क चलाती है, जो प्रतिरोध के रुझानों पर नज़र रखता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. AMR, GS2 और GS3 का स्थायी विषय है — UPSC मुख्य परीक्षा में भारत में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारणों और उसे रोकने के उपायों पर, तथा प्रारंभिक परीक्षा में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और प्रतिरोध के कारणों पर प्रश्न पूछ चुका है। CDSCO का परिपत्र उत्तर के लिए ताज़ा आधार है, क्योंकि यह दोनों कारकों — स्व-उपचार और विषाणु संक्रमणों में उपयोग — को स्वयं नियामक के शब्दों में गिनाता है। 2. दवाओं का नियामक ढाँचा प्रारंभिक परीक्षा का बार-बार आने वाला क्षेत्र है — प्रश्न औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और अन्य कानूनों के अंतर, DCGI और CDSCO की भूमिका, तथा अनुसूची H और H1 के अर्थ को परखते हैं। नियमों का नाम बदलकर औषधि नियम, 1945 होना और अलग प्रसाधन सामग्री नियम, 2020 बनना ठीक वैसा ब्योरा है जिस पर कथन-आधारित प्रश्न बन सकता है। 3. शासन का पक्ष: कागज़ पर कानून, काउंटर पर कमज़ोर — GS2 में सरकारी नीतियाँ और उनके क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे शामिल हैं। पर्चे पर ही बिक्री का नियम इस बात का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है कि अच्छी तरह बना कानून अंतिम छोर पर कैसे विफल होता है, और इससे अभ्यर्थी राज्य की क्षमता, औषधि निरीक्षकों की संख्या और व्यवहार परिवर्तन की भूमिका पर चर्चा कर सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख भारत के औषधि महानियंत्रक होते हैं और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है। ● औषधि नियम, 1945 की अनुसूची H में सूचीबद्ध दवाएँ खुदरा में केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बेची जा सकती हैं। ● अनुसूची H1 में कुछ उच्च पीढ़ी के एंटीबायोटिक, तपेदिक-रोधी दवाएँ और आदत डालने वाली दवाएँ शामिल हैं, और दवा विक्रेताओं को इनकी बिक्री का अलग रजिस्टर रखना होता है। ● एंटीबायोटिक जीवाणुओं के विरुद्ध काम करते हैं और विषाणु संक्रमणों पर प्रभावी नहीं होते। ● WHO का AWaRe वर्गीकरण एंटीबायोटिक को Access, Watch और Reserve श्रेणियों में बाँटता है। ● रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना 2017 में शुरू की गई। ● “लाल रेखा वाली दवाएँ” अभियान के तहत किसी दवा के पैक पर खड़ी लाल रेखा यह बताती है कि उसे डॉक्टर के पर्चे के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कानून को दोहराने वाला परिपत्र यह स्वीकारोक्ति भी है कि कानून काम नहीं कर रहा — 21 सितंबर के परिपत्र में कुछ भी नया कानून नहीं है: NSAIDs और एंटीबायोटिक पहले से ही केवल पर्चे पर मिलने वाली दवाएँ थीं। जब कोई नियामक जनता को मौजूदा नियम की याद दिलाता है, तो वह संकेत देता है कि बिक्री के बिंदु पर प्रवर्तन विफल हो चुका है। तर्कसंगत अगला कदम केवल जन-सलाह नहीं, बल्कि राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा निरीक्षण, दंड और अनुसूची H1 रजिस्ट्रों का ऑडिट होगा। प्रतिपक्ष यह है कि जिस देश में बहुत से लोग सचमुच नहीं जानते कि एंटीबायोटिक विषाणु-जनित बीमारी का इलाज नहीं करते, वहाँ जागरूकता अपने-आप में एक हस्तक्षेप है। दोनों बातें सही हैं, पर प्रवर्तन के बिना सलाह एक खबर-चक्र के भीतर ही फीकी पड़ जाती है। 2. स्व-उपचार अक्सर डॉक्टर को दिखाने के खर्च के प्रति एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है — दिहाड़ी मज़दूर के लिए डॉक्टर के पास जाने का अर्थ हो सकता है एक दिन की कमाई का नुकसान, लंबी कतार और फ़ीस, जबकि दवा विक्रेता कुछ कदम की दूरी पर है और मुफ्त में दवा सुझा देता है। इस नज़र से देखें तो बिना पर्चे एंटीबायोटिक का उपयोग केवल अज्ञानता का नहीं, कमज़ोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लक्षण है। बेहतर पहुँच के बिना सख्त प्रवर्तन लोगों को बिना

लाइसेंस वाले विक्रेताओं की ओर धकेल सकता है या इलाज में देरी करा सकता है। इसीलिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और टेलीपरामर्श (teleconsultation) AMR के समाधान का हिस्सा हैं: ये इमानदारी से पर्चा पाने का खर्च घटाते हैं।

3. **गुर्दे की क्षति तात्कालिक जोखिम है; प्रतिरोध सामूहिक जोखिम** — परिपत्र की शुरुआत गुर्दे की क्षति से होती है, जो उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत नुकसान है और इसलिए जनता को अधिक असरदार ढंग से समझाया जा सकता है। प्रतिरोध अलग है: यह हर व्यक्ति के उपयोग से पैदा होने वाला, सबका नुकसान है, जो इसे नकारात्मक बाह्यता (negative externality) का क्लासिक उदाहरण बनाता है। लोग उस लागत को नहीं तौलते जो दूसरों पर पड़ती है, इसलिए केवल सूचना व्यवहार को पर्याप्त रूप से नहीं सुधारेगी। यही व्यक्तिगत पसंद पर भरोसा करने के बजाय बिक्री के विनियमन का आर्थिक तर्क है। परिपत्र की प्रस्तुति चतुर संचार है, पर नीति को बाह्यता का समाधान करना होगा।
4. **बिना पर्चे वाली श्रेणी का न होना प्रवर्तन को आसान नहीं, कठिन बनाता है** — चूंकि भारत में खुलकर बेची जा सकने वाली दवाओं की कोई कानूनी सूची नहीं है, इसलिए व्यवहार में यह रेखा धुंधली रहती है कि दवा विक्रेता बिना पर्चे क्या बेच सकता है और क्या नहीं। सुरक्षित और कम जोखिम वाली दवाओं की एक औपचारिक ओवर-द-काउंटर सूची, स्पष्ट लेबलिंग और खुराक-सीमाओं के साथ, प्रवर्तन को उन पर्चे वाली श्रेणियों पर केंद्रित करने देगी जो वास्तव में मायने रखती हैं। कई देश ऐसी दो-स्तरीय व्यवस्था अपनाते हैं। जोखिम यह है कि ठीक से न बनाई गई सूची दर्द-निवारकों की लापरवाह बिक्री को वैधता दे सकती है, जिसके विरुद्ध परिपत्र स्वयं चेतावनी देता है; इसलिए खुराक और पैक-आकार की सीमाएं अनिवार्य होंगी।
5. **मनुष्यों द्वारा उपयोग एंटीबायोटिक समस्या का केवल आधा हिस्सा है** — परिपत्र लोगों को संबोधित है, पर एंटीबायोटिक का उपयोग मुर्गीपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में भी होता है, अक्सर वृद्धि-वर्धक (growth promoter) के रूप में, और दवा निर्माण के अवशेष नदियों तक पहुँचते हैं। 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण से देखें तो केवल मरीजों पर केंद्रित अभियान एक नल बंद करता है जबकि बाकी खुले बहते रहते हैं। भारत ने पशुओं में एंटीबायोटिक उपयोग पर कुछ कदम उठाए हैं, पर निगरानी कमजोर है। विश्वसनीय AMR रणनीति के लिए स्वास्थ्य, पशुपालन, मत्स्य पालन और पर्यावरण मंत्रालयों को एक साझा योजना पर काम करना होगा, और राष्ट्रीय कार्य योजना ने यही परिकल्पना की थी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध नई एंटीबायोटिक की कमी से उतना ही प्रेरित है जितना एंटीबायोटिक की आसान खरीद से। भारत में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के पीछे के नियामक और स्वास्थ्य-व्यवस्था संबंधी कारणों की चर्चा कीजिए, और रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए एक 'वन हेल्थ' रणनीति सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — 21 सितंबर के CDSCO परिपत्र से शुरुआत कीजिए, जिसने एंटीबायोटिक और दर्द-निवारकों से स्व-उपचार के विरुद्ध चेतावनी दी, और बताइए कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के तहत ये पहले से ही केवल पर्चे पर मिलने वाली दवाएँ हैं। एक पंक्ति में AMR को परिभाषित कीजिए।
2. **मुख्य भाग — नियामक कारण** — अनुसूची H और H1, केंद्र-राज्य की दोहरी संरचना जिसमें खुदरा बिक्री का प्रवर्तन राज्य औषधि नियंत्रक करते हैं, निरीक्षकों की कमी, कानूनी ओवर-द-काउंटर श्रेणी का अभाव और H1 रजिस्ट्रारों के कमजोर ऑडिट को समझाइए।
3. **मुख्य भाग — स्वास्थ्य-व्यवस्था और सामाजिक कारण** — डॉक्टर तक पहुँचने के खर्च, अनौपचारिक चिकित्सा प्रदाताओं, जल्दी ठीक होने की मरीजों की माँग, विषाणु संक्रमणों में एंटीबायोटिक के उपयोग, अधूरे कोर्स, तथा पशुपालन और जलकृषि में एंटीबायोटिक के उपयोग की चर्चा कीजिए।
4. **मुख्य भाग — 'वन हेल्थ' रणनीति** — NAP-AMR 2017 की परिकल्पना के अनुरूप प्रस्ताव दीजिए: H1 बिक्री के डिजिटल रिकॉर्ड के साथ पर्चे के नियमों का प्रवर्तन, WHO के AWaRe वर्गीकरण के आधार पर अस्पतालों में एंटीबायोटिक प्रबंधन (stewardship), मजबूत प्राथमिक देखभाल और टेलीपरामर्श, ICMR नेटवर्क के जरिए निगरानी, पशुओं में गैर-उपचारात्मक उपयोग पर सीमा, और दवा उद्योग के अपशिष्ट (effluents) पर नियंत्रण।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि जागरूकता परिपत्र जरूरी हैं पर पर्याप्त नहीं, और AMR एक साझा संसाधन की समस्या है जिसके लिए मंत्रालयों और राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S)

प्रश्न 1. राज्य औषधि नियंत्रक के रूप में आप अपने राज्य में CDSCO के परिपत्र को कैसे प्रभावी बनाएँगे?

BRAINSTORM — Q & APPROACH

दृष्टिकोण (Approach): मैं औषधि निरीक्षकों को खुदरा फार्मेशियों में अनुसूची H1 रजिस्ट्रों और पर्चों के रिकॉर्ड की जाँच का समयबद्ध अभियान चलाने का आदेश दूँगा, जिसकी शुरुआत अधिक बिक्री वाली दुकानों से होगी। पहली बार के उल्लंघन पर चेतावनी और प्रशिक्षण दिया जाएगा; बार-बार उल्लंघन पर औषधि नियमों के तहत लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। मैं दवा विक्रेता संघों के साथ मिलकर काम करूँगा ताकि अनुपालन पुलिसिया कार्रवाई के बजाय पेशेवर मानदंड बने। निरीक्षकों और कार्रवाइयों के मासिक आंकड़े प्रकाशित किए जाएँगे, ताकि अभियान चुपचाप खत्म न हो जाए।

प्रश्न 2. ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में आप गरीब मरीजों को समय पर इलाज से वंचित किए बिना एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को कैसे घटाएँगे?

दृष्टिकोण (Approach): लक्ष्य यह है कि वैध पर्चा पाना अवैध बिक्री से आसान हो जाए। मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में टेलीपरामर्श का विस्तार करूँगा और OPD का समय बढ़ाऊँगा, ताकि दिहाड़ी मजदूर भी डॉक्टर को दिखा सकें। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरल संदेश लोगों तक पहुँचाएँगे, जैसे कि एंटीबायोटिक सर्दी-जुकाम का इलाज नहीं करते। मैं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एंटीबायोटिक लिखने के तरीके का ऑडिट भी करवाऊँगा, क्योंकि डॉक्टरों का व्यवहार भी उतना ही बड़ा कारक है जितना स्व-उपचार।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृष्ठता है: क्या सरकार को निजी दवा विक्रेताओं द्वारा एंटीबायोटिक की बिक्री पर सीधे प्रतिबंध लगा देना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): प्रतिबंध से बिक्री भूमिगत हो जाएगी और उन ग्रामीण मरीजों को नुकसान होगा जो स्थानीय दवा विक्रेता पर निर्भर हैं, जो अक्सर आसपास का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र होता है। बेहतर तरीका है मौजूदा पर्चों की अनिवार्यता को लागू करना, उच्च पीढ़ी के एंटीबायोटिक की बिक्री के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और Reserve श्रेणी की दवाओं को अस्पतालों तक सीमित करना। फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण और जवाबदेही के साथ एंटीबायोटिक प्रबंधन में साझेदार माना जाना चाहिए। विनियमन सभी एंटीबायोटिक पर एक समान नहीं, बल्कि सबसे जोखिम वाली दवाओं पर सबसे कड़ा होना चाहिए।

6.3 दिल्ली में अभयरैब रेबीज़ टीके की 481 नकली इकाइयाँ ज़ब्त, आपूर्ति का सिरा कानपुर की एजेंसी तक पहुँचा

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार, 21 सितंबर को दिल्ली सरकार की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि दिल्ली औषधि नियंत्रण (DDC) विभाग ने मध्य दिल्ली के भागीरथ पैलेस की एक फ़र्म से ₹2 लाख मूल्य का नकली रेबीज़ टीका ज़ब्त किया है और आपूर्ति का सिरा कानपुर की एक एजेंसी तक खोज निकाला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर फ़र्म के तीन परिसरों पर छापा मारे गए, जिनमें अभयरैब (Abhayrab) ब्रांड नाम से बेचे जा रहे शुद्धीकृत वेरो सेल रेबीज़ टीके (Purified Vero Cell Rabies Vaccine) की 481 इकाइयाँ ज़ब्त हुईं। मूल निर्माता, तेलंगाना के ह्यूमन बायोलॉजिकल्स इंस्टिट्यूट — जो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) का मानव स्वास्थ्य और टीका प्रभाग है — ने पुष्टि की कि यह बैच नकली था और कंपनी ने इसे जारी नहीं किया था। ज़ब्त स्टॉक में से 120 शीशियाँ विधिक नमूनों के रूप में लेकर जाँच के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (Central Research Institute – CRI), कसौली भेजी गईं; बाकी 361 इकाइयाँ, सात खरीद चालानों के साथ, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act) की संबंधित धाराओं के तहत ज़ब्त की गईं। फ़र्म ने जाँचकर्ताओं को बताया कि उसने टीका कानपुर की एक एजेंसी से मँगाया था; इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य औषधि विभाग ने एजेंसी के परिसर सहित दो स्थानों पर छापा मारे और उसी को स्रोत के रूप में पुष्टि किया। DDC विभाग अब वितरण नेटवर्क का पता लगा रहा है। श्री सिंह ने कहा, “रेबीज़ एक घातक और गंभीर बीमारी है, और हम टीके की गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते,” और “दिल्ली से बाहर के आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भी” कार्रवाई का आश्वासन दिया। 27 अगस्त को भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने सभी राज्य औषधि नियंत्रण विभागों को पत्र लिखकर एक गलत ब्रांड वाले (misbranded) टीका बैच की आवाज़ाही, वितरण और उपलब्धता पर निगरानी बढ़ाने को कहा था। IIL ने कहा है कि अभयरैब का हर बैच जारी होने से पहले स्वतंत्र सरकारी जाँच से गुज़रता है, और अस्पतालों तथा लाइसेंसधारी फार्मेशियों सहित अधिकृत माध्यमों से आपूर्ति किए गए टीके इससे अप्रभावित हैं। “वेरो सेल” टीका प्रयोगशाला की एक मानक कोशिका-रेखा (cell line) में विषाणु को उगाकर और फिर उसे निष्क्रिय करके बनाया जाता है। नकली टीका विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि रेबीज़ का टीका पशु के काटने के बाद लगाया जाता है, जब व्यक्ति के पास दूसरा मौका नहीं होता: लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज़ लगभग हमेशा घातक होता है। अखबार भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के 2025 के एक अध्ययन की याद दिलाता है, जो द लैसेट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ में प्रकाशित हुआ था और लगभग 79,000 परिवारों के सर्वेक्षण पर आधारित था; इसमें भारत में हर वर्ष रेबीज़ से 5,726 मानव मौतों का अनुमान लगाया गया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य और GS3 में दवा उद्योग का विनियमन।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कुत्ते के काटने के बाद रेबीज़ टीके की तुरंत ज़रूरत होती है और सार्वजनिक तथा निजी दोनों माध्यमों में इसकी माँग लगातार बनी रहती है → लाइसेंसधारी आपूर्ति शृंखला और थोक बाज़ारों के बीच की खामियाँ जारी न किए गए नकली बैचों को व्यापार में घुसने देती हैं → DCGI 27 अगस्त को सभी राज्यों को एक गलत ब्रांड वाले बैच के बारे में सचेत करता है → दिल्ली का औषधि नियंत्रक भागीरथ पैलेस की एक फ़र्म पर छापा मारकर 481 इकाइयाँ ज़ब्त करता है, जिन्हें निर्माता नकली बताता है → उत्तर प्रदेश का औषधि विभाग स्रोत को कानपुर की एक एजेंसी तक खोज निकालता है, जिससे स्पष्ट होता है कि शृंखला का पीछा करने का एकमात्र रास्ता अंतर-राज्यीय समन्वय है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. रेबीज़ कुत्तों से फैलने वाला पशुजन्य रोग है, जो लक्षण आने के बाद घातक है पर पूरी तरह रोका जा सकता है — रेबीज़ Lyssavirus से होने वाला विषाणु रोग है, जो मनुष्यों में मुख्यतः संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने से फैलता है; भारत में मानव मामलों का भारी बहुमत कुत्तों से जुड़ा है। नैदानिक लक्षण प्रकट होने के बाद यह लगभग हमेशा घातक होता है, पर समय पर संपर्क-पश्चात् रोगनिरोध (post-exposure prophylaxis) इसे रोक देता है। WHO के दिशानिर्देशों के अनुसार संपर्क को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है, और सबसे गंभीर (श्रेणी III) में घाव धोना, रेबीज़ टीका और रेबीज़ इम्युनोग्लोबुलिन तीनों ज़रूरी हैं। चूंकि प्रभावी रोकथाम का समय कम होता है, इसलिए उपयोग के क्षण में टीके की गुणवत्ता ही जीवन और मृत्यु का फैसला करती है।
2. भारत 'वन हेल्थ' योजना के ज़रिए 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ से होने वाली मौतें खत्म करना चाहता है — WHO, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल ने 2018 में "Zero by 30" वैश्विक रणनीतिक योजना शुरू की, ताकि 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ से होने वाली मानव मौतें समाप्त हों। भारत ने 28 सितंबर, 2021 को विश्व रेबीज़ दिवस पर 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के उन्मूलन की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPRE) शुरू की। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम मानव पक्ष देखता है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में टीके और इम्युनोग्लोबुलिन की आपूर्ति शामिल है। पशु पक्ष कुत्तों के सामूहिक टीकाकरण और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत बने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (Animal Birth Control Rules) पर टिका है।
3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम नकली और गलत ब्रांड वाली दवाओं को परिभाषित करता है और उन्हें कठोर दंड देता है — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 17 गलत ब्रांड वाली (misbranded) दवा, धारा 17A मिलावटी (adulterated) दवा और धारा 17B नकली (spurious) दवा को परिभाषित करती है — ऐसी दवा जो किसी दूसरी दवा की नकल हो या उसकी जगह बेची जाए, या जिस पर झूठे ढंग से किसी दूसरे निर्माता का नाम हो। धारा 18 ऐसी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाती है। 2008 में संशोधित धारा 27 के तहत ऐसी नकली या मिलावटी दवा बनाना या बेचना, जिससे मृत्यु या गंभीर क्षति होने की संभावना हो, कम-से-कम दस वर्ष के कारावास से, जो आजीवन तक बढ़ सकता है, और कम-से-कम ₹10 लाख या ज़ब्त दवाओं के मूल्य के तीन गुने, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दंडनीय है। "नकली" (counterfeit) बोलचाल का शब्द है; कानूनी शब्द "spurious" है।
4. टीके केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में केंद्रीय लॉट रिलीज़ से गुज़रते हैं — हिमाचल प्रदेश में 1905 में स्थापित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन कार्य करता है और टीकों तथा सीरम के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (Central Drugs Laboratory) का काम करता है। किसी टीके का हर बैच (लॉट) बिक्री से पहले इसी संस्थान द्वारा जाँचा और जारी किया जाना ज़रूरी है; IIL जिस "स्वतंत्र सरकारी जाँच" का उल्लेख करता है, वह यही है। टीकों के निर्माण लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (Central Licence Approving Authority) के रूप में DCGI की मंजूरी से देते हैं, जो औषधि विनियमन में केंद्र-राज्य के "दोहरे नियंत्रण" का उदाहरण है। खुदरा और थोक बिक्री के लाइसेंस, तथा दिल्ली जैसे छापे, राज्य औषधि नियंत्रकों का काम है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग और पशुजन्य रोग GS2 और GS3 के बार-बार आने वाले विषय हैं — UPSC पशुजन्य रोगों (zoonoses), 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण और तपेदिक, कालाज़ार तथा लसीका फ़ाइलरिया जैसे रोगों के लिए भारत के उन्मूलन लक्ष्यों पर प्रश्न पूछ चुका है। 2030 के उन्मूलन लक्ष्य और ICMR द्वारा आँके गए बड़े बोझ वाला रेबीज़ इसी पैटर्न में फिट बैठता है, और यह प्रश्न संभावित है कि भारत इसके उन्मूलन में क्यों संघर्ष करता रहा है।
2. नकली दवाएँ और नियामक क्षमता मुख्य परीक्षा में बार-बार आती हैं — दूषित कफ़ सिरप से हुई मौतों और नकली दवाओं की बार-बार ज़बती के बाद दवा की गुणवत्ता एक नियमित मुद्दा बन गई है। यह मामला इसमें टीके को जोड़ता है, जो प्रश्न को उपभोक्ता संरक्षण से आगे लोक स्वास्थ्य तक ले जाता है, और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय का साफ़ उदाहरण भी देता है।
3. प्रारंभिक परीक्षा CRI कसौली जैसी संस्थाओं और रोगों की मूल बातों से प्रश्न लेती है — रेबीज़ का कारक जीव, टीका बनाने का प्लेटफ़ॉर्म, CRI कसौली की भूमिका, तथा NAPRE का वर्ष और लक्ष्य जैसे तथ्य परीक्षा-पैटर्न की सामग्री हैं। टीकों के लाइसेंस कौन-सी संस्था देती है, इस पर कथन-आधारित प्रश्न दोहरे नियंत्रण की संरचना को भी परखते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- रेबीज़ Lyssavirus वंश के एक विषाणु से होता है और मनुष्यों में मुख्यतः संक्रमित कुत्तों के काटने से फैलता है।
- 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के उन्मूलन की भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना

विश्लेषण (ANALYSIS)

विश्व रेबीज़ दिवस, 28 सितंबर, 2021 को शुरू की गई।

- कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ से होने वाली मानव मौतें समाप्त करने की वैश्विक “Zero by 30” योजना WHO, FAO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल ने संयुक्त रूप से शुरू की।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 17B “नकली दवा” (spurious drug) को परिभाषित करती है।
- केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली भारत में टीकों और सीरम की जाँच तथा लॉट रिलीज़ के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
- टीकों के निर्माण लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कार्यरत भारत के औषधि महानियंत्रक की मंजूरी से देते हैं।
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए हैं।

1. नकली टीका नकली गोली से बदतर है, क्योंकि वह चुपचाप विफल होता है — नकली दर्द-निवारक आमतौर पर तब पकड़ में आ जाता है जब दर्द नहीं जाता; नकली रेबीज़ टीका तब तक कोई संकेत नहीं देता जब तक रोग प्रकट न हो जाए, और तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। पीड़ित को शायद कभी नकली दवा के मामले के रूप में गिना ही न जाए, क्योंकि मृत्यु रेबीज़ के रूप में दर्ज होगी। इससे नकली टीके ICMR द्वारा अनुमानित 5,726 वार्षिक मौतों के पीछे एक छिपा हुआ कारण बन जाते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि टीकों की बाज़ार-पश्चात निगरानी (post-market surveillance) कई दवाओं की तरह शिकायतों पर निर्भर नहीं रह सकती, उसे आपूर्ति शृंखला की जाँच पर निर्भर रहना होगा।
2. 27 अगस्त की चेतावनी दिखाती है कि व्यवस्था ने काम तो किया, पर देर से — DCGI ने दिल्ली की ज़बती से लगभग चार सप्ताह पहले सभी राज्यों को एक गलत ब्रांड वाले बैच के बारे में लिखा था, और निर्माता ने पुष्टि की है कि दिल्ली का स्टॉक कभी जारी ही नहीं हुआ था। इस तरह चेतावनी से कार्रवाई हुई, जिसका श्रेय नियामकों को जाता है। पर स्टॉक तब तक राजधानी के एक थोक बाज़ार तक पहुँच चुका था, और DDC अब भी पता लगा रहा है कि वह और कहाँ-कहाँ गया। कोई लेखा-परीक्षक यह पूछेगा कि ज़बती से पहले कितनी खुराकें बिक चुकी थीं, और क्या उन्हें लगवाने वाले मरीजों को दोबारा टीकाकरण के लिए खोजा जा सकता है। अखबार इसका उत्तर नहीं देता, और जनता को यह जानने का हक है।
3. लॉट रिलीज़ कारखाने के दरवाज़े की रक्षा करता है, आपूर्ति शृंखला की नहीं — IIL का यह कहना सही है कि हर असली बैच जारी होने से पहले जाँचा जाता है; पर नकली बैच उस दरवाज़े से गुज़रता ही नहीं। कमज़ोरी आगे की कड़ियों में है: थोक विक्रेताओं के बीच चालानों पर होने वाली खरीद, और भागीरथ पैलेस की फ़र्म ने कानपुर से इसी तरह खरीदा था। विशिष्ट पहचानकर्ता (unique identifiers) और ट्रैक-एंड-ट्रेस प्रणालियाँ, जैसी भारत ने सक्रिय औषधीय अवयवों (active pharmaceutical ingredients) के लिए और अनुसूची H2 के तहत सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों के लिए QR कोड के रूप में अनिवार्य की हैं, इसका ताकिक विस्तार है। निजी माध्यमों से बिकने वाले टीकों तक सत्यापन-योग्य कोड बढ़ाने से फ़ार्मासिस्ट कुछ ही सेकंड में असलियत जाँच सकेगा।
4. अंतर-राज्यीय समन्वय ही दोहरे नियंत्रण की असली परीक्षा है — दिल्ली ने स्टॉक ज़ब्त किया, उत्तर प्रदेश ने स्रोत पर छापा मारा और DCGI ने राष्ट्रीय चेतावनी जारी की: तीन नियामकों ने कार्रवाई की और शृंखला का पता चल गया। यह दोहरा नियंत्रण ठीक वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए, पर यह इस पर निर्भर था कि फ़र्म अपने आपूर्तिकर्ता का नाम बताए और अनौपचारिक सहयोग मिले। ज़ब्तियों और संदिग्ध बैचों का कोई एकल वास्तविक-समय (real-time) राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है जिसका उपयोग सभी राज्य औषधि नियंत्रक करें। CDSCO द्वारा संचालित एक साझा मंच इस एक बार की सफलता को नियमित व्यवहार में बदल देगा। समान क्षमता भी मायने रखती है: कई राज्यों में औषधि निरीक्षकों की संख्या उनकी फ़ार्मसियों की ज़रूरत से बहुत कम है।
5. रेबीज़ उन्मूलन की लड़ाई केवल टीके के मोर्चे पर नहीं जीती जा सकती — 5,726 मौतों का बोझ कुत्तों के काटने का नतीजा है, और NAPRE संपर्क-पश्चात रोगनिरोध पर जितना टिका है, उतना ही कुत्तों के सामूहिक टीकाकरण और उनकी आबादी के प्रबंधन पर भी। हर नकली खुराक मानव पक्ष के सुरक्षा जाल को ठीक इसीलिए कमज़ोर करती है क्योंकि पशु पक्ष पर प्रगति धीमी है। मुफ्त टीका देने वाले सार्वजनिक संस्थान निजी खरीद की ओर खिंचाव घटाते हैं, और निजी खरीद में ही नकली स्टॉक के घुसने की संभावना अधिक होती है। इसलिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में स्टॉक भरपूर रखना लोक स्वास्थ्य का उपाय भी है और नकली दवाओं के विरुद्ध उपाय भी।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न

दिल्ली में नकली रेबीज़ टीके की हालिया ज़बती भारत की दवा आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियों को

(POSSIBLE MAINS QUESTION)**मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)**

उजागर करती है। 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के उन्मूलन के लक्ष्य के संदर्भ में, भारत के केंद्र-राज्य ढाँचे के तहत दवाओं और टीकों की गुणवत्ता के विनियमन की खामियों का परीक्षण कीजिए और मरीज़ों की सुरक्षा के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

- भूमिका** — दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा नकली अभयैब की 481 इकाइयों की ज़ब्ती, जिसका स्रोत कानपुर निकला, और ICMR के हर वर्ष रेबीज़ से 5,726 मौतों के अनुमान से शुरुआत कीजिए। बताइए कि रेबीज़ पूरी तरह रोका जा सकता है, फिर भी लक्षण प्रकट होने के बाद लगभग हमेशा घातक होता है।
- मुख्य भाग — नियामक ढाँचा** — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में नकली और गलत ब्रांड वाली दवाओं की परिभाषाएँ, धारा 27 के दंड, CRI कसौली में लॉट रिलीज़, तथा CDSCO और राज्य औषधि नियंत्रकों के बीच दोहरे नियंत्रण को समझाइए; उदाहरण के रूप में DCGI की 27 अगस्त की चेतावनी और दिल्ली-उत्तर प्रदेश सहयोग का उपयोग कीजिए।
- मुख्य भाग — खामियाँ** — खामियाँ पहचानिए: थोक विक्रेताओं के बीच चालान-आधारित व्यापार, निजी माध्यमों में टीकों के लिए ट्रेक-एंड-ट्रेस का अभाव, राज्यों की असमान निरीक्षण क्षमता, ज़ब्तियों और संदिग्ध बैचों के साझा राष्ट्रीय डेटाबेस की कमी, और नकली खुराक पाने वाले मरीज़ों को खोजने की कठिनाई।
- मुख्य भाग — उपाय और रेबीज़ उन्मूलन** — टीकों के लिए QR कोड सत्यापन, CDSCO द्वारा संचालित राष्ट्रीय चेतावनी एवं ज़ब्ती मंच, अधिक औषधि निरीक्षक, सार्वजनिक संस्थानों में मुफ्त टीके की सुनिश्चित आपूर्ति, और NAPRE के 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण से जुड़ाव प्रस्तावित कीजिए, जिसमें पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के तहत कुत्तों का टीकाकरण भी शामिल हो।
- निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि 2030 का उन्मूलन लक्ष्य टीके पर जनता के भरोसे पर निर्भर है, और आपूर्ति शृंखला की अखंडता उतनी ही ज़रूरी है जितना टीकाकरण का दायरा।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. दिल्ली के औषधि नियंत्रक के रूप में इस ज़ब्ती के बाद वाले सप्ताह में आपकी प्राथमिकताएँ क्या होंगी?

दृष्टिकोण (Approach): मेरी पहली प्राथमिकता मरीज़ होंगे: चालानों के ज़रिए पता लगाना कि किन क्लीनिकों और फ़ार्मसियों ने फ़र्म से खरीदा, और उन्हें सचेत करना, ताकि जिन लोगों को ये खुराकें लगी हों उन्हें डॉक्टर दोबारा टीकाकरण की सलाह दे सकें। दूसरी, मैं उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर जाँच पूरी करूँगा ताकि केवल व्यापारियों तक नहीं, नकली स्टॉक के निर्माता तक पहुँचा जा सके। तीसरी, मैं भागीरथ पैलेस के अन्य थोक विक्रेताओं के यहाँ उन्हीं बैच नंबरों की जाँच करवाऊँगा। इसके बाद CRI कसौली की जाँच रिपोर्टों सहित मज़बूत साक्ष्य के साथ धारा 27 के तहत अभियोजन चलाना चाहिए।

प्रश्न 2. ज़िला कलेक्टर के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके ज़िले में रेबीज़ का टीका उपलब्ध भी हो और असली भी?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि हर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी आपूर्ति से टीके और इम्युनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक रहे, क्योंकि कमी ही मरीज़ों को निजी खरीद की ओर धकेलती है। मैं औषधि निरीक्षक से कहूँगा कि वह निजी स्टॉक का मिलान निर्माता और DCGI द्वारा जारी बैच सूचियों से करे। कुत्तों के काटने के पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन उन्हें निकटतम केंद्र तक पहुँचाएगी। पशु पक्ष पर मैं कुत्तों के टीकाकरण अभियानों के लिए नगर निकाय और पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय करूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पृच्छता है: क्या जीवनरक्षक दवाओं के नकली व्यापारियों को नियम के रूप में ज़मानत से वंचित किया जाना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): कानून पहले ही मृत्यु का कारण बन सकने वाली नकली दवाओं को न्यूनतम दस वर्ष के कारावास वाला गंभीर अपराध मानता है, जो इस नुकसान की गंभीरता को दर्शाता है। पर ज़मानत से सबको एक साथ वंचित करना निर्दोषता की उपधारणा से और सर्वोच्च न्यायालय के इस मत से मेल नहीं खाता कि ज़मानत नियम है। बेहतर उत्तर है निर्दिष्ट न्यायालयों के ज़रिए त्वरित सुनवाई और मज़बूत जाँच, ताकि दोषियों को जल्दी सज़ा मिले। दंड की कठोरता से अधिक उसकी निश्चितता अपराध रोकती है।

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) अब एक साथ दो चीजों को नया आकार दे रही है: एक ओर वह भौतिक उद्योग जो इसका हार्डवेयर बनाता है, और दूसरी ओर इसके शासन पर चल रही वैश्विक बहस। पैसा कोरिया, ताइवान और अमेरिका की गिनी-चुनी मेमोरी और पैकेजिंग कंपनियों की ओर बह रहा है, जबकि भारत फिलहाल इस शृंखला के असेंबली और डिज़ाइन वाले छोर पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में, सरकारों को सलाह देने के लिए बुलाए गए वैज्ञानिक डर पर टिकी बातों का विरोध कर रहे हैं और प्रमाण की माँग कर रहे हैं। भारत के लिए दोनों मोर्चों पर सबक एक ही है: मंज़ूर जगह क्षमता से मिलती है, उत्साह से नहीं।

7.1 AI डेटा-सेंटर की होड़ से मेमोरी-चिप में 'सुपरसाइकिल', भारत अभी पैकेजिंग और डिज़ाइन तक सीमित

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत सेमीकंडक्टर मिशन (India Semiconductor Mission — ISM) का प्रमुख सम्मेलन सेमीकॉन इंडिया पिछले सप्ताह नई दिल्ली में ऐसे समय हुआ जब AI के कारण चिपों की माँग असाधारण रूप से बढ़ी हुई है — यह बात कानेंगी इंडिया की श्रुति मित्तल ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखी है। कुछ लोग इसे सेमीकंडक्टर “सुपरसाइकिल” (supercycle) कह रहे हैं — यानी किसी बुनियादी तकनीकी बदलाव से पैदा होने वाला कई वर्षों तक चलने वाला निवेश-उछाल, जैसा 1990 के दशक में कंप्यूटरों और 2010 के दशक में स्मार्टफोन के साथ हुआ था। यह माँग मुख्यतः AI डेटा सेंटरों से आ रही है — सर्वरों से भरी ऐसी इमारतें जिनका सबसे अहम हिस्सा AI चिप या ‘एक्सेलेरेटर’ है, जो AI मॉडलों की विशाल गणनाएँ करता है। ऐसा प्रोसेसर उतना ही तेज़ चल सकता है जितनी तेज़ी से उसे डेटा मिले, और साधारण मेमोरी उससे बहुत दूर रहती है। उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी (High-Bandwidth Memory — HBM) इस समस्या को सुलझाती है: इसमें कार्यशील मेमोरी की परतें एक के ऊपर एक रखकर प्रोसेसर के पास लगाई जाती हैं और उन्हें उन्नत पैकेजिंग (advanced packaging) से जोड़ा जाता है — यहाँ पैकेजिंग का अर्थ डिब्बा नहीं, बल्कि वह इंजीनियरिंग है जो चिपों को आपस में जोड़ती है। HBM पर तीन कंपनियों का दबदबा है: दक्षिण कोरिया की SK Hynix और Samsung, तथा अमेरिका की Micron। S&P Global के हवाले से लेख बताता है कि Microsoft, Amazon, Google और Meta केवल 2026 में AI अवसंरचना पर लगभग 635 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही हैं। चिप निर्माता दीर्घकालिक “टेक-ऑर-पे” (take-or-pay) अनुबंध कर रहे हैं, जिनके तहत खरीदार को तय चिपें लेनी ही होंगी, चाहे उस समय उसकी माँग कुछ भी हो, वरना भारी जुर्माना देना होगा। सुश्री मित्तल आगाह करती हैं कि यह खर्च कुछ ही कंपनियों में केंद्रित है। भारत चिपों का उत्पादन नहीं करता: ISM 1.0 के तहत उसने 12 परियोजनाएँ मंज़ूर कीं और कुछ पैकेजिंग इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है, तथा गुजरात के साणंद में Micron का संयंत्र आयातित वेफ़र का प्रसंस्करण करेगा। जुलाई में संसद में दिए गए एक उत्तर में कहा गया कि AI की माँग से मेमोरी की आपूर्ति तंग हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं, और 2026 में विदेशी निवेश की कुछ निकासी को ताइवान और दक्षिण कोरिया से जोड़ा गया है। फ़रवरी में शुरू हुआ ISM 2.0 पैकेजिंग को सहायता देता है और एक अलग योजना के ज़रिए चिपलेट (chiplets) पर अनुसंधान को भी — चिपलेट यानी छोटी, विशिष्ट चिपें जिन्हें सिलिकॉन के एक बड़े टुकड़े की जगह जोड़ा जाता है। दुनिया के चिप कार्यबल का लगभग पाँचवाँ हिस्सा भारत में है; डिज़ाइन-लिंकड प्रोत्साहन योजना के तहत स्टार्टअप Netrasemi कैमरों और ड्रोन के लिए एज-AI प्रोसेसर बना रहा है, और Infineon ने बेंगलुरु की फ़ैबलेस कंपनी C2i का अधिग्रहण कर लिया है। अलग से, द हिंदू (AFP) की ख़बर है कि 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर हुए एक कार्यक्रम में, 2025 में गठित संयुक्त राष्ट्र के AI पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों ने “डर में निवेश” करने के विरुद्ध चेताया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जनरेटिव AI मॉडलों को विशाल गणना-शक्ति चाहिए → बड़ी टेक कंपनियाँ 2026 में AI डेटा सेंटरों पर लगभग 635 अरब डॉलर झोंक रही हैं → एक्सेलेरेटर को ठीक बगल में रखी मेमोरी चाहिए, इसलिए HBM और उन्नत पैकेजिंग की माँग आसमान छूती है और चिप निर्माता टेक-ऑर-पे अनुबंधों से खरीदार बाँध लेते हैं → मेमोरी की आपूर्ति तंग होती है, कीमतें चढ़ती हैं और निवेशक ताइवान व कोरिया की ओर दौड़ते हैं → डिज़ाइन प्रतिभा में मज़बूत और ISM 1.0 व 2.0 के तहत असेंबली-पैकेजिंग खड़ी कर रहा भारत अब भी शृंखला की सबसे मुनाफ़े वाली परत से बाहर है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. एक चिप तीन चरणों से गुज़रती है, और भारत अभी पहले और आखिरी चरण में काम करता है — सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला (value chain) के तीन मोटे चरण हैं: डिज़ाइन, जिसमें इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन सॉफ़्टवेयर और लाइसेंस पर ली गई बौद्धिक संपदा की मदद से सर्किट की रूपरेखा बनाते हैं; निर्माण या फ़ैब्रिकेशन, जिसमें ‘फ़ैब’ या फ़ाउंड्री में सिलिकॉन वेफ़र पर सर्किट छपा जाता है; और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP), जिसे आउटसोर्सड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) भी कहते हैं, जिसमें तैयार वेफ़र को काटा, पैक किया और परखा जाता है। ‘फ़ैबलेस’ कंपनी चिप डिज़ाइन करके बेचती है पर निर्माण बाहर से करवाती है, ‘फ़ाउंड्री’ दूसरों के लिए निर्माण करती है, और एकीकृत उपकरण निर्माता (integrated device manufacturer) दोनों काम करता है। निर्माण सबसे अधिक पूँजी-गहन चरण है, जिसके लिए अरबों डॉलर और उन्नत उपकरण चाहिए। भारत के पास लंबे समय से चिप-डिज़ाइन का गहरा कार्यबल रहा है, जो ज़्यादातर वैश्विक कंपनियों के लिए काम करता है, और अब वह ATMP व OSAT क्षमता जोड़ रहा है।
2. उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी प्रोसेसर के बगल में बनाया गया DRAM चिपों का ढेर है — कंप्यूटर में मुख्यतः दो तरह की मेमोरी होती है: DRAM, यानी तेज़ ‘कार्यशील मेमोरी’, जो प्रसंस्करण के दौरान डेटा रखती है और बिजली बंद होते ही उसे खो देती है; और NAND फ़्लैश, जो डेटा को स्थायी रूप से सहेजती है। HBM कई DRAM ड्राई को ऊर्ध्वाधर रूप से एक के ऊपर एक रखकर और उन्हें थ्रू-सिलिकॉन वाया (through-silicon vias) नामक सूक्ष्म ऊर्ध्वाधर कड़ियों से जोड़कर

बनाई जाती है। फिर इस ढेर को इंटरपोज़र (interposer) नामक पतली आधार-परत पर प्रोसेसर के बगल में रखा जाता है — इस व्यवस्था को प्रायः 2.5D पैकेजिंग कहा जाता है। कम दूरी और बहुत चौड़े संपर्क के कारण पारंपरिक मेमोरी की तुलना में प्रति सेकंड कहीं अधिक डेटा पहुँचता है, और इसी वजह से HBM AI एक्सेलेरेटर्स के लिए अनिवार्य बन गई है।

3. **चिपलेट एक बड़ी चिप को छोटी विशिष्ट चिपों में बाँटकर पैकेजिंग से जोड़ते हैं** — पारंपरिक चिप सिलिकॉन के एक ही टुकड़े के रूप में बनती है, जिसे मोनोलिथिक ड्राई (monolithic die) कहते हैं; ड्राई जितनी बड़ी होती है, एक ही दोष पूरी चिप को बिगाड़ सकता है, जिससे लागत और बर्बादी बढ़ती है। चिपलेट पद्धति डिज़ाइन को छोटी-छोटी ड्राई में बाँट देती है, हर ड्राई उस प्रक्रिया से बनती है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो, और फिर उन्हें एक ही पैकेज में जोड़ा जाता है। इससे प्रदर्शन में बढ़त का स्रोत केवल छोटे ट्रांज़िस्टर नहीं, बल्कि उन्नत पैकेजिंग भी बन जाती है — जो इसलिए अहम है कि मूर के नियम (Moore's Law) द्वारा अनुमानित गति अब धीमी पड़ रही है। अलग-अलग निमाताओं के चिपलेट जोड़ने का एक उद्योग-मानक, यूनिवर्सल चिपलेट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस (UCIe), 2022 में शुरू किया गया।
4. **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम और भारत सेमीकंडक्टर मिशन** — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र विकसित करने के लिए ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम (Semicon India programme) को मंजूरी दी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अधीन एक विशेष इकाई, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, चलाता है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर फ़ैब, डिस्प्ले फ़ैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और ATMP/OSAT इकाइयों के लिए योजनाएँ हैं, साथ ही डिज़ाइन लिंकड प्रोत्साहन (Design Linked Incentive — DLI) योजना भी, जो घरेलू चिप-डिज़ाइन कंपनियों और स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन और डिज़ाइन अवसंरचना से सहायता देती है। अलग से, कंप्यूट क्षमता, डेटासेट और AI अनुप्रयोग तैयार करने के लिए मार्च 2024 में IndiaAI मिशन को मंजूरी दी गई।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **GS3 में प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और उद्योग में निवेश शामिल है** — UPSC भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं, फ़ैब स्थापित करने की बाधाओं और डिज़ाइन बनाम विनिर्माण की भूमिका पर प्रश्न पूछ चुका है। यह लेख पूरी शब्दावली देता है — सुपरसाइकिल, HBM, चिपलेट, टेक-ऑर-पे, फ़ैबलेस — और साथ ही यह साफ़-साफ़ बताता है कि शृंखला में भारत कहाँ खड़ा है, जो किसी भी एक निवेश-घोषणा से कहीं अधिक उपयोगी है।
2. **वैश्विक AI शासन GS2 के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं वाले हिस्से में प्रवेश कर रहा है** — उभरती प्रौद्योगिकियों, AI और डेटा के शासन पर प्रश्न GS2 और GS3 दोनों में आ चुके हैं। 2025 में गठित संयुक्त राष्ट्र का AI पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल एक नई संस्था है, जिस पर प्रारंभिक परीक्षा में कथन-आधारित प्रश्न बन सकता है — साथ ही AI शिखर सम्मेलन शृंखला में भारत की भूमिका और उसके अपने IndiaAI सुरक्षा एजेंडे पर भी।
3. **प्रौद्योगिकी का आर्थिक भूगोल GS1 और निबंध का विषय है** — HBM का तीन कंपनियों में और उन्नत पैकेजिंग का पूर्वी एशिया में केंद्रित होना सामरिक उद्योगों के भूगोल का एक पाठ है। प्रौद्योगिकी और संप्रभुता पर निबंध के विषय, तथा उद्योगों की अवस्थिति पर GS1 के प्रश्न, इस उदाहरण का सहारा ले सकते हैं कि कैसे एक अकेला तकनीकी बदलाव देशों के बीच निवेश का पुनर्वितरण कर देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) DRAM ड्राई को ऊर्ध्वाधर रूप से एक के ऊपर एक रखकर और उन्नत पैकेजिंग के ज़रिए इस ढेर को प्रोसेसर के पास लगाकर बनाई जाती है।
- DRAM एक अस्थायी (volatile) कार्यशील मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है, जबकि NAND फ़्लैश एक स्थायी (non-volatile) भंडारण मेमोरी है।
- फ़ैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी चिपों का डिज़ाइन और बिक्री करती है, परंतु उनका निर्माण फ़ाउंड्री से करवाती है।
- ATMP का पूर्ण रूप असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग है, जो वेफ़र निर्माण के बाद आने वाला सेमीकंडक्टर विनिर्माण का बैक-एंड चरण है।
- दिसंबर 2021 में ₹76,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मंजूर सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से लागू किया जाता है।
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत डिज़ाइन लिंकड प्रोत्साहन योजना सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में लगी घरेलू कंपनियों और स्टार्टअप को सहायता देती है।
- चिपलेट संरचना एक बड़ी मोनोलिथिक ड्राई बनाने के बजाय कई छोटी ड्राई को एक ही पैकेज में जोड़ती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. भारत सुपरसाइकिल की सवारी सबसे कम मार्जिन वाले चरण पर कर रहा है, और शुरुआत के लिए यह ठीक जगह है — किसी भी उछाल में मुनाफ़ा वहाँ जमा होता है जहाँ आपूर्ति सबसे कम हो, और आज वह जगह HBM और उन्नत पैकेजिंग है, जिस पर कोरिया, ताइवान और अमेरिका की मुट्ठी भर कंपनियों का नियंत्रण है। आयातित वेफ़र का प्रसंस्करण करने वाले भारत के पैकेजिंग संयंत्र सेवा-शुल्क कमाएँगे, कमी से पैदा होने वाला लगान (rent) नहीं। आलोचक इसे चिप उद्योग के लिबास में कम मूल्य वाली असेंबली मानते हैं। लेकिन पैकेजिंग अब साधारण बैक-एंड काम नहीं रही: HBM और चिपलेट के दौर में प्रदर्शन की लड़ाई पैकेज में ही जीती जाती है, और ISM 2.0 की पैकेजिंग व चिपलेट अनुसंधान योजनाएँ भारत को बैक-एंड के उस हिस्से की ओर ले जाती हैं जो उच्च-मूल्य वाला बन रहा है। असली कसौटी यह है कि भारतीय संयंत्र इसी चक्र के भीतर पारंपरिक से उन्नत पैकेजिंग की ओर बढ़ पाते हैं या नहीं — यह नहीं कि भारत अत्याधुनिक फ़ैब बना पाता है या नहीं।
2. सुपरसाइकिल देर से आने वालों के लिए एक जाल भी है — सुपरसाइकिल ख़त्म होते हैं, और सेमीकंडक्टर उद्योग का इतिहास उछाल के बाद अति-आपूर्ति और कीमतों के धड़ाम होने से भरा पड़ा है। टेक-ऑर-पे अनुबंध आज के अगुओं की रक्षा करते हैं, जो पक्के ख़रीदारों के भरोसे क्षमता की योजना बना सकते हैं, जबकि नए प्रवेशी ऐसे संयंत्र बनाते हैं जो शायद माँग के चरम पर पहुँच जाने के बाद चालू हों। सुश्री मित्तल की यह चेतावनी कि उद्योग इस पर निर्भर है कि AI सेवाएँ वास्तव में कितना राजस्व कमाती हैं, सबसे बड़ा जोखिम है: अगर चार कंपनियों का AI ख़र्च धोमा पड़ा, तो मेमोरी की कीमतें तेज़ी से गिर सकती हैं। इसलिए भारत को वहाँ निवेश करना चाहिए जहाँ उसकी बढ़त पूरे चक्र में टिकी रहे — डिज़ाइन प्रतिभा और पैकेजिंग कौशल — न कि बाज़ार के शिखर पर सबसे अधिक चक्रीय क्षमता के पीछे भागना चाहिए।
3. यह उछाल भारत से पहले ही कीमत वसूल रहा है — महँगाई और पूँजी, दोनों रूपों में — जुलाई का संसदीय उत्तर, जिसमें कहा गया कि AI की माँग मेमोरी की आपूर्ति तंग कर रही है और कीमतें बढ़ा रही है, दिखाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा आयातक भारत इस सुपरसाइकिल की कीमत महँगे उपकरणों और सर्वरों के रूप में चुकाता है — उनमें वे भी शामिल हैं जो उसके अपने AI मिशन के लिए ज़रूरी हैं। ताइवान और कोरिया से जुड़ी विदेशी पोटफ़ोलियो निकासी बताती है कि पूँजी इस चक्र के विजेताओं के पीछे भाग रही है। यह उत्पादन के चार कारकों में पूँजी वाला पक्ष है: सुपरसाइकिल वैश्विक निवेश को उन देशों की ओर मोड़ रहा है जिनके पास दुर्लभ सेमीकंडक्टर क्षमता है। प्रतिपक्ष यह है कि ऐसे प्रवाह चक्रीय होते हैं और पलट जाएँगे; लेकिन जिस देश की चक्र की दुर्लभ परत में कोई हिस्सेदारी नहीं, उसे हर बार यही पैटर्न झेलना पड़ेगा।
4. डिज़ाइन भारत का सबसे मज़बूत पत्ता है, पर कमी डिज़ाइन के स्वामित्व की है — दुनिया के चिप कार्यबल का लगभग पाँचवाँ हिस्सा भारत में है, लेकिन इस प्रतिभा का बड़ा भाग विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाली चिपें डिज़ाइन करता है। DLI योजना और कैमरो व ड्रोन के लिए एज़-AI प्रोसेसर बना रहे Netrasemi जैसे स्टार्टअप भारतीय स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा खड़ी करने के प्रयास हैं। Infineon द्वारा बेंगलुरु की फ़ैबलेस कंपनी C2i का अधिग्रहण दोधारी है: यह भारतीय डिज़ाइन क्षमता पर मुहर भी लगाता है और यह भी दिखाता है कि सफल भारतीय डिज़ाइन कंपनियाँ कैसे विदेशी हाथों में चली जाती हैं। जो नीति स्टार्टअप को पैसा तो दे पर उनके विस्तार का रास्ता न दे, वह अंततः अधिग्रहण के लक्ष्य तैयार करती रह सकती है — यह विफलता नहीं है, पर संप्रभुता भी नहीं।
5. संयुक्त राष्ट्र पैनल की प्रमाण वाली माँग AI शासन में भारत की भी सबसे अच्छी स्थिति है — 21 सितंबर के कार्यक्रम में Google DeepMind की जोएल बराल (Joelle Barral) ने कहा कि “डर में निवेश करना बहुत मददगार नहीं है”, और पैनल के सह-अध्यक्ष योशुआ बेंजियो (Yoshua Bengio) ने इस पर ज़ोर दिया कि AI जोखिमों के बारे में जो ज्ञात है उसे उससे अलग रखा जाए जिसका केवल “संभावित अनुमान” लगाया जा सकता है — जबकि कुछ पूर्व AI लैब कर्मचारी विनाशकारी जोखिम की बात कर चुके हैं और PauseAI UK ने डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रमाण-प्रथम दृष्टिकोण भारत के अनुकूल है, जो विकास के लिए AI को व्यापक रूप से अपनाना चाहता है और आशंकित है कि काल्पनिक अस्तित्वगत जोखिम के इर्द-गिर्द लिखे नियम कुछ अग्रणी लैबों की बढ़त को स्थायी बना सकते हैं। प्रतिपक्ष यह है कि विनाशकारी क्षति के प्रमाण का इंतज़ार करना शायद बहुत देर तक इंतज़ार करना होगा। भारत का विश्वसनीय मध्य मार्ग है अपनी परीक्षण और सुरक्षा क्षमता बनाना, ताकि वह दूसरों के निष्कर्षों का केवल उपभोक्ता न रहकर प्रमाण में योगदान दे।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“AI-संचालित सेमीकंडक्टर सुपरसाइकिल पूरी दुनिया में पूँजी और क्षमता का पुनर्वितरण कर रहा है।” इस संदर्भ में वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए तथा सुझाव दीजिए कि वह उन्नत पैकेजिंग और चिप डिज़ाइन जैसे उच्च-मूल्य खंडों में कैसे आगे बढ़ सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL)

1. भूमिका — सुपरसाइकिल को किसी संरचनात्मक तकनीकी बदलाव से उपजे कई वर्षों के निवेश-

APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

उछाल के रूप में परिभाषित कीजिए, जैसा 1990 के दशक में कंप्यूटरों और 2010 के दशक में स्मार्टफोन के साथ हुआ। बताइए कि AI डेटा सेंटर — जिन पर चार कंपनियों ने 2026 में लगभग 635 अरब डॉलर की योजना बनाई है — एक्सेलेरेटर और उच्च-बैंडविड्थ मेमोरी की माँग को आगे बढ़ा रहे हैं।

2. मुख्य भाग — मूल्य शृंखला कैसे बदल रही है — HBM और चिपलेट को सरल शब्दों में समझाइए और दिखाइए कि उन्नत पैकेजिंग मूल्य का स्रोत बन चुकी है। HBM के SK Hynix, Samsung और Micron में केंद्रित होने तथा पुराने खिलाड़ियों के पक्ष में जाने वाले टेक-ऑर-पे अनुबंधों का उल्लेख कीजिए।
3. मुख्य भाग — भारत की स्थिति — सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम और 12 मंजूर परियोजनाओं वाले ISM 1.0 का वर्णन कीजिए, जिसका ज़ोर ATMP/OSAT पर है; आयातित वेफ़र का प्रसंस्करण करने वाली Micron की सापेक्ष इकाई; डिज़ाइन कार्यबल; और DLI योजना। लागत भी गिनाइए: तंग मेमोरी आपूर्ति, ऊँची क्रोमेटे, और ताइवान व कोरिया की ओर पोर्टफ़ोलियो निकासी।
4. मुख्य भाग — ऊपर कैसे बढ़ें — ISM 2.0 के तहत पारंपरिक से उन्नत पैकेजिंग की ओर बदलाव, चिपलेट अनुसंधान एवं विकास, भारतीय स्वामित्व वाली डिज़ाइन बौद्धिक संपदा, धैर्यवान पूँजी (patient capital) के ज़रिए डिज़ाइन स्टार्टअप को देश में बनाए रखना, सामग्री और उपकरणों में कौशल, और भरोसेमंद देशों के साथ साझेदारी का सुझाव दीजिए। किसी उछाल के शिखर पर चक्रीय क्षमता खड़ी करने के प्रति सावधान कीजिए।
5. निष्कर्ष — निष्कर्ष दीजिए कि भारत का लक्ष्य हर खंड में मौजूद रहना नहीं, बल्कि कुछ खंडों — डिज़ाइन और उन्नत पैकेजिंग — में अपरिहार्य बनना होना चाहिए, ताकि अगला चक्र उसे दुर्लभ क्षमता के साथ पाए।

प्रश्न 1. MeitY में ISM 2.0 देख रहे संयुक्त सचिव के रूप में आप एक और पारंपरिक पैकेजिंग संयंत्र को सब्सिडी देने और चिपलेट अनुसंधान को धन देने के बीच कैसे निर्णय करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं यह देखूँगा कि भारत कहाँ केवल मौजूद रहने के बजाय दुर्लभ बन सकता है। पारंपरिक पैकेजिंग क्षमता दुनिया भर में बढ़ रही है और उसमें मार्जिन पतला है, जबकि उन्नत पैकेजिंग और चिपलेट एकीकरण AI चक्र की अड़चनें हैं। मैं किसी भी नए संयंत्र को दी जाने वाली सहायता को उन्नत पैकेजिंग की ओर एक स्पष्ट रोडमैप से जोड़ूँगा, और चिपलेट अनुसंधान को उद्योग व शैक्षणिक संस्थानों के संघों (consortia) के माध्यम से स्पष्ट पड़ावों के साथ धन दूँगा। सार्वजनिक धन से ऐसी क्षमता खरीदी जानी चाहिए जो मौजूदा उछाल के बाद भी टिकी रहे।

प्रश्न 2. आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारी के रूप में आप ताइवान और कोरिया में चिप उछाल से जुड़ी पोर्टफ़ोलियो निकासी पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं ऐसी निकासी को भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता पर फ़ैसले के बजाय क्षेत्र-विशेष के अवसर के संकेत के रूप में देखूँगा। अल्पकालिक पूँजी चक्र के पीछे चलती है, और भारत नियंत्रणों से इसे न रोक सकता है, न उसे रोकना चाहिए। टिकाऊ उत्तर यह है कि स्थिर नीति, तेज़ मंजूरीयों और सूचीबद्ध प्रौद्योगिकी कंपनियों की एक पाइपलाइन के ज़रिए भारत को उन्हीं क्षेत्रों में निवेश-योग्य गंतव्य बनाया जाए। तब तक पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और लचीली विनिमय दर इस अस्थिरता को सोख लेते हैं।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या भारत को उन्नत AI के विकास पर वैश्विक रोक का समर्थन करना चाहिए, जैसी कुछ प्रदर्शनकारी माँग कर रहे हैं?

दृष्टिकोण (Approach): ऐसी रोक का सत्यापन कठिन है और यह मुख्यतः उन्हीं की बढ़त को जमा देगी जो पहले से अग्रिम पंक्ति में हैं, जबकि भारत जैसे देशों को स्वास्थ्य, कृषि और शासन के लिए अब भी AI की ज़रूरत है। साथ ही, गंभीर जोखिमों की चिंताएँ निराधार नहीं हैं और वैज्ञानिक अध्ययन की हकदार हैं — इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का AI पर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल महत्वपूर्ण है। भारत के लिए बेहतर रास्ता है कि वह मॉडलों को परखने की अपनी क्षमता बनाए, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आकलन में भाग ले, और प्रमाण के अनुपात में नियमों का समर्थन करे। शासन ज्ञान के पीछे चलना चाहिए, और भारत को वह ज्ञान पैदा करने में हाथ बँटाना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

8. समाज (Society)

आज की दोनों खबरें इस प्रश्न के बारे में हैं कि राज्य और सार्वजनिक हस्तियाँ किसके प्रति देखभाल की जिम्मेदार हैं, और वह देखभाल किस रूप में होनी चाहिए। तमिलनाडु ने तय किया है कि सुबह 9 बजे भूखा बैठा बच्चा किसी का निजी दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक समस्या है, और सरकार बदलने के बाद भी उसने इस फ़ैसले को कायम रखा है। राष्ट्रपति ने फ़िल्मी सितारों से कहा है कि प्रसिद्धि के साथ उन बच्चों के प्रति कर्तव्य भी आता है जो उनकी नकल करते हैं, और फ़िल्म उद्योग से कहा है कि उसका कर्तव्य उसके अपने सेट पर काम करने वाले श्रमिकों से शुरू होता है। दोनों मामलों में कसौटी घोषणा नहीं, बल्कि यह है कि देखभाल वास्तव में पहुँचती है या नहीं।

8.1 तमिलनाडु ने मुफ्त स्कूली नाश्ता कक्षा 6-8 तक बढ़ाया, दायरा 34.64 लाख बच्चों तक पहुँचा

समाचार (THE NEWS) चेन्नई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ़ विजय ने मंगलवार, 22 सितंबर को राज्य के मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों तक बढ़ा दिया। उन्होंने तिरुवनमियूर के गांधीग्राम स्थित चेन्नई मिडिल स्कूल में विस्तारित पेरुन्तलेवर कामराज नाश्ता योजना (Perunthalaivar Kamarajar Breakfast Scheme) की शुरुआत की, जहाँ वे विद्यार्थियों के साथ बैठकर खाए; इसके बाद मंत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में योजना का उद्घाटन किया। “पेरुन्तलेवर” का अर्थ है “महान नेता”; इसी उपाधि से पूर्व मुख्यमंत्री के. कामराज को याद किया जाता है, जिन्होंने पुराने मद्रास राज्य में मुफ्त स्कूली भोजन का प्रसार किया था। इस विस्तार से लगभग 15.30 लाख बच्चे और 7,537 स्कूल जुड़ते हैं, और इस वित्तीय वर्ष में ₹217.63 करोड़ अतिरिक्त खर्च होंगे। इसके साथ 44,984 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के लगभग 34.64 लाख विद्यार्थियों को नाश्ता मिलेगा, जिसके लिए कुल ₹724 करोड़ का आवंटन है। भोजन-सूची में उपमा, खिचड़ी और पोंगल जैसे मुख्य व्यंजन दाल और सांभर के साथ हैं, और सप्ताह में दो बार मोटे अनाज (मिलेट) से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को “शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल में उपस्थिति और अधिगम” को एक साथ जोड़ने वाली योजना बताया और कहा कि यह “विद्यार्थियों की शैक्षिक यात्रा और सामाजिक प्रगति के लिए बड़ा सहारा” बनेगी। यह कार्यक्रम 2022 से लगातार बढ़ा है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की थी; अब यह कामराज के नाम से जानी जाती है और एक दूसरी सरकार ने इसका विस्तार किया है। इसकी जड़ें 1922 तक जाती हैं, जब चेन्नई (तब मद्रास) निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और जस्टिस पार्टी के नेता पी. त्यागराय चेट्टी ने शहर के चुनिंदा स्कूलों में वंचित बच्चों के लिए भोजन शुरू किया था। नाश्ता राष्ट्रीय व्यवस्था की एक खाली जगह को भरता है। मध्याह्न भोजन योजना की उत्तराधिकारी केंद्र-राज्य योजना PM POSHAN स्कूल समय में एक गर्म पका हुआ भोजन देती है, जो आमतौर पर दोपहर का भोजन होता है; इसलिए गरीब घर का बच्चा पूरी सुबह खाली पेट बैठा रह सकता है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दे, और GS1 में गरीबी तथा सामाजिक सशक्तीकरण।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

जस्टिस पार्टी के नेता पी. त्यागराय चेट्टी 1922 में मद्रास निगम के स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए भोजन शुरू करते हैं → 1950 के दशक में कामराज और 1982 में एम.जी. रामचंद्रन की दोपहर भोजन योजना स्कूली भोजन को तमिलनाडु की परंपरा बना देते हैं → 2001 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पूरे भारत में पके हुए मध्याह्न भोजन को कानूनी हक बना देते हैं → बच्चों के भूखे स्कूल पहुँचने के साक्ष्य के आधार पर तमिलनाडु 2022 में कक्षा 1-5 के लिए नाश्ता जोड़ता है → नई सरकार योजना को जारी रखती है, उसे कामराज का नाम देती है और सितंबर 2026 में कक्षा 6-8 तक बढ़ाती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मध्याह्न भोजन को कानूनी अधिकार बनाता है, पर नाश्ते के बारे में कुछ नहीं कहता — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act – NFSA) की धारा 5(1)(b) स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा VIII तक के, या 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के, हर बच्चे को स्कूली अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन एक मुफ्त मध्याह्न भोजन का हक देती है। अधिनियम की अनुसूची II पोषण मानक तय करती है: प्राथमिक कक्षाओं के लिए 450 किलोकैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 700 किलोकैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। अधिनियम के तहत बने मध्याह्न भोजन नियम, 2015 के अनुसार भोजन न परोसे जाने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता देना होता है। चूँकि हक एक भोजन का है, इसलिए नाश्ता हमेशा राज्य का अतिरिक्त कदम होता है, केंद्रीय कानून के तहत कोई बाध्यता नहीं।
- PM POSHAN वह राष्ट्रीय योजना है जिसके ज़रिए यह अधिकार पहुँचाया जाता है — प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN) योजना को सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) की उत्तराधिकारी के रूप में मंजूरी दी गई; मध्याह्न भोजन योजना 1995 में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई थी। यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक) और कक्षा 1 से 8 के बच्चों को शामिल करती है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी लागत आमतौर पर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में, और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में बँटती है। शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, और राज्य अपने बजट से अंडा, दूध या नाश्ता जैसी चीज़ें जोड़ सकते हैं।
- संविधान और सर्वोच्च न्यायालय ने पोषण को स्कूली शिक्षा से जोड़ा — राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और

	जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, जिसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने लागू किया। PUCI v. Union of India मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 28 नवंबर, 2001 को राज्यों को निर्देश दिया कि वे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन दें। उस आदेश ने 2013 के अधिनियम से वर्षों पहले एक योजना को लागू करवाए जा सकने वाले कर्तव्य में बदल दिया। 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहले ही नाशते की सिफारिश कर चुकी है — राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy – NEP) 2020 मानती है कि भूख या बीमार बच्चे सीख नहीं सकते। वह कहती है कि पौष्टिक नाशते के बाद सुबह के घंटे बौद्धिक रूप से कठिन विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं, और मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त एक सरल लेकिन ऊर्जा देने वाले नाशते की सिफारिश करती है। जहाँ गर्म भोजन संभव न हो, वहाँ वह भूगफली या गुड़ के साथ चना, या स्थानीय फल जैसे सरल पौष्टिक आहार का सुझाव देती है। इसलिए तमिलनाडु की योजना इस बात का उदाहरण है कि एक राज्य उस राष्ट्रीय नीतिगत सिफारिश को लागू कर रहा है जिसके लिए केंद्रीय योजना ने अभी तक धन नहीं दिया है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य-शिक्षा के संबंध पर पूछता है — पाठ्यक्रम में “कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ” और “स्वास्थ्य तथा शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे” स्पष्ट रूप से शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में बार-बार पूछा गया है कि पोषण कार्यक्रम नामांकन, उपस्थिति और अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, और योजनाओं को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। केंद्रीय योजना से आगे जाने वाली राज्य की योजना ऐसे उत्तरों के लिए सशक्त उदाहरण है। 2. प्रारंभिक परीक्षा हकों, मानकों और नोडल मंत्रालयों को परखती है — राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों ने परखा है कि किसे क्या पाने का हक है, और योजनाओं पर प्रश्न नियमित रूप से दायरे और नोडल मंत्रालय के बारे में पूछते हैं। अनुसूची II के कैलोरी और प्रोटीन मानक, PM POSHAN में शामिल कक्षाएँ और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का वर्ष ठीक ऐसे ब्योरे हैं जो पूछे जाते हैं। 3. कुपोषण के आँकड़े GS1 और GS2 का स्थायी विषय हैं — राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) में पाँच वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे टिगने (stunted) और 6-59 महीने के 67.1% बच्चे रक्ताल्पता (anaemia) से ग्रस्त पाए गए। भूख, मानव पूँजी या जनसांख्यिकीय लाभांश पर किसी भी उत्तर में इन आँकड़ों की ज़रूरत होती है, और स्कूली भोजन उन गिने-चुने हस्तक्षेपों में है जो हर कार्य-दिवस पर बच्चों तक पहुँचते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 5(1)(b) के तहत कक्षा VIII तक का या 6 से 14 वर्ष आयु का हर बच्चा स्कूली अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन एक मुफ्त मध्याह्न भोजन का हकदार है। ● राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची II प्राथमिक कक्षाओं के लिए 450 किलोकैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 700 किलोकैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित करती है। ● 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेने वाली PM POSHAN सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक) और कक्षा 1 से 8 के बच्चों को शामिल करती है; शिक्षा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ● PUCI v. Union of India मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2001 में सभी राज्यों को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन देने का निर्देश दिया। ● संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने। ● राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त एक सरल, ऊर्जा देने वाले नाशते की सिफारिश करती है। ● 1922 में जस्टिस पार्टी के नेता और मद्रास निगम के अध्यक्ष पी. त्यागराय चेट्टी ने शहर के चुनिंदा स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए भोजन शुरू किया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. नाशता उस भूख तक पहुँचता है जिसे मिटाने में दोपहर का भोजन बहुत देर से आता है — मध्याह्न भोजन तब आता है जब स्कूल का आधा दिन बीत चुका होता है। जिन घरों में माता-पिता दिहाड़ी काम के लिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं, वहाँ के बच्चे अक्सर बिना खाए स्कूल आते हैं, और पहले पीरियड में भूखा बैठा बच्चा कुछ नहीं सीखता, शिक्षक चाहे जो करे। NEP

स्वयं कहती है कि कठिन विषयों के लिए सुबह के घंटे सबसे उपयोगी होते हैं, इसलिए नाश्ता ठीक उन्हीं घंटों को लक्ष्य करता है जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। ईमानदार सावधानी यह है कि राज्य ने उपस्थिति और अधिगम के बारे में दावे प्रकाशित किए हैं, कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं। तमिलनाडु को अभी एक मूल्यांकन करवाना चाहिए, इससे पहले कि विस्तारित योजना इतनी बड़ी हो जाए कि उस पर प्रश्न उठाना कठिन हो।

2. **कक्षा 6-8 को जोड़ना उस उम्र को लक्ष्य करता है जब रक्ताल्पता और पढ़ाई छोड़ने का जोखिम दोनों बढ़ते हैं** — कक्षा 6 से 8 में लगभग 11 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं — किशोरावस्था की शुरुआत, जब वृद्धि तेज़ होती है और लड़कियों में आयर्न की ज़रूरत बढ़ जाती है। यही वह चरण भी है जब प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्कूल में जाते समय बहुत से बच्चे, खासकर लड़कियाँ और पहली पीढ़ी के विद्यार्थी, पढ़ाई छोड़ देते हैं। रोज़ का भोजन स्कूल आने का एक छोटा पर स्थिर कारण बनता है। पर किशोरों को कैलोरी से अधिक आयर्न और प्रोटीन चाहिए, और उपमा, खिचड़ी और पोंगल वाली भोजन-सूची कार्बोहाइड्रेट-प्रधान है। योजना को साप्ताहिक आयर्न और फ़ोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम तथा एनीमिया मुक्त भारत के तहत रक्ताल्पता जाँच से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वह उसी समस्या का इलाज करे जिसे हल करने का वह दावा करती है।
3. **हिसाब बताता है कि नाश्ता बजट के सबसे सस्ते हस्तक्षेपों में से एक है** — लगभग 34.64 लाख बच्चों के लिए ₹724 करोड़ का अर्थ है प्रति बच्चा प्रति वर्ष लगभग ₹2,090। लगभग 220 स्कूली दिन मानें तो यह प्रति भोजन ₹10 से कम बैठता है; यह हमारी अपनी गणना है, सरकारी आँकड़ा नहीं। इस कीमत पर राज्य को अपने सरकारी स्कूलों के हर बच्चे से रोज़ का एक संपर्क-बिंदु मिलता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य जाँच और उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए भी हो सकता है। प्रतिपक्ष यह है कि भारी उधार लेने वाले राज्य में कल्याण पर खर्च होने वाला हर रुपया पूँजीगत व्यय और शिक्षक भर्ती से होड़ करता है। उत्तर यह है कि पोषण स्वयं मानव पूँजी में निवेश है, बशर्ते उसके परिणाम मापे जाएँ।
4. **सरकारें बदलने पर भी निरंतरता तमिलनाडु की असली सीख है** — यह योजना 2022 में एक DMK सरकार ने शुरू की थी और अब एक नए मुख्यमंत्री ने इसका विस्तार किया है, जिन्होंने इसका नाम कामराज के नाम पर रख दिया है। नाम बदलना राजनीतिक ब्रांडिंग है, पर नीति स्वयं बची रही है, जो ऐसे देश में असामान्य है जहाँ नई सरकारें अक्सर पिछली सरकारों की योजनाएँ धीरे-धीरे बंद कर देती हैं। 1922 की जस्टिस पार्टी से कामराज तक, फिर एम.जी. रामचंद्रन की दोपहर भोजन योजना तक और अब नाश्ते तक की रेखा दिखाती है कि तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को खिलाना किसी एक दल का वादा नहीं, बल्कि एक स्थापित सार्वजनिक प्रतिबद्धता बन चुका है। जोखिम प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद (competitive welfarism) का है, जिसमें हर सरकार एक नई योजना जोड़ती है, पर कोई पुरानी योजनाओं का ऑडिट नहीं करती।
5. **साथ बैठकर खाया गया स्कूली भोजन सामाजिक समानता का पाठ भी है** — जब हर जाति और समुदाय के बच्चे एक ही रसोई में पका, एक ही पंक्ति में परोसा गया एक जैसा भोजन करते हैं, तो स्कूल वह सिखाता है जो कोई पाठ्यपुस्तक नहीं सिखा सकती। भारत में स्कूली भोजन ने ऐतिहासिक रूप से जातिगत बहिष्कार की प्रथाओं को चुनौती दी है, और अलग-अलग राज्यों से दलित समुदायों के रसोइयों पर आपत्तियों की खबरें दिखाती हैं कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। नाश्ता योजना ऐसे साझा भोजन की संख्या दोगुनी कर देती है। इसलिए प्रशासकों को बराबरी से बैठाने, सभी समुदायों से रसोइयों की भर्ती और किसी भी भेदभाव पर त्वरित कार्रवाई को योजना का हिस्सा मानना चाहिए, कोई अलग विषय नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“सुबह की भूख अधिगम की एक अदृश्य बाधा है।” तमिलनाडु द्वारा अपनी स्कूली नाश्ता योजना को कक्षा 6 से 8 तक बढ़ाए जाने के आलोक में, पूरे भारत में PM POSHAN में नाश्ता जोड़ने के पक्ष में तर्कों का परीक्षण कीजिए। कौन-से संरचनात्मक सुरक्षा उपाय ऐसी योजना को प्रभावी बनाएंगे? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — खबर से शुरुआत कीजिए: 22 सितंबर, 2026 को तमिलनाडु ने पेरुतलैवर कामराज नाश्ता योजना को कक्षा 6-8 तक बढ़ाया, जिससे ₹724 करोड़ की लागत पर 44,984 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 34.64 लाख बच्चे शामिल होते हैं। बताइए कि NFSA और PM POSHAN केवल एक मध्याह्न भोजन की गारंटी देते हैं।
2. **मुख्य भाग** — **नाश्ते के पक्ष में तर्क** — नाश्ते पर NEP 2020 की सिफ़ारिश, टिगनेपन (35.5%) और रक्ताल्पता (6-59 महीने के बच्चों में 67.1%) पर NFHS-5 के आँकड़े, अधिगम के लिए सुबह के घंटों की उपयोगिता, और रोज़ के भोजन तथा उपस्थिति के संबंध का उपयोग कीजिए, खासकर उच्च प्राथमिक स्तर पर जहाँ से पढ़ाई छोड़ना शुरू होता है। अनुच्छेद 47 और PUCL मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2001 के आदेश का उल्लेख कीजिए।
3. **मुख्य भाग** — **चिंताएँ** — लागत और राजकोषीय गुंजाइश, स्कूलों और रसोइयों पर बोझ, खाद्य सुरक्षा के जोखिम, स्वतंत्र मूल्यांकन का अभाव, और यह खतरा कि भोजन शिक्षण की गुणवत्ता

सुधारने का विकल्प बन जाए — इन सब पर चर्चा की जाए। संघीय लागत-साझेदारी का उल्लेख की जाए: राष्ट्रीय नाशता योजना के लिए 60:40 फॉर्मूले के तहत नए धन की ज़रूरत होगी।

4. **मुख्य भाग — संरचनात्मक सुरक्षा उपाय** — प्रोटीन और आयरन से भरपूर भोजन-सूची, रक्ताल्पता जाँच और आयरन अनुपूरकों से जुड़ाव, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समितियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (social audit), रसोई की स्वच्छता के मानक और जाँच, मोटे अनाज सहित स्थानीय खरीद, तथा केवल परोसे गए भोजन के बजाय उपस्थिति और अधिगम के परिणामों पर नज़र रखने का सुझाव दी जाए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दी जाए कि नाशता मानव पूँजी में कम लागत और ऊँचे प्रतिफल वाला निवेश है, और सरकार बदलने पर भी तमिलनाडु की निरंतरता दिखाती है कि यदि इसे मापा और सुधारा जाए तो यह एक स्थापित सार्वजनिक प्रतिबद्धता बन सकता है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

प्रश्न 1. आप विस्तारित नाशता योजना लागू कर रहे ज़िला कलेक्टर हैं। पहले महीने में यह ठीक चले, यह आप कैसे सुनिश्चित करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): सबसे पहले मैं जाँच करूँगा कि नए जोड़े गए सभी उच्च प्राथमिक स्कूलों में रसोई, बर्तन, प्रशिक्षित रसोइये और साफ़ पानी की आपूर्ति है, और कमियों को शिकायतें आने के बाद नहीं, शुरुआत से पहले दूर करूँगा। मैं प्रखंड-स्तरीय अधिकारियों को नाशते के समय औचक निरीक्षण के लिए नियुक्त करूँगा और योजना से पहले तथा बाद की उपस्थिति दर्ज करवाऊँगा। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन समितियों से भोजन चखने और हेल्पलाइन पर समस्याएँ बताने को कहा जाएगा। शिकायतों, भोजन की गुणवत्ता और उपस्थिति की साप्ताहिक समीक्षा से मुझे पता चलेगा कि कहाँ कार्रवाई करनी है।

प्रश्न 2. एक स्कूल में भोजन विषाक्तता (food poisoning) की घटना होती है, और मीडिया माँग करता है कि पूरे प्रखंड में योजना रोक दी जाए। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं बच्चों के लिए तुरंत चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करूँगा और अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करूँगा। मैं भोजन के नमूनों की जाँच का आदेश दूँगा, जाँच पूरी होने तक संबंधित रसोई या आपूर्तिकर्ता को निलंबित करूँगा, और लापरवाही मिलने पर ज़िम्मेदारी तय करूँगा। पूरे प्रखंड में योजना रोकना एक विफलता की सज़ा हज़ारों बच्चों को देना होगा, इसलिए इसके बजाय मैं एक सप्ताह के भीतर प्रखंड की हर रसोई के स्वच्छता निरीक्षण का आदेश दूँगा। भरोसा बहाल करने के लिए मैं निष्कर्ष सार्वजनिक करूँगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: मुफ्त स्कूली नाशता कल्याण की आवश्यकता है या 'मुफ्त की रेवड़ी'?

दृष्टिकोण (Approach): 'मुफ्त की रेवड़ी' आमतौर पर बिना किसी स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य वाला हस्तांतरण होती है, जबकि स्कूली नाशता निर्धारित लक्ष्यों — पोषण, उपस्थिति और अधिगम — की पूर्ति करता है। इसके पीछे NEP 2020 की सिफारिश और अनुच्छेद 47 के तहत संवैधानिक कर्तव्य दोनों हैं। फिर भी इसका मूल्य मान लिया नहीं जाना चाहिए, आँकड़ों से सिद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इसे मानव पूँजी में एक वैध निवेश कहूँगा, बशर्तें इसका मूल्यांकन हो और इसकी भोजन-सूची सचमुच रक्ताल्पता और टिगनेपेन से निपटे।

8.2 राष्ट्रपति मुर्मू की फ़िल्मी सितारों से अपील: हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करें, फ़िल्म श्रमिकों को मिले सामाजिक सुरक्षा

समाचार (THE NEWS) एकता नगर (केवडिया), नर्मदा ज़िला, गुजरात। द हिंदू में PTI की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार, 22 सितंबर को स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी के पास वर्ष 2024 के 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रदान करते हुए लोकप्रिय फ़िल्म कलाकारों से आग्रह किया कि वे लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का प्रचार (endorse) न करें। उन्होंने कहा, “जब सफल कलाकार अनुशासित जीवनशैली के लाभों की बात करते हैं, तो लाखों बच्चे और युवा उनका अनुसरण करते हैं। मैं लोकप्रिय कलाकारों से आग्रह करती हूँ कि वे लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करें। सच्चा सितारा वही है जो प्रकाश फैलाए, अंधकार नहीं।” किसी उत्पाद का प्रचार करने (endorse) का अर्थ है विज्ञापन में आकर उस उत्पाद को अपना नाम और चेहरा देना। रिपोर्ट यह नहीं बताती कि राष्ट्रपति के मन में कौन-से उत्पाद थे। राष्ट्रपति ने फ़िल्म उद्योग से यह भी कहा कि वह उन श्रमिकों, छोटे कलाकारों, सहायकों और अन्य लोगों के लिए सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करें जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हुए रचनात्मक अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले समारोह में उन्होंने उद्योग से आग्रह किया था कि वह हर कू सदस्य के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को अपनी कार्य-संस्कृति का हिस्सा बनाए, और जोड़ा, “मुझे आशा है कि आप इन अनुरोधों पर ध्यान दे रहे हैं।” इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने निर्णायक मंडलों (juries) में महिलाओं की अधिक भागीदारी की माँग की, यह कहते हुए कि पुरस्कार पाने वालों में कई महिलाएँ थीं और “जब महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होता है, तभी पूरी मानवता के लिए एक दृष्टि बनती है।” यह पहली बार था जब समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विचार G20 के मॉडल पर आधारित है, जिसकी बैठक विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुई थी, और उन्होंने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को भविष्य के समारोहों के लिए पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने का निमंत्रण दिया। कन्नड अभिनेता अनंत नाग को सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला। आदित्य सुहास जांभले द्वारा निर्देशित

Article 370 ने सर्वश्रेष्ठ फ्रीचर फ़िल्म का पुरस्कार जीता, और इसी फ़िल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मम्मूटी (ब्रामायुगम, यह उनकी रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली चौथी जीत है, जो उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर खड़ा करती है) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैपियन, जिसमें उन्होंने पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुक्तीकांत पटकर की भूमिका निभाई) ने साझा किया। झारखंड के रवि राज मुमु द्वारा निर्देशित Angen (अदृश्य) पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली फ़िल्म बनी; स्वयं संथाल समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति ने कहा कि इससे “सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समावेशिता” को बल मिला है। भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर-फ्रीचर फ़िल्म और रामनामी ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार जीता। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS2 में स्वास्थ्य और उपभोक्ता संरक्षण, GS1 में मीडिया और संस्कृति की भूमिका, तथा GS4 में सामाजिक प्रभाव और अनुनयन।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फ़िल्मी सितारों का युवा प्रशंसकों पर भारी प्रभाव होता है → कंपनियाँ सितारों को उत्पादों के प्रचार के लिए पैसे देती हैं, जिनमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद भी शामिल हैं, अक्सर छद्म विज्ञापनों के जरिए → कानून COTPA 2003, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत प्रचारक की जवाबदेही और छद्म विज्ञापनों पर रोक लगाने वाले CCPA के 2022 के दिशानिर्देशों के साथ जवाब देता है → प्रवर्तन कमजोर बना रहता है और प्रचार शुल्क बढ़े बने रहते हैं → राष्ट्रपति 22 सितंबर, 2026 को 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों के मंच से सितारों की अंतरात्मा से अपील करती है, और उद्योग से अपने ही अनौपचारिक श्रमिकों की रक्षा करने को कहती है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों
पसंद है (WHY UPSC LOVES
THIS — TREND)

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचारकों को जवाबदेह बनाता है — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act) की धारा 2(28) भ्रामक विज्ञापन को परिभाषित करती है, और धारा 10 झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के विनियमन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority – CCPA) की स्थापना करती है। धारा 21 के तहत CCPA किसी निर्माता या प्रचारक (endorser) पर ₹10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है, जो बाद के उल्लंघन पर ₹50 लाख तक हो सकता है। वह किसी प्रचारक को एक वर्ष तक, और दोबारा उल्लंघन पर तीन वर्ष तक, किसी भी उत्पाद का प्रचार करने से रोक भी सकता है। प्रचारक दायित्व से तभी बचता है जब उसने विज्ञापन में किए गए दावों की पुष्टि के लिए सम्यक तत्परता (due diligence) बरती हो।
2. छद्म विज्ञापन पर दिशानिर्देशों से रोक है, और तंबाकू विज्ञापन पर कानून से — छद्म विज्ञापन (surrogate advertising) का अर्थ है ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करना जिसके सीधे विज्ञापन पर रोक है, जैसे तंबाकू या शराब, और इसके लिए उसी ब्रांड नाम का उपयोग किसी दूसरे उत्पाद, जैसे माउथ फ्रेशनर, सोडा या म्यूज़िक CD, पर करना। CCPA के भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के प्रचार संबंधी दिशानिर्देश, 2022 छद्म विज्ञापन पर रोक लगाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि कोई भी प्रचार उत्पाद के बारे में पर्याप्त जानकारी या अनुभव पर आधारित प्रचारक की वास्तविक राय को दर्शाए। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 की धारा 5 तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती है। केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के तहत विज्ञापन संहिता भी टेलीविज़न पर सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और शराब के विज्ञापनों पर रोक लगाती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सेलिब्रिटी जिस चीज़ का प्रचार करते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी में वे भी साझेदार हैं — स्वास्थ्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े Indian Medical Association v. Union of India मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2024 में कहा कि झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेंसियाँ और प्रचारक समान रूप से ज़िम्मेदार हैं। न्यायालय ने कहा कि सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर को ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि जनता उन पर भरोसा करती है। उसने यह निर्देश भी दिया कि किसी विज्ञापन के प्रकाशन या प्रसारण से पहले विज्ञापनदाता स्व-घोषणा (self-declaration) प्रस्तुत करें। इससे अलग, औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act) निर्दिष्ट रोगों को ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाता है।
4. फ़िल्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा अब श्रम संहिताओं पर टिकी है — सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security) ने सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 सहित नौ केंद्रीय कानूनों को अपने में समाहित किया, और पहली बार असंगठित श्रमिकों के साथ-साथ गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को परिभाषित किया। यह केंद्र और राज्यों को इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ बनाने की अनुमति देती है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020 ने सिने-कर्मकार और सिनेमा थिएटर कर्मकार (नियोजन विनियमन) अधिनियम, 1981 को समाहित किया। चारों श्रम संहिताएँ नवंबर 2025 में लागू की गईं, और 2021 में शुरू किया गया ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण का राष्ट्रीय डेटाबेस है।

1. GS4 सीधे सामाजिक प्रभाव और अनुनयन को शामिल करता है — GS4 के पाठ्यक्रम में अभिवृत्ति के अंतर्गत “सामाजिक प्रभाव और अनुनयन” तथा “मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका” शामिल हैं। हानिकारक उत्पादों का प्रचार करने वाली सार्वजनिक हस्तियों पर केस स्टडी यहाँ स्वाभाविक रूप से फिट बैठती है, और राष्ट्रपति

का वाक्य “सच्चा सितारा प्रकाश फैलाता है, अंधकार नहीं” आदर्श व्यक्तित्व (role model) और ज़िम्मेदारी पर उत्तर में उद्धृत किया जा सकता है।

2. **उपभोक्ता संरक्षण और भ्रामक विज्ञापन प्रारंभिक परीक्षा के उभरते विषय हैं — CCPA,** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और भ्रामक विज्ञापनों पर सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के निर्देश हाल के, स्पष्ट रूप से परिभाषित और परखे जा सकने वाले विषय हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसे दंडित किया जा सकता है, अधिकतम दंड क्या है और विज्ञापनों का विनियमन कौन-सी संस्था करती है।
3. **रचनात्मक अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक कार्य GS1 और GS3 को जोड़ते हैं —** फ़िल्म सेट स्पॉट बॉय से लेकर जूनियर कलाकारों तक दिहाड़ी और अनुबंध श्रमिकों पर निर्भर होते हैं। अनौपचारिकीकरण, गिग कार्य और सामाजिक सुरक्षा पर प्रश्नों में फ़िल्म उद्योग को ऐसे चमक-दमक वाले क्षेत्र के उदाहरण के रूप में लिखा जा सकता है जो असुरक्षित श्रम पर खड़ा है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 21 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन के प्रचारक पर ₹10 लाख तक, और बाद के उल्लंघन पर ₹50 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।
- CCPA किसी भ्रामक विज्ञापन के प्रचारक को एक वर्ष तक किसी भी प्रचार से रोक सकता है, जिसे बाद के उल्लंघन पर तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA के 2022 के दिशानिर्देश छद्म विज्ञापन पर रोक लगाते हैं, अर्थात् ऐसे उत्पाद का विज्ञापन जिसके विज्ञापन पर रोक है, उसके ब्रांड नाम को किसी दूसरे उत्पाद पर इस्तेमाल करे।
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा 5 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती है।
- 1969 में स्थापित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है; इसकी पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थीं।
- संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, मैथिली और डोगरी के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया; यह ओल चिकी लिपि में लिखी जाती है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने सिने-कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 को समाहित किया है और यह गिग श्रमिकों तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. **कानून पहले से प्रचारकों तक पहुँचता है; कमी प्रवर्तन और दंड के आकार की है —** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, 2022 के दिशानिर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के निर्देश पहले ही प्रचारक को भ्रामक या छद्म विज्ञापन के लिए जवाबदेह बनाते हैं। फिर भी फ़िल्म और खेल सितारों वाले पान मसाला और तथाकथित माउथ फ्रेशनर के छद्म विज्ञापन टेलीविजन पर और खेल आयोजनों में आम बने हुए हैं। करोड़ों में चलने वाले प्रचार शुल्क के सामने ₹10 लाख का अधिकतम जुर्माना बहुत छोटा है, और प्रचार पर एक वर्ष की रोक शायद ही कभी किसी बड़े सितारे पर लगाई गई है। इसलिए राष्ट्रपति की अंतरात्मा से अपील आंशिक रूप से यह स्वीकारोक्ति भी है कि कानून, जिस रूप में लागू हुआ है, व्यवहार नहीं बदल पाया।
2. **“हानिकारक” एक स्पेक्ट्रम है, इसीलिए सीमांत मामलों में अंतरात्मा को ही काम करना होगा —** तंबाकू स्पष्ट रूप से हानिकारक है और उसके विज्ञापन पर कानून से रोक है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (Promotion and Regulation of Online Gaming Act) द्वारा असली पैसे वाले ऑनलाइन खेलों पर उनके विज्ञापनों सहित रोक लगाई गई। पर मीठे पेय, अति-प्रसंस्कृत (ultra-processed) स्नेक्स और कुछ “स्वास्थ्य” अनुपूरक वैध उत्पाद हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने Tata Press v. MTNL (1995) में माना था कि वाणिज्यिक अभिव्यक्ति (commercial speech) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है। राज्य किसी अस्वास्थ्यकर पर वैध उत्पाद के हर प्रचार पर रोक नहीं लगा सकता। उस दूसरे क्षेत्र में प्रचारक का अपना विवेक ही एकमात्र वास्तविक छलनी है, और राष्ट्रपति ने अपनी अपील ठीक वहीं रखी।
3. **बच्चों पर सितारे का प्रभाव असमान है, इसलिए उसका कर्तव्य भी भारी है —** राष्ट्रपति ने ध्यान दिलाया कि लाखों बच्चे और युवा सफल कलाकारों की नकल करते हैं। बच्चे आसानी से पैसे लेकर किए गए विज्ञापन और सच्ची सिफ़ारिश में अंतर नहीं कर पाते, और वे पर्दे पर सितारे द्वारा निभाए गए पात्रों पर भरोसा करते हैं। इसीलिए उपभोक्ता मामले विभाग के सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर्स के लिए 2023 के दिशानिर्देश भूगतान वाले प्रचार का स्पष्ट प्रकटीकरण अनिवार्य करते हैं। जो अभिनेता पर्दे पर एक अनुशासित खिलाड़ी की भूमिका निभाता है और पर्दे के बाहर हानिकारक उत्पाद बेचता है, वह उस भरोसे को भुना रहा है जो दर्शकों ने उसे किसी और कारण से दिया था। प्रतिपक्ष यह है कि वयस्क चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, पर जहाँ दर्शक बच्चे हों,

वहाँ यह तर्क सबसे कमज़ोर पड़ता है।

4. **सामाजिक सुरक्षा की अपील भाषण का अधिक महत्वपूर्ण आधा हिस्सा है** — फ़िल्म सेट दिहाड़ी श्रम पर चलते हैं: लाइट मैन, जूनियर कलाकार, स्टंट कलाकार, सहायक और स्पॉट बॉय, जिनमें से कई के पास न लिखित अनुबंध हैं, न स्वास्थ्य बीमा, न पेंशन। राष्ट्रपति द्वारा अपनी पिछली अपील को दोहराना, और उनका यह वाक्य कि “मुझे आशा है कि आप ध्यान दे रहे हैं”, संकेत देता है कि पिछले समारोह के बाद से बहुत कम बदला है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ऐसे श्रमिकों के लिए योजनाएँ संभव बनाती है, पर दायरा ई-श्रम पर पंजीकरण और निर्माताओं तथा प्लेटफ़ॉर्मों के वास्तविक अंशदान पर निर्भर करता है। उद्योग राज्य के कदम उठाने की प्रतीक्षा करने के बजाय प्रोडक्शन अनुबंधों में बीमा और न्यूनतम सुरक्षा शर्तें लिखकर नेतृत्व कर सकता है।
5. **पुरस्कारों को दिल्ली से बाहर ले जाना और एक संथाली फ़िल्म को सम्मानित करना संस्कृति को संघीय और समावेशी रूप में दिखाता है** — पहली बार समारोह दिल्ली से बाहर आयोजित करना, और G20 के मॉडल पर राज्यों को पर्यटन स्थलों के साथ दावेदारी के लिए आमंत्रित करना, एक राष्ट्रीय पुरस्कार को पूरे देश में ध्यान फैलाने का ज़रिया बना देता है। किसी संथाली फ़िल्म, Angen, को पहला पुरस्कार उस भाषा को मान्यता देता है जिसे आठवीं अनुसूची में केवल 2003 में जोड़ा गया। निर्णायक मंडलों में अधिक महिलाओं की राष्ट्रपति की माँग भी इसी तर्क पर चलती है: निर्णय कौन करता है, इसी से तय होता है कि किसे मान्यता मिलती है। जोखिम यह है कि समारोह एक पर्यटन आयोजन बनकर सिनेमा से अपना ध्यान खो दे, इसलिए निर्णायक मंडल की स्वतंत्रता और चयन की गुणवत्ता प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“सेलिब्रिटी प्रभाव तो रखते हैं, पर उसके अनुरूप जवाबदेही नहीं।” 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों में राष्ट्रपति की अपील के संदर्भ में, उत्पादों का प्रचार करने वाली सार्वजनिक हस्तियों के कानूनी और नैतिक दायित्वों की चर्चा कीजिए। कानून और स्व-विनियमन मिलकर इस अंतर को कैसे पाट सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. **भूमिका** — 22 सितंबर, 2026 को एकता नगर में राष्ट्रपति की अपील उद्धृत कीजिए: लोकप्रिय कलाकारों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि “सच्चा सितारा प्रकाश फैलाता है, अंधकार नहीं”, और लाखों बच्चे तथा युवा उनकी नकल करते हैं।
2. **मुख्य भाग — कानूनी ढाँचा** — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 21 के तहत प्रचारक की जवाबदेही (₹10 लाख और ₹50 लाख के जुर्माने, एक और तीन वर्ष की प्रचार-रोक, सम्यक तत्परता का बचाव), CCPA द्वारा 2022 में छद्म विज्ञापन पर रोक, COTPA, 2003 की धारा 5, और सर्वोच्च न्यायालय का 2024 का यह कथन समझाइए कि प्रचारक समान रूप से ज़िम्मेदार हैं।
3. **मुख्य भाग — नैतिक आयाम** — बच्चों पर प्रभाव, पर्दे की छवि और भुगतान वाले प्रचार के बीच का अंतर, सार्वजनिक हित के रूप में भरोसा, और Tata Press (1995) में वाणिज्यिक अभिव्यक्ति के संरक्षण को देखते हुए वैध पर अस्वास्थ्यकर उत्पादों के मामले में कानून की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। सत्यनिष्ठा, आदर्श प्रस्तुत करने और प्रभाव के अनुपात में ज़िम्मेदारी जैसे विचारों का उपयोग कीजिए।
4. **मुख्य भाग — अंतर को पाटना** — CCPA द्वारा सख्त प्रवर्तन, प्रचार शुल्क से जुड़े ऊँचे जुर्माने, खेल आयोजनों में छद्म विज्ञापनों की कड़ी निगरानी, इन्फ्लुएंसरों के लिए प्रकटीकरण नियम, स्व-विनियामक निकायों के माध्यम से उद्योग संहिताएँ, और सितारों द्वारा स्वेच्छा से हानिकारक प्रचार से इनकार का सुझाव दीजिए। उद्योग की व्यापक ज़िम्मेदारी के हिस्से के रूप में फ़िल्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति की अपील को भी जोड़िए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि कानून धोखे को दंडित कर सकता है, पर वैध नुकसान के प्रचार को केवल अंतरात्मा रोक सकती है, इसलिए दोनों को साथ काम करना होगा; सितारे का प्रभाव केवल निजी संपत्ति नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक न्यास (public trust) है।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं
दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में आपको शिकायत मिलती है कि एक प्रमुख अभिनेता एक तंबाकू उत्पाद से जुड़े पान मसाला ब्रांड के छद्म विज्ञापन में दिख रहा है। आप क्या करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं जाँच करूँगा कि क्या विज्ञापन में किसी तंबाकू उत्पाद के साथ साझा ब्रांड नाम का उपयोग हुआ है, और क्या यह 2022 के दिशानिर्देशों के तहत छद्म विज्ञापन तथा COTPA की धारा 5 के तहत अप्रत्यक्ष विज्ञापन की श्रेणी में आता है। मैं निर्माता, विज्ञापन एजेंसी और प्रचारक को नोटिस जारी करूँगा और हर एक को सुनवाई का अवसर दूँगा। उल्लंघन सिद्ध होने पर मैं विज्ञापन वापस लेने का आदेश दूँगा और जुर्माना लगाऊँगा, जिसमें उचित होने पर प्रचार पर रोक भी शामिल होगी। आदेश को सार्वजनिक करना स्वयं जुर्माने से अधिक सशक्त

संदेश देगा।

प्रश्न 2. आप बड़े फ़िल्म उद्योग वाले राज्य में श्रम आयुक्त हैं। फ़िल्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति की अपील पर आप कैसे कार्य करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं निर्माताओं के संगठनों और श्रमिक संघों के साथ मिलकर स्टूडियो और शूटिंग स्थलों पर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अभियान से शुरुआत करूँगा। मैं यह मानचित्रण करूँगा कि किन श्रमिकों के पास स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना कवर नहीं है, और उन्हें मौजूदा योजनाओं से जोड़ूँगा। मैं प्रस्ताव रखूँगा कि राज्य की फ़िल्म सब्सिडी और शूटिंग की अनुमति के लिए निर्माताओं द्वारा अपने कर्मियों का बीमा कराना अनिवार्य हो। सेटों, विशेषकर स्टंट और बिजली के काम का नियमित सुरक्षा निरीक्षण इस प्रयास को पूरा करेगा।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या सरकार को सेलिब्रिटी द्वारा जंक फूड के प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक कठिनाई का सामना करेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक अभिव्यक्ति को वाक् स्वातंत्र्य का हिस्सा माना है, और जंक फूड एक वैध उत्पाद है। बेहतर तरीका है बच्चों को लक्ष्य करने वाले विज्ञापनों को सीमित करना, स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनियाँ अनिवार्य करना और भ्रामक दावों से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करना। साथ ही मैं स्व-विनियमन और जन-दबाव को प्रोत्साहित करूँगा, जो अक्सर कानून से अधिक तेज़ी से सेलिब्रिटी का व्यवहार बदलते हैं। उद्देश्य वयस्कों की सूचना तक पहुँच पर रोक लगाए बिना बच्चों की रक्षा करना है।

9. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

दोनों खबरें दिखाती हैं कि भारत का सुरक्षा तंत्र उस पैमाने को बदलने की कोशिश कर रहा है जिससे वह खुद को मापता है। वायु सेना कहती है कि वह तरंग शक्ति की मेज़बानी यह दिखाने के लिए नहीं करती कि उसे क्या आता है, बल्कि यह पता लगाने के लिए करती है कि उसे क्या नहीं आता; और गृह मंत्री मादक पदार्थ-रोधी प्रमुखों से कहते हैं कि वे ज़ब्त और बैठकों के बजाय ध्वस्त किए गए नेटवर्क और दोषसिद्धियाँ गिनें। दोनों ही मामलों में यह सही सोच है। कसौटी यह है कि क्या ये नए पैमाने उन संस्थाओं के संपर्क में आकर टिके रह पाते हैं जिन्हें लंबे समय से पुराने पैमानों के लिए ही पुरस्कृत किया जाता रहा है।

9.1 IAF का तरंग शक्ति-26: अमेरिकी F-35 समेत आठ वायु सेनाएँ और 32 पर्यवेक्षक देश जोधपुर में

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली और जोधपुर (राजस्थान)। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायु सेना (IAF) अपने अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, तरंग शक्ति-26, के दूसरे संस्करण की मेज़बानी 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक वायु सेना स्टेशन, जोधपुर और आसपास के वायु ठिकानों पर करेगी। आठ सेनाएँ उड़ान भरेंगी: भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)। बर्तिस देश पर्यवेक्षक के रूप में आएँगे, जिससे कुल संख्या लगभग 40 हो जाएगी, और लगभग 10 वायु सेना प्रमुखों या उनके समकक्षों के शामिल होने की संभावना है। विदेशी विमानों में अमेरिका का F-35, फ्रांस का राफ़ेल, UAE का F-16 और बांग्लादेश का C-130J परिवहन विमान शामिल हैं, इसके अलावा अन्य हवाई साधन भी होंगे; भारत राफ़ेल, मिराज-2000, जगुआर, तेजस, मिग-29 और Su-30 MKI उतारेगा। पहला संस्करण अगस्त-सितंबर 2024 में दो चरणों में हुआ था, जिसमें 11 देशों ने अपने हवाई साधनों के साथ भाग लिया था। मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि तरंग शक्ति ने विदेशी वायु सेनाओं से मुख्य रूप से द्विपक्षीय अभ्यासों के ज़रिए जुड़ने के IAF के पहले के तरीके को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि पहला संस्करण एक साथ कई वायु सेनाओं के साथ योजना बनाने, संचालन करने और एकीकृत होने की दिशा में एक अहम बदलाव था, और “तरंग शक्ति-26 अगला तार्किक कदम है”। अभ्यास का उद्देश्य आधुनिक हवा-से-हवा और सतह-से-हवा हथियारों के विरुद्ध सामरिक प्रयोग के दर्शन का विश्लेषण करना, अंतर-संचालनीयता (interoperability), यानी अलग-अलग सेनाओं की संगत प्रक्रियाओं के साथ मिलकर काम करने की क्षमता, बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना है। इसमें दृश्य सीमा से परे (BVR) और दृश्य सीमा के भीतर युद्ध मिशन, हवाई परिवहन अभियान, गतिशील लक्ष्य-निर्धारण (dynamic targeting, यानी पहले से तय लक्ष्यों के बजाय मिशन के दौरान उभरने वाले लक्ष्यों पर प्रहार), हवा में ईंधन भरना, और युद्धक खोज एवं बचाव, यानी शत्रु क्षेत्र में गिराए गए विमान-चालकों को वापस लाना, शामिल होंगे। एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि हाल के संघर्षों ने सटीकता, एकीकृत वायु रक्षा, मानवरहित प्रणालियों, सूचना-प्रभुत्व, अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं और बहु-क्षेत्रीय (multi-domain) अभियानों में इन्हें जोड़ने की क्षमता के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे लिए इनमें से कई सच्चाइयों को और पुष्टा किया है,” और खुफ़िया-आधारित अभियानों, सटीकता, एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा, काउंटर-UAS (मानवरहित हवाई प्रणालियों यानी ड्रोनों का मुकाबला) और सभी क्षेत्रों में संयुक्तता (jointness) का हवाला दिया। उन्होंने कहा, “हम तरंग शक्ति यह दिखाने के लिए नहीं करते कि हम पहले से क्या जानते हैं। हम इस यह खोजने के लिए करते हैं कि हमें अभी क्या सीखना बाकी है,” और जोड़ा कि साझेदार अपना परिचालन अनुभव लेकर आते हैं, और यथार्थवादी प्रशिक्षण-परिवेश सेनाओं को अपनी मान्यताएँ परखने, प्रक्रियाओं को चुनौती देने और वायु शक्ति के इस्तेमाल के अलग-अलग तरीके समझने का मौका देता है। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में सुरक्षा चुनौतियाँ और GS2 में भारत के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दशकों तक IAF विदेशी वायु सेनाओं से मुख्य रूप से आमने-सामने के द्विपक्षीय अभ्यासों के ज़रिए जुड़ती है → अगस्त-सितंबर 2024 में वह अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास, तरंग शक्ति, की मेज़बानी करती है, जिसमें 11 देश उड़ान भरते हैं → हाल के संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा, ड्रोन-रोधी क्षमता और संयुक्तता को रेखांकित करते हैं → 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर में तरंग शक्ति-26 आठ वायु सेनाओं और 32 पर्यवेक्षक देशों को एक साथ लाता है → भारत दूसरों के अभ्यासों में अतिथि से आगे बढ़कर वायु शक्ति साझेदारियों का आयोजक बनता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. सैन्य अभ्यास रक्षा कूटनीति का साधन हैं, और मेज़बानी हैसियत का ऐलान है — IAF लंबे समय से फ्रांस के साथ गरुड़, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोप इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ इंड्रधनुष जैसे द्विपक्षीय हवाई अभ्यास करती रही है, और अमेरिकी वायु सेना द्वारा आयोजित रेड फ़्लैग तथा रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स द्वारा डार्विन में आयोजित पिच ब्लैक जैसे बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में अतिथि के रूप में उड़ान भरती रही है। भारतीय नौसेना का MILAN वर्षों से भारत द्वारा आयोजित प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक जमावड़ा रहा है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास की मेज़बानी का अर्थ है वे परिदृश्य, नियम और मानक तय करना जिन पर बाक़ी सब प्रशिक्षण लेते हैं, और यह प्रशिक्षण-मूल्य से आगे का प्रभाव है। 2024 में पहली बार आयोजित तरंग शक्ति, IAF की ओर से आयोजक की इसी भूमिका का रूप है।
2. अंतर-संचालनीयता विमानों जितनी ही समझौतों पर टिकी है — भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चार आधारभूत समझौते किए हैं: सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (General Security of Military Information Agreement, 2002), लॉजिस्टिक्स विनिमय समझौता ज्ञापन (Logistics Exchange Memorandum of Agreement, 2016), संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement, 2018) और भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता (Basic Exchange and Cooperation Agreement, 2020)। फ्रांस (2018) और ऑस्ट्रेलिया (2020) जैसे साझेदारों के साथ भी उसकी पारस्परिक लॉजिस्टिक्स सहायता व्यवस्थाएँ हैं। ये समझौते सेनाओं के बीच

ईंधन भरने, मरम्मत, सुरक्षित संचार और सूचना-साझाकरण की अनुमति देते हैं। अभ्यास फिर इन कारगज़ी अनुमतियों को अभ्यस्त प्रक्रियाओं में बदलते हैं, और व्यवहार में 'अंतर-संचालनीयता' का यही अर्थ है।

3. **भारत में संयुक्तता अब एक कानूनी और संस्थागत परियोजना है** — चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद दिसंबर 2019 में सृजित हुआ, और पहले पदधारी ने 1 जनवरी 2020 को कार्यभार संभाला; CDS चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष और रक्षा मंत्रालय में सैन्य कार्य विभाग के सचिव होते हैं। कारगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने सेनाओं के बीच कमज़ोर समन्वय की ओर इशारा किया था। अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम [Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act], 2023 अंतर-सेवा संगठनों के कमांडरों को उनके अधीन तीनों सेनाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार देता है। एकीकृत थिएटर कमान, जो किसी क्षेत्र में थल सेना, नौसेना और वायु सेना की इकाइयों को एक ही कमांडर के अधीन रखेगी, कई वर्षों से चर्चा में है।
4. **IAF दुनिया के सबसे विविध बेड़ों में से एक उड़ाती है** — Su-30MKI रूसी डिज़ाइन है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) लाइसेंस के तहत बनाती है; मिग-29 भी रूसी मूल का है; राफेल और मिराज-2000 फ्रांसीसी हैं, जिन्हें डसॉ एविएशन बनाती है; जगुआर एंग्लो-फ्रेंच डिज़ाइन है; और तेजस हल्का लड़ाकू विमान (Light Combat Aircraft) रक्षा मंत्रालय के अधीन वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) ने डिज़ाइन किया है और इसे HAL बनाती है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 पाँचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसे रडार की पकड़ में आना मुश्किल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दृश्य सीमा से परे युद्ध में ऐसे लक्ष्यों पर रडार-निर्देशित मिसाइलें दागी जाती हैं जिन्हें पायलट देख नहीं सकता, जबकि दृश्य सीमा के भीतर युद्ध नज़दीकी हवाई भिड़ंत (dogfight) है। मिला-जुला बेड़ा किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता घटाता है, पर प्रशिक्षण, कलपुर्जों और एकीकरण का बोझ कई गुना बढ़ा देता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. **प्रारंभिक परीक्षा पूछती है कि कौन-सा अभ्यास किस देश के साथ है** — UPSC ने बार-बार सैन्य अभ्यासों का साझेदार देशों और सेनाओं से मिलान करने वाले प्रश्न पूछे हैं, और रक्षा प्लेटफ़ॉर्मों तथा तेजस जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों पर भी। भारत द्वारा आयोजित अपना बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होने के नाते तरंग शक्ति स्वाभाविक दावेदार है, साथ ही गरुड़ जैसे द्विपक्षीय और पिच ब्लैक तथा रेड फ़्लैग जैसे बहुपक्षीय अभ्यासों का अंतर भी।
2. **रक्षा कूटनीति में GS2 और GS3 मिलते हैं** — GS2 में भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते आते हैं, और GS3 में सुरक्षा चुनौतियाँ तथा विभिन्न सुरक्षा बल और उनके अधिदेश। मुख्य परीक्षा में हिंद महासागर क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (net security provider) के रूप में भारत की भूमिका और क्वाड साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग पर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ की प्रतिभागी सूची, बांग्लादेश और श्रीलंका से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस तक, ऐसे उत्तरों के लिए ठोस साक्ष्य है।
3. **संयुक्तता और थिएटर कमान मुख्य परीक्षा का जीवंत विषय हैं** — चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थिएटर कमान और सेनाओं के एकीकरण पर प्रश्न बार-बार आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी क्षेत्रों में संयुक्तता पर वायु सेना उप प्रमुख का ज़ोर ऐसे उत्तरों के लिए एक ताज़ा और उद्भूत करने योग्य संदर्भ-बिंदु देता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है, और रेड फ़्लैग संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है।
- गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, और कोप इंडिया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है।
- तेजस हल्का लड़ाकू विमान वैमानिकी विकास एजेंसी ने डिज़ाइन किया है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है।
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष और सैन्य कार्य विभाग के सचिव होते हैं।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता (COMCASA) 2018 में और बुनियादी विनियम एवं सहयोग समझौता (BECA) 2020 में हुआ।
- अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम, 2023 अंतर-सेवा संगठनों के कमांडरों को उनके अधीन सेवारत तीनों सेनाओं के कर्मियों पर

विश्लेषण (ANALYSIS)

अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियाँ देता है।

- MILAN भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

- 1. अतिथि से मेज़बान बनना आयोजक-शक्ति का दावा है** — दशकों तक भारत ने दूसरों के साथ ज़्यादातर उन्हीं की शर्तों पर प्रशिक्षण लिया, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया द्वारा रचे गए अभ्यासों में उड़ान भरते हुए। आठ वायु सेनाओं और 32 पर्यवेक्षकों की मेज़बानी का अर्थ है कि अब भारत परिदृश्य लिखता है, गति तय करता है और तय करता है कि किसे बुलाना है, और यह हथियार-बिक्री या संधियों से कहीं शांत क्रिस्म का प्रभाव है। इससे छोटे साझेदारों को यह संदेश भी जाता है कि भारत केवल प्रतिभागी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय वायु शक्ति प्रशिक्षण का केंद्र बन सकता है। विपरीत मत लागत का है: बड़े अभ्यास उड़ान-घंटे, ईंधन और विमानों की उपलब्धता खपाते हैं, और इनका लाभ समारोह में नहीं, क्षमता में दिखना चाहिए।
- 2. अतिथि-सूची भारत की सामरिक प्राथमिकताओं का नक्शा है** — उड़ान भरने वाली आठ सेनाओं में दो निकटतम पड़ोसी, बांग्लादेश और श्रीलंका, खाड़ी का एक साझेदार UAE, दो क्वाड साझेदार, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और दो यूरोपीय शक्तियाँ, फ्रांस और जर्मनी, शामिल हैं। यह फैलाव एक ही आयोजन में भारत की 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति, खाड़ी संबंधों और हिंद-प्रशांत साझेदारियों से मेल खाता है। जोधपुर में बांग्लादेश का C-130J उड़ाना संकेत देता है कि राजनीति की स्थिति जो भी हो, ढाका के साथ सेना-से-सेना संबंध खुले रखे जा रहे हैं। रूस, जो अब भी भारतीय लड़ाकू विमानों का बड़ा स्रोत है, अखबार द्वारा गिनाई गई उड़ान भरने वाली आठ सेनाओं में नहीं है; वह पर्यवेक्षक है या नहीं, इसकी सूचना नहीं है, और सूची से बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, पर यह दर्शाती है कि भारत की प्रशिक्षण-साझेदारियाँ कहाँ बढ़ रही हैं।
- 3. सबके सामने सीखने की अपनी सीमाएँ हैं** — एयर मार्शल दीक्षित की यह बात कि अभ्यास का उद्देश्य यह खोजना है कि IAF को अभी क्या सीखना बाकी है, सही दर्शन है, क्योंकि केवल जाने-पहचाने अभ्यास दोहराने वाले अभ्यास झूठा आत्मविश्वास पैदा करते हैं। पर 32 पर्यवेक्षकों समेत लगभग 40 देशों की मौजूदगी में सबसे संवेदनशील रणनीतियाँ और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं का खुलेआम अभ्यास होने की संभावना नहीं है। इसलिए असली सीख भारत की विशिष्ट युद्ध-योजनाओं से नहीं, बल्कि सामान्य पर कठिन समस्याओं से आएगी, जैसे भीड़ भरे आसमान में कई प्रकार के विमानों का समन्वय और अलग-अलग सेनाओं के बीच हवा में ईंधन भरना। यह फिर भी मूल्यवान है, क्योंकि गठबंधन-शैली का समन्वय ही वह चीज़ है जो अलग-अलग मूल के विमानों वाले बेड़े के लिए सबसे कठिन होती है।
- 4. केवल एक हवाई अभ्यास वह संयुक्तता नहीं दे सकता जिसकी माँग ऑपरेशन सिंदूर ने की** — वायु सेना उप प्रमुख ने एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा, ड्रोन-रोधी क्षमता और सभी क्षेत्रों में संयुक्तता को सिंदूर के सबक बताया। भारत में एकीकृत वायु रक्षा में IAF के साथ थल सेना की वायु रक्षा इकाइयाँ और नौसैनिक साधन भी शामिल हैं, और संयुक्तता का अर्थ केवल साझा हवाई क्षेत्र नहीं, बल्कि साझा कमान है। तरंग शक्ति IAF को विदेशी वायु सेनाओं के साथ एकीकृत होने का प्रशिक्षण देता है, जो उपयोगी है, पर देश के भीतर थल सेना और नौसेना के साथ एकीकरण थिएटर कमानों और 2023 के अंतर-सेवा संगठन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निर्भर है। विपरीत मत यह है कि संयुक्त ढाँचों में जुड़ने से पहले किसी वायु सेना को जटिल हवाई अभियानों में महारत हासिल करनी होती है, और बहुराष्ट्रीय अभ्यास वह आधार-स्तर ऊपर उठाते हैं।
- 5. मिला-जुला बेड़ा अंतर-संचालनीयता को कठिन भी बनाता है और ज़्यादा ज़रूरी भी** — भारत रूसी, फ्रांसीसी, एंग्लो-फ्रेंच और स्वदेशी विमान उड़ाता है, और अब अमेरिकी F-35 और अमीराती F-16 के साथ प्रशिक्षण ले रहा है। पश्चिमी सेनाओं के साथ तकनीकी अंतर-संचालनीयता अलग-अलग प्रणालियों के कारण और रणनीतिक स्वायत्तता पर भारत के अपने आग्रह के कारण सीमित है, इसलिए यथार्थवादी लाभ प्रक्रियागत अंतर-संचालनीयता है: साझा भाषा, साझा रणनीतियाँ, और यह समझ कि साझेदार कैसे लड़ते हैं। यही चीज़ किसी गठबंधन के बिना भी मानवीय राहत या संकट के समय निकासी में सहयोग संभव बनाती है। पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ एक ही अभ्यास में तेजस का उड़ना भारत को अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन का मंच भी देता है, हालाँकि इससे सीधी तुलना को भी न्योता मिलता है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत द्वारा आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास सैन्य तैयारी के साथ-साथ उतने ही विदेश नीति के भी साधन हैं।” भारतीय वायु सेना के तरंग शक्ति अभ्यास के संदर्भ में चर्चा कीजिए। परिचालन क्षमता निर्माण में ऐसे अभ्यासों की क्या सीमाएँ हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

- 1. भूमिका** — तरंग शक्ति-26 का परिचय दीजिए: 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर और आसपास के ठिकानों पर, आठ वायु सेनाएँ उड़ान भरेंगी, 32 पर्यवेक्षक देश, लगभग 10 वायु सेना प्रमुख; यह 2024 के उस पहले अभ्यास के बाद दूसरा संस्करण है जिसमें 11 देशों ने उड़ान भरी थी।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

2. **मुख्य भाग — विदेश नीति का मूल्य** — द्विपक्षीय से आयोजित बहुपक्षीय अभ्यासों की ओर बदलाव को आयोजक-शक्ति के रूप में समझाए। प्रतिभागी सूची को 'पड़ोसी प्रथम' (बांग्लादेश, श्रीलंका), खाड़ी संबंधों (UAE), हिंद-प्रशांत साझेदारों (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) और यूरोप (फ्रांस, जर्मनी) से जोड़िए। इसे शुद्ध सुरक्षा प्रदाता बनने की भारत की आकांक्षा से जोड़िए।
3. **मुख्य भाग — सैन्य मूल्य** — अंतर-संचालनीयता, BVR और दृश्य सीमा के भीतर युद्ध, गतिशील लक्ष्य-निर्धारण, हवा में ईंधन भरना और CSAR, तथा वायु सेना उप प्रमुख द्वारा बताए गए ऑपरेशन सिंदूर के सबकों, यानी एकीकृत वायु एवं मिसाइल रक्षा, काउंटर-UAS और संयुक्तता, पर चर्चा कीजिए। उनकी यह पंक्ति उद्धृत कीजिए कि अभ्यास का उद्देश्य यह खोजना है कि IAF को अभी क्या सीखना बाकी है।
4. **मुख्य भाग — सीमाएँ** — बताइए कि पर्यवेक्षकों के सामने संवेदनशील रणनीतियों का अभ्यास नहीं होता, मिले-जुले बेड़े के साथ तकनीकी अंतर-संचालनीयता सीमित है, सेनाओं के बीच संयुक्तता थिएटर कमानों और 2023 के अधिनियम पर निर्भर है, और अभ्यास दुर्लभ उड़ान-घंटे खपाते हैं।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि तरंग शक्ति का मूल्य भारत को साझेदारियों का आयोजक बनाने और उसकी सेनाओं को विविध तरीकों से परिचित कराने में है, पर क्षमता अंततः संयुक्तता, स्वदेशी उत्पादन और देश में निरंतर प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।

प्रश्न 1. तरंग शक्ति-26 के दौरान आप जोधपुर के ज़िला कलेक्टर हैं। आप पर कौन-सी नागरिक ज़िम्मेदारियाँ आती हैं?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सार्वजनिक सुरक्षा पर वायु सेना स्टेशन के साथ समन्वय करूँगा: हवाई पट्टी के आसपास पक्षी-खतरे पर नियंत्रण, जिसके लिए कूड़े के ढेर और बूचड़खानों का कचरा उड़ान-मार्गों से दूर रखा जाएगा, और विमानों के उतरने के मार्गों के पास ड्रोन, पतंगों और लेज़र पर रोक। मैं निवासियों को विमानों के शोर और किसी भी यातायात-परिवर्तन की पहले से सूचना दूँगा, ताकि अफ़वाहें न फैलें। विमान से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति के लिए अस्पताल और अग्निशमन सेवाएँ तैयार रखी जाएँगी। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए पुलिस और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वित सुरक्षा और प्रोटोकॉल की व्यवस्था करनी होगी।

प्रश्न 2. रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में आप कैसे आकलन करेंगे कि अभ्यास अपनी लागत के लायक था?

दृष्टिकोण (Approach): मैं IAF से अभ्यास से पहले तय किए गए विशिष्ट सीखने के उद्देश्य माँगूँगा, जैसे विदेशी टैंकर विमानों के साथ एकीकरण या मिले-जुले विमान-समूहों का समन्वय, और यह रिपोर्ट कि उनमें से कौन-से पूरे हुए। इसके बाद होने वाले द्विपक्षीय समझौते, प्रशिक्षण-आदान-प्रदान या भारतीय प्लेटफ़ॉर्मों में खरीद की रुचि कूटनीतिक प्रतिफल माने जाएँगे। मैं उड़ान-घंटों और विमानों की उपलब्धता के रूप में आई लागत को छूटे हुए नियमित प्रशिक्षण के सामने भी तौलूँगा। असली पैमाना प्रतिभागी देशों की संख्या नहीं, बल्कि बाद में प्रक्रियाओं में आए बदलाव का साक्ष्य है।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या अमेरिकी F-35 के साथ प्रशिक्षण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता है?

दृष्टिकोण (Approach): रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है कि भारत अपने गठजोड़ खुद तय करता है; इसका अर्थ सहयोग से बचना नहीं है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसियों, सबके साथ प्रशिक्षण लेता है, और रूसी मूल के विमान भी चलाता रहता है, जो अपने-आप में स्वायत्तता का व्यवहार है। वास्तविक चिंता परिचालन सुरक्षा की है, जिसे सेनाएँ किसी भी अभ्यास में यह नियंत्रित करके संभालती हैं कि वे क्या उजागर करती हैं। हर अभ्यास में हित के आधार पर साझेदार चुनना ठीक वही है जो एक स्वायत्त शक्ति करती है।

9.2 शाह ने मादक पदार्थों के व्यापार को 'जड़ से उखाड़ने' के लिए 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की, ज़ोर ज़बती से हटकर नेटवर्क पर

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार, 22 सितंबर को भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को 'जड़ से उखाड़ने' के लिए 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की, और नशे के खिलाफ़ लड़ाई को सरकार के सामने सबसे कठिन लड़ाई बताया। वे दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ-रोधी कार्य बलों (Anti-Narcotics Task Forces, ANTF) के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे; स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (Narcotics Control Bureau, NCB) द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुख, सरकारी विभाग और अन्य हितधारक शामिल हुए (द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू)। ANTF राज्य पुलिस की समर्पित नशा-विरोधी इकाइयाँ हैं। शाह ने कहा, "अब समय आ गया है कि मादक पदार्थों पर निर्णायक प्रहार किया जाए, जो देश और दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा बन गए हैं।" उन्होंने कहा, "31 दिसंबर 2029 तक हम

मिलकर भारत से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सफल होंगे।” उन्होंने इस अभियान को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा: “2047 तक विकसित भारत बनाने, आने वाली पीढ़ियों को बचाने और युवाओं को भारत के विकास से जोड़ने के लिए हमारे सामने एकमात्र विकल्प भारत को नशामुक्त बनाना है।” उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को “बैठक से मिशन, रिपोर्टिंग से परिणाम, ज़बती से नेटवर्क के ध्वंस, और मामले से दोषसिद्धि” की ओर बढ़ना होगा। रोडमैप का केंद्र प्रवर्तन, खुफिया और अभियान; पूर्वगामी रसायनों (precursors, यानी मादक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त रसायन) और सिंथेटिक ड्रग्स का नियंत्रण; माँग और हानि में कमी; तथा क्षमता-निर्माण और समन्वय हैं, और इन स्तंभों के अंतर्गत 100 से अधिक लक्ष्य वर्गीकृत किए गए हैं। नशे के खिलाफ काम करने वाले स्वयंसेवकों, यानी एक लाख ‘नशामुक्त मित्रों’ के लक्ष्य में से 46,780 को विभिन्न मंत्रालयों ने पंजीकृत कर लिया है और वे सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन को ज़बती-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की ओर जाना चाहिए, जिसमें पिछली और अगली कड़ियों, वित्तीय जाँच, डिजिटल सुरागी और गिरोहों (cartels) के मुनाफ़े का पीछा किया जाए। गिरोहों पर तीन स्तरों पर प्रहार होगा: प्रवेश-बिंदु, अंतरराज्यीय वितरण तंत्र, और ज़िलों के भीतर स्थानीय बिक्री नेटवर्क। ज़िलों को इस आधार पर समूहों (clusters) में बाँटा जाएगा कि वे निर्माण या प्रवेश के बिंदु हैं, परिवहन गलियारे हैं या उपभोग के क्षेत्र। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पुलिस ने ‘विस्टा 1.0’ (Vista 1.0) नाम के महीने भर चले अभियान में 191 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया; इस अभियान में अवैध रूप से रहने और नशे की तस्करी के संदिग्ध विदेशियों के वीज़ा और आप्रवासन दर्जे की जाँच की गई, और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध निरंतर, खुफिया-आधारित कार्रवाई का आह्वान किया। पाठ्यक्रम से जुड़ाव: GS3 में संगठित अपराध और आंतरिक सुरक्षा।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है, और उसकी लंबी स्थल और समुद्री सीमाएँ हैं → तस्करी एक सीमा-पार, अधिकाधिक सिंथेटिक और डिजिटल माध्यमों से चलने वाले व्यापार में बदल जाती है → ज़बती से मापा जाने वाला प्रवर्तन गिरोहों और उनके पैसे को अच्छा छोट देता है → केंद्र NCB, NCORD और राज्यों के ANTF के ज़रिए समन्वय और माँग-पक्ष का अभियान खड़ा करता है → ANTF के तीसरे सम्मेलन में शाह 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय करते हैं और ज़ोर ज़बती से हटाकर नेटवर्क, वित्त और दोषसिद्धि पर ले जाते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. संविधान राज्य से नशे पर रोक की अपेक्षा करता है, और NDPS अधिनियम इसका मुख्य साधन है — राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध लाने का प्रयास करे। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, NDPS), 1985 ने अफ़ीम अधिनियमों और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 जैसे पुराने कानूनों को समेकित किया, और उत्पादन, कब्ज़े, बिक्री, परिवहन और सेवन को दंडनीय बनाया, जिसमें दंड अल्प, मध्यवर्ती और वाणिज्यिक मात्रा के अनुसार श्रेणीबद्ध हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन 1986 में इस अधिनियम की धारा 4(3) के तहत हुआ और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 तस्करी की निवारक निरोध (preventive detention) की अनुमति देता है। चूँकि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं (राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1 और 2), ज़मीनी स्तर पर अधिकांश प्रवर्तन राज्य पुलिस ही करती है।
2. भारत की नशे की समस्या भूगोल और संधि-दायित्वों से आकार लेती है — भारत संयुक्त राष्ट्र के तीनों मादक पदार्थ अभिसमयों का पक्षकार है: स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय (Single Convention on Narcotic Drugs), 1961, मनःप्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971, और स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अभिसमय, 1988; NDPS अधिनियम इन्हें प्रभावी बनाता है। उत्तर-पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट (अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान) है, जो अफ़ीम-जनित पदार्थों का बड़ा स्रोत है, और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड), जो हेरोइन और मेथामफ़ेटामीन का स्रोत है। इसलिए एक ओर पंजाब और जम्मू-कश्मीर तथा दूसरी ओर मणिपुर और मिज़ोरम अग्रिम मोर्चे के राज्य हैं, जबकि समुद्री खेपों के लिए तटरेखा का इस्तेमाल होता है। भारत उन गिने-चुने देशों में भी है जिन्हें औषधीय उपयोग के लिए वैध रूप से अफ़ीम की खेती की अनुमति है, जिसके लिए दुरुपयोग (diversion) रोकने को कड़ा नियंत्रण ज़रूरी है।
3. NDPS अधिनियम में नेटवर्क और पैसे के पीछे जाने के औज़ार पहले से मौजूद हैं — NDPS अधिनियम का अध्याय VA (धाराएँ 68A से 68Y) मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति का पता लगाने, उसे फ़ीज़ करने और ज़ब्त (forfeit) करने का प्रावधान करता है, और NDPS अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं, जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ED) को कार्रवाई का अधिकार मिलता है। धारा 9A सरकार को ‘नियंत्रित पदार्थों’, यानी मादक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त पूर्वगामी रसायनों, का विनियमन करने की अनुमति देती है। धारा 37 वाणिज्यिक मात्रा वाले अपराधों में ज़मानत की कड़ी शर्तें लगाती है, और धारा 50 तलाशी लिए जा रहे व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए जाने का अधिकार देती है, एक ऐसा सुरक्षा उपाय जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने State of Punjab v. Baldev Singh (1999) में अनिवार्य ठहराया। धारा 64A अल्प मात्रा रखने के आरोपी उस नशा-पीड़ित को अभियोजन से उन्मुक्त देती है जो स्वेच्छा से उपचार के लिए आगे आता है।

	4. समन्वय और माँग में कमी अलग-अलग पटरियों पर चलते हैं — नार्को-समन्वय केंद्र (Narco-Coordination Centre, NCORD) तंत्र 2016 में स्थापित हुआ और 2019 में इसे चार स्तरों में पुनर्गठित किया गया, केंद्र स्तर की शीर्ष समिति से लेकर ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता वाली ज़िला समितियों तक, ताकि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को एक साथ लाया जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया नशा मुक्त भारत अभियान, नशीली दवाओं की माँग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Drug Demand Reduction) के तहत जागरूकता, उपचार और पुनर्वास का काम देखता है। नागरिकों के लिए मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना देने हेतु राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS (1933) 2024 में शुरू की गई। अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों से आप्रवासन और विदेशियों विषयक अधिनियम (Immigration and Foreigners Act), 2025 के तहत निपटा जाता है, जिसने विदेशी अधिनियम, 1946 और तीन अन्य कानूनों का स्थान लिया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 संगठित अपराध और धन शोधन का नाम लेता है — GS3 के पाठ्यक्रम में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, धन शोधन और उसकी रोकथाम, और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ शामिल हैं। मुख्य परीक्षा में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में मादक पदार्थों की तस्करी, सीमावर्ती राज्यों में नार्को-आतंकवाद, और गोल्डन क्रेसेंट तथा गोल्डन ट्रायंगल की भूमिका पर प्रश्न पूछे गए हैं। वित्तीय जाँच और गिरोहों के मुनाफ़े पर शाह का ज़ोर नशे के प्रश्न को सीधे पाठ्यक्रम के धन शोधन वाले हिस्से से जोड़ता है। 2. प्रारंभिक परीक्षा कानूनी ढाँचा और भूगोल परखती है — UPSC ने गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के देशों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, और मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों के बारे में पूछा है। NDPS अधिनियम के प्रावधानों, प्रवर्तन और माँग में कमी के नोडल मंत्रालयों, और अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों पर प्रश्न आने की संभावना है, और विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि कौन-सा मंत्रालय कौन-सा हिस्सा चलाता है। 3. निबंध, GS1 और GS4 नशे की लत को सामाजिक प्रश्न के रूप में देखते हैं — युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग GS1 के सामाजिक मुद्दों और युवा तथा विकास पर निबंधों में आता है। नीतिशास्त्र की केस स्टडी अक्सर उम्मीदवार को किसी ज़िले में नशे की समस्या से जूझते ज़िलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक की भूमिका में रखती है, जहाँ प्रवर्तन, सेवन करने वालों के प्रति करुणा और सामुदायिक लामबंदी के बीच संतुलन बनाना होता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वह औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध का प्रयास करे। ● स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का गठन 1986 में NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 4(3) के तहत हुआ और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ● गोल्डन क्रेसेंट में अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं; गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं। ● NDPS अधिनियम, 1985 का अध्याय VA अवैध मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित संपत्ति की ज़ब्ती का प्रावधान करता है, और NDPS अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध है। ● NDPS अधिनियम की धारा 64A अल्प मात्रा में मादक पदार्थ रखने के आरोपी उस नशा-पीड़ित को अभियोजन से उन्मुक्ति देती है जो स्वेच्छा से नशामुक्ति उपचार के लिए आगे आता है। ● नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ● भारत संयुक्त राष्ट्र के स्वापक औषधियों पर एकल अभिसमय, 1961, मनःप्रभावी पदार्थों पर अभिसमय, 1971, और स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1988 का पक्षकार है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. ज़ब्ती गिनना परिणाम को नहीं, सक्रियता को पुरस्कृत करता है, इसलिए यह बदलाव बहुत पहले होना था — ज़ब्ती का बढ़ता आँकड़ा दोहरा अर्थ वाला है: इसका मतलब बेहतर पुलिसिंग भी हो सकता है और सिर्फ़ यह भी कि देश में ज्यादा नशा आ रहा है। एजेंसियाँ लंबे समय से ज़ब्ती की रिपोर्ट इसलिए देती रही हैं क्योंकि उसे गिनना और उसकी तस्वीर लेना आसान है, जबकि सरगना, पैसा लगाने वाला और रसायन आपूर्तिकर्ता अछूते रह जाते हैं। शाह के नारे, 'ज़ब्ती से ध्वंस' और 'मामले से दोषसिद्ध', पैमाने को उन परिणामों की ओर मोड़ते हैं जो इस धंधे को चोट पहुँचाते हैं: दोषसिद्ध, ज़ब्त संपत्ति और टूटी आपूर्ति शृंखलाएँ। विपरीत मत यह है कि ज़ब्ती अब भी बाज़ार से माल हटाती है और नेटवर्क का नक्कशा बनाने के लिए ज़रूरी खुफ़िया जानकारी पैदा करती है, इसलिए इसे छोड़ने के बजाय आगत-माप (input measure) के रूप में

बनाए रखना चाहिए।

2. व्यापार को 'जड़ से उखाड़ने' की समय-सीमा तंत्र को सक्रिय करती है, पर शब्दशः पूरी नहीं हो सकती — किसी भी देश ने मादक पदार्थों की तस्करी का पूरी तरह खात्मा नहीं किया है, क्योंकि जब तक माँग बनी रहती है और मुनाफ़ा ऊँचा रहता है, आपूर्ति नए रास्तों, पदार्थों और प्लेटफ़ॉर्मों के हिसाब से ढल जाती है। 31 दिसंबर 2029 की निश्चित तारीख 36 राज्य कार्य बलों और केंद्रीय एजेंसियों को पड़ावों के हिसाब से योजना बनाने को मजबूर करने में उपयोगी है, और रोडमैप के 100 से अधिक लक्ष्य वे पड़ाव दे सकते हैं। खतरा यह है कि समय-सीमा से पहले नतीजे दिखाने का दबाव पुलिस को सेवन करने वालों और छोटे फेरीवालों की आसान गिरफ्तारियों की ओर धकेले, जो आँकड़े तो बढ़ाती हैं पर नेटवर्क को अछूता छोड़ देती हैं। इसलिए सफलता का आकलन इस घोषणा से नहीं कि व्यापार खत्म हो गया, बल्कि बीच के लक्ष्यों से होना चाहिए, खासकर सरगनाओं की दोषसिद्धि और ज़ब्त संपत्ति के मूल्य से।
3. 'भामले से दोषसिद्धि' प्रक्रिया पर निर्भर है, और मामले प्रक्रिया में ही हारे जाते हैं — NDPS अभियोजन अक्सर प्रक्रियागत आधारों पर विफल होते हैं: संदिग्ध के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी के धारा 50 वाले अधिकार का पालन न होना, नमूनों की अभिरक्षा-शृंखला (chain of custody) का टूटना, या नमूने लेने और जाँच में देरी। साथ ही धारा 37 की ज़मानत की कड़ी शर्तों का अर्थ है कि मुकदमा खत्म होने से पहले आरोपी वर्षों हिरासत में रह सकता है, इसलिए कमज़ोर मामले वास्तविक अन्याय करते हैं। इसलिए दोषसिद्धि बढ़ाने के लिए केवल कड़ा प्रवर्तन नहीं, बल्कि प्रशिक्षित जाँचकर्ता, तेज़ नतीजे देने वाली फ़ॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ और विशेष न्यायालय चाहिए। इनके बिना दोषसिद्धि का अभियान लंबी हिरासत और ज़्यादा बरी होने, दोनों का जोखिम एक साथ पैदा करता है।
4. हानि में कमी को शामिल करना अहम है, क्योंकि कानून अब भी सेवन करने वालों को अपराधी मानता है — रोडमैप माँग और हानि में कमी को एक स्तंभ के रूप में गिनाता है, और एक लाख 'नशामुक्त मित्र' जुटाए जाने हैं। पर NDPS अधिनियम अब भी सेवन को दंडनीय मानता है, और धारा 64A की उन्मुक्ति सीमित है, जो केवल उपचार के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले नशा-पीड़ितों के अल्प मात्रा रखने पर लागू होती है। गिरफ्तारी से डरने वाला सेवनकर्ता अस्पताल से दूर रहता है, इसीलिए कई सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अल्प मात्रा वाले सेवनकर्ताओं को अभियोजन के बजाय उपचार की ओर मोड़ने की वकालत करते हैं। विपरीत मत यह है कि अपराधमुक्ति (decriminalisation) सहनशीलता का संकेत दे सकती है और युवाओं में निवारक प्रभाव कमज़ोर कर सकती है। बीच का रास्ता यह है कि तस्करी पर कड़ा अभियोजन हो, जबकि पहली बार सेवन करने वालों के लिए जेल नहीं, उपचार डिफ़ॉल्ट विकल्प बने।
5. ज़िलों का समूहीकरण समझदारी भरा लक्ष्यीकरण है, पर लड़ाई संघीय है और जोखिम भी — ज़िलों को प्रवेश-बिंदु, पारगमन गलियारे या उपभोग क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने से हर एक को सही औज़ार मिल पाता है: सीमा और तटीय अवरोधन, राजमार्ग और कूरियर जाँच, या उपचार और जागरूकता। यह वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अपनाए गए लक्षित ज़िला दृष्टिकोण जैसा है। पर पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र की समय-सीमा बहुत अलग-अलग क्षमता वाले 36 ANTF पर निर्भर है, और अधिकांश राज्य बलों में वित्तीय तथों डिजिटल जाँच का कौशल कम है। दिल्ली का 'विस्टा 1.0' एक और जोखिम दिखाता है: नशे की तस्करी और अवैध निवास के संदेह में हिरासत में लिए गए 191 विदेशियों में से कितनों पर नशे से जुड़े मामले बने, यह रिपोर्ट नहीं बताती, और आप्रवासन से जुड़े व्यापक अभियान साक्ष्य के सहारे के बिना राष्ट्रीयता के आधार पर प्रोफ़ाइलिंग में फिसल सकते हैं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न
(POSSIBLE MAINS
QUESTION)

“भारत की मादक पदार्थ-रोधी रणनीति को ज़बती से नेटवर्क की ओर, और मामलों से दोषसिद्धि की ओर बदलना होगा।” दृष्टिकोण में इस बदलाव का परीक्षण कीजिए। 2029 तक नशामुक्त भारत के लक्ष्य को विश्वसनीय बनाने के लिए कौन-से कानूनी, संस्थागत और सामाजिक उपाय आवश्यक हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श
दृष्टिकोण (MODEL
APPROACH TO THE
MAINS QUESTION)

1. भूमिका — ANTF प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन से शुरुआत कीजिए, जहाँ गृह मंत्री ने नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ने के लिए 31 दिसंबर 2029 की समय-सीमा तय की और नशामुक्त भारत को विकसित भारत 2047 से जोड़ा। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच भारत की स्थिति का उल्लेख कीजिए।
2. मुख्य भाग — बदलाव क्यों — समझाइए कि ज़बती कमज़ोर पैमाना क्यों है और नेटवर्क, वित्त और डिजिटल सुराग क्यों मायने रखते हैं। गिरोहों पर तीन-स्तरीय प्रहार (प्रवेश-बिंदु, अंतरराज्यीय वितरण, स्थानीय बिक्री), ज़िलों के समूहीकरण और प्रवर्तन से लेकर क्षमता-निर्माण तक रोडमैप के स्तंभों का उल्लेख कीजिए।
3. मुख्य भाग — कानूनी और संस्थागत उपाय — NDPS अध्याय VA के तहत ज़बती और PMLA, धारा 9A के तहत पूर्वगामी रसायनों का नियंत्रण, धारा 50 के तहत प्रक्रियागत अनुपालन और फ़ॉरेंसिक क्षमता, विशेष न्यायालय, NCORD समन्वय और ANTF की क्षमता

पर चर्चा कीजिए। दिल्ली के 'विस्टा 1.0' उदाहरण के साथ आप्रवासन और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 का उल्लेख कीजिए।

4. **मुख्य भाग — सामाजिक उपाय** — नशा मुक्त भारत अभियान, नशामुक्त मित्र (एक लाख में से 46,780 पंजीकृत), धारा 64A और सेवनकर्ताओं के लिए 'पहले उपचार' वाले दृष्टिकोण, स्कूल और परिवार स्तर पर जागरूकता, और पुनर्वास को शामिल कीजिए।
5. **निष्कर्ष** — निष्कर्ष दीजिए कि समय-सीमा लामबंदी का साधन है; विश्वसनीयता सरगनाओं की दोषसिद्धि और ज़ब्त संपत्ति जैसे मापने योग्य परिणामों से, और नशे की लत को स्वास्थ्य समस्या तथा तस्करी को संगठित अपराध मानकर बरतने से आएगी।

प्रश्न 1. आप पंजाब के उस सीमावर्ती ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं जिसे प्रवेश-बिंदु समूह के रूप में चिह्नित किया गया है। आप सबसे पहले क्या बदलेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं एक छोटा वित्तीय और डिजिटल जाँच प्रकोष्ठ बनाऊँगा, जो वाणिज्यिक मात्रा की हर ज़ब्ती से पैसे और फ़ोन के सुरागों का पीछा करते हुए आपूर्तिकर्ताओं और पैसा लगाने वालों तक पहुँचे, और NDPS अध्याय VA का उपयोग करके उनकी संपत्ति फ़्रीज़ करूँगा। मैं खुफ़िया जानकारी साझा करने के लिए, विशेषकर ड्रोन से गिराई जाने वाली खेपों और कूरियर मार्गों पर, सीमा सुरक्षा बल (BSF), NCB और ANTF के साथ समन्वय करूँगा। हर तलाशी में धारा 50 और नमूना-नियमों का सख्ती से पालन होगा, क्योंकि हारा हुआ मामला एक आज़ाद तस्कर होता है। मैं परिणामों की रिपोर्ट केवल ज़ब्त ग्राम के रूप में नहीं, बल्कि बाधित नेटवर्क और फ़्रीज़ की गई संपत्ति के रूप में दूँगा।

प्रश्न 2. ज़िला NCORD समिति के अध्यक्ष ज़िलाधिकारी के रूप में आप माँग-पक्ष को कैसे संभालेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं सरकारी अस्पतालों और निजी केंद्रों में नशामुक्ति क्षमता का नक्शा बनाऊँगा और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कमियाँ भरूँगा, क्योंकि उपचार के बिना प्रवर्तन केवल जेलें भरता है। नशा मुक्त भारत अभियान के ज़रिए स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों को जोड़ा जाएगा, और युवा समूहों तथा स्वयं सहायता समूहों से नशामुक्त मित्र चुने जाएँगे। मैं पुलिस से कहूँगा कि जहाँ कानून अनुमति देता है, वहाँ पहली बार सेवन करने वालों को उपचार की ओर भेजा जाए। परिवारों को एक गोपनीय हेल्पलाइन दी जाएगी, ताकि वे नशे की लत छिपाने के बजाय मदद माँगे।

प्रश्न 3. साक्षात्कार बोर्ड पूछता है: क्या निजी उपयोग के लिए अल्प मात्रा में मादक पदार्थ रखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए?

दृष्टिकोण (Approach): इसके पक्ष में सार्वजनिक स्वास्थ्य का मज़बूत तर्क है: सेवनकर्ताओं को अपराधी बनाना उन्हें उपचार से दूर करता है, अदालतों और जेलों पर बोझ डालता है, और NDPS अधिनियम धारा 64A में पहले से इसे स्वीकार करता है। प्रतिवाद यह है कि अपराधमुक्ति को, खासकर युवाओं में, स्वीकृति के रूप में पढ़ा जा सकता है, और भारत का उपचार-ढाँचा अभी बड़ी संख्या को संभालने के लिए तैयार नहीं है। संतुलित रुख यह है कि तस्करी कड़ाई से दंडनीय बनी रहे, पर अल्प मात्रा वाले सेवनकर्ताओं के लिए उपचार की ओर मोड़ना डिफ़ॉल्ट हो, और इसके साथ नशामुक्ति सेवाओं में निवेश हो। यह बदलाव एक झटके में नहीं, बल्कि पायलट परियोजनाओं के साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — छह छंद और एक मौन अधिकारी

परिदृश्य (SCENARIO) आप मिश्रित आबादी वाले एक ज़िले के ज़िलाधिकारी (District Collector) हैं। केंद्र ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) की धारा 3 में संशोधन करके वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण दे दिया है जो जन गण मन को प्राप्त है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी में प्रशासनिक निर्देश और जुलाई में एक परिपत्र जारी किया। कर्नाटक संगीत के गायक टी.एम. कृष्णा की याचिका के अनुसार, इन निर्देशों के तहत सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी छंदों का वादन और सामूहिक गायन अनिवार्य है, और पालन न करने पर तीन वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। याचिका का कहना है कि तीसरे से छठे छंद “स्पष्ट रूप से भक्तिपरक, देवी का आवाहन करने वाले और पंथनिरपेक्षता के प्रतिकूल” हैं। 22 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि राष्ट्रगीत का स्वरूप क्या हो, “दो छंद या चार”, यह तय करना निर्वाचित राज्य का काम है; लेकिन जो अंतःकरण के आधार पर आपत्ति करने वाला व्यक्ति (conscientious objector) एक या सभी छंद नहीं गाता, उसे आपराधिक परिणामों का भागी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (Bijoe Emmanuel v. State of Kerala) में 1986 का निर्णय आज भी लागू है; उस मामले में न्यायालय ने माना था कि जो विद्यार्थी राष्ट्रगान के समय सम्मानपूर्वक खड़े रहे पर गायन नहीं, उन्हें निष्कासित करना उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पंथनिरपेक्षता कभी इतनी संकीर्ण नहीं होगी, और केंद्र को उत्तर देने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है। न्यायालय ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। आपका समाहरणालय 2 अक्टूबर को ज़िले का गांधी जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। आपका प्रोटोकॉल अधिकारी आपको परिपत्र की याद दिलाता है। उत्कृष्ट सेवा-रिकॉर्ड वाली एक वरिष्ठ डिप्टी कलेक्टर आपको लिखकर बताती हैं कि वे सम्मानपूर्वक मौन खड़ी रहेगी, पर तीसरे से छठे छंद नहीं गाएंगी, क्योंकि उनके अनुसार वे उनकी आस्था से टकराते हैं। बच्चों के गायक-दल का नेतृत्व कर रहे दो स्कूली शिक्षक भी यही कहते हैं। एक स्थानीय संगठन ने घोषणा की है कि वह समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और “राष्ट्रगीत का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति” के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा। पुलिस अधीक्षक चेतावनी देते हैं कि दोनों ही स्थितियों में गड़बड़ी हो सकती है। एक पत्रकार आपसे पूछता है कि आप “कानून लागू करेंगे या उसे मोड़ेंगे”।

प्रश्न 1. यहां कौन-से मूल्य और कर्तव्य परस्पर टकरा रहे हैं, और आज की तारीख में कानूनी स्थिति क्या है?

प्रश्न 2. आप 2 अक्टूबर का समारोह किस प्रकार आयोजित करेंगे, और डिप्टी कलेक्टर तथा शिक्षकों को क्या उत्तर देंगे?

प्रश्न 3. क्या किसी लोक सेवक का कानून लागू करने का कर्तव्य और उस कानून द्वारा निर्धारित हर कार्य को स्वयं करने का कर्तव्य एक ही बात है?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- समारोह से राज्य क्या अपेक्षा कर सकता है और व्यक्ति पर क्या थोप सकता है, इन दोनों को अलग करें** — सार्वजनिक समारोह का स्वरूप, जिसमें यह भी शामिल है कि कौन-से छंद बजाए जाएं, राज्य तय कर सकता है, और ज़िलाधिकारी को समारोह परिपत्र के निर्देशों के अनुसार ही आयोजित करना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी आस्था के विरुद्ध शब्द गाने के लिए विवश करना बिल्कुल अलग बात है। बिजो इमैनुएल (Bijoe Emmanuel) मामले में कहा गया था कि सम्मान के साथ मौन खड़े रहना अनादर नहीं है, और इसके लिए दंड देना अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी-अभी कहा है कि संशोधन को दी गई चुनौती लंबित रहते हुए भी यही विधि लागू है। इसलिए ज़िलाधिकारी को समारोह पूरी तरह संपन्न कराना चाहिए, पर किसी भी व्यक्ति को गाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।
- डिप्टी कलेक्टर अंतःकरण के आधार पर आपत्ति कर रही हैं, अपना काम करने से इनकार नहीं** — जो अधिकारी किसी वैध समारोह का आयोजन करने से मना करे या उसमें बाधा डाले, वह सेवा-अनुशासन तोड़ रहा होगा। डिप्टी कलेक्टर इनमें से कुछ भी नहीं कर रही: वे उपस्थित रहेंगी, खड़ी होंगी और सम्मान प्रकट करेंगी; वे केवल कुछ छंद स्वयं गाने से मना कर रही हैं। यह ठीक वैसी ही मौन और व्यवधान-रहित अंतरात्मा-आधारित आपत्ति (conscientious objection) है जिसका वर्णन सर्वोच्च न्यायालय ने किया। इसे कदाचार मानना उनके साथ अन्याय होगा और प्रशासन को कानूनी चुनौती के सामने खड़ा कर देगा। ज़िलाधिकारी को लिखित उत्तर देना चाहिए कि उनकी स्थिति नोट कर ली गई है और उसका सम्मान किया जाता है, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उनके मूल्यांकन या तैनाती पर कोई असर न पड़े। अधीनस्थ को उत्पीड़न से बचाना नेतृत्व के कर्तव्य का ही हिस्सा है।
- समारोह की रूपरेखा ऐसी बनाएं कि सम्मान और स्वतंत्रता साथ-साथ रह सकें** — ज़िलाधिकारी पूरा गीत बैंड या रिकॉर्डिंग से बजवा सकते हैं, सभी से खड़े होने का अनुरोध कर सकते हैं, और स्वेच्छा से गाने वालों का एक गायक-दल गायन का नेतृत्व कर सकता है। किसने गायन, इसकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। किसी को सबके सामने अलग से चिह्नित नहीं किया जाना चाहिए, और व्यक्तियों के चेहरों की कोई आधिकारिक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। आपत्ति करने वाले शिक्षकों से गायक-दल का नेतृत्व नहीं कराया जाना चाहिए, और बच्चों को ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए जहां उनके माता-पिता की आस्था की सार्वजनिक परीक्षा हो। प्रोटोकॉल कर्मचारियों को पहले से ही जानकारी दे दी जानी चाहिए, ताकि कोई कनिष्ठ अधिकारी मौके पर अपने मन से कुछ न करे। अच्छा प्रशासन अक्सर परिस्थिति को इस तरह गढ़ने में है कि टकराव को मंच पर उतरने की नौबत ही न आए।
- निगरानी-दस्तों (vigilantism) की धमकियों से दृढ़ता और निष्पक्षता से निपटें** — किसी निजी समूह को किसी की अंतरात्मा पर पहरा देने का कोई अधिकार नहीं है, और लोगों को निशाना बनाने के लिए उनकी वीडियो बनाना डराने-धमकाने या हिंसा तक ले जा सकता

है। ज़िलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो भी समारोह में बाधा डालेगा या किसी व्यक्ति को परेशान करेगा, वह चाहे किसी भी पक्ष का हो, उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो पुलिस को उनकी जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि के आलोक में करनी चाहिए और मौन रहकर भाग न लेने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधियों का समान संरक्षण यही मांग करता है कि प्रशासन राष्ट्रगीत की गरिमा और आपत्ति करने वालों के अधिकार, दोनों की रक्षा करे।

5. **अस्पष्टता को लिखित रूप में सरकार के सामने रखें** — याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन कभी राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ और उसमें किसी विधिक प्रावधान का उल्लेख नहीं है; न्यायालय अभी यह भी परख रहा है कि दंडात्मक परिणाम कहां तक जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का निर्णय किसी ज़िला अधिकारी पर अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ज़िलाधिकारी को राज्य सरकार को और उसके माध्यम से गृह मंत्रालय को लिखकर पूछना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तक अंतःकरण के आधार पर आपत्ति करने वालों के साथ अधिकारी कैसा व्यवहार करें, और अपने द्वारा उठाए गए कदमों तथा उनके कारणों को अभिलेख में दर्ज करना चाहिए। इससे जवाबदेही (accountability) का सिद्धांत सुरक्षित रहता है, क्योंकि निर्णयों का स्रोत खोजा जा सकता है, और एकरूपता (consistency) का भी, क्योंकि तब हर ज़िला एक ही तरह से कार्य करता है।
6. **पत्रकार को किसी पक्ष से नहीं, संविधान से उत्तर दें** — ज़िलाधिकारी को कहना चाहिए कि ज़िला राष्ट्रगीत के प्रति पूरे सम्मान के साथ निर्धारित समारोह संपन्न करेगा, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप किसी को भी उसकी अंतरात्मा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और किसी भी व्यवधान या धमकी से सख्ती से निपटा जाएगा। यहां तटस्थता का अर्थ उदासीनता नहीं है; इसका अर्थ है सब पर एक ही नियम लागू करना। नोलन सिद्धांतों (Nolan principles) में वस्तुनिष्ठता, खुलापन और नेतृत्व, तीनों एक ही दिशा दिखाते हैं: विधि और साक्ष्य के आधार पर कार्य करें, निर्णय का कारण बताएं, और अपने आचरण से यह दिखाएं कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और नागरिकों की आस्था का सम्मान एक-दूसरे के शत्रु नहीं हैं।

केस 2 — मंगलवार को पुरस्कार, बुधवार को प्रस्ताव

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक लोकप्रिय फ़िल्म अभिनेता हैं। 22 सितंबर को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी के निकट एकता नगर में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार मिला। यह पहली बार था जब यह समारोह दिल्ली से बाहर हुआ। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने लोकप्रिय कलाकारों से आग्रह किया कि वे लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों का प्रचार न करें। उनके कथन का भाव था: जब सफल कलाकार अनुशासित जीवन-शैली के लाभों की बात करते हैं, तो लाखों बच्चे और युवा उनका अनुसरण करते हैं; सच्चा सितारा वही है जो उजाला फैलाए, अंधेरा नहीं। उन्होंने फ़िल्म उद्योग से यह भी कहा कि वह उन कामगारों, छोटे कलाकारों और सहायकों के लिए सम्मान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और याद दिलाया कि पिछले समारोह में भी उन्होंने ऐसा ही अनुरोध किया था; उन्होंने आशा जताई कि उनके इन अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा होगा। अगली सुबह आपका मैनेजर एक प्रस्ताव लेकर आता है: एक पान मसाला ब्रांड का चेहरा बनने के लिए दो वर्ष में ₹12 करोड़। मूल कंपनी इसी ब्रांड नाम से चबाने वाला तंबाकू बेचती है, लेकिन विज्ञापनों में केवल इलायची वाला “माउथ फ़्रेशनर” दिखाया जाएगा, और कंपनी के वकीलों का कहना है कि अभियान को मंजूरी मिल चुकी है। आपकी पिछली फ़िल्म में लगभग 150 दिहाड़ी कामगार काम करते थे, जिनमें लाइटमैन, जूनियर कलाकार और स्टंट कलाकार थे; इनमें से अधिकांश के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। पिछले वर्ष आपकी फ़िल्म के एक स्टंट कलाकार को चोट लगी और उसने अस्पताल का बिल अपनी जेब से भरा। आपने सार्वजनिक रूप से वादा किया है कि आप अपने कू के लिए एक कल्याण कोष बनाएंगे, और यह अकेला शुल्क वर्षों तक उस कोष को चला सकता है। दूसरा प्रस्ताव किशोरों को लक्ष्य करके बेचे जाने वाले एक अधिक चीनी वाले एनर्जी ड्रिंक का है, जिसमें पैसा कम है। आपकी 14 वर्ष की भतीजी बताती है कि उसके सहपाठी आपकी हेयरस्टाइल और संवादों की नकल करते हैं। एक जन-स्वास्थ्य चिकित्सक ने राष्ट्रपति के शब्दों को उद्धृत करते हुए सोशल मीडिया पर आपको टैग किया है। जिस फ़िल्म ने पुरस्कार जीता, उसमें आपकी भूमिका एक अनुशासित खिलाड़ी की थी जिसने नशे की लत पर विजय पाई थी।

प्रश्न 1. दोनों में से प्रत्येक प्रस्ताव को स्वीकार करने में कौन-से नैतिक मुद्दे निहित हैं?

प्रश्न 2. क्या इस शुल्क से अपने कू के लिए आप जो भलाई करेंगे, वह इस विज्ञापन को उचित ठहरा सकती है? क्यों या क्यों नहीं?

प्रश्न 3. आप क्या करेंगे, और अपने निर्णय को सार्वजनिक रूप से कैसे समझाएंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **छद्म विज्ञापन को उसके असली नाम से पुकारें** — चबाने वाले तंबाकू उत्पाद के ही ब्रांड नाम से बेचा जाने वाला माउथ फ़्रेशनर छद्म विज्ञापन (surrogate advertisement) का पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है: इसका वास्तविक उद्देश्य तंबाकू ब्रांड को लोगों की स्मृति में बनाए रखना है, जबकि COTPA, 2003 की धारा 5 उसके अपने विज्ञापन पर रोक लगाती है। CCPA के 2022 के दिशानिर्देश छद्म विज्ञापन को प्रतिबंधित करते हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत प्रचार करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे विज्ञापन करने से रोका जा सकता है। कंपनी के वकीलों की कानूनी मंजूरी वैधता का प्रमाण नहीं है। पान मसाले का मुख्य घटक सुपारी स्वयं अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (International Agency for Research on Cancer) द्वारा कैंसरकारी पदार्थ के रूप में वर्गीकृत है। इसलिए पहला प्रस्ताव कानूनी कसौटी पर भी विफल होता है और नैतिक कसौटी पर भी।
2. **अच्छे साध्य हानिकारक साधनों को पवित्र नहीं कर देते** — कल्याण कोष का तर्क आकर्षक है, क्योंकि कू की जरूरत सच्ची है और अभिनेता का वादा ईमानदार था। पर यह तर्क हज़ारों युवा प्रशंसकों से स्वास्थ्य का जोखिम उठाने को कहता है ताकि 150 कामगारों का बीमा हो सके, यानी यह प्रशंसकों को किसी और के लक्ष्य का साधन बना देता है। कांट का यह सिद्धांत कि मनुष्य को कभी केवल साधन के रूप में नहीं बरतना चाहिए, और “नैतिकता रहित व्यापार” के विरुद्ध गांधी की चेतावनी, दोनों इस सौदे को अस्वीकार करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भी, कू की रक्षा दूसरे तरीकों से की जा सकती है: अभिनेता की अपनी फ़ीस के एक हिस्से से, प्रोडक्शन अनुबंधों में बीमा को शामिल कराकर, और कामगारों को सरकारी योजनाओं में पंजीकृत कराकर। जब कोई अच्छा साध्य स्वच्छ साधनों से पाया जा सकता हो, तब हानिकारक साधन चुनने का बचाव करना कठिन है।

3. **प्रभाव जितना व्यापक, कर्तव्य उतना ही बड़ा** — राष्ट्रपति का आशय यह था कि किसी सितारे के चुनावों की नकल लाखों बच्चे करते हैं, और भतीजी की बात इसकी पुष्टि करती है। बच्चे आसानी से यह नहीं पहचान पाते कि कौन-सा विज्ञापन पैसे लेकर किया गया है और कौन-सी सच्ची सिफारिश है; वे अभिनेता पर उन पात्रों के कारण भरोसा करते हैं जिन्हें वह निभाता है। जो अभिनेता नशे पर विजय पाने वाले खिलाड़ी की भूमिका निभाए और फिर नशे से जुड़ा उत्पाद बेचे, वह दर्शकों का वह भरोसा खर्च कर रहा है जो उन्होंने किसी और कारण से दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में कहा था कि भ्रामक विज्ञापनों के लिए प्रचार करने वाले भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। उत्तरदायित्व प्रभाव के साथ बढ़ता है, और किसी सार्वजनिक व्यक्ति के चुनाव कभी पूरी तरह निजी नहीं होते।
4. **एनर्जी ड्रिंक को 'कम बुराई' मानकर नहीं, उसके अपने तथ्यों पर परखें** — दूसरा प्रस्ताव केवल इसलिए अपने आप स्वीकार्य नहीं हो जाता कि वह कम हानिकारक है। अभिनेता को पूछना चाहिए कि उत्पाद में क्या है, वह कौन-से दावे करता है, और क्या उसका लक्ष्य बच्चे और किशोर हैं। यदि उसका विपणन अधिक चीनी और अधिक कैफीन वाले उत्पाद के साथ ऊर्जा या प्रदर्शन के दावे करते हुए किशोरों को निशाना बनाता है, तो वह उसी सिद्धांत से टकराता है। अभिनेता मना कर सकता है, या केवल कुछ शर्तों पर स्वीकार कर सकता है, जैसे बच्चों को लक्ष्य करने वाला कोई अभियान नहीं, सच्चे दावे और स्पष्ट लेबलिंग। इस प्रकार की सम्यक सावधानी (due diligence) ही वह कानूनी बचाव भी है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रचार करने वाले को देता है; इसलिए यहां नैतिकता और विवेक एक ही दिशा दिखाते हैं।
5. **इनकार को सकारात्मक कर्म में बदलें** — चुपचाप मना कर देने से अभिनेता की सत्यनिष्ठा तो बची रहती है, पर खुलकर कदम उठाने से पूरा उद्योग भी बदल सकता है। अभिनेता अपनी कमाई से अपने कू के स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा का खर्च उठा सकता है, भविष्य के निर्माताओं से आग्रह कर सकता है कि वे अनुबंधों में ऐसा कवर शामिल करें, और कामगारों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने में मदद कर सकता है। वह तंबाकू के विरुद्ध या फिटनेस के पक्ष में किसी जन-स्वास्थ्य अभियान के लिए निःशुल्क या कम शुल्क पर अपना चेहरा दे सकता है। इससे सामाजिक सुरक्षा पर राष्ट्रपति के दूसरे आग्रह का भी उत्तर मिलता है और पहले का भी। सद्गुण केवल हानि से बचना नहीं, सक्रिय रूप से भलाई करना भी है।
6. **उपदेश दिए बिना निर्णय समझाएं** — सार्वजनिक रूप से अभिनेता को सीधे इतना कहना चाहिए कि वह स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों का प्रचार नहीं करेगा क्योंकि युवा उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने संसाधनों से अपने कू के लिए बीमा की व्यवस्था कर रहा है। उसे ऐसे विज्ञापन करने वाले सहकर्मियों पर हमला करने से बचना चाहिए, क्योंकि नैतिक उपदेश नाराजगी पैदा करता है और संदेश को उसके अपने बारे में बना देता है। सार्वजनिक छवि और निजी चुनावों के बीच एकरूपता ही सत्यनिष्ठा (integrity) का अर्थ है, और समय के साथ यही किसी सितारे को स्थायी विश्वसनीयता भी देती है। ₹12 करोड़ का तात्कालिक नुकसान वास्तविक है, पर दर्शकों का भरोसा ही वह पूंजी है जिस पर हर भावी भूमिका और हर भावी विज्ञापन टिका होता है।

केस 3 — वह रेंजर जिसने अकेले डंपर का पीछा किया

परिदृश्य (SCENARIO) आप एक वरिष्ठ वन अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार ने आपसे प्रतापगढ़ वन मंडल का प्रभार संभालने और 15 दिनों के भीतर उसके एक अधिकारी की मृत्यु पर रिपोर्ट देने को कहा है। सोमवार, 21 सितंबर की देर रात वन दल को सूचना मिली कि छोटी सादडी थाने की सीमा में घाटीवाले बालाजी मंदिर के पास एक वन क्षेत्र से अवैध रूप से मिट्टी का खनन हो रहा है। 40 वर्षीय वन रेंजर प्रताप सिंह चूड़ावत और वनरक्षक सुरेश तथा अजय मौके पर पहुंचे, जहां पांच-छह लोग एक JCB और एक डंपर से खुदाई कर रहे थे। जब डंपर भागने लगा, तो श्री चूड़ावत ने मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया। उप पुलिस अधीक्षक (Deputy SP) के अनुसार, वहां पहुंचे सह-अभियुक्तों ने चालक को उकसाया कि “इसे कुचल दो”, और कथित रूप से चालक ने, जिसकी पहचान काना बावरी के रूप में हुई है, रेंजर को कुचल दिया और भाग गया। मंगलवार को निम्बाहेडा के सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। FIR दर्ज हो चुकी है, JCB और डंपर जब्त कर लिए गए हैं, और JCB के मालिक तथा चालक सहित कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह मिट्टी गाढ़ी “गारा” मिट्टी थी, जिससे ईंटें बनती हैं, दीवारों पर लिपाई होती है और घरों की दरारें भरी जाती हैं। मंडल के उप वन संरक्षक (Deputy Conservator) ने उन्हें “हमारा सबसे अच्छा अधिकारी” कहा; इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और वे पैथरों तथा अजगरों के बचाव में सक्रिय रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद से वनरक्षकों ने आपसे कह दिया है कि वे सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के बिना रात्रि गश्त पर नहीं जाएंगे, और उनका संघ आनेवास्तों की मांग कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब परिवार अपने कच्चे घरों के लिए यह मिट्टी खोदते हैं और छोटे खरीदार इस पर निर्भर हैं। एक स्थानीय नेता हत्यारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग करते हुए आपसे यह भी कहते हैं कि “शरीबों की मिट्टी पर ढील रखिए”। रेंजर की विधवा आपसे पूछती हैं कि क्या उनके पति को “मरने के लिए भेजा गया था”। आपकी प्रारंभिक समीक्षा में पता चलता है कि मंडल के पास रात में अपराधियों का पीछा करने के लिए कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं है।

प्रश्न 1. चालक के अलावा रेंजर की मृत्यु की ज़िम्मेदारी और किस पर है, और किस अर्थ में?

प्रश्न 2. अपने कर्मचारियों को अनुचित जोखिम में डाले बिना आप अवैध खनन के विरुद्ध प्रवर्तन को फिर से कैसे बहाल करेंगे?

प्रश्न 3. संगठित अवैध खनिकों से अलग, अपने घरों के लिए मिट्टी खोदने वाले गरीब परिवारों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **रेंजर के लिए न्याय का अर्थ है केवल चालक नहीं, पूरे तंत्र का पीछा करना** — पहला कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस के साथ मिलकर एक गहन आपराधिक जांच हो, ताकि आरोपों में हत्या और सह-अभियुक्तों द्वारा कथित उकसावा, दोनों शामिल हों। जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि मशीनों का मालिक कौन है, उन्हें किराये पर किसने लिया और मिट्टी खरीदता कौन है, क्योंकि आधी रात को JCB और डंपर का होना किसी घरेलू ज़रूरत की नहीं, एक संगठित धंधे की ओर इशारा करता है। जहां लागू हों, वहां राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (Rajasthan Forest Act, 1953) के अंतर्गत वन अपराध और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957) के उल्लंघन भी जोड़े जाने चाहिए, साथ ही वाहनों की ज़रूरी भी। शीघ्र और पूर्ण आरोप-पत्र ही वह सबसे सार्थक श्रद्धांजलि है जो विभाग दे सकता है।
2. **जिन्हें राज्य खतरे में भेजता है, उनके प्रति उसका देखभाल का कर्तव्य (duty of care) है** — श्री चूड़ावत ने साहस से काम लिया, लेकिन साहस की व्यवस्था की जगह नहीं लेनी चाहिए। जो मंडल रात में भारी मशीनों वाले लोगों के विरुद्ध छोटी टुकड़ियों को जंगलों

में भेजता है, और पीछा करने, संचार या पुलिस सहायता पर कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं रखता, वह अपने कर्मचारियों के प्रति विफल रहा है। विधवा को ईमानदार उत्तर यही है कि उनके पति अपना कर्तव्य निभा रहे थे और विभाग ने उन्हें पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं किया था। उन्हें हर पात्रता शीघ्र मिलनी चाहिए, जिसमें मुआवज़ा, पारिवारिक पेंशन और पात्र होने पर अनुकंपा नियुक्ति शामिल हैं, और उन्हें फ़ाइलों के पीछे दौड़ाया नहीं जाना चाहिए। संस्थागत ज़िम्मेदारी स्वीकार करना दिवंगत अधिकारी का अपमान नहीं है; यह उनके प्रति सम्मान है।

3. **आग्नेयास्त्रों पर बहस से पहले सुरक्षित तरीकों से गश्त बहाल करें** — रक्षकों का डर जायज़ है, और बिना किसी बदलाव के उन्हें वापस भेजने का आदेश अनुचित भी होगा और कारगर भी नहीं। अधिकारी को तुरंत एक मानक संचालन प्रक्रिया (standard operating procedure) जारी करनी चाहिए: रात्रि अभियान केवल पर्याप्त संख्या वाली टुकड़ियों में, वाहनों और रेडियो के साथ, थाने को पूर्व सूचना देकर हों, और कोई अकेले पीछा न करे, बल्कि बाद में ज़ब्त के लिए वाहनों के नंबर दर्ज करे। पुलिस के साथ संयुक्त गश्त, निकास मार्गों पर चेक-पोस्ट, और खुदाई के ज्ञात स्थलों पर कैमरे या ड्रोन व्यक्तिगत बहादुरी से कहीं अधिक काम कर सकते हैं। आग्नेयास्त्रों की मांग पर राज्य के साथ विचार किया जा सकता है, पर प्रशिक्षण, कानूनी आधार और कार्रवाई के स्पष्ट नियमों के बिना दिए गए हथियार नए जोखिम पैदा करते हैं।
4. **ज़रूरत और लालच में भेद करें** — अपनी दीवारों के लिए कुछ टोकरी मिट्टी खोदने वाला परिवार और आधी रात को बेचने के लिए मिट्टी ढोने वाले JCB और डंपर एक समान नहीं हैं। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करने से या तो गरीबी अपराध बन जाएगी, या, अधिक संभावना यह है कि संगठित खनिक गरीबों की आड़ में छिप जाएंगे। अधिकारी को ज़िला प्रशासन को प्रस्ताव देना चाहिए कि वन क्षेत्र के बाहर ऐसे वैध स्थल चिह्नित किए जाएं जहां घरेलू उपयोग के लिए सरल परमिट पर मिट्टी निकाली जा सके। तब प्रवर्तन वन भूमि से मशीनों द्वारा होने वाले व्यावसायिक खनन पर केंद्रित हो सकता है। आनुपातिकता (proportionality) और समता प्रवर्तन की कमज़ोरी नहीं हैं; ये प्रवर्तन को विश्वसनीय बनाती हैं और समुदाय का सहयोग दिलाती हैं।
5. **राजनीतिक दबाव का उत्तर पारदर्शिता से दें** — नेता के अनुरोध में गरीबों के बारे में एक उचित बात है, और एक अनुचित बात भी, यदि “ढील रखने” का आशय इस धंधे को बचाना हो। अधिकारी को पहली बात को घरेलू परमिट के प्रस्ताव के माध्यम से खुलकर स्वीकार करना चाहिए और दूसरी को बिना टकराव के अस्वीकार करना चाहिए। निर्देश लिखित रूप में मांगे और दिए जाने चाहिए, और संगठित खनन के विरुद्ध कार्रवाई में ढील के लिए डाले गए किसी भी दबाव को अधिकारी को अभिलेख में दर्ज करना चाहिए। नोलन सिद्धांतों (Nolan principles) में सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता की मांग है कि निर्णय विधि और साक्ष्य पर आधारित हों, इस पर नहीं कि कहने वाला कौन है। शुरुआत में ही स्पष्टता बरतने से प्रायः बार-बार के दबाव पर अंकुश लग जाता है।
6. **उन्हें ऐसी श्रद्धांजलि दें जो व्यवस्था को बदल दे** — 15 दिनों की रिपोर्ट को एक रात की घटना के लिए दोष तय करने से आगे जाना चाहिए। इसमें पूरे राज्य के लिए पीछा करने का प्रोटोकॉल, उपकरण, पुलिस और खनन विभागों के साथ संयुक्त कार्यबल, अवैध खनन की सूचना देने के लिए सार्वजनिक हेल्पलाइन, और ग्राम वन सुरक्षा समितियों की भागीदारी की सिफ़ारिश होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अक्सर विभाग से पहले पता चल जाता है कि कहाँ खुदाई हो रही है। विभाग श्री चूंडावत के नाम पर कोई पुरस्कार या चेक-पोस्ट रख सकता है, पर सबसे अच्छा स्मारक यही होगा कि फिर कभी कोई रेंजर अकेले किसी डंपर का पीछा करने के लिए न छोड़ा जाए। ऐसे क्षणों में नेतृत्व का अर्थ है कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखते हुए शोक को स्थायी सुधार में बदलना।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
अनुच्छेद 80 — राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha elections)	अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा करते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता; अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य केवल अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर रहता है। निर्वाचन आयोग ने 12 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान की घोषणा की है, जिसके बाद संसद में बसपा (BSP) का एक भी सदस्य नहीं रह जाएगा।
परिसीमन पर रोक — अनुच्छेद 81 और 82 (Delimitation freeze)	अनुच्छेद 81 लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या की अधिकतम सीमा 550 तय करता है (राज्यों से 530 तक और संघ राज्यक्षेत्रों से 20), और अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होना चाहिए। 42वें संशोधन (1976) ने राज्यों के बीच सीटों के आवंटन को 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक स्थिर कर दिया, और 84वें संशोधन (2001) ने इस रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया। 'द डीलिटिमिडेशन डिबेट' (The Delimitation Debate) नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर द हिंदू ने उल्लेख किया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या तीन बार बढ़ाई गई, पर 1976 के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अनुच्छेद 239AA — दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण किसका (who controls Delhi's police)	1991 में 69वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है, सिवाय राज्य सूची के लोक व्यवस्था (प्रविष्टि 1), पुलिस (प्रविष्टि 2) और भूमि (प्रविष्टि 18) के। इसलिए दिल्ली पुलिस निर्वाचित सरकार के प्रति नहीं, बल्कि उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है। कालकाजी सामूहिक बलात्कार के बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस को गोवा पुलिस की तर्ज़ पर केवल महिलाओं वाला "पिंक फ़ोर्स" बनाने का निर्देश दिया है, जो स्कूलों, कॉलेजों और मेट्रो स्टेशनों पर गश्त करेगा।
अनुच्छेद 227 और 235 — अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (control over trial courts)	अनुच्छेद 235 ज़िला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की तैनाती, पदोन्नति और अवकाश शामिल हैं, उच्च न्यायालय में निहित करता है, और अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। सर्वोच्च न्यायालय का विचारण न्यायाधीशों (trial judges) पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। 2021 के लखीमपुर खीरी पीड़ितों के परिवारों की विचारण न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा और कहा कि अधीक्षण की शक्ति "संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है"।
सॉलिसिटर जनरल — सांविधिक, संवैधानिक नहीं (a statutory, not constitutional, office)	अनुच्छेद 76 संघ के एकमात्र संवैधानिक विधि अधिकारी, भारत के महान्यायावादी (Attorney General for India) का पद सृजित करता है (राज्यों के महाधिवक्ताओं का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है); उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और अनुच्छेद 88 के अंतर्गत संसद में बोलने का अधिकार है, पर मत देने का नहीं। सॉलिसिटर जनरल और अपर सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति विधि अधिकारी (सेवा शर्त) नियम, 1987 के तहत मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति करती है। एक असामान्य उपस्थिति में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक सरकार के ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण की ओर से उसकी प्रीमियम फ़्लोर एरिया रेशियो योजना पर बहस की; कोई केंद्रीय विधि अधिकारी किसी पक्ष की ओर से तब तक पेश हो सकता है जब तक मामला संघ के विरुद्ध न हो।
ललिता कुमारी और प्रारंभिक जांच (Lalita Kumari and the preliminary inquiry)	ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Lalita Kumari v. State of U.P., 2013) में संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जब सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का पता चले तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है, पर वैवाहिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामलों जैसी श्रेणियों में प्रारंभिक जांच की अनुमति दी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(3) अब तीन से सात वर्ष तक के दंडनीय अपराधों में, उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पद के अधिकारी की अनुमति से, 14 दिनों के भीतर पूरी की जाने वाली प्रारंभिक जांच की अनुमति देती है। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े CMRL-एक्सालॉजिक मामले में पुलिस जांच का आदेश देते हुए करलम ने ललिता कुमारी के साथ-साथ PMLA की धारा 66(2) के तहत ED की सूचना साझा करने की शक्ति का हवाला दिया।
PMLA — अनुसूचित अपराध (the scheduled offence)	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002) के अंतर्गत धन-शोधन का अपराध (धारा 3) उस अपराध की आय पर निर्भर करता है जो अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी "अनुसूचित" (मूल या predicate) अपराध से उत्पन्न हुई हो, और धारा 44 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की शिकायत पर सज़ान लेता है। विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (Vijay Madanlal Choudhary v. Union of India, 2022) में सर्वोच्च

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	न्यायालय ने माना कि प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) एक आंतरिक दस्तावेज़ है, FIR के समतुल्य नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि ED का नेशनल हेराल्ड मामला, जो एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था, किसी मूल अपराध के बिना आगे नहीं बढ़ सकता।
BNSS की धारा 98 — प्रकाशनों का समपहरण (forfeiting publications)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 98 (पुरानी CrPC की धारा 95) राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह अपने आधारों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना द्वारा किसी भी समाचार-पत्र, पुस्तक या दस्तावेज़ को समपहृत घोषित कर दे, यदि उसकी सामग्री अपराधिक विधि के निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत दंडनीय प्रतीत होती हो; प्रभावित व्यक्ति इस आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। विधि की दृष्टि में कोई पुस्तक केवल ऐसे औपचारिक आदेश से ही “प्रतिबंधित” होती है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपनी विधानसभा को बताया कि जांच के बाद कॉलेज पुस्तकालयों से 4,812 पुस्तकें हटाई गईं, जिनमें से 518 प्रतिबंधित पुस्तकें थीं और 4,249 नहीं।
धारा 15JB के तहत SEBI निपटान (SEBI settlement under Section 15JB)	प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा जोड़ी गई SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 15JB न्यायनिर्णयन कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना एक राशि चुकाकर मामला निपटाने की अनुमति देती है; इसकी प्रक्रिया SEBI (निपटान कार्यवाही) विनियम, 2018 में निर्धारित है। प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23JA इसी के समानांतर प्रावधान है। SEBI ने अदाणी समूह की पांच कंपनियों के विरुद्ध संबंधित पक्ष (related-party) और सूचीबद्धता नियमों से जुड़े प्रकटीकरणों पर चल रही कार्यवाही को अपनी उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित शर्तों पर निपटा दिया।
परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (Variable Rate Reverse Repo — VRRR)	VRRR, RBI की चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility) के अंतर्गत होने वाली एक नीलामी है, जिसमें बैंक अपनी अधिशेष निधि बाज़ार द्वारा निर्धारित दरों पर RBI के पास रखते हैं, जिससे व्यवस्था से चलनिधि खिंच जाती है; यह परिवर्तनीय दर रेपो का उलटा है, जो चलनिधि डालता है। RBI अधिनियम में 2018 के संशोधन के बाद अप्रैल 2022 में शुरू की गई स्थायी जमा सुविधा (Standing Deposit Facility) RBI को बिना संपाश्विक दिए चलनिधि सोखने की सुविधा देती है और नीतिगत दर गलियारे का निचला छोर बनाती है। भारी अधिशेष के बीच कॉल मनी दर को रेपो दर के अनुरूप लाने के लिए RBI ने मंगलवार को एक रात्रिकालीन VRRR के ज़रिए ₹71,971 करोड़ सोख लिए।
ब्लू बॉन्ड (Blue bonds)	ब्लू बॉन्ड एक ऋण साधन है जिससे जुटाई गई राशि महासागर और जल से जुड़ी परियोजनाओं, जैसे सतत मत्स्य पालन, स्वच्छ जल, समुद्री संरक्षण और स्वच्छ नौवहन, के वित्तपोषण में लगाई जाती है; सेशेल्स ने 2018 में विश्व का पहला सॉवरन ब्लू बॉन्ड जारी किया था। भारत में SEBI के हरित ऋण प्रतिभूतियों के ढांचे का 2023 में विस्तार करके उसमें ब्लू बॉन्ड को शामिल किया गया। भारत की पहली समुद्री ऋणदाता संस्था, सागरमाला फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका नाम 2015 में स्वीकृत बंदरगाह-आधारित विकास कार्यक्रम सागरमाला पर रखा गया है, 28 सितंबर को भारत के पहले ब्लू बॉन्ड के ज़रिए धन जुटाने की योजना बना रही है।
उड़ान — क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN — Regional Connectivity Scheme)	राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अंतर्गत शुरू की गई क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) एक निश्चित हिस्से की सीटों पर किराये की सीमा तय करती है और असेवित तथा अल्प-सेवित हवाई अड्डों तक उड़ान भरने के लिए एयरलाइनों को व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (viability gap funding) देती है; उड़ान की पहली उड़ान अप्रैल 2017 में शिमला और दिल्ली के बीच चली थी। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा होता है, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। नागर विमानन मंत्रालय ने नए RCS हवाई अड्डे प्रस्तावित करने के लिए 21 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे मंत्री के अनुसार 10 वर्षों में 100 और हवाई अड्डे बनाने में मदद मिलेगी; मंत्रिमंडल ने मार्च में ₹28,840 करोड़ के साथ अगले 10 वर्षों के लिए ‘संशोधित उड़ान’ को स्वीकृति दी थी।
हवाई अड्डा रियायतें और एयरलाइन की परस्पर हिस्सेदारी (Airport concessions and airline cross-holding)	दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डे सार्वजनिक-निजी भागीदारी समझौतों, यानी संचालन, प्रबंधन और विकास समझौतों (OMDA), के तहत चलाए जाते हैं, और प्रत्येक संचालक कंपनी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 26% हिस्सेदारी है। OMDA अनुसूचित एयरलाइनों और उनके समूह की इकाइयों को हवाई अड्डा संचालक में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकता है, जिसका व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि संचालक किसी एयरलाइन का प्रवर्तन नहीं कर सकता। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू का कहना है कि सरकार छुट के लिए अदाणी समूह के अनुरोध के पक्ष-विपक्ष को तौलेगी; अलग से, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 धारा 3 के तहत प्रतिस्पर्धा-विरोधी ऊर्ध्वाधर समझौतों को और धारा 4 के तहत बाज़ार तक पहुंच से वंचित करने सहित प्रभुत्व के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है।
अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन (Anusandhan National Research Foundation)	अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन (ANRF) की स्थापना ANRF अधिनियम, 2023 के तहत विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान के वित्तपोषण और समन्वय के लिए की गई; प्रधानमंत्री इसके शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। इस अधिनियम ने विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त करके SERB को ANRF में विलीन कर दिया; ANRF का लक्ष्य अपने वित्त का बड़ा हिस्सा गैर-सरकारी स्रोतों से जुटाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रबंधन सम्मेलन में कहा कि अनुसंधान एवं विकास पर भारत का सकल व्यय GDP का 0.83% है और इसमें निजी क्षेत्र का योगदान केवल 36% है, जबकि अग्रणी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह 70% से अधिक है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
अनुच्छेद 243Q — नगरपालिकाओं के प्रकार (types of municipalities)	74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243Q तीन प्रकार के नगरीय स्थानीय निकायों का प्रावधान करता है: ग्रामीण से नगरीय बन रहे क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम। बारहवीं अनुसूची में 18 कार्य सूचीबद्ध हैं, जिनमें नगरीय नियोजन, जलापूर्ति और गंदी बस्तियों का सुधार शामिल हैं, जिन्हें राज्य इन निकायों को सौंप सकते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के 2026 के ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में विश्व के 100 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में 55 भारतीय शहर हैं, फिर भी समग्र रैंकिंग में शीर्ष भारतीय शहर दिल्ली 268वें स्थान पर है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 — प्रतिक्रिया बल (the response forces)	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005) ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरणों की स्थापना की। धारा 44 एक विशेषज्ञ बल के रूप में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का गठन करती है, जबकि राज्य अपने-अपने राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) बनाते हैं; राहत का वित्तपोषण राज्य आपदा मोचन निधि से होता है, जिसमें अधिकांश धनराशि केंद्र वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देता है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 15 जिलों में लगभग 49.72 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और SDRF की 27 तथा NDRF की आठ टीमें तैनात की गई हैं।
मंजूषा कला (Manjusha art)	मंजूषा बिहार में भागलपुर के आसपास के अंग क्षेत्र की लोक चित्रकला परंपरा है, जिसका नाम उन मंदिर-आकार की पेंटियों (मंजूषा) पर पड़ा है जिन पर परंपरागत रूप से यह चित्रकारी की जाती थी। इसमें बिहुला और बिषहरी की कथा चित्रित की जाती है, जिसमें सर्प केंद्रीय रूपांकन होते हैं, और इसे मोटी रेखाओं तथा सीमित रंगों से बनाया जाता है, जिनमें गुलाबी, हरा और पीला प्रमुख हैं। भागलपुर के बाढ़ राहत शिविरों में स्थानीय कलाकार विस्थापित बच्चों को कला चिकित्सा (art therapy) के रूप में मंजूषा सिखा रहे हैं।
अग्रेमां — राजनयिक सहमति (Agrément)	राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, 1961 (Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961) के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत भेजने वाले राज्य को किसी व्यक्ति को अपने राजनयिक मिशन के प्रमुख के रूप में प्रत्यायित करने से पहले ग्रहण करने वाले राज्य की अग्रेमां, यानी उसकी औपचारिक सहमति, लेनी होती है, और ग्रहण करने वाला राज्य इसे अस्वीकार करने के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रमंडल देशों के बीच मिशन प्रमुखों को राजदूत के बजाय उच्चायुक्त कहा जाता है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से पहले भारत ने बांग्लादेश के विदेश सचिव असद आलम सियाम को नई दिल्ली में ढाका का अगला उच्चायुक्त बनाए जाने के लिए अपनी अग्रेमां दे दी है।
श्रीलंका का आतंकवाद निवारण अधिनियम (Sri Lanka's Prevention of Terrorism Act)	श्रीलंका का आतंकवाद निवारण अधिनियम 1979 में एक अस्थायी कानून के रूप में बना था और 1982 में स्थायी कर दिया गया; यह लंबी अवधि तक हिरासत की अनुमति देता है और मानवाधिकार संस्थाएं लंबे समय से इसकी आलोचना करती रही हैं। 2021 में नियुक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ, एक विशेष उच्च न्यायालय ट्रायल-एट-बार (Trial-at-Bar), ने अप्रैल 2019 में चर्ची और होटलों पर हुए ईस्टर संडे बम धमाकों, जिनमें 279 लोग मारे गए थे, के 24 अभियुक्तों में से 14 को दोषी ठहराया है। महान्यायवादी (Attorney General) ने आतंकवाद निवारण अधिनियम सहित 23,270 आरोप दायर किए थे।
बाब-अल-मंदेब और पेरिम (Bab el-Mandeb and Perim Island)	बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य अरब प्रायद्वीप पर स्थित यमन और हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका में स्थित ज़िबूती तथा इरिट्रिया के बीच है, और लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। पेरिम द्वीप, जिसे अरबी में मयून कहते हैं, यमन का है और इस जलडमरूमध्य में स्थित होकर इसे दो जलमार्गों में बांटता है; यमन के बंदरगाह मोखा के नाम पर ही मोका कॉफी का नाम पड़ा। द इंडियन एक्सप्रेस ने MP-IDSA के प्रशांत कुमार प्रधान के हवाले से बताया है कि मयून द्वीप और मोखा बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के कब्जे से इस नौवहन मार्ग पर उनकी पकड़ मज़बूत हुई है।
सीमापार धुंध प्रदूषण पर आसियान समझौता (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution)	सीमापार धुंध प्रदूषण पर आसियान समझौता 2002 में हस्ताक्षरित हुआ और 2003 से प्रभावी है; यह भूमि और वनों की आग से उठने वाली धुंध की रोकथाम और निगरानी के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी क्षेत्रीय समझौता है। धुंध का मुख्य स्रोत इंडोनेशिया इसका अनुसमर्थन करने वाला अंतिम सदस्य था, जिसने 2014 में ऐसा किया। अधिकांश धुआं सुखाई गई पीटभूमियों (peatlands) के जलने से आता है, जो हफ्तों तक सुलगती रहती हैं और भारी मात्रा में कार्बन छोड़ती हैं। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बोनियो, सुमात्रा और पापुआ में लगी आग के बीच धुंध-प्रभावित क्षेत्रों में श्वसन रोगों के 1,70,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं।
बड़ा गरुड़ या हरगिला (Greater adjutant)	बड़ा गरुड़ (Leptoptilos dubius), जिसे असमिया में हरगिला कहते हैं, मुदाखोर सारस की एक बड़ी प्रजाति है, जिसकी मुख्य प्रजनन बस्तियां असम और बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हैं, और एक छोटी आबादी कंबोडिया में है। संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन ने असम के कामरूप ज़िले में गांव की महिलाओं को “हरगिला आर्मी” के रूप में संगठित करके इसके घोंसले वाले पेड़ों की रक्षा की, और 2022 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार मिला। अब इसी कार्य के लिए उन्हें विज्ञानसलाइन ने “चेंजमेकर ऑफ़ द ईयर” चुना है।
वेनिस बिएनाले और भारत का मंडप (Venice Biennale and India's pavilion)	1895 में शुरू हुआ वेनिस बिएनाले विश्व की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित समकालीन कला प्रदर्शनियों में से एक है; इसमें देश अपने राष्ट्रीय मंडपों में कृतियां प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से 30 मंडपों के शहर के जियादीनी पार्क में अपने स्थायी भवन हैं। भारत का राष्ट्रीय मंडप अब तक केवल तीन बार रहा है: 2011, 2019 और 2026 में। अमीन जाफ़र द्वारा संयोजित इस वर्ष का मंडप ‘जियोग्राफीज़ ऑफ़ डिस्टेंस: रिटर्निंग

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	होम', घर के विचार पर शिल्प में रची-बसी पांच कलाकृतियों के साथ, सात वर्ष बाद भारत की वापसी का प्रतीक है।
स्वास्थ्य का अधिकार — पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति (1996) (Right to health)	पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (Paschim Banga Khet Mazdoor Samity v. State of West Bengal, 1996) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकारी अस्पतालों द्वारा समय पर आपातकालीन उपचार न दे पाना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार का उल्लंघन है, और वित्तीय बाधाएं राज्य को इस कर्तव्य से मुक्त नहीं करती। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (Indian Public Health Standards) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कर्मचारियों और उपकरणों के मानदंड निर्धारित करते हैं। 2017 में शुरू हुई एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविदा पर भर्ती से कर्मचारियों की कमी दूर नहीं हो सकती, और दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षक जैसा कोई भी शीर्ष पद रिक्त नहीं रहना चाहिए।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू (दिल्ली संस्करण) — 23 सितंबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरका तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

आज्ञापालन का आदेश दिया जा सकता है; निष्ठा अर्जित करनी पड़ती है।

विषय (Themes): नीतिशास्त्र • अंतरात्मा और राज्य • संस्थाएं

1985 में केरल के एक विद्यालय में तीन बच्चे, बिजो, विनु मोल और बिंदु इमैनुएल, हर सुबह राष्ट्रगान के समय उठकर खड़े हो जाते थे। वे मौन खड़े रहते थे, क्योंकि यहोवा के साक्षी (Jehovah's Witnesses) के रूप में उनकी आस्था उन्हें गाने की अनुमति नहीं देती थी। इसी के लिए उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। अगस्त 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फिर से प्रवेश देने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि सम्मानपूर्वक खड़े रहना राष्ट्रगान का अपमान नहीं है, और कोई भी कानून किसी को गाने के लिए बाध्य नहीं करता। न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने निर्णय का समापन एक ऐसी पंक्ति से किया जिसे भारत के विधि विद्यार्थी आज भी कंठस्थ करते हैं; उसका भावार्थ है: “हमारी परंपरा सहिष्णुता सिखाती है, हमारा दर्शन सहिष्णुता का उपदेश देता है, हमारा संविधान सहिष्णुता का आचरण करता है; आइए, हम इसे क्षीण न होने दें।” वे बच्चे निष्ठाहीन नहीं थे। राज्य उनसे जो कुछ न्यायसंगत रूप से मांग सकता था, यानी उनकी उपस्थिति और उनका सम्मान, वह सब उन्होंने दिया; उन्होंने केवल वह एक चीज़ देने से इनकार किया जिसे राज्य ले ही नहीं सकता था: ऐसे शब्द, जिन पर उनकी अंतरात्मा को विश्वास नहीं था।

यह मामला एक ऐसा भेद सामने रखता है जिसे हर सरकार को सीखना पड़ता है। आज्ञापालन वह आचरण है जो दंड के भय से उपजता है वह तभी तक टिकता है जब तक कोई देख रहा हो। निष्ठा स्वेच्छा से दी गई प्रतिबद्धता है; वह तब भी बनी रहती है जब कोई नहीं देख रहा होता। राज्य को दोनों की आवश्यकता है, पर बल केवल पहले को पैदा कर सकता है। निष्ठा न्यायपूर्णता का प्रतिफल है। वह तब पनपती है जब सत्ता अपने कार्यों का कारण बताती है, अंतरात्मा की सीमाओं का आदर करती है और नागरिक को संदिग्ध नहीं, साझेदार मानती है। जब कोई राज्य सीधे आदेश देकर निष्ठा पाने की कोशिश करता है, तो प्रायः उसके हाथ दोनों ही कम आते हैं।

इतिहास इस बात की सशक्त गवाही देता है। 23 सितंबर 1918 को जोधपुर और मैसूर के घुड़सवारों ने माउंट कार्मेल की ढलानों पर धावा बोला और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हाइफ्रा जीत लिया। उस युद्ध में दस लाख से अधिक भारतीयों ने विदेशों में सेवा की। स्वयं गांधी ने 1918 में खेड़ा का दौरा करके ग्रामीणों से सेना में भर्ती होने का आग्रह किया था। बहुत कम साम्राज्यों को किसी पराधीन जनता से इतना आज्ञापालन मिला होगा। पर कुछ ही महीनों में रॉलेट एक्ट आया, जिसने बिना मुकदमे के नज़रबंदी की छूट दे दी, और फिर अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। टैगोर ने अपनी ‘नाइट’ की उपाधि लौटा दी, और 1920 तक असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। जो साम्राज्य लोगों को घुड़सवार धावे में झोंक सकता था, वह उस समाज की निष्ठा नहीं बचा सका जिससे वे लोग आए थे। दमन ने निष्ठा की वह पूंजी पूरी तरह फूंक डाली थी।

साहित्य ने यह बात सदा समझी है। सोफोक्लीज़ की एंटीगनी राजा क्रैयॉन के आदेश के विरुद्ध जाकर अपने भाई का अंतिम संस्कार करती है और उन अलिखित नियमों की दुहाई देती है जो किसी भी राजा से पुराने हैं। 1849 में सविनय अवज्ञा पर अपने निबंध में हेनरी डेविड थोरो ने एक प्रश्न उठाया था, जिसका भावार्थ है: क्या नागरिक को एक क्षण के लिए भी, या तनिक भी, अपनी अंतरात्मा विधि-निर्माता के हवाले कर देनी चाहिए? 1633 में जब इन्क्विज़िशन ने गैलीलियो को अपना मत वापस लेने पर विवश किया, तो उसके हाथ केवल एक हस्ताक्षर लगा। यह किस्सा कि गैलीलियो ने धीमे से कहा था, “फिर भी यह घूमती है” (Eppur si muove), लगभग निश्चित रूप से एक किवंदंती है, पर यह इसलिए जीवित है क्योंकि सब समझते हैं कि धमकी देकर ली गई स्वीकारोक्ति कुछ सिद्ध नहीं करती, सिवाय उसे लेने वाले की शक्ति के। ऑरवेल का ‘नाइटीन एंटी-फ़ोर’ इस विचार को उसकी चरम परिणति तक ले जाता है। पार्टी विंस्टन के आज्ञापालन से संतुष्ट नहीं है; उसे उसका प्रेम चाहिए। उसे पाने के लिए पार्टी को विंस्टन को भीतर से नष्ट करना पड़ता है, और उपन्यास एक सिहरा देने वाली पंक्ति पर समाप्त होता है, जिसका आशय है कि अब वह बिग ब्रदर से प्रेम करता था। ज़बरदस्ती का प्रेम पाने के लिए पहले प्रेमी को तोड़ना पड़ता है।

संवैधानिक लोकतंत्रों ने यही सबक अपने न्यायालयों में सीखा है। 1940 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यालयों को बच्चों से ध्वज को सलामी दिलवाने की अनुमति दे दी थी। तीन वर्ष बाद, यहोवा के साक्षियों के विरुद्ध हिंसा की एक लहर के बाद, उसने वेस्ट वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन बनाम बार्नेट (West Virginia State Board of Education v. Barnette) में अपना ही निर्णय पलट दिया। न्यायमूर्ति रॉबर्ट जैक्सन ने चेताया था, भावार्थ में, कि विचारों का बलपूर्वक एकीकरण केवल कब्रिस्तान जैसी सर्वसम्मति ही ला पाता है।

भारत आज उसी प्रश्न के एक रूप से जूझ रहा है। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर रहा है। 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति ने राष्ट्रीय आयोजनों के लिए इसके पहले दो छंद चुने, और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को बताया कि इसे जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। इस गीत ने यह स्थान इसलिए पाया क्योंकि लोगों ने इसे स्वेच्छा से गाया, अक्सर लाठियों की मार सहते हुए। जो कानून आस्था के आधार पर सभी छह छंद न गाने वालों को कारावास की धमकी देता है, वह उसी भक्ति को सस्ता कर देने का जोखिम उठाता है जिसकी वह रक्षा करना चाहता है। चुनौती की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने, कम से कम मौखिक रूप से, सही रेखा खींची है: राज्य प्रतीक चुन सकता है, पर अंतःकरण के आधार पर आपत्ति करने वाले को दंडित नहीं कर सकता।

यही सिद्धांत संस्थाओं को भीतर से भी संचालित करता है। 1993 से निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है, और कानून उससे अपेक्षा करता है कि वह यथासंभव सर्वसम्मति से और अन्यथा बहुमत से कार्य करे। सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (T.N. Seshan v. Union of India) में इस सामूहिक ढांचे को वैध ठहराया था। इसीलिए वे समाचार महत्वपूर्ण हैं जिनके अनुसार दो निर्वाचन आयुक्तों ने दस महीनों में चौदह लिखित आपत्तियां दर्ज कीं, उन आदेशों पर जो उनकी जानकारी के बिना आयोग के नाम से जारी किए गए थे। असहमति का टिप्पण निष्ठाहीनता नहीं है। यह किसी सदस्य द्वारा उस संस्था के प्रति किया जा सकने वाला सबसे निष्ठावान कार्य है जिसका अधिकार इसी विश्वास पर टिका है कि वह विचार-विमर्श करके निर्णय लेती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम “जन्म से ही मृत” (still-born) था, इसी आधार पर खड़ा है। न्यायालय ने कहा कि अपराध का सृजन विधायिका करती है, पुलिस का गैंग चार्ट नहीं। मैक्स वेबर का तर्क था कि आधुनिक सत्ता तब वैध होती है जब लोग किसी ज्ञात प्रक्रिया से बने नियमों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं। प्रक्रिया हटा दी जाए, तो केवल आदेश बचा रह जाता है।

विरोधी पक्ष की भी निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। थॉमस हॉब्स ने 1651 में ‘लेवियाथन’ में लिखा था कि बाध्य कर सकने वाली किसी शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन, उनके प्रसिद्ध शब्दों के भावार्थ में, “एकाकी, दरिद्र, घृणित, पाशविक और अल्पायु” होगा। हर कानून अपनी जड़ में बलप्रयोग पर टिका है। कर स्वैच्छिक नहीं होते, और कोई राज्य संधमार की सहमति की प्रतीक्षा नहीं करता। बाध्यता निष्ठा से पहले भी आ सकती है और उसे जन्म भी दे सकती है। अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता का उन्मूलन आदेश से किया, अनुनय से नहीं; और अरस्तू का तर्क था कि हम न्यायपूर्ण कार्य करते-करते न्यायी बनते हैं, इसलिए कानून के अधीन बनी आदतें दृढ़ आस्था में बदल सकती हैं। स्वयं संविधान अनुच्छेद 51A(a) में नागरिकों से ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की अपेक्षा करता है। 1948 में समान नागरिक संहिता पर हुई बहस में के.एम. मुंशी ने तर्क दिया था कि जो राज्य सुधार के लिए हर समुदाय की सहमति की प्रतीक्षा करता है, वह अनंत काल तक प्रतीक्षा करता रह सकता है, और तब तक उसकी कीमत महिलाएं चुकाती हैं।

ये आपत्तियां गंभीर हैं, पर वे जितना दावा करती हैं, उससे कहीं संकरी बात सिद्ध करती हैं। बाध्यता वैध रूप से जो सुनिश्चित कर सकती है, वह ऐसा आचरण है जो दूसरों की रक्षा करे: चोरी न करना, भेदभाव न करना, दूसरों को जो प्रिय है उसका अपमान न करना। ऐसी बाध्यता निष्ठा में तभी बदलती है जब नियम न्यायसंगत हो, सही निकाय ने बनाया हो और उसे खुलकर समझाया गया हो। अस्पृश्यता विरोधी कानून ने निष्ठा इसलिए अर्जित की क्योंकि उसने उन लोगों को गरिमा लौटाई जिनसे वह छीन ली गई थी। बलपूर्वक गवाया गया समवेत गान किसी को कुछ नहीं देता। समान नागरिक संहिता के प्रश्न पर भी अंबेडकर ने सभा से कहा था कि भविष्य की संसद इसके पालन को पूर्णतः स्वैच्छिक (“purely voluntary”) बना सकती है, और 1954 का विशेष विवाह अधिनियम पहले से ही हर उस व्यक्ति को एक पंथनिरपेक्ष संहिता देता है जो उसे चुनना चाहे। जो सुधार लोगों को आमंत्रित करता है, वह उन्हें विवश करने वाले सुधार से अधिक टिकाऊ होता है।

प्रशासक के लिए यह सबक पूरी तरह व्यावहारिक है। हर आदेश जन-विश्वास के एक भंडार से कुछ न कुछ निकालता है। आदेश उस भंडार को खाली करता है; न्यायपूर्णता, स्पष्टीकरण और अंतरात्मा का सम्मान उसे फिर से भरते हैं। इमैनुएल बच्चों ने यह बात उन्हें निकालने वाले अधिकारियों से कहीं बेहतर समझी थी। सुबह-दर-सुबह उनका मौन खड़े रहना भय से गाए गए किसी भी समवेत गान से अधिक सम्मान प्रकट करता था। जो गणराज्य स्वयं पर आश्वस्त होता है, वह अपने कानूनों का पालन मांगता है, और फिर धैर्य के साथ, बिना किसी धमकी के, प्रेम पाने की प्रतीक्षा करता है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): सर्वोच्च न्यायालय: वंदे मातरम के छंद राज्य तय कर सकता है, पर अंतःकरण के आधार पर आपत्ति करने वालों पर मुकदमा नहीं चला सकता • दो निर्वाचन आयुक्तों ने 10 महीनों में 14 आपत्तियां दर्ज कीं; फॉर्म 6 में बदलाव को ‘अनधिकृत और अवैध’ बताया • सर्वोच्च न्यायालय ने उ.प्र. गैंगस्टर अधिनियम को ‘जन्म से ही मृत’ कहा, दोहराया कि अपराध का सृजन केवल विधायिका कर सकती है • मिज़ोरम में भाजपा विधायक के UCC-विरोधी प्रस्ताव से अलग होने पर संविधान सभा की 1948 की समान नागरिक संहिता बहस फिर चर्चा में

निबंध (ESSAY) 2 · निबंध · खंड B · 6 मिनट पठन (min read)

जो हाथ खिलाता है, वह प्रायः सबसे अंत में खाता है।

विषय (Themes): कृषि · असमानता · सामाजिक न्याय

1936 में प्रकाशित प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास 'गोदान' होरी की कथा है, एक छोटे किसान की, जो अपना पूरा जीवन एक ही साधारण-सी साध में बिता देता है: द्वार पर बंधी एक गाय। वह हल जोतता है, कर्ज लेता है, चुकाता है, ठगा जाता है, फिर कर्ज लेता है, और अंत में जेठ की लू में मज़दूरी करते-करते गिर पड़ता है। जब वह अंतिम सांस ले रहा होता है, गांव का पुरोहित गोदान की रस्म मांगता है। उसकी पत्नी धनिया उस दिन की मज़दूरी के गिने-चुने पैसे पुरोहित की हथेली पर रख देती है और कहती है कि यही उसके पति का गोदान है। प्रेमचंद ने इसे दुर्भाग्य बनाकर नहीं दिखाया। उन्होंने इसे किसान-जीवन की सामान्य बनावट के रूप में दिखाया।

यह विषय किसी दुर्घटना का नहीं, एक ढेर का वर्णन करता है। जो लोग सबसे आवश्यक वस्तु पैदा करते हैं, वे प्रायः उसे सबसे कम मोलभाव की शक्ति के साथ बेचते हैं, उनके नाम सबसे कम कागज़ होते हैं और सबसे अधिक जोखिम उन्हीं के सिर होता है। यह ढरा तीन तंत्रों से चलता है: मूल्य-शृंखला, जो मूल्य को उत्पादक से दूर खिसका ले जाती है; अभिलेख, जो श्रम करने वाले को नहीं, स्वामी को गिनता है; और साझा संसाधनों पर नियंत्रण, जो उसी को पुरस्कृत करता है जो सबसे गहरा खोद सके। यह निबंध तर्क देता है कि यह ढरा वास्तविक है, पर अपरिहार्य नहीं। इसका उपाय दान नहीं, ऐसी संस्थाएं हैं जो अन्नदाता को मोलभाव करने, गिने जाने और सुरक्षित रहने का सामर्थ्य दें।

अकाल इस ढेर को उसके सबसे नग्न रूप में दिखाता है। अमर्त्य सेन ने 'पॉवर्टी एंड फ़ैमिन्स' (1981) का आरंभ एक ऐसे वाक्य से किया जिसने भूख के अध्ययन की दिशा ही बदल दी; उसका भावार्थ है: "भुखमरी इस बात का लक्षण है कि कुछ लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है; इस बात का नहीं कि खाने के लिए पर्याप्त भोजन है ही नहीं।" उन्होंने दिखाया कि 1943 के बंगाल अकाल में सबसे बुरी मार ग्रामीण मज़दूरों, मछुआरों और कारीगरों पर पड़ी, यानी उन्हीं लोगों पर जिनके श्रम से खाद्य अर्थव्यवस्था चलती थी। युद्धकाल में शहर की मांग ने अनाज के दाम उनकी पहुंच से बाहर कर दिए। 1840 के दशक के आयरलैंड में अनाज देश से बाहर जाता रहा, जबकि उसे उगाने वाले भूख से दम तोड़ते रहे। 'द ग्रेप्स ऑफ़ रैथ' (1939) में जॉन स्टाइनबेक ने वह दृश्य रचा है जिसमें कीमतें ऊंची बनाए रखने के लिए फल नष्ट किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें तोड़ने वाले प्रवासी मज़दूरों के बच्चे भूखे हैं।

यही तर्क, कहीं अधिक चुपचाप, आज के सामान्य बाज़ारों में भी चलता है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute) के शोधकर्ताओं का एक नया आकलन बताता है कि भारतीय परिवार घर में पकने वाले भोजन पर जो एक रुपया खर्च करता है, उसमें से लगभग 57.8 पैसे खेत तक पहुंचते हैं; जब वही परिवार बाहर खाता है, तो खेत के हिस्से मात्र 8.4 पैसे आते हैं। वर्गीज़ कुरियन द्वारा आणंद में खड़े किए गए सहकारी मॉडल के अंतर्गत अमूल के दुग्ध उत्पादकों को ऐतिहासिक रूप से खुदरा मूल्य का 60 प्रतिशत से अधिक मिलता रहा है, क्योंकि संयंत्र, ब्रांड और वितरण के स्वामी वे स्वयं हैं। उनका बड़ा हिस्सा किसी की सदाशयता से नहीं, स्वामित्व से आया।

मूल्य जितनी ही महत्वपूर्ण मान्यता भी है। महिलाएं भारत के कृषि कार्यबल का एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा हैं, फिर भी 2025 में 41 प्रतिशत से अधिक महिला कृषि श्रमिक अवैतनिक थीं, केवल लगभग 14 प्रतिशत परिचालन जोतें महिलाओं के पास हैं, और पीएम-किसान के लाभार्थियों में महिलाएं केवल 23 प्रतिशत हैं। राज्य भुगतान उस नाम को करता है जो भू-अभिलेख में दर्ज है, और वह नाम अधिकतर पुरुष का होता है। 'अ फ़ील्ड ऑफ़ वन्स ओन' (1994) में अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने तर्क दिया कि केवल रोज़गार नहीं, बल्कि स्वतंत्र भूमि अधिकार ही किसी महिला की सुरक्षा और घर के भीतर उसकी मोलभाव-शक्ति तय करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) की 2010-11 की 'स्टेट ऑफ़ फूड एंड एग्रीकल्चर' रिपोर्ट का अनुमान था कि संसाधनों तक समान पहुंच मिलने पर महिलाओं के खेतों की उपज 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। महाराष्ट्र का नया कानून, जो भूमि-स्वामित्व की परवाह किए बिना 'महिला किसान प्रमाणपत्र' जारी करता है, आखिरकार राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 में दी गई किसान की गतिविधि-आधारित परिभाषा को व्यवहार में उतारता है। बीज बोने वाला हाथ अब जाकर पट्टा थामने वाले हाथ के साथ गिना जाएगा।

साझा संसाधन तीसरे तंत्र को उजागर करते हैं। 1960 के दशक के मध्य में भारत आयातित अमेरिकी गेहूं के सहारे 'जहाज़ से मुंह तक' (ship to mouth) का जीवन जी रहा था। पंजाब के किसानों ने नए उच्च उपज वाले बीजों के बल पर देश को अनाज में आत्मनिर्भर बना दिया। राष्ट्र की भूख पंजाब के पानी से मिटी। आज यह राज्य अपने निकासी योग्य भूजल का लगभग 152 प्रतिशत दोहन करता है, और उसके 153 विकास खंडों में से 72 प्रतिशत लाल श्रेणी (red zone) में हैं। जैसे-जैसे जलस्तर नीचे जाता है, गहरे नलकूप का खर्च न उठा सकने वाले छोटे किसान बड़े पड़ोसियों से पानी खरीदने को विवश होते हैं। जिन किसानों ने देश का पेट भरा, वे अब दोहरी कीमत चुकाते हैं: एक बार फ़सल उगाने की, और दूसरी बार अपने ही खेतों के नीचे बहते पानी की।

यह ढर्रा अगली पीढ़ी तक भी पहुंचता है। खेतिहर मज़दूर का बच्चा अक्सर घर में चूल्हा जलने से पहले ही निकल पड़ता है, और भूखी सुबह के लिए स्कूल का दोपहर का भोजन बहुत देर से आता है। तमिलनाडु ने एक सदी से इसे सार्वजनिक दायित्व माना है: 1922 में मद्रास नगर निगम के विद्यालयों में पी. त्यागराय चेट्टी द्वारा शुरू किए गए भोजन से लेकर के. कामराज के विस्तार तक, और 2022 में आरंभ हुई उस नाश्ता योजना तक, जिसे एक दूसरी सरकार ने अब कक्षा 6 से 8 तक बढ़ा दिया है और जिसके दायरे में 34.64 लाख बच्चे आ गए हैं। अन्नदाता के बच्चे का पेट भरना उन सबसे सस्ते सुधारों में से है जो कोई राज्य कर सकता है, और सबसे टिकाऊ सुधारों में से भी।

यह ढर्रा केवल अन्न तक सीमित नहीं है। 23 सितंबर 1918 को हाइफ्रा जीतने वाले भारतीय घुड़सवारों के श्रेय पर आज भी वे विद्वान प्रश्न उठाते हैं जो इसे ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के खाते में डालते हैं; यह इस बात का संकेत है कि साम्राज्यवादी स्मृति सैनिकों को नस्ल के आधार पर किस तरह ऊंच-नीच में बांटती थी। जो नींव का काम करता है, वह प्रायः उस जगह से सबसे दूर खड़ा होता है जहां मूल्य और श्रेय बांटे जाते हैं।

विरोधी पक्ष का तर्क गंभीर है। बाज़ार दुर्लभता और जोखिम का मूल्य चुकाते हैं, नैतिक योग्यता का नहीं। रेस्तरां में खर्च हुआ रुपया रसोइयों, किराये और सेवा का भुगतान करता है; संयुक्त राज्य अमेरिका में बाहर खाए जाने वाले भोजन पर होने वाले खर्च में खेत का हिस्सा मात्र 4 प्रतिशत है। वही अध्ययन बताता है कि घेरकिन (gherkin) उगाने वाले किसानों को खुदरा मूल्य का केवल 3 से 5 प्रतिशत मिलता है, फिर भी वे टमाटर उत्पादकों से अधिक कमाते हैं, जिनका हिस्सा अधिक होता है। न ही राज्य ने भारतीय किसान को भुला दिया है; वह न्यूनतम समर्थन मूल्य, मुफ्त बिजली और आय अंतरण पर भारी व्यय करता है, और पंजाब में जलभृत के सूखने का एक कारण यह मुफ्त बिजली भी है। फिर, डब्ल्यू. आर्थर लुईस के 1954 के आर्थिक विकास मॉडल के समय से अर्थशास्त्री यह तर्क देते आए हैं कि समृद्धि श्रम को खेती से निकालकर अधिक उत्पादक कार्यों में लगाने से आती है। अन्नदाता का रूमानी महिमामंडन उसे वहीं बांधे रख सकता है जहां वह आज खड़ा है।

फिर भी यह आपत्ति अंततः निबंध के वास्तविक दावे को ही पुष्ट करती है। प्रश्न हिस्से के आकार का नहीं, इस बात का है कि उस हिस्से के लिए मोलभाव की शक्ति किसके पास है। घेरकिन उत्पादक इसलिए अच्छा कमाते हैं क्योंकि वे खरीदारों के साथ अनुबंधों से जुड़े हैं और अमूल के किसान इसलिए क्योंकि संयंत्र उनका अपना है। जो सब्सिडी भू-स्वामित्व या पंप के पीछे-पीछे चलती है, वह सबसे बड़े स्वामी तक पहुंचती है, उस महिला या बटाईदार तक नहीं जो वास्तव में खेत में खटते हैं। इसलिए उपाय भावुकता में कीमते तय करना नहीं है। उपाय है खेती करने वाले को अभिलेख में दर्ज करना, सहकारी समितियों और किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से आगे की शृंखला के कारोबार का स्वामित्व किसानों तक पहुंचाना, दुर्लभ भूजल का ऐसा मूल्य निर्धारण करना कि सबसे गहरा पंप अपने आप न जीत जाए, और भूखे बच्चे को सार्वजनिक उत्तरदायित्व मानना। संविधान का अनुच्छेद 39(b) अपेक्षा करता है कि भौतिक संसाधनों का वितरण सामूहिक हित के लिए हो, और अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर को ऊंचा करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य बनाता है।

होरी की साथ छोटी-सी थी। किसी समाज को अपनी न्यायपूर्णता अपनी फ़सल के आकार से नहीं, इस बात से मापनी चाहिए कि उसे खलिहान तक लाने वाले भरपेट खाते हैं या नहीं, जिस पर वे श्रम करते हैं उसके स्वामी हैं या नहीं, और लाभ बंटते समय उन्हें गिना जाता है या नहीं। खिलाने वाले हाथ को पंगत में सबसे पहले बैठने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस वहां एक ऐसा स्थान चाहिए जिसे कोई छीन न सके।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards): महाराष्ट्र का महिला किसान कानून 'महिला किसान प्रमाणपत्र' के जरिए भूमिहीन महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता देता है • पंजाब अपने निकासी योग्य भूजल का 152% दोहन करता है; गिरता जलस्तर संपत्ति को बड़े किसानों की ओर खिसका रहा है • घर में भोजन पर खर्च होने वाले रुपये का 57.8% किसान को मिलता है; बाहर खाने पर केवल 8.4% • तमिलनाडु ने निःशुल्क स्कूली नाश्ता कक्षा 6-8 तक बढ़ाया, दायरे में 34.64 लाख बच्चे • थरूर ने 1918 के हाइफ्रा युद्ध को याद किया: भारत और इज़राइल के लिए गौरव, फ़िलिस्तीनियों के लिए क्षोभ